

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

संसदीय प्रक्रिया

डॉ. सुभाष काश्यप की कुछ रचनाएँ

हिन्दी में

मूल रचनाएँ

हमारी ससद, ससदीय प्रक्रिया, भारतीय सरकार एवं राजनीति, भारतीय राजनीति के नए मोड़-दल बदल और राज्यों की राजनीति, राजनीतिकोश, जवाहरलाल नेहरू और भारत का संविधान, संविधान की आत्मा, संविधान की कहानी, संवैधानिक विकास और स्वाधीनता सघर्ष, स्वाधीनता सघर्ष, स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास (1857-1947)

सम्पादित

भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल, भारत में निर्वाचन, भारत का संविधान—नई चुनौतियाँ, नये उत्तर, राष्ट्र-मण्डल की ससदें, नेहरू और ससद, लोकतन्त्र समीक्षा—त्रैमासिक (1969-1973), ससदीय पत्रिका—त्रैमासिक (1984-), प्रभात—मासिक (1947-48), परिवर्तन—दैनिक (1947)

In English

Original Works

Our Parliament, History of the Freedom Movement (1857-1947), The Political System and Institution Building under Jawaharlal Nehru, Parliament of India — Myths and Realities, Parliamentary Practice and Procedure with Kaul & Shakher, Jawaharlal Nehru, the Constitution and the Parliament, Human Rights and Parliament, The Ministers and the Legislators, The Politics of Defection, The Politics of Power, The Unknown Nietzsche, Tryst with Freedom, The Framing of India's Constitution—A Study (with Shiva Rao Committee), Govind Ballabh Pant—Parliamentarian, Statesman and Administrator

Edited

Nehru and Parliament, Parliaments of the Commonwealth, Union State Relations in India, The Union and the States, The Framing of India's Constitution—Select Documents in 4 Volumes (with the Shiva Rao Committee), Elections and Electoral Reforms in India, Parliamentary Committees in India, Indian Political Parties, Bangladesh, Indian Parties and Politics, Journal of Constitutional and Parliamentary Studies - quarterly (1967-1973), Journal of Parliamentary Information-quarterly (1984-)

संसदीय प्रक्रिया

लेखक
डॉ० मुभाष कारयप



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

प्रथम संस्करण : 1991

मूल्य : 37.00 रुपये मात्र

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर
जयपुर-302 004

मुद्रक :

भूसेलाल प्रिण्टर्स
जयपुर

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय
भारत सरकार की विश्वविद्यालय
स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्त-
र्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,
जयपुर द्वारा प्रकाशित ।

प्रकाशकीय भूमिका

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी धरणी स्थापना के 22 वर्ष पूरे करते 15 जुलाई, 1991 को 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि में विश्व माहिल्य के विभिन्न विषयों के उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर प्रकाशनी ने हिन्दी जगत के शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य पाठकों को सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है।

प्रकाशनी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हों। विश्व-विद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की दृष्टि से धरणी अनुचित स्थान नहीं पा सकते हों, और ऐसे ग्रन्थ भी जो अंग्रेजी को प्रतिपोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, प्रकाशनी प्रकाशित करती है। इस प्रकार प्रकाशनी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करती रही है और करेगी जिनको पाकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नहीं, गौरवान्वित भी हो सकें। हमें यह कहने हुए हर्ष होता है कि प्रकाशनी ने 350 से भी अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया है जिनमें से एकाधिक केन्द्र, राज्यों के बोर्डों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किये गये हैं तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी को अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः प्रकाशनी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में दोनों सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में स्वेच्छा से समदीय व्यवस्था को धरनाया गया है। यह निरान्त आवश्यक है कि देश के समस्त नागरिक समदीय प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी रखें। स्तूत्रों, कालिखों और विश्वविद्यालयों में इस महत्त्वपूर्ण विषय के अध्ययन-प्रवचन की व्यवस्था नहीं है। मंच तो यह है कि इस विषय पर जानकारी और पठन सामग्री की भारी कमी है। इसी कमी को पूरा करने हेतु विज्ञान लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में समदीय प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण आयामों पर बहुत ही सरल और रोचक भाषा में प्रकाश डाला है।

हम पुस्तक के विज्ञान लेखक डॉ. सुभाष काश्यप, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सहयोग हेतु आभारी हैं।

भंरोरसिंह शेखावत

डॉ. वेद प्रकाश

मुख्यमन्त्री, राजस्थान सरकार एवं

महासक निदेशक

अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी,

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी

जयपुर

जयपुर

आमुख

भारत में हमने अपनी स्वेच्छा से ससदीय व्यवस्था को स्वीकारा—अपनाया है। हम भारत के लोग, अपने जीवन का क्षण क्षण ससदीय शासन प्रणाली की सरकार के अधीन रहकर बिताते हैं। किन्तु, प्राश्चर्य और दुर्भाग्य का विषय है कि ससदीय प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी जन-साधारण को देने की कोई समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक में इस महत्त्वपूर्ण विषय के अध्ययन-अध्यापन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे पाठ्यक्रमों में इस विषय की पूर्ण अवहेलना की जाती है। सब तो यह है कि इस विषय पर जानकारी और पठन सामग्री की भी भारी कमी है। इसी कमी को पूरा करने की दिशा में प्रस्तुत पुस्तक एक विनीत प्रयास है।

क्योंकि पुस्तक स्नातकोत्तर स्तर के पाठकों के लिए भी है, इसके अन्त में "लोकसभा का विघटन" और "दल सचेतक" ससदीय विशेषाधिकार और दल-परिवर्तन विरोधी कानून" शीर्षक दो विशेष लेख जोड़े जा रहे हैं जो उन समस्याओं के उदाहरण हैं जो ससदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में समय-समय पर उठती रहती हैं और जिनको मुलभूतना होता है। साथ ही यह ध्यान रखते हुए कि "ससदीय प्रक्रिया" नितान्त शुष्क और बोझिल न लगे, दो रोचक लेख "समद और हास्य बिनोद" तथा "लोक सभा में कविता और गेर ओ-शायरी"—भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

भाषा है पाठकों को पुस्तक उपयोगी, रुचिकर और पठनीय लगेगी और जन-साधारण, अचेत नागरिक और जिज्ञासु विद्यार्थीगण इसका स्वागत करेंगे।

में राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का विशेष रूप से आभारी हूँ क्योंकि यह पुस्तक उन्हीं के आग्रह का परिणाम है।

LIBRARY

मुसाफ काश्यप

33 श्रीरमजैव रोड,
नई दिल्ली।

अनुक्रम

● प्रकाशकीय भूमिका

● आमुख

1	हमारी राजनैतिक व्यवस्था में संसद् का स्थान	1
2	संसद् का कार्यकाल और अधिकार क्षेत्र, सदनों की भूमिका, विभिन्न कृत्य	19
3	निर्वाचन और सदनों का गठन	35
4	संसदीय कार्य में प्रक्रिया का महत्व	45
5	सदनों के सत्र और बैठके आश्वासन, कार्यक्रम, कार्य-सूची, गणपूर्ति, स्थगन और विघटन की प्रक्रिया	57
6	संसद् के अधिकारी अध्यक्ष, पीठमौल अधिकारी तथा महासचिव	66
7	प्रश्न प्रक्रिया प्रश्नों के प्रकार, प्राप्ति के नियम, प्राथमिक चर्चा और "शून्य" कार्य	83
8	विधायी प्रक्रिया साधारण विधि और साविधानिक सशोधन	93
9	वित्तीय मामलों में प्रक्रिया बजट और वित्तीय विधान	113
10.	संकल्प, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनाएँ और अल्पकालीन चर्चाएँ सदन में लोक महत्व के मामले उठाने की प्रक्रियाएँ, अविश्राम और निम्न प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रियाएँ	122
11.	संसदीय समितियाँ प्रकार, गठन और प्रिया-विधि	142

समादीय व्यवस्था अन्य तन्त्रों की अपेक्षा अधिक सुसभ्य और सुसंस्कृत है क्योंकि इसमें लोग सदन में मिल-बैठ कर बातचीत के द्वारा अपने मतभेदों का हल खोजने का प्रयास करते हैं तथा राजनीतिक शक्ति के लिए सत्त्व सपर्ष भी या तो ग्राम चुनावों के समय मतपेटियों के माध्यम से होता है या फिर सदन के सदनों में वाद-विवाद के द्वारा। समादीय व्यवस्था का मूलमन्त्र यही है कि स्वतन्त्र चर्चा हो। हर राष्ट्रीय महत्त्व के मामले पर खुले आम बहस हो, आलोचना की पूरी छूट हो और विभिन्न मतों में टकराव, सभी पक्षों द्वारा आपसी बातचीत और वाद-विवाद के बाद देश हित में निर्णय लिये जाये।

संसद की संरचना

संविधान के अनुसार भारत गणराज्य (Republic of India) के संघीय विधान मण्डल (Union Legislature) को संसद (Parliament) कहा जाता है। संविधान के संसद सम्बन्धी अध्याय 2 में अनुच्छेद (Article) 79 स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति (President) और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा (Council of States) और लोक सभा (House of the people) होंगे।

राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा = संसद

राष्ट्रपति यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति संसद का उसी प्रकार अनिवार्य अंग है जैसे संसद के दो सदन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मण्डल (Electoral college) द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर निर्वाचन मण्डल का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में न तो बैठता है न उनको चर्चाओं में भाग लेता है, तथापि संसद से संबंधित कुछ ऐसे सांविधानिक कृत्य हैं जिनका उसे समय-समय पर निर्वहन करना होता है। यह ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति प्रायः अपने सभी कृत्यों का निर्वहन प्रधानमंत्री अथवा मंत्री परिषद के परामर्श से ही करता है। वह समय-समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिये ऐसे समय और स्थान पर जो वह उचित समझे, आमंत्रित (Summon) करता है। सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख के बीच छ. मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति दोनों सदनों का समय-समय पर मन्त्रावसान (Prorogation of the session) करता है और लोक सभा को उमका नियत कार्यकाल (Prescribed term) समाप्त होने से पूर्व भी भंग (Dissolve) कर सकता है। किसी भी विधेयक (Bill) को कानून अथवा विधि (Act) बनने के लिए दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) प्राप्त होना जरूरी है। जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन (Session) में न हों और ऐसी स्थिति पैदा हो

जाये जिसमें राष्ट्रपति की राय में तुरन्त कुछ कार्यवाही किया जाना जरूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) द्वारा अध्यायी कानून बना सकता है। इन कानूनों की शक्ति और प्रभाव यही होता है जो संसद द्वारा पारित विधि का होता है। किन्तु इन अध्यादेशों के स्वार्थी कानून का रूप पाने के लिए समझ का अनुपांजन और उनका साधारण संसदीय प्रक्रिया (Parliamentary procedure) के द्वारा विधि के रूप में पारित किया जाना आवश्यक है।

लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के प्रारम्भ में, राष्ट्रपति एक मास सम्बन्धित समझ के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है और सदनों की बैठक के लिए आमन्त्रित करने के कारणों (Causes of summons) की समझ को सूचना देता है। इसके अतिरिक्त, वह समझ के किसी एक सदन के समक्ष अथवा एक मास सम्बन्धित दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे समझ में उस समय लिखित किसी विधेयक संबंधी संदेश (Message) या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा जिस विषय पर विचार करना अपेक्षित हो उस पर सुविधानुसार जोरना में विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात् ही पेश किए जा सकते हैं और उन पर आगे बाई कार्यवाही की जा सकती है।

समझ के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को सदन में अगना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ (Oath) देनी पड़ती है अथवा प्रतिज्ञान (Solemn affirmation) करना पड़ता है।

सुविधान के अनुसार समझ संबंधी कुछ अन्य कृत्य भी हैं जिनका निर्वहन राष्ट्रपति में अपेक्षित है। जब कभी आवश्यक हो वह लोक सभा का अस्थायी अध्यक्ष (Speaker pro-tem) और राज्य सभा का कार्यकारी सम-पति (Acting Chairman) नियुक्त करता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच समझौता होने की स्थिति में वह उनकी संयुक्त बैठक (Joint-sitting) बुलाता है। राष्ट्रपति प्रथम वर्ष सरकार का बजट, जिस सुविधान में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual financial statement) कहा गया है, और भारत के नियंत्रक-सहायक-वित्त-अधीन (Comptroller and Auditor-General, वित्त आयोग (Finance Commission), संघ लोक सेवा आयोग (Union public Service Commission), अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) तथा पिछड़े वर्ग आयोग (Backward Classes Commission), जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों (Constitutional functionaries) के कुछ अन्य प्रतिवेदन (Reports) समझ के

4/संसदीय प्रक्रिया

समझ रखवाता है। यदि उसकी राय हो कि आंग्ल-भारतीय समुदाय (Anglo-Indian Community) का लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह सदन के लिए उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्य राज्य सभा के लिए भी मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त, उसे निर्वाचन आयोग (Election Commission) की राय प्राप्त करने के पश्चात् फैसला करने की शक्ति प्राप्त है कि क्या विधिवत् निर्वाचित कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद 108 में निर्धारित अनर्हताओं (Disqualifications) से ग्रस्त होता है अथवा नहीं। इस विषय में उसका फैसला अन्तिम होता है। राष्ट्रपति अपने पद का कार्यभार समालने की तिथि से पांच वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले कभी भी उपराष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है। ऐसे पदत्याग की सूचना तुरन्त लोक सभा अध्यक्ष को दिया जाना होता है। राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर चलाया जा सकता है और उसके लिए मसद् के किसी एक सदन में दा-तिहाई बहुमत से दोषारोपण का प्रस्ताव सकल्प द्वारा किया जाना चाहिये तथा दूसरे सदन द्वारा अनुसंधान के पश्चात् दा-तिहाई बहुमत से ही यह सकल्प पास होना चाहिये कि राष्ट्रपति पर लगाया गया दोष सिद्ध हो गया है।

राज्य सभा राज्य सभा (Council of States) राज्यो की परिषद् है। संविधान के अनुसार राज्य सभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (Nominated by the president) होते हैं और शेष 238 राज्यो (States) और सप्त राज्य क्षेत्रो (Union Territories) द्वारा चुने हुए। राज्य सभा के चुने गये सदस्य राज्य विधान सभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation System) के अनुसार एकल सक्रमणीय मत (Single transferable vote) से निर्वाचित किये जाते हैं। राज्य सभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष का न्यूनतम आयु का प्रावधान है।

सप्त के विभिन्न राज्यो को राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। भारत में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार, जबकि राज्य सभा में उत्तर प्रदेश के 34 सदस्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि जैस अल्पसंख्यक छोटे राज्यो का केवल एक-एक सदस्य है। अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव और लक्षद्वीप जैसे कुछ सप्त राज्य क्षेत्रो का जनसंख्या हतनी कम है कि राज्य सभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता।

इस समय में राज्य सभा में कुल सदस्य 245 हैं। इन स्थानों का वितरण निम्न प्रकार है :

राज्य

1	प्रांथ प्रदेश	18	14.	मणिपुर	1
2	भारशासन प्रदेश	1	15	मेघालय	1
3	अमम	7	16	मिजोरम	1
4	बिहार	22	17	नागालैड	1
5	गोवा	1	18	उडीसा	10
6	गुजरात	11	19	पजाब	7
7.	हरियाणा	5	20	राजस्थान	10
8	हिमाचल प्रदेश	3	21.	मिक्किम	1
9	जम्मू तथा कश्मीर	4	22.	तमिलनाडु	18
10	कनटिक	12	23	त्रिपुरा	1
11	केरल	9	24.	उत्तर प्रदेश	34
12	मध्य प्रदेश	16	25	पश्चिम बंगाल	16
13	महाराष्ट्र	19			

संघ राज्य क्षेत्र

26	दिल्ली	3	27	पाण्डिचेरी	1
	मनौनीत	12			

राज्य सभा एक स्थायी निकाय है और उसे भंग नहीं किया जा सकता। उसका विघटन (Dissolution) नहीं हो सकता। राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यवधि छह वर्षों की है, उसके सदस्यों में से गणानुभव एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों की पदावधि उस त्रिथि से आरम्भ हो जाती है जब भारत सरकार द्वारा सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिमूचित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो संसद् के दोनों सदनो के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राज्य सभा का पदेन (Ex-officio) सभापति होता है, जबकि उपसभापति पद के लिए राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाता है।

लोक सभा . लोक सभा (House of the People) आम लोगों का, जनता का सदन है। यह सदन सार्वभौम वयस्क मताधिकार (Universal adult franchise) के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) से चुने गये प्रतिनिधियों से बनता है। वयस्क मताधिकार के लिये आयु जो अब तक 21 वर्ष थी अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है अर्थात् अब कोई भी भारतीय नागरिक नारी अथवा पुरुष 18 वर्ष का होते ही लोक सभा के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान का अधिकारी हो जाता है। लोक सभा के निर्वाचन में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552

6/संमदीम प्रक्रिया

हो सकती है। मविधान के अनुसार लोक सभा के 530 से अनधिक सदस्य राज्यों में प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अनधिक सदस्य सघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जैसे ससद् विधि द्वारा उपबन्ध करे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या को राज्यों के बीच ऐसी रीति से वितरित किया जाता है जिसमें कि प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित स्थानों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच यथासंभव ऐसा अनुपात रहे जो सब राज्यों के लिए समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को चुनाव क्षेत्रों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र को दिये गये स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात जहाँ तक संभव हो एक जैसा रहे।

इस समय लोक सभा की सदस्य संख्या तथा राज्यों एवं सघ राज्य क्षेत्रों के लिए उसमें नियत किए गए स्थान निम्न प्रकार हैं—

राज्य	स्थान संख्या	राज्य	स्थान संख्या
1. आंध्र प्रदेश	42	14. मणिपुर	2
2. अरुणाचल प्रदेश	2	15. मेघालय	2
3. असम	14	16. मिजोरम	1
4. बिहार	54	17. नागालैंड	1
5. गोवा	2	18. उड़ीसा	21
6. गुजरात	26	19. पंजाब	13
7. हरियाणा	10	20. राजस्थान	25
8. हिमाचल प्रदेश	4	21. त्रिपुरा	1
9. जम्मू तथा कश्मीर	6	22. तमिलनाडु	39
10. कर्नाटक	28	23. त्रिपुरा	2
11. केरल	20	24. उत्तर प्रदेश	85
12. मध्य प्रदेश	40	25. पश्चिम बंगाल	42
13. महाराष्ट्र	48		
संघ राज्य क्षेत्र		स्थान संख्या	
1. अरुणाचल प्रदेश	2	1. अरुणाचल प्रदेश	2
2. चण्डीगढ़	1	2. चण्डीगढ़	1
3. दादर तथा नागर हवेली	1	3. दादर तथा नागर हवेली	1
4. दिल्ली	7	4. दिल्ली	7
5. दमन तथा दीव	1	5. दमन तथा दीव	1
6. लक्षद्वीप	1	6. लक्षद्वीप	1
7. पाण्डिचेरी	1	7. पाण्डिचेरी	1

मनोनीत

(आंग्ल-भारतीय)

2

लोक सभा की कार्यविधि सविधान ने निर्धारित कर दी है क्योंकि लोकतन्त्र में यह निरान्त आवश्यक है कि देश की सर्वोच्च प्रतिनिधिक सभा समय-समय पर जनसंदेश (People's mandate) प्राप्त करती रहे। लोक सभा की कार्यविधि उगकी प्रथम बैठक के लिए निश्चित तिथि से पांच वर्ष की है। पांच वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर मदन स्वतः मग हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में मदन की पूर्ण कार्यविधि समाप्त होने से पूर्व ही इसे मग किया जा सकता है। जब अन्धकार की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब मसद् लोक सभा की कार्यविधि ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक धार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् किमी भी दशा में उगकी कार्यविधि छह माह में अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

लोक-सभा-राज्य सभा हमारी साविधानिक योजना में जिन दो मदनो का प्रावधान है उनमें से किसी को भी निम्न सदन (Lower House) और उच्च सदन (Upper House) प्रथम मदन (First Chamber) और द्वितीय सदन (Second Chamber) अथवा प्रारम्भिक मदन (Primary Chamber) और पुनरीक्षक सदन (Revising Chamber) कहना उचित नहीं होगा। भारतीय संसदीय व्यवस्था में मसद् के दोनों सदन स्थान, अधिकार, सम्मान और शक्ति के मामले में समान हैं। कुछ मामले जैसे वित्तीय (Financial) और मंत्रीपरिषद् के उत्तरदायित्व (Ministerial responsibility) सम्बन्धित मामले लगभग पूर्णतया लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में हैं तां कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनमें भारतीय सभ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा होने के कारण राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो लोक सभा को नहीं दी गईं जैसे अखिल भारतीय सेवा (All India Services) का सृजन और राज्य सूची (State List) में वरिष्ठ किमी विषय पर राष्ट्रहित में मसद् द्वारा विधान बनाने सम्बन्धी सकल्प (Resolution) जिन पर केवल राज्य सभा का ही प्राधिकार है। क्योंकि सविधान के प्रावधानों (Provisions of the Constitution) के अन्तर्गत मंत्री परिषद् केवल प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित (Directly elected) लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रीपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (Motion of no-confidence) अथवा वैसे कुछ प्रभाव रखने वाले प्रस्ताव जैसे स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion) राज्य सभा में नहीं रखे जा सकते। लोक सभा में जनता का गीघ्रा प्रतिनिधित्व होने के कारण हमारे सविधान के अनुसार मसद् का विश्वास प्राप्त होने का अर्थ लोक सभा का विश्वास प्राप्त होना और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का अर्थ लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व माना गया है। इसी प्रकार क्योंकि सिद्धाततः कर लगाने (Taxation) की तथा जनराजि

(Public funds) में से खर्च करने की अनुमति देने का अधिकार केवल जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों को ही प्राप्त है कोई धन विधेयक (Money Bill) राज्य-सभा में पेश नहीं किया जा सकता। किसी धन विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसमें संशोधन करने का राज्य सभा को अधिकार नहीं है किसी भी धन विधेयक के निम्नलिखित में राज्य सभा केवल सिफारिश अथवा सन्तुति (Recommendation) कर सकती है। यदि कोई धन विधेयक जिसे लोक सभा ने पास करके राज्य सभा को भेजा हो, चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाया नहीं जाता तो उसे यह अवधि समाप्त होते ही लोक सभा द्वारा पारित रूप में ही दोनों सदनों द्वारा पारित किया माना जाएगा। कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है अथवा नहीं, इस विषय में लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। यद्यपि राज्य सभा का अनुदानों की मांगों (Demands for grants) को अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है, वह बजट अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget or Annual Financial Statement) पर पूरी बहस कर सकती है।

इन सबके बावजूद ऐसा नहीं है कि लोक सभा की तुलना में राज्य सभा का महत्त्व किसी प्रकार कम हो अथवा इसे द्वितीय स्थान दिया गया हो। जहाँ तब विधेयक (Legislation) का सम्बन्ध है, धन विधेयकों को छोड़कर अन्य सब प्रकार के विधेयकों के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ लोक सभा के बराबर हैं। धन विधेयकों को छोड़कर, कोई भी विधेयक लोक सभा अथवा राज्य सभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने में पूर्व दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महानियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सभा की लोक सभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उद्घोषणा और किसी राज्य में गवैधानिक व्यवस्था के विकल हो जाने की उद्घोषणा को ससद् के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है जिसमें मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी लोक सभा का अध्यक्ष होता है इसके प्रतिरिक्त, संविधान के अधीन राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियाँ सौंपी गई हैं। यह घोषणा करने की शक्ति केवल राज्य सभा को प्राप्त है कि ससद् के लिए राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के सम्बन्ध में विधान बनाना राष्ट्रीय हित में होगा। यदि राज्य सभा इस आणय का सकारण दो तिहाई बहुमत में पास कर देती है तो संघीय ससद् "राज्य सूची" में वर्णित किसी विषय के संबंध में भी सम्पूर्ण देश के लिए अथवा देश के किसी भाग के लिए विधान बना सकती है। इसके प्रतिरिक्त, यदि राज्य सभा उप-

मिथन और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित मसौदा द्वारा घोषणा करनी है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो मन्त्रिमण्डल के अधीन मसौदा को, विधि द्वारा, मध्य और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अधिनियम भारतीय संविधान के मूजब के लिए उपबन्ध करने की शक्ति प्राप्त हो जानी है।

मसौदा के दोनो सदस्यों के बीच सम्बन्ध आवश्यक है। तब बहुत से धरातर आते हैं जब दोनो सदस्यों को एक दूसरे में सम्पर्क स्थापित करना होता है। ऐसा प्रायः एक मदन द्वारा दूसरे को निर्दिष्ट मसौदा भेज कर किया जाता है। निश्चित मसौदा एक मदन में पास हुए विधेयक को दूसरे मदन में भेजने के लिए अथवा प्रस्ताव तथा सहस्य पास करके दूसरे की जानकारी के लिए अथवा महामति प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। मसौदों के अन्य तरीके हैं मसौदा समितियों को बैठकें अथवा दोनो सदस्यों की मसौदा बैठकें।

संसद और सरकार

समन्वित तान्त्रिक में संसद और सरकार का विधानपालिका (Legislature) और कार्यपालिका (Executive) का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ होता है। हमारे विधान के अन्तर्गत जहाँ राष्ट्रपति मसौदा का एक अंग है वहाँ कार्यपालिका का प्रमुख भी वही है। कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं और इनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। इस-निम्ने सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम में ही किये जाते हैं। किन्तु विधान का यह भी आदेश है कि राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का नियंत्रण मन्त्रीपरिषद् को महाशक्ति और परामर्श (Aid and advice) के द्वारा ही करे। राष्ट्रपति वस्तुतः एक औपचारिक (Formal, ceremonial), सांविधानिक (Constitutional) अथवा नाममात्र का (Nominal) प्रमुख होता है। मन्त्रीपरिषद् ही वास्तविक कार्यपालिका होती है तथा प्रधान मन्त्री उसका प्रमुख। प्रत्येक नई लोक सभा के विधिवत् निर्वाचन और मदन के पश्चात् राष्ट्रपति तब दल या दलों के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जिसे लोक सभा में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार, प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मन्त्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा में नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री नियुक्त करने में निजी इच्छा (Personal discretion) का प्रयोग करने का प्रायः कोई अवसर नहीं मिलता। परन्तु यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि किसी भी दल को लोक सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसी ऐसे नेता का चयन करने में स्वविवेक (Individual judgement) का प्रयोग कर सकता है जिसे, उसकी राय में, मदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने की सम्भावना हो।

प्रधान मंत्री आम तौर पर लोक सभा का सदस्य होता है परन्तु मंत्री मसद् के दोनो सदसो मे लिए जाते है । किसी एमे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो मसद् के किसी भी सदस्य का सदस्य न हो। परन्तु उसे छह मास के अन्दर पद छोड़ना पडता है यदि, इस बीच, वह दोनो मे से किसी सदस्य के लिए निर्वाचित न हो जाए । मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप मे लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है । मंत्रियों का यह सर्वधानिक दायित्व है कि वे लोक सभा का विश्वास गंते ही सामूहिक रूप से पदत्याग कर दें । साथ ही, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रमादपर्यन्त पद धारण करता है और उसके द्वारा उसे अर्थात् किंग जा सकता है । परन्तु राष्ट्रपति चूंकि प्रधान मंत्री को मंत्रणा से ही ऐसा करता है अतः यह शक्ति वास्तव मे प्रधान मंत्री को प्राप्त है ।

हमारे संसदीय लोकतन्त्र मे कार्यपालिका और विधानपालिका का एक अटूट गठबन्धन है । उनमे किसी प्रकार के विरोध अथवा विभाजन की गुंजाइश नहीं है । समद स्वयं शासन नहीं करती और न कर ही सकती है । अतः समद द्वारा यह उत्तर-दायित्व मंत्रिपरिषद् को सौंपा जाता है । लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के संसदीय रूप की यह विशेषता है कि शासन समद के बीच होता है । मंत्रिपरिषद् समद के दोनों सदसो के सदस्यो के द्वारा निर्मित होती है । वह समद मे निकलती है और समद मे ही रहती है । वस्तुतः मंत्रिपरिषद् समद का एक अंग मात्र है, समद मे बाहर कोई पृथक् शक्ति केन्द्र नहीं तथापि, समद और कार्यपालिका के कृत्यों और भूमिकाओं मे अन्तर है । समद का काम है—जनता के कल्याण तथा देश मे अच्छा शासन कायम करने के लिए विधान बनाना (Law-making) नीति निर्धारण (Policy formulation), शासन पर संसदीय निगरानी रखना (Parliamentary surveillance over administration), राजनैतिक और वित्तीय नियंत्रण (Political and financial control), जनता का प्रतिनिधित्व करना तथा उनकी शिकायतों को अभिव्यक्त करना और दूर करना (Representational and grievance ventilation and redressal) । दूसरी ओर कार्यपालिका का काम है समद द्वारा बनाई विधियों और नीतियों को लागू करना और शासन चलायाना । यदि कार्यपालिका को विधायी और वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें समद के समक्ष रखने तथा स्वीकृत नीतियों को, समद द्वारा किसी भी प्रकार की अडचन पैदा किए बिना, कार्य रूप देने का लगभग अर्थात् अधिकार प्राप्त है तो समद को सूचना प्राप्त करने, चर्चा करने, छानबीन करने और कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर जन-प्रतिनिधियों की स्वीकृति की मुहर लगाने की अंगीम शक्ति प्राप्त है ।

समद सदस्यों को कई एमे तरीके उपलब्ध हैं जिनके द्वारा वे कार्यपालिका से जानकारी मांग सकते हैं और मंत्रियों तथा प्रशासन को लगातार चौकन्ना रख सकते हैं । सरकार को समद मे अपने प्रत्येक कार्य की सफाई पेश करनी होती है । विभिन्न क्षेत्रों मे सरकार की नीतियों तथा कृत्यों की सदस्य समय-समय पर व्यापक

गम्भीर और आलोचना कर सकते हैं। विपक्ष द्वारा की गई आलोचनाओं और सरकार द्वारा की गई सफाईयों से साफ पता चल जाता है कि देश के मामलों में सभ्यतापूर्ण ने प्रति विभिन्न पक्षों के क्या विचार हैं अथवा क्या वैकल्पिक नीतियाँ या रास्ते सम्भव हैं। मगद नियत समय पर वादिक वज्र पर विचार करती है और स्वीकृति प्रदान करती है। इस स्वीकृति के बिना न तो सरकार कोई कर वसूल कर सकती है और न ही सरकार कोए से कोई पैसा खर्च कर सकती है। समय-समय मसद महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिवर्तनों, देश की विदेश नीति और अविश्वसनीय लोक महत्त्व के अन्य मामलों पर भी चर्चा करती है। खास मामलों में मन्त्रिपरिषद् की उमकी भूलों के लिए लोक सभा में निन्दा की जा सकती है अथवा उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकता है।

ससद् और न्यायपालिका

ससद् और सरकार अथवा विधानपालिका और कार्यपालिका के साथ-साथ राज्य का तीसरा प्रमुख अंग है न्यायपालिका (Judiciary) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालय (High Courts) मिलकर देश की न्यायपालिका का निर्माण करते हैं। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वह देश का उच्चतम न्यायाधिकरण है। ससद् को न्यायालयों के गठन, मगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियाँ विनियमित करने वाल विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। संविधान में पहले यह निर्धारित था कि मुख्य न्यायाधीश के अन्वाया न्यायाधीशों की संख्या मात्र में अधिक नहीं होगी। परन्तु ससद् को शक्ति दी गई थी कि वह विधि द्वारा, अधिक संख्या में न्यायाधीश निर्धारित करे। इस उपबन्ध के अधीन, ससद् ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पास किया जिसके अनुसार अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर दस कर दी गई और बाद में इस अधिनियम में अनेक संशोधनों द्वारा 25 कर दी गई। इस प्रकार इस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, मुख्य न्यायाधीश सहित 26 है।

प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है जो मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से बनता है जो राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। संविधान के अधीन ससद् विधि द्वारा किसी सघ राज्य क्षेत्र (Union Territory) पर किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है या किसी सघ राज्य क्षेत्र को किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में निकाल सकती है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों तथा सघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, और किसी सघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय को संविधान के सभी या किसी एक प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जैसे वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल और उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश अपने हाथ में लिख कर, राष्ट्रपति का स्वाक्षित पत्रके, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है परन्तु उसे, सिवाय 'महाभियोग' (Impeachment) की प्रक्रिया के द्वारा जैसे सविधान में निर्धारित है, अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। उस प्रकार किसी न्यायाधीश को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है यदि संसद् के दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत से (अर्थात् उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा) पासो किया गया संयुक्त समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के उसके कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के विषय में, सिवाय उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के, अन्य किसी प्रकार चर्चा करने की संसद् का शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसा उपबन्ध स्पष्टतया इसलिए रखा गया है कि न्यायाधीश कायपालिका तथा विधानमण्डल के प्रभाव से मुक्त रहे। परन्तु इस सबंध में न्यायाधीश को प्राप्त संरक्षण उसके न्यायिक कर्तव्यों तक सीमित है, उसके निजी आचरण के लिए नहीं।

संसद् विधि द्वारा, मध्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) और प्रत्येक राज्य के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक पृथक् प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबन्ध कर सकती है। इस उपबन्ध के अधीन बनाए गए कानून में यह उल्लेख किया जाता है कि अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र क्या-क्या होंगे और शक्तियाँ क्या-क्या होंगी। ऐसे कानून से, उच्चतम न्यायालय के सविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन कार्यक्षेत्र के सिवाय, सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का कुछ उल्लिखित मामलों के संबंध में अपवर्जन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सविधान के अधीन संसद् को एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) बनाने की शक्ति प्राप्त है जिसमें जिला न्यायाधीश (District Judge) से छोटा कोई पद नहीं होता।

संसद् के किसी भी सदन की किसी कार्यवाही की विधिमन्यता को, प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) या कोई अन्य अधिकारी या संसद् सदस्य जिसमें प्रक्रिया को विनियमित करने या संसद् के

किसी भी सदन के निर्णय को लागू करने या कार्य रूप देने की शक्तियाँ सामयिक तौर पर निहित की गईं हों, उन शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता। सदन के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने वाले किसी मामले के सम्बन्ध में "रिट", निदेश या आदेश जारी करना न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में पड़े है।

ऐसे संविधान के ढांचे में जो व्यक्तिगत मूल अधिकारों की गारंटी देता है, सब तथा राज्यों की अलग-अलग शक्तियों का उपबन्ध करता है और संसद् सहित राज्य के प्रत्येक निकाय की शक्तियों एवं कृत्यों की स्पष्ट परिभाषा करता है और उनका परस्परसम्बन्ध करता है, न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की अपनी शक्तियों के अधीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समद द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को न्यायालय संविधान की शक्तियों में बाहर और इस कारण शून्य एवं अप्रवर्तनीय (Null and void) घोषित कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट उपबन्ध है कि समद, राज्य विधान-मण्डल या कोई भी अन्य प्राधिकरण ऐसा विधान न बनाए जो संविधान के भाग 3 में वर्णित किसी भी मूल अधिकार में अतिक्रमण है, या उसे न्यून करता हो। अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार, भारत में किसी विधान की संवैधानिक वैधता (Constitutional validity) को हम आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि विधान का विषय—

(क) उस विधानमण्डल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जिसने इसे पास किया है;

(ख) संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है, या

(ग) मूल अधिकारों में से किसी का हनन करता है।

कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है और प्रायः कहा जाता है कि जैसे विधानमण्डल का काम विधान बनाना और कार्यपालिका का काम उसे कार्यान्वित करना है, उसी तरह न्यायालयों का काम संविधान एवं विधियों की व्याख्या करना है। ऐसी धारणा बहुत ही भ्रमक एवं गलत है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में केवल न्यायपालिका ही व्याख्या नहीं करती है। अनेक ऐसे प्राधिकरण हैं जो लगभग प्रतिदिन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए बहुत वैधता से संविधान की व्याख्या करते हैं। उदाहरणार्थ, समद के दानों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को अपने विनिर्णय (rulings) देते हुए, जो उनके अपने-अपने सदनों में अतिम होते हैं, संविधान के उपबन्धों की व्याख्या करनी पड़ती है। न्यायालयों का मूल कृत्य व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों और राज्यों के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और मध्य तथा राज्यों के बीच विवादों का न्यायनिर्णय (adjudication) करना है और

न्यायनिर्णय करने हुए न्यायालयों के लिए सर्विधान तथा विधियों की ध्याख्या करना अपेक्षित हो सकता है। और जो ध्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है वह विधान बन जाती है जिसे देश के सभी न्यायालय मानने हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं है। वट तब तक देश के कानून के रूप में बना रहना है जब तक कि स्वयं उच्चतम न्यायालय उग ध्याख्या का पुनर्विचोचन (review) न करे या उसका बदल न दे या जब तक समद द्वारा उग कानून में या सर्विधान में उपयुक्त मशोधन न कर दिया जाए। यदि समद का कोई अधिनियम न्यायपालिका द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो समद उसकी ऐसी घुटियों को दूर करके जिनके कारण वह रद्द किया गया है, उसे फिर से अधिनियमित कर सकती है। इसके अधिनियमित समद अपनी सर्वधानिक शक्तियों की सीमा में रहते हुए सर्विधान में ऐसी गति में मशाघन कर सकती है जिनमें कि वह कानून समवधानिक न रहे।

इस प्रकार, भारतीय समद इतनी सर्वशक्ति सम्पन्न नहीं है जितनी कि ब्रिटिश समद है जहाँ विधान के न्यायिक पुनर्विचोचन की अनुमति नहीं है। साथ ही, भारतीय न्यायपालिका इतनी सर्वशक्ति सम्पन्न नहीं है जितनी की ममुक्त राज्य अमेरिका में है जहाँ न्यायिक पुनर्विचोचन की वस्तुतः कोई सीमा ही नहीं है।

विधायी शक्ति का वितरण

सर्विधान में सघ विधानपालिका (Union Legislature) और राज्यों की विधानपालिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया है।

भारतीय सघ में इस समय 25 राज्य (States) हैं और सात सघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) हैं, जैसा कि सावधान की पहली घनसूची (First Schedule) में उल्लिखित है। सघ का राज्यक्षेत्र राज्यों और सघ राज्यक्षेत्रों में बटा हुआ है। किसी राज्य द्वारा बनाया गया विधान उस राज्य के राज्यक्षेत्र में ही लागू हो सकता है। सघ की समद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधान बना सकती है। समद को राज्यक्षेत्रातीत विधान (extra-territorial laws) बनाने की शक्ति भी प्राप्त है, अर्थात् इसके द्वारा बनाया गया कोई विधान केवल भारतीय राज्यक्षेत्र के लोगों और मवति पर ही लागू नहीं होगा वल्लि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू हो सकता है। राज्यों को ऐसा विधान बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

सर्विधान में सघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण तीन सूचियों के घनगत करने का उपबन्ध किया गया है। सूची 1 (List) अथवा सघ सूची (Union list) में 97 विषय हैं जिनके बारे में केवल समद ही विधान बना सकती है। सूची 2 (list 2) या राज्य सूची (State list) में 66 विषय हैं जिनके बारे में केवल राज्य विधानमण्डल ही विधान बना सकते हैं। सूची 3 (list 3) या

समदर्ती सूची (concurrent list) में 47 मदें हैं जिनके बारे में समद और राज्य विधानमण्डल दोनों ही विधान बना सकते हैं। मविधान द्वारा घोषित करने-प्रपने क्षेत्रों में, समद और राज्य विधानमण्डलों को पूर्ण स्वायत्तता (autonomy) प्राप्त है, तथापि शक्ति के वितरण (distribution of powers) की योजना में विधायी क्षेत्र में समद के सामान्य प्रभुत्व पर बल दिया गया है।

सब सूची में, जो तीनों सूचियों में सबसे लम्बी है, रक्षा, बौद्धिक कार्य, रेलवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। शेषांश शक्तियाँ, (residual powers) शेषित एते विषय के सम्बन्ध में विधान की शक्ति जो तीनों में से किसी भी सूची में वर्णित न हो, समद को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त समदर्ती सूची में, एक ही विषय के सम्बन्ध में सब के और राज्य के विधान में टकराव होने की स्थिति में, सब का विधान मान्य होता है। दूसरे शब्दों में, इस सम्बन्ध में सब के विधान का स्थान पहला है। समदर्ती क्षेत्र के किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य की शक्ति के पक्ष में इस नियम का अर्थवाद है कि समद के पहले के किसी विधान के साथ टकराव होने के मामले में राज्य का विधान मान्य रहता है, यदि उसे विचारार्थ रक्षित रखा गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति (President's assent) उस पर प्राप्त हो चुकी हो। परन्तु इस सम्बन्ध में समद के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए विधान में बाध में मजबूत नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं सकती या निरस्त नहीं कर सकती। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना अपेक्षित है जिनमें समद द्वारा बनाए गए विधान का अनुपालन सुनिश्चित हो।

राज्यों के लिए पूर्णतया रक्षित क्षेत्रों में भी, समद की कुछ परिस्थितियों में विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार जब कभी राज्य सभा एक महत्वपूर्ण मामला लेकर, जिसे विरोध बहुमत प्राप्त हो, यह घोषणा करती है कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है तो समद राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर विधान बना सकती है। इसके अतिरिक्त जब आपात की उद्घोषणा (proclamation of emergency) प्रवृत्त में हो तो समद की विधान बनाने की शक्ति का विस्तार हो जाता है जिसमें वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बना सकती है। यद्यपि समद राष्ट्रीय हित में या आवाहक स्थिति के दौरान प्रयोग की गई किसी शक्ति में किसी राज्य के विधानमण्डल की सामान्य विधायी शक्ति को प्रतिबन्धित नहीं करती, तथापि टकराव की स्थिति में समद द्वारा बनाया गया विधान प्रवर्तन में रहता है और जब तक वह प्रवर्तन में रहता है तब तक राज्य का विधान जहाँ तक समद के विधान में उसके टकराव का सम्बन्ध है, अप्रवर्तनीय (inoperative) रहता है।

किमी देश के साथ की गई सन्धि (treats), समझौते (agreement) या अभिनमय (convention) को या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एगोमिशन या अन्य निकाय में किसी विषय पर, यदि वह विषय राज्य सूची में हो तो भी किए गए फैसले को कार्यान्वित करने के लिए विधान बनाने की शक्ति समझ को ही प्राप्त है।

समझ में निवेदन किए जाने पर भी वह राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बना सकती है। यदि दो या दो में अधिक राज्य विधानमण्डल ऐसा बाह्य-नीय सम्झौते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र वाले किसी विषय का विनियमन (regulation) समझ के विधान द्वारा होना चाहिए और इस प्राणय का मकल्प पास करते हैं तो, समझ राज्यों के निमन्त्रण पर राज्य सूची के किसी विषय पर आवश्यक विधान बना सकती है। परन्तु इस प्रकार बनाया गया विधान उन राज्यों में प्रभावित रहता है जिन्होंने इस हेतु निवेदन किया हो अथवा उन अन्य राज्यों में जो इस बारे में मकल्प पास करके बाद में उसे अपना लें। मन्त्र सूची की कुछ प्रविष्टियों से ही समझ को शक्ति प्रदान हो जाती है कि वह, विधि द्वारा अपेक्षित घोषणा करके, कुछ क्षेत्र और विषय राज्य के क्षेत्र में अपने अधिकार में ले ले।

सविधान में उपबन्ध है कि यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है निम्न उक्त राज्य का शासन सविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा (Presidential Proclamation) द्वारा उक्त राज्य की सरकार के सभी या कोई कुछ अपने हाथ में ले सकता है और यह घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधिमण्डल की शक्तियों का प्रयोग समझ द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जाएगा।

नये राज्यों की स्थापना एवं गठन के मामलों से भी समझ के प्रभुत्व का संबंध मिलता है। समझ को यह शक्ति प्राप्त है कि वह—

- (क) किसी राज्य में नए उमका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है;
- (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है;
- (ग) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और
- (घ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।

ये परिवर्तन सविधान में संशोधनों की तरह न होकर ऐसे संशोधन हैं जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर समझ द्वारा साधारण बहुमत में विधेयक (Bill) पास करके किए जा सकते हैं। ऐसे विधेयकों पर सम्बन्धित राज्यों के विधानमण्डलों के, इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अधि में, विचार जानने के लिए उनके पास भेजना अपेक्षित है परन्तु विधेयक इस प्रकार विधान मण्डलों के पास भेजने में समझ के हाथ

बढ़ने नहीं है और वह जैसे उचित समूह वैसे परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त, समूह को किसी राज्य में विधान परिषद् का साधारण प्रक्रिया द्वारा उत्पादन या गृहण करने की शक्ति प्राप्त है जिसके लिए मविधान में मशोधन करना अनिश्चित नहीं है। यदि किसी राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से इस प्राणय का मकल्प पाम कर देती है तो समूह के अधिनियम द्वारा ही ऐसा हो सकता है। मविधान में निर्धारित सीमाओं में रहकर मध और राज्य एक दूसरे में स्वतंत्र हैं। अपने क्षेत्र में कोई एक दूसरे के अधीन नहीं है। अम्बेडकर ने शब्दों में, "मविधान द्वारा नियत किए गए अपने क्षेत्र में राज्य उगने ही अनुगता-सम्पन्न (Sovereign) है जितना कि केन्द्र मविधान द्वारा लीये गए अपने क्षेत्र में है"। एक का प्राधिरार दूसरे के प्राधि-कार में समन्वयकारी है। वास्तव में, भारत में मध और राज्यों का सम्बन्ध निम्न-लिखित दो विरोधी विचारों में समझने का प्रतीक है—

- (1) शक्तियों का सामान्य विभाजन जिससे अनुसार राज्य अपने क्षेत्रों में स्वायत्त हैं,
- (2) विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता और मजबूत मध की आवश्यकता।

मविधान में मशोधन करने की शक्ति अथवा मविधायी शक्ति (constituent power) मविधान ने समूह को सीरी है। मविधान मशोधन विधेयक मदन के किसी भी मदन में पेश किये जा सकते हैं। समूह मविधान में कोई भी आवश्यक मशोधन कर सकती है, मिवाम इसके कि कुछ मामलों में मविधान में मशोधन करने वाले विधेयक के लिए राज्य विधानमण्डलों द्वारा अनुममर्शन आवश्यक है तथा न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार विधानपालिका ऐसे मशोधन नहीं कर सकती मशोधन जो मविधान के मूल दाचे अथवा साधारणतः सिद्धान्तों के विरुद्ध हों। मविधान मशोधन में राज्य विधान मण्डलों की भूमिका सीमित है।

संक्षेप

संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में सभी वयस्क लोग अर्थात् जिनहोंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतदाता हैं, वे अपने-अपने राज्यों में लोक सभा के और विधान सभाओं के सदस्य चुनते हैं। राज्यों की विधान सभाएँ फिर राज्य सभा के सदस्य चुनती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-मण्डल (Electoral college) द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति नाममात्र अथवा सवैधानिक राष्ट्रपतिका है, वास्तविक अथवा राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद् होती है। मविधान संसद् सदस्य अथवा होने चाहिए और वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्र-पति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जहाँ तक कार्यपालिका और विधानमण्डल के सदस्यों का प्रश्न है, उनकी स्थिति विरोधात्मक नहीं है। दोनों जनता की सेवा में भागीदार हैं।

भारत की संसद, राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक रूप से संगठित सभी लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका देश की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जनता की "प्रभुसत्ता" (Sovereignty) का समावेश एव सार है, यह राष्ट्र की आवाज और उसका दर्पण है।

संसद को सर्वोपरि यह देखना होता है कि लोगों की जिन इच्छाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिपादन इसके सदस्यों में किया जाता है उनकी यथासम्भव उत्तम रीति से पूर्ति हो। लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में संसद सदस्य लोगों की विभिन्न मामलों पर शिकायतों और विचारों को संसद के सदस्यों में व्यक्त करते हैं, सरकार के कार्यक्रमों की छानबीन करते हैं और विधान बनाते हैं। संसद "राष्ट्र की जाच पड़ताल करने वाली एवं प्रहरी महान सभा" के रूप में कार्य करती है।

इसके विधायी अधिकार क्षेत्र की सीमा से, संविधान-निर्माण की इसकी शक्तियों से, आपात की स्थितियों में इसकी भूमिका से और न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्य विधानमण्डलों और संविधान के अधीन अन्य प्राधिकरणों के साथ इसके सम्बन्धों से पता चलता है कि संसद की शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र कितना अधिक और विस्तृत है परन्तु भारतीय संसद को उम्र प्रकार प्रभुसत्ता-सम्पन्न निकाय नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार कि ब्रिटिश संसद को जाना जाता है। इसकी शक्ति बहुत अधिक है परन्तु असीम नहीं है। हमारी संसद का प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र अन्य निकायों की शक्तियों द्वारा, मध्य और राज्यों में विधायी शक्तियों के विभाजन द्वारा, मूल अधिकारों द्वारा, न्यायिक पुनरवलोकन के लिए सामान्य उपबन्ध द्वारा और स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण सीमित होते हैं। इसके प्राधिकार की इन सीमाओं के बावजूद, संविधान के अधीन जो शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं वे इतनी पर्याप्त हैं कि जो भूमिका इसके लिए नियत है, उसे वह भली-भाँति निभा सकती है।

2.

संसद् का कार्यकरण और अधिकार क्षेत्र सदनों की भूमिका, विभिन्न कृत्य

संसद् व विधायी कृत्य (Legislative function) को देगते हुए सर्वसाधारण में संसद् को नेशनल विधान बगाने वाली निकाय ही माना जाता है। यह नेशनल एक पक्षीय इन्स्टीटयूशन है। व्यावहारिक दृष्टि में संसद् का कार्य विधान बनाना, परामर्श देना, ध्यालोचना करना एवं जन इच्छा की प्रतीक होने के माते, जनता की शिकायतों को सुनर करना होता है। विसय पर नियमन रगने, कर लगाने धनया करों में परिवर्तन करने, धनुदानों और पूर्णिया पर मतदान करने का विनिष्ट अधिकार भी इसे प्राप्त है। इन शक्तियों के माध्यम में ही संसद् कार्यपालिका (Executive) के धनने प्रति धीर धनतोगत्या जनता के प्रति उत्तरदायित्य को पूरा करती है। राष्ट्रीय महत्त्व के सम्भार मामलों को सुलभाने में भी संसद् का विनिष्ट योगदान रहा है अतः हम देगते हैं कि एक सम्भान गत्या के रूप में संसद् के कृत्यों में विविधता धार्द है और उनको सीमाओं में बांधना धामक गिद्ध हो सकता है। किन्तु, विषय-जस्तु को सुस्पष्ट और अधगम्य बनाने की दृष्टि में, संसद् की कुछ मौलिक भूमिकाएँ एवं कृत्य हम प्रकार कहे जा सकते हैं।

संसद् के कृत्य

- (1) राजनीतिक और वित्तीय नियन्त्रण (Political and financial Control)
- (2) प्रशासन की निगरानी (Surveillance over Administration)
- (3) जानकारी प्राप्ति करने का अधिकार
- (4) जन-धाराकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना, शिकायतों ध्यक्त करना और परामर्श देना
- (5) राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों सुलभाना और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना

- (6) विधि-निर्माण करना
- (7) मविधान में सशोधन करना (मविधायी शक्ति)
- (8) नेतृत्व प्रदान करना ।

राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण : मसद्, कार्यपालिका का निरीक्षण एवं नियंत्रण करती है। कार्यपालिका मसद् के प्रति उत्तरदायी है। मसद् को कार्यपालिका के कृतकार्यों की जानकारी प्राप्त करने और उनकी आलोचना करने का प्रमीमित अधिकार प्राप्त है। यह कहा गया है कि "मसदीय मस्याओं का लक्ष्य ऐसी मशक्त कार्यकारिणी है जिस पर जनता के प्रतिनिधि मदा दृष्टि रगें, उसकी आलोचना करते रहे और जो उनके सतत् नियंत्रण में रहे"² भारतीय मविधान में भी (एक) मत्रीपरिषद् (Council of Ministers) के मसद् के निर्वाचित सदन के प्रति मामूहिक दायित्व (Collective responsibility) और (दो) बजट पर मसद् के नियंत्रण का उपबन्ध है।³

भारतीय मविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका और मसद् के बीच सम्बन्ध सामंजस्यपूर्ण है, परस्पर विरोधी नहीं। मसद् कार्यपालिका के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती और कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए मसद् के प्रति उत्तरदायी है जहाँ उसका अस्तित्व प्रतिदिन दाव पर रहता है। सदन किमी भी ममय बहुमन द्वारा सरकार को अपदस्य करने का फैसला कर सकता है, अर्थात् यदि सत्ताधारी दल सदन के बहुमन का ममयन र्णो देता है तो सरकार अपदस्य हो जाती है। तब कोई आधार बताना, प्रमाण देना या अचित्य बताना आवश्यक नहीं होता।⁴ अतः लोक सभा (1) मत्रिपरिषद् में अविश्वास का मूल (Substantive) प्रस्ताव पाम करके,⁵ (2) नीति (Policy) सम्बन्धी किसी बड़े मामले पर सरकार को पराजित करके, (3) कोई म्यगन प्रस्ताव (Adjournment motion) पाम करके;⁶ और (4) आपूनि (मप्लार्डिंग) की स्वीकृति देने में इन्कार करके या किमी वित्तीय उपाम पर सरकार को पराजित कर अपदस्य कर सकती है।

मसद् शासन नहीं करती, यह काम कार्यपालिका का है जिसमें मसद् के मदस्य मत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। अतः वाम्बिक कार्यपालिका मत्रिमण्डल है जिसका नेता प्रधानमत्री है। देश के मचालन के लिए कार्यपालिका कार्यक्रम और नीतियाँ तैयार करती है जिनके कार्यान्वयन पर ध्यय होना अनिवार्य है। फलस्वरूप सरकार के लिए मविधान के उपबन्धों के अधीन प्रावस्यित धाम और ध्यय का वार्षिक विवरण (Annual financial statement or the estimated Receipts and Expenditure) अर्थात् बजट, मसद् के ममक्ष रगना आवश्यक होता है। तिम पर भी कार्यपालिका को अपने कार्यक्रमों और नीतियों की उपादेयता के अनुसार ध्यय का स्तर निर्धारित करने और उसको विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवंटित करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। उसे यह मुभाय देने की भी पूरी स्वतन्त्रता है

कि व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व (Revenue) किम प्रकार जुटाया जाना चाहिए। इस प्रकार खर्च करने के मामले में मुख्य रूप से कार्यपालिका को ही पहल करनी पड़ती है। किन्तु सरकार कानून के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त किए बिना नहीं कोई खर्च कर सकती है और न कर ही लगा सकती है।⁹

कार्यपालिका की पहल करने की शक्ति अततोत्पन्ना इस बात पर आधारित है कि उसे ससद का समर्थन प्राप्त हो। यदि ससद में सरकार का सम्पूर्ण बहुमत (Absolute majority) हो तो विधान तथा कार्यपालिका के सभी कामों का लगभग पूरा नियंत्रण उसके हाथ में आ जाता है। ससदीय नियंत्रण (Parliamentary control) नाममात्र वा रह जाता है। कार्यपालिका पर ससदीय नियंत्रण का 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश विचार, "मदर ऑफ पैरलियामेण्ट्स" (ब्रिटिश ससद) में भी अल्प मान्य नहीं है। व्यावहारिक तथ्य यह है कि लोकमभा में अपने बहुमत के द्वारा और सदन को मग कर देने और नये चुनाने कराने की अपनी शक्ति के द्वारा सरकार ससद पर नियंत्रण रखती है। जैसा कि एक अन्य स्थान पर कहा गया है—

"मात्र राजनीति नै व्यावहारिक तथ्य यह है कि वास्तविक शक्ति प्रधान-मन्त्री को और उसके मन्त्रीमण्डल को प्राप्त है न कि ससद को। प्रधानमन्त्री लोकमभा में बहुमत का नेता होता है और सरकार का प्रमुख भी होता है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रीपरिषद् सरकार और विधानमण्डल, दोनों पर नियंत्रण रखती है क्योंकि इसे व्यापक मान्यता प्राप्त है और फंसले करने और उन्हें कार्यान्वित करने की शक्ति भी प्राप्त है।"

और ऐसा होना भी चाहिए।

"प्रधानमन्त्री के प्राधिकार का सख्त नहीं होना चाहिए क्योंकि उस स्थिति में मन्त्रीमण्डलीय सरकार कार्य नहीं कर सकती। अतः प्रधानमन्त्री उसकी धुरी है। वह दो या तीन सहयोगियों से सहायता करके कार्यवाही कर सकता है। यही कारण है कि मन्त्रीमण्डल सभितियों की व्यवस्था है। अततोत्पन्ना प्रधानमन्त्री ही सरकार की नीतियों के लिए ससद और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है।"¹⁰

प्रशासन की निगरानी—ससद जन इच्छा का प्रतीक है। वह सीधे शासन नहीं चलाती। शासन से अभिप्राय है सरकार द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों और निर्धारित नीतियों का कार्यान्वयन। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रावण और नीतियाँ कार्यपालिका द्वारा तैयार किये जाते हैं और ससद यह सुनिश्चित करती है कि ये कार्यक्रम और नीतियाँ जन-आकांक्षाओं के समग्ररूप से अनुसूच्य हों। इनका कार्यान्वयन प्रशासन व्यवस्था द्वारा किया जाता है। प्रशासन व्यवस्था से अभिप्राय है प्रशासनिक अथवा सिविल सेवाएँ (Administrative and civil services) जो वस्तुतः ससद के प्रति हिसाब देह होती हैं।

नि.सन्देह मन्त्रीमण्डल के सदस्य विभिन्न मन्त्रालयों के प्रमुख होते हैं किन्तु वे विधायिनी और कार्यकारिणी के बीच की कड़ी होते हैं। अतः नीतियों के कार्यान्वयन में अधिकारियों का सीधा हाथ होता है, जिन्हे खासियाँ, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण करना होता है।

जन प्रतिनिधि सभा के रूप में मसद् को इस बात की निगरानी रखनी होती है कि जिन कार्यक्रमों और नीतियों का उमने अनुमोदन किया था, क्या प्रशासन ने उनको लागू कर अपने दायित्व पूरे किये। जिस मद के लिए उसने धन स्वीकार किया था, क्या वह उमी मद पर खर्च किया गया? मक्षेप में, मसद् द्वारा प्रशासन की निगरानी का यहो उद्देश्य है। इसमें यह मुनिश्चित हो जाता है कि अधिकारी इस बात का ध्यान रखकर ही काम करेंगे कि बाद में उनके काम की संसद् द्वारा छानबीन होगी और जो कुछ वह करते हैं या नहीं करते हैं उमके लिए वह उत्तरदायी होंगे। परन्तु सार्थक छानबीन करने और प्रशासन के कृत्यों की निगरानी के लिए संसद् के पास तकनीकी गमाधन एवं जानकारी आवश्यक होनी चाहिए।¹⁹

सरकार पर निगरानी रखने के मसद् के पास अनेक प्रक्रियागत साधन हैं। जैसे प्रश्नों के माध्यम से तथा अमतोपजनक उत्तर प्राप्त होने पर आधे घण्टे की चर्चाएँ (Half an hour discussions) उठाकर मसद् प्रशासन को अपनी मतकंता का आभास करा देती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अन्ववाद प्रस्ताव (Motion of Thanks), बजट और सरकार की नीति के विशेष पहलुओं तथा विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार के दौरान प्रशासनिक पुनर्विनिर्गण (Administrative review) के महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, अघिलम्बनीय लोकमहत्त्व के विषयों (Matter of urgent public importance) सम्बन्धी प्रस्तावों (Motions) गैर-सरकारी सदस्यों के गकृत्यों (Private members resolutions) और अन्य मूल प्रस्तावों (Substantive motions) द्वारा भी विशिष्ट मामलों पर चर्चा हो सकती है। उपर्युक्त साधनों में सरकार पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ मसदीय समितियों (Parliamentary committees) के माध्यम से भी सरकार पर निगरानी रखी जाती है।

जानकारी प्राप्त करने का अधिकार (Right to know) तेजी में बदलते इस युग में जानकारी रखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जानकारी के अभाव में कोई भी काम मुचा रूप में नहीं चलाया जा सकता है। हमने देखा है कि जहा सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण का दायित्व कार्यपालिका का है वही, इन नीतियों की जाच पढनाय करना तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over Executive) रखने का पूरक काम मसद् करती है। इस दायित्व को निवाहने के लिए जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मसद् को सबसे बड़ी शक्ति है। मसद् की इस शक्ति के अर्थ में जहाँ सरकार के विभिन्न विभाग अपने कार्यों के निष्पादन में

सूचित रहते हैं वहा विभागों के प्रभारी मंत्रियों को भी उनके विभागों की सामियों को जानने में सहायता मिलती है जिससे वे अपने प्रशासन को चुस्त बनाते हैं। यी तो संसद् की अनेक प्रकार से, विभिन्न ढंगों से जानकारी प्राप्त होती है, परन्तु सरकार क्योंकि जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है अतः संसद् एवं इसके सदस्यों को जानकारी की अपनी आवश्यकताओं के लिए सरकारी विभागों पर काफी निर्भर रहना पड़ता है।¹⁰ यह सरकारी विभागों का दायित्व है कि मागे जाने पर वे अपने विभागात्मिकों के सबंध में संसद् को पूरी, सही-सही और सुस्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। हा, ऐसे मामले, जिनके बारे में जानकारी देने से राष्ट्रीय हित (National interest) पर घाव घानो हो अथवा देश को सुरक्षा पर प्रतिफल प्रभाव पड़ता हो, वे अपवाद हो सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी मंत्रियों द्वारा सभा में बक्तव्य देकर, आवश्यक पत्र और रिपोर्टें सभा पत्र पर रखकर अथवा इन्हें संसद् प्रयात्तय में रखकर उपलब्ध कराई जा सकती है। संसद् सभा में चर्चाएँ उठाने (To raise matters in the House) के लिए इस जानकारी का प्रयोग करते हैं।

सभा के सत्र (Session) के दौरान सदस्यों को जानकारी प्राप्त करने के अवसर प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण साधन है प्रश्न पूछना, जिससे सदस्य सीधे स्वयं जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पष्ट उत्तर न मिलने पर अनुपूरक प्रश्नों (Supplementary Questions) का जम चलाता है और असतोपजनक उत्तर मिलने पर आधे घण्टे की चर्चा (Half-an-hour Discussion) उठायी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक विभाग की बड़ी बागीकी से जांच होती है और कोई भी कोना संसद् की छातबीन से छुटता नहीं रहता। सदस्य प्रबिलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर मौखिक उत्तर के लिए अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Questions) पूछ सकते हैं। कोई सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, प्रबिलम्बनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर सभा का ध्यान दिना सकता है और उससे अनुरोध कर सकता है कि वह उम मामले पर बक्तव्य दे। सदस्य संबंधित मंत्री को लिख कर भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कि उन्हें आवश्यकता हो और ऐसी जानकारी आम तौर पर दे दी जाती है।¹¹

विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और उनकी अधीनस्थ संस्थाओं से सीधे जानकारी का अन्य माध्यम विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन (Reports) हैं। प्रशिक्षणाधीन विषयों के सबंध में ये समितियां विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े ही पैसे प्रश्न करके मंत्रालयों एवं विभागों और सरकारी उपक्रमों (Public Undertakings) इत्यादि से विस्तृत एवं बहुमूल्य जानकारी एकत्र करती हैं। यहा तक कि मंत्रालयों के सचिवों और अधिकारियों से प्रत्यक्ष प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार एकत्रित जानकारी के आधार पर विचाराधीन विषयों के सबंध में समितियां अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती

हैं। अतः ये प्रतिवेदन प्रबलम्बनीय लोक महत्त्व के मामलों पर जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त साधन बन गए हैं जिनका मदन में दोनों पक्षों के सदस्य प्रमगानुसार खूब प्रयोग करते हैं।

सरकारी साधनों के अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के शोध एव मदर्भ के लिए अपने कर्मचारी हैं, जो कि जानकारी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य भ्रम हैं। जानकारी के अभाव में किसी भी मस्या का सदस्य अपने कार्य का निष्पादन सही ढंग में नहीं कर सकता, संसदीय वाद-विवाद (Parliamentary debate) में हिस्सा लेना तो दूसरी बात है। सूचना के महत्त्व वाले इस युग में प्रेस और मचार माध्यमों का अग्रणी एव अलग स्थान है। जन-मचार के इन माध्यमों में सदस्यों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और वे प्रशासन एवं सार्वजनिक नीतियों संबंधी मामलों से अवगत रहते हैं।

समाचार-पत्र, जन-मचार का मुख्य साधन है। समाचार-पत्र ही जनता को संसदीय लोकमंत्र में कार्यपालिका और विधायिका तथा सत्तारूढ दल और विपक्षी दल के पारस्परिक सम्बन्धों और उनके कार्यों से अवगत कराते हैं। जनता को शिक्षित करने के साथ-साथ समाचार-पत्र प्रजातन्त्र के दोषों को दूर करने में सहायता करते हैं। समाचार-पत्रों का यह भी दायित्व है कि वे समय-समय पर जनता के विचार व्यक्त करते रहे। किन्तु समाचार पत्रों के निजी विचारों की जनता के विचार नहीं माना जा सकता। फिर भी मर्ही म्ब्यति का चिपग्न करके समाचार-पत्र इस दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। उनको स्वयं अपनी आचरण महिता (Code of conduct) का पालन करना चाहिए, मनसनीयता वाले लिखने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, पत्रकारिता में राष्ट्रीय हित का बलिदान न करने के अपने सर्वोच्च कर्तव्य को याद रखना चाहिए। संसदीय प्रश्नों, (Parliamentary Questions) प्रस्तावों (Motions) और वाद-विवाद के लिए अधिकांश जानकारी दैनिक समाचार-पत्रों में प्राप्त होती है और यह एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है जिस पर सदस्य निर्भर करते हैं। इसके साथ-साथ, प्रेम लोगों को जानकारी देता रहता है कि मसद् में क्या हो रहा है। इस आदान-प्रदान में प्रेम लोगों और संसद् के बीच महत्त्वपूर्ण तथा मजबूत मपर्क बनाए रखने में समय होता है।

संसदीय प्रणाली में जानकारी का निष्पक्ष और तथ्यात्मक होना अनिवार्य है। परन्तु कितना भी कहे, जन-मचार माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के निहित स्वार्थों से प्रभावित जानकारी होने की शक्यता बनी रहेगी। इसी प्रकार सरकारी स्रोतों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली जानकारी भी, तथ्यात्मक और मुस्पष्ट होने के बावजूद, कभी-कभी एक तरफा या पक्षपातपूर्ण हो सकती है। अतः इन सम्भावनाओं में बचने के लिए संसद् को एक निजी संस्थागत स्रोत (Institutional source) विकसित करना चाहिए जो स्वतंत्र जानकारी का

रक्षित षण्डार हो। इसके साथ-साथ वित्तिष्ठ प्रसार प्रक्रियाओं (Dissemination processes) का विकास करने की भी आवश्यकता है। संसद भवनालय और इसकी घोष, सदस्य, प्रलेखन तथा सूचना सेवाएँ (Library Research Documentation and Information services) इस दिशा में कार्य कर रही हैं। वे सेवाएँ सदस्यों के लिए उपलब्ध रहती हैं और उन्हें जब भी वे चाहें, निष्पन्न एवं विलकुल सगत जानकारी प्रविलम्ब और प्रायः अल्प सूचना पर सुन्दाई करने हैं और उनकी भावी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। विधायकगण धू कि बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके पास समय बहुत कम होता है घत जानकारी ठीक-ठीक होनी चाहिए, सक्षिप्त, भासानी से समझी जा सने वाली और तुरन्त प्रयोग में लाए जा सकने योग्य होनी चाहिए।¹²

जन-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना, निकायतें व्यवस्त करना और परामर्श देना सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों की जनता एक प्रष्ट विस्वास के साथ निर्वाचित कर संसद में भेजनी है। घन वे उनके माध्यम में एम राष्ट्रीय मन्च (National Forum) पर घसनी घाणाओं, इच्छाओं और भासाशाओं को प्रतिफलित होते देघना चाहते हैं। संसद की कार्यवाहियों में सांसदों का योगदान उनके निर्वाचन क्षेत्रों (Constituencies) की जनता की कठिनाइयों, उनकी निकायतों और उनकी भावनाओं, निन्नाओं और निराशाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार सांसदों की बाणी में छोटे-बड़े, धमीर-गरीब सभी की, समग्र भारत की एक वाणी प्रस्फुटित होती है और इस प्रकार भारतीय संसद सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा का स्वरूप धारण करती है।

संसद में जो भी जीवन्य प्रश्न उठते हैं, जिनमें उसकी चर्चाओं में चमक और चटकीलापन घाता है उनका आधार उनके निर्वाचन क्षेत्रों की जनता की घाणाएँ और आकांक्षाएँ ही होती हैं। वे लोग, अपने भास-वाम की, अपने क्षेत्र की कठिनाइयाँ, अपनी निकायतें उन तक पहुँचाते हैं जो वाद-विवाद का आधार बनती हैं। वे दिन तो लड़ गये जब कि विधान मण्डल केवल विशिष्ट वर्ग (elite) के लोगों का ही निकाय था। घात्र लोक सभा अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप वाली बन गई है। एक अध्ययन में किए गए विनयेण के अनुसार,

“भारतीय संसद बहुमुखी भारतीय समाज का दर्पण है। संसद में भारत के लोगों का, उनकी राजनीतिक जाणुति के स्तर का, उनके मीघे-नादे जीवन का और उनकी समस्याओं, घाणाओं और आकांक्षाओं का अधिक प्रतिनिधि स्वरूप दिखलाई देने लगा है। त्रिगिष्ट वर्ग की राजनीति का स्थान धीरे-धीरे स्वस्थ ग्रामोन्मुख राजनीति ले रही है। नगरीय वकील, जो नानून और समरीय प्रक्रिया की बारीकियों को समझता था, उसका स्थान घामीण शिक्षाण या राजनीतिक/मासाजिक कार्यकर्ता ले रहा है जिसकी घन्दजाँज सहज बुद्धि है और जो यह पूरी तरह समझता है कि लोगों की आवश्यकता क्या है। यह विदेशी शिक्षा

प्राप्त पब्लिक या कान्वेंट स्कूलों में पढ़े उच्च मध्यम श्रेणी के नगरीय विभिन्न लोगों का स्थान गाँवों के शिक्षित साधारण लोग ले रहे हैं।”¹³

सामद और निर्वाचक का घट्ट सम्बन्ध है। दोनों अभ्योन्म्याधित है। निर्वाचक यदि सामद को अपनी प्रतिनिधि बनाकर ससद में भेजते हैं, अपनी समस्याओं, कठिनाइयों और शिकायतों के रूप में उन्हें सामदों उपलब्ध कराकर ससद की चर्चाओं को जीवन्त बनवाते हैं, तो सामद भी अपने निर्वाचकों को सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों और उनको कार्यान्वित करने की प्रश्रिया में प्रवृत्त करवाते हैं। वे उनको ससद के कार्यक्रमों और उसकी भूमिका में भी प्रवृत्त कराते हैं। इस प्रकार वे अपने निर्वाचकों, मन्त्रों और ससद के बीच संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाते हैं। इस सब के लिए सामद की सूझ-बूझ, शिक्षा-दीक्षा, अपने निर्वाचन क्षेत्र से निरन्तर सम्पर्क, उनकी शिकायतों, समस्याओं और कठिनाइयों को उपलब्ध विभिन्न प्रक्रियागत उपायों द्वारा अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता की महिम भूमिका है।

ससद सदस्य अपनी सूझ-बूझ से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सर्वसाधारण की समस्याओं का रूप देता है तथा प्रश्नों के माध्यम में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Notices), अल्पकालिक प्रस्ताव (Short Duration Discussion) रखकर उन पर ससद में चर्चाओं की माग करता है। वजट पर, अनुदान चर्चाओं के दौरान कटौती प्रस्ताव (Cut Motions) लाकर वह नागरिकों को बहुत सी शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रकटित करने में प्रवृत्त करता है। इस प्रकार आयोजित चर्चाएँ महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि उनसे पता चलता है कि ससद का क्या दृष्टिकोण है और चर्चाओं में प्रशासनिक तन्त्र (Administrative System) पर लोगों के विचारों का प्रभाव पड़ता है और यदि ऐसा न हो तो प्रशासन लोगों की भावनाओं में घनभिन्न रहे। इस प्रकार चर्चाएँ उठने से सरकार सतर्क हो जाती है और अपने दायित्वों (Responsibilities) के प्रति सचेत हो जाती है। इसमें सरकार में चारों ओर, हर स्तर पर ससद के अदृश्य नियन्त्रण (Hidden Control) का प्रभाव होता है। यद्यपि प्रशासकों के लिए ससद द्वारा स्वीकृत नीतियों को यथासम्भव बेहतर में बेहतर तरीके में कार्यान्वित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है, तथापि सदन में व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों का उन पर गहरा प्रभाव रहता है और उनमें उनका मार्गदर्शन होता है और इसी का नाम ससद की सलाहकारी भूमिका (Advisory Role) का नाम दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय महत्त्व के मामले सुलझाना और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना “मुँडे-मुँडे भिन्नमंत” हर प्राणी का अपना मत होता है, अपने विचार और हित होने हैं और इस विभिन्न मत-मतान्तर वाले देश में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लोकतन्त्र में विभिन्न मत-मतान्तरों वाले समुदाय में शक्ति के लिए संपर्क होना भी अनिवार्य है। किन्तु इस टकराव को एक सार्वजनिक मंच (National Forum)

पर एकत्र होकर बातचीत के माध्यम से मुलझाना सरल होता है। समद् राष्ट्रीय महत्त्व का एक ऐसा ही सार्वजनिक मंच है जो प्रमुख मध्यस्थता शक्ति (Mediatory Force) के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की कितनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएँ, जिनमें लगता था कि यह देश टूट के बिखर जाएगा, यहाँ वाद-विवाद (Debate) द्वारा, परस्पर चर्चाओं (Discussions) द्वारा सुलझी हैं। समद् एक ऐसी गति प्रणाली के रूप में विकसित हुई है, जो शक्ति-संघर्ष (Power-Struggle) के लिए, राजनीतिक गतिविधि को स्पष्ट करने के लिए या परस्पर विरोधी भूमिकाएँ (Opposite Role-) प्रदा करने के लिए एक बंध मंच बन जाती है और ससदीय नियम तथा प्रक्रियाओं के कारण जहाँ पहले की गरमा-गरमी घटने में समझौताकारी (Conciliatory) सिद्ध होती है। ऐसे में एक मंच पर एकत्र होने से मन का भ्रम घुलता है, पक्ष-विपक्ष दोनों में एक ही परिवार के छोटे-बड़े भाई होने की भावना जन्म लेनी है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी भूमिकाएँ निभाते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। टकराव के समाधान की यह भूमिका निभाते हुए समदीय सस्था राष्ट्रीय एकता (National Integration) लाने वाली और मध्यस्थता करने वाली महान समस्या का काम करती है। हमारे अनेक मत-मतांतरी वाले समाज के प्रसंग में, टकराव का समाधान करने और एकता लाने वाली समद् की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

समद् भवन का केन्द्रीय कक्ष से (सेन्ट्रल हाल) अपने प्रायः एक लघु भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ देश के सभी भागों के सदस्य-सदस्य, चाहे उनकी जाति, मत, क्षेत्र या धर्म कोई भी हो, अनौपचारिक रूप से मिलते हैं और सारे देश को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से या ग्रुपों में विचार करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की इनकी अधिक भावना पैदा होती है जो अन्यत्र पैदा नहीं हो सकती। देखने में प्रायाः कि अपने को अलग कहने वाले, स्थानीय स्तर पर अपना अलग अस्तित्व चाहने वाले सदस्य जब सेंट्रल हाल में पहुँचते हैं तो "विविधता में एकता" का रंग उन पर चढ़ जाता है और पूर्ववर्ती अलगाव की भावना पीछे छूट जाती है। वहाँ वातावरण ही ऐसा होता है कि सदस्य स्थानीय स्तर की सकुचित भावनाओं को अपने-आप त्यागने पर बाध्य हो जाता है और बृहद् राष्ट्रीय धारा में (Broad National Stream) में अपने प्रायको सम्मिलित करने के लिए प्रेरित होता है।

विधि निर्माण करता भारत में विधि का शासन है और विधि-निर्माण विधान मण्डल का दायित्व है। भारत के संविधान के अधीन, राष्ट्रीय स्तर पर समद् सर्वोच्च विधायी निकाय (Supreme Legislative Body) है। संविधान की सातवीं अनुसूची से गण (union) तथा समदर्शी सूचियों (Concurrent list) में इसके लिए प्रावृत्त अनेक विषयों पर यह विधान बना सकती है।¹⁴

इनके प्रतिरिक्त श्वशेष शक्तियों (Residuary Powers) के क्षेत्र का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। यदि कोई विषय इस क्षेत्र में आता है अर्थात् जो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में से किसी में भी नहीं आता है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र को, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

विधान केवल राजनीतिक स्थिरता कायम करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनका महत्व आर्थिक-सामाजिक (Socio Economic) परिवर्तन लाकर परम्परागत विषमताओं और शोषण से लोगों को मुक्ति दिलाने में भी है। अतः समाज में, विशेषकर हमारे जैसे परिवर्तनशील समाज में, सामाजिक परिवर्तन के लिए आधार एवं माध्यम की व्यवस्था केवल संसद ही कर सकती है। सामाजिक विधान (Social Legislation) विधि-निर्माण का प्रमुख क्षेत्र है, ऐसा विधान जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना तथा आर्थिक विकास करना हो। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन (Socio-Economic changes) को ठोस रूप देने के लिए वर्तमान संसदों का पुनर्गठन करना होगा और विभिन्न सामाजिक शक्तियों और ग्रुपों के परस्पर विरोधी हितों के बीच एक नया संतुलन लाना होगा। ऐसा संसद द्वारा विधान बना कर ही किया जा सकता है। वास्तव में, संसद सामाजिक सुधार (Social Reforms) लाने में सबसे आगे रही है। संविधान के प्रारम्भ में संसद द्वारा समाज सुधार के अनेक विधान बनाए गए हैं अर्थात् ऐसे विधान जिनमें समाज के पिछड़े, पद-दलित या परम्परागत रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण (Reservation), सामाजिक सुरक्षा (Social Security), निर्धोग्यताओं के निवारण (Removal of Disabilities), न्यूनतम मजदूरी (Minimum wages), वृद्धावस्था पेंशन, आवास आदि के रूप में गारंटी और लाभों के विशेष उपबन्ध किए गए हैं।

संसद सभी विधेयक (Bills) को कानून बनने दे, सरकार द्वारा लाए जाते हैं। अतः विधान बनाने के मामले में भी कार्यपालिका ही पहल करती है। जो, पेश किये गये विधेयक पर संसद में चर्चा होती है, पुनरीक्षण निरीक्षण के पश्चात् संसद पेश किए जाते हैं और उनको पारित किया जाता है किन्तु मूलतः उनका प्रस्ताव और प्राथम्य पूर्वतया कार्यपालिका और प्रशासनिक विभागों द्वारा ही तैयार किया जाता है।

“विधायी प्रस्ताव मूर्तबद्ध करने का अर्थ है तत्कालीनी स्तर पर तैयारी करना और विभिन्न मूर्तियों तथा आधारा में तालमेल बिठाना, यह कार्य, इसके स्वरूप को देखते हुए विधान सभ में नहीं किया जा सकता क्योंकि तत्कालीनी मामलों तथा छोटे-छोटे प्रशासनिक अनुष्ठान एवं विशेषज्ञता जैसे विधान के लिए महत्वपूर्ण संसाधन केवल कार्यपालिका को ही उपलब्ध होते हैं।”¹⁰

इस प्रकार सर्वविधिन है कि विधि के निर्माण में पहल कदमी करना कार्य-पालिका का ही काम है और यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों, प्रवृत्तियों का अनुभव कार्यपालिका ही को करना होता है और उन कठिनाइयों, प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए कार्यपालिका ही विधान तैयार करती है। समूह की भूमिका विधि-निर्माण की नहीं बल्कि कार्य-पालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों (Bills), नियमों (Rules) तथा विनियमों (Regulations) पर विचार करन, उनका पुनरीक्षण और निरीक्षण करके उन्हें पारित करने की है। इस प्रकार समूह की भूमिका विधि-निर्माण (Legislation) की भूमिका न होकर बंधीकरण (Legalisation) की भूमिका है।

समूह के पास इतना समय भी नहीं होता कि वह विधि-निर्माण के कार्य में लगे सके, दूसरी ओर विधि-निर्माण की एक विशिष्ट तकनीक होती है, विशेषज्ञ समझ होती है जो अतीत व्यस्तताओं के बीच समूह के लिए प्राप्त करना महज नहीं होता है। यों ही विधि-निर्माण में बस एक मर्यादा ही योगदान नहीं होता है। समूह ऐसे बहुत से विधेयकों में से एक है जो इस भूमिका में मागीदार है। विधि के बारे में प्राथमिक विचार यह नहीं है कि यह सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले नियमों का समूह है इत्यादि, विधि एक प्रक्रिया (प्रोसेस) है— एक सम्झौती और जटिल प्रक्रिया— जो प्रारम्भिक सामाजिक प्रवृत्तियों से प्रारम्भ होती है, फिर महसूस की जाने वाली पहली आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की मांग, फिर नीति-निर्माताओं की धारणा और राजनीतिक शक्तियों और विभिन्न शक्तियों वाले ग्रुपों की भूमिका, फिर विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले विधि एवं अन्य विभागों की भूमिका, फिर सलाहकारी दल, सम्बद्ध मंत्रों और मंत्रिमण्डल, समूह के सदन और उनकी समितियों और फिर राष्ट्रपति की भूमिका, और फिर नियम तथा विनियम बनाया जाना, फिर प्रशासन द्वारा वास्तविक कार्यान्वयन और, विवाद की स्थिति में, न्यायालयों द्वारा व्याख्या और न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)। प्रत्येक अवस्था में वास्तव में विधि का निर्माण होता जाता है और उसमें रूपभेद होता रहता है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि विधि-निर्माण का कार्य व्यक्तियों का कोई एक निवास या राज्य का कोई एक अंग करता है, राज्य के तीनों अंग—कार्यपालिका (Executive), विधानमण्डल (Legislature) और न्यायपालिका (Judiciary), मिलकर विधान निर्माण की भूमिका निभाते हैं।¹⁷

संविधानीय भूमिका (Constitutional Role) (संविधान में सशोधन करना)। भारतीय संविधान में समूह को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान में भी सशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि संविधान के सशोधन (Amendment) की जो प्रक्रिया (Process) है उसको भी सशोधित कर सकती है।¹⁸ संविधान जनता के लिए है और संविधान में सशोधन भी लोगों की इच्छाओं द्वारा प्राप्ताओं के अनु-

रूप ही किया जाता है। संविधान में मसौदा करने के लिए विधेयक (Bill) ससद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत (Introduce) किया जा सकता है। यह अनिवार्य है कि संविधान में मसौदा करने वाला विधेयक ससद् के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ससद् द्वारा संविधान के उपबन्धों में मसौदा विशेष बहुमत से किया जा सकता है, अर्थात् प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा। कुछ मामलों में ही अर्थात् सातवीं अनुसूची की सूचियों, ससद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368 आदि में संबंधित उपबन्ध, ससद् के प्रत्येक सदन (House) द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से मसौदा विधेयक पास किए जाने के पश्चात् कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा उनके अनुसमर्थन (Approval) की आवश्यकता होती है। संविधान मसौदा विधेयक को विधिवत रूप से पारित अथवा अनुसमर्थित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए जाने पर उसे उस पर अपनी अनुमति प्रदान करनी पड़ती है और राष्ट्रपति के पास अपनी अनुमति रोकने या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे सदन को लौटाने का कोई विकल्प (Alternative) नहीं है जैसे कि साधारण विधेयकों के मामले में होता है।¹⁹ ससद् सामान्य कानून पास करके संविधान में मसौदा किए बिना उसके कुछ उपबन्धों में परिवर्तन कर सकती है या उनके प्रवर्तन को निष्प्रभावी (Annul) बना सकती है। ऐसे मसौदा को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि उसमें संविधान के मूल तत्वों (Basic Principles) में परिवर्तन या उनका हनन नहीं होता।

1950 से 1972 तक की अवधि के दौरान, मूल अधिकारों (Fundamental Rights) में मसौदा कर सकने का प्रश्न तीन अलग-अलग मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया, अर्थात् शकरी प्रसाद बनाम भारतो सघ,²⁰ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य,²¹ और गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य,²² गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला होने तक, विधि इस प्रकार थी :

(एक) संविधान मसौदा अधिनियम साधारण विधि नहीं होता और उसे ससद् द्वारा साधारण विधायी शक्तियों के बजाय अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया जाता है। संविधायी शक्ति "ससद्" में ही निहित होने के कारण संविधान में मसौदा के प्रयोजनार्थ कोई पृथक् संविधायी निकाय नहीं है।

(दो) मसौदा करने की शक्ति पर कोई निबंधन नहीं है, अर्थात् संविधान का कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसमें मसौदा न किया जा सकता हो। अनुच्छेद 368 पूर्णतया सामान्य है और उसके द्वारा ससद् को संविधान में मसौदा करने की शक्ति प्राप्त है और ऐसी शक्ति बिना किसी अडवाइस के है।

(तीन) संविधान (भाग 3) के अधीन जिन मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है वे संविधान में संशोधन करने की शक्ति के अध्याधीन हैं।

गोलक नाथ के मामले में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था कि मूल अधिकारों संबंधी परिच्छेद संविधान में एक अद्वितीय स्थान रखता है। मूल अधिकारों (Fundamental Rights) को संविधान में बीजातीत तथा स्थायी स्थान दिया गया है और उनका उन्मूलन नहीं हो सकता और सामान्य विधायी शक्ति (Legislative Power) प्राप्त कार्यपालिका द्वारा उनका प्रतिबन्धन नहीं किया जा सकता।

गोलक नाथ मामले में परन्तु हुए संशोधन की वैधता का केसवानन्द भारतीय बनाम केरल सरकार²³ के मुद्दे में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ (Whole Bench) ने इस पर विचार किया और बहुमत में गोलक नाथ के मामले में घने पूर्ण निर्णय को उल्टा किया परन्तु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 मगद का यह अनुमति नहीं देता कि वह संविधान के मूल स्वरूप के आधारभूत ढांचे (Basic Structure) में परिवर्तन कर सके। परन्तु मूल ढांचा क्या है इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई और यह एक मुला प्रश्न रहा।²⁴

केसवानन्द के मामले में इस फैसले के बाद संसद की संशोधन की शक्तों की "मूल तत्त्व" की सीमा का प्रभाव कम करने के लिए संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खण्ड (4) तथा (5) सम्मिलित कर दिए गए। उपरोक्त खण्डों में कहा गया है कि (क) अनुच्छेद 368 (1) के अधीन संविधान की संशोधन शक्ति (Amendment Power), जो एक "संविधायी शक्ति" (Constituent Power) है, की स्पष्ट श्रवण अन्तर्निहित कोई भी सीमाएँ नहीं हैं और कि (ख) इसलिए किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम का किसी भी आधार पर न्यायिक पुनर्विचार (Judicial Review) नहीं किया जा सकता। परन्तु उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा खण्ड (4) तथा (5) को शून्य करार देकर मिनरवा सिहलस बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के निदान्त के धारु होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उम्मा आधार यह था कि इस संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्विचार को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था जो संविधान का "मूल तत्त्व" था।

केसवानन्द के मामले में, न्यायाधीश सिकरी ने संविधान के मूल तत्त्वों को इस प्रकार मास्खीवद्ध करने का प्रयास किया था—²⁵

(एक) संविधान की सर्वोच्चता

(दो) गणतन्त्रात्मक और लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली

(तीन) संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप।

(चार) शक्तियों का पृथक्करण, और ।

(पाच) सविधान का सधीय स्वरूप ।

उसी मामले मे, न्यायाधीश हेगड़े और न्यायाधीश मुखर्जी ने भारत की प्रमु-सत्ता एव एकता, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लोकतन्त्रात्मक स्वरूप और व्यक्ति-गत स्वतन्त्रता को सविधान के मूल ढांचे के तत्वों मे जोड़ दिया । उनका विश्वास था कि कल्याणकारी राज्य और समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए जनादेश को समाप्त करने की शक्ति ससद् को प्राप्त नहीं है ।²⁶ न्यायाधीश खन्ना ने भी कहा कि ससद् हमारी लोकतन्त्रात्मक सरकार को तानाशाही सरकार मे या वशागत राजतन्त्र मे नहीं बदल सकती, न ही लोक सभा और राज्य सभा का उत्सा-दन करने की अनुमति है । इसी प्रकार राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप समाप्त नहीं किया जा सकता ।²⁷

इन्दिरा गांधी बनाम राज नारायण के मामले मे न्यायाधीश चन्द्रचूड ने निम्न तत्वों को सविधान के मूल ढांचे के मूल तत्व पाया²⁸

(एक) प्रमुसत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य (Sovereign Demo-
cratic Republic) के रूप मे भारत :

(दो) दर्जे और अवसर की समानता (Equality of Status and of
opportunity) :

(तीन) धर्मनिरपेक्षता (Secularism) और अन्त करण की स्वतन्त्रता; और
(चार) विधि द्वारा शासन ।

उसी न्यायाधीश ने मिनरवा मिल्स के मामले मे "ससद् की संशोधी शक्तियों" "न्यायिक पुनरविलोकन" और "मूल अधिकारों तथा निदेशक सिद्धान्तों के बीच सतुलन (Balance between fundamental Rights & Directive Principles)" को सविधान के मूल तत्वों की सूची मे जोड़ दिया ।²⁹

कुछ मामलों मे न्यायाधीशों मे मनभेद है कि कोई तत्व विशेष मूल तत्व है या नहीं । उदाहरणार्थ, मुख्य न्यायाधीश राय ने निर्वाध एव निष्पक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त को मूल ढांचे का तत्व नहीं माना, जबकि न्यायाधीश खन्ना ने उसी मामले मे इस सिद्धान्त को सविधान का मूल तत्व माना है ।³⁰ न्यायाधीश चन्द्रचूड इस विचार से सहमत नहीं हुए कि सविधान की उद्देशिका मूल ढांचे की कुन्जी है ।³¹ दूसरी ओर, न्यायाधीश बेग ने कहा कि न्यायालय सविधानिक संघता का परीक्षण मुख्यतया सविधान की उद्देशिका से कर सकता है । उनका विश्वास था कि उद्देशिका एक ऐसा मापदण्ड है जिसे सर्वधानिक संशोधनों पर भी लागू किया जा सकता है ।³² इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं न्यायाधीशों ने भी इस बारे मे कोई सर्वसम्मत व्यवस्था नहीं पैदा की ।

अब तक संविधान में 60 संशोधन किए जा चुके हैं। और यह सब कुछ संसद् की संविधानी शक्तियों (Constitutional Powers) का प्रयोग करते हुए और प्रायः न्यायालयों के फैसलों और उनको संवैधानिक उपबन्धों (Constitutional Provisions) की व्याख्याओं के परिणामस्वरूप पैदा हुई अप्रत्याशित कठिनाइयों और स्थितियों का सामना करने के लिए किया गया है। कभी-कभी संविधान के भाग्य-विशेष उपबन्धों के पीछे संविधान के निर्माताओं (Framers) के भाग्य को स्पष्ट करने के लिए और संविधान के पाठ को स्वीकृत राष्ट्रीय सद्यों एवं उद्देश्यों के निरूद्ध मानने के लिए उसमें संशोधन करना आवश्यक हो जाता है।

नेतृत्व प्रदान करना संसद् देश के नेतृत्व का प्रशिष्टाण स्वयं है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। संसद् सदस्य विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए शपथकारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और कुशल प्रशासक बनते हैं। संसद् की संसदीय समितियाँ एक ऐसा कार्यक्षेत्र है, जिसमें कार्य करते हुए सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जानकारी प्राप्त कर उन विषयों के विशेषज्ञ बन जाते हैं। ऐसे सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मन्त्रिमण्डल में शामिल किये जाते हैं जो बड़ी कुशलता से अपने कृत्यों को सम्पन्न करते हैं। यह एक ऐसा मन्च है जहाँ सदस्यों को अपनी योग्यता, कार्य-कुशलता और तर्क शक्ति को अभिव्यक्त करने के सुभवसर प्राप्त होते हैं जिनमें संसदीय प्रणाली और प्रक्रियाएँ सुदृढ़ बनती हैं।

संदर्भ

- 1 सी ट्वेंटिंथ पार्लियामेंट 1948, पृष्ठ 103
- 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 114-116 तथा 265
- 3 देखिये एन्टर संसदीय गण (गण्य) पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, लन्दन, 1970, पृ 801-802 और 825-827
- 4 लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, छठा भा. 1980 नियम 198
- 5 वही, नियम 56
- 6 अनु 114-116 और 265
- 7 सुभाष काश्यप, "कमेटीज इन द इण्डियन लोकसभा" जॉर्नल ऑफ लीज एव फालकम गाँ, कमेटीज इन लेजिस्लेचन, इयूक्युनिवर्सिटी प्रेस, दरहम।
- 8 एम एन कोल, पार्लियामेंटरी इन्स्टीट्यूशन्स एण्ड प्रोसीज्योर्ज, नेशनल, नई दिल्ली, 1978, पृ 14
- 9 एम एन गवधर, गिलर्यमिज ऑफ द बरिग ऑफ पार्लियामेंट, मेट्रोपोलिटन, नई दिल्ली, 1977, पृ 260-84
- 10 सुभाष काश्यप, इन्फार्मेशन मेनेजमेंट फार पार्लियामेंटेरियन, मधली पब्लिक प्रोवीनियन सर्वेज, 18, 6, 1973, और मॉर्ज ऑफ इन्फार्मेशन एट द

डिस्पोज़ल ग्राफ द एम. पी. पर उनकी रिपोर्टें द मेम्बर ग्राफ पार्लियामेंट—हिज रिक्वायरमेंट्स फार इन्फोरमेशन इन द माडर्न वर्ल्ड, खण्ड 1 और 2, अन्तर मसदीय सभ जनेवा, 1973 (अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी के घोष-पत्र और कार्यवाही वृत्तान्त)

- 11 शकघर, ग्लिम्पसिज, ऊपर उद्धृत, पृ. 186—87
- 12 काश्यप, इन्फारमेशन मेनेजमेंट ऊपर उद्धृत ।
- 13 काश्यप, कमेटीज, ऊपर उद्धृत, पृ. 296
- 14 अनु 245—246 और सातवीं-अनुसूची
15. मुभाय काश्यप ह्यूमन राईट्स एण्ड पार्लियामेंट, नेट्रोपोलिटन, नई दिल्ली, 1978, अध्याय 9, "मसद् और सामाजिक-आर्थिक विधान, पृ. 124—133
- 16 मुभाय काश्यप, अन्तर मसदीय सभ में (मम्बा). हू लेजिस्लेट्स इन द माडर्न वर्ल्ड, जनेवा, 1976, पृ. 68
- 17 वही, पृ. 65—69
- 18 अनु 368
19. काश्यप, मन राईट्स, ऊपर ह्यउद्धृत, अध्याय 10, मसद् की सविधायी शक्ति और न्यायिक पुनरवलोकन, पृ. 134—143
- 20 ए आई आर 1951, उच्चतम न्यायालय, 458
- 21 ए आई आर 1965, उच्चतम न्यायालय, 845
- 22 ए आई आर 1967, उच्चतम न्यायालय, 1643
- 23 ए आई आर 1963, उच्चतम न्यायालय, 1461
- 24 मुभाय काश्यप, पार्लियामेंट एण्ड रोसेट कान्स्टिट्यूशनल डेवलेपमेंट्स इन इण्डिया, द टेबल, (लन्दन), खण्ड, 24, 1976 पृ. 15—18
- 25 केशवानन्द बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1973, उच्चतम न्यायालय 1461, पैरा 302
- 26 वही, पैरा 862
27. वही, पैरा 1437
- 28 इन्दिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, ए.आई.आर. 1975, उच्चतम न्यायालय 2299, पैरा 665
29. मिनरबा मिर्च लि बनाम भारतीय सभ, ए.आई.आर. 1980 उच्चतम न्यायालय 1789
30. इन्दिरा गांधी का मामला, ऊपर उद्धृत, पैरा 55 और 213
31. वही, पैरा 665
32. वही, पैरा 623

निर्वाचन और सदनों का गठन

समदीय लोकतंत्र में निर्वाचन के माध्यम से ही जन-प्रतिनिधियों द्वारा विधान मण्डल तथा समूह का गठन होता है। विधान मण्डल और समूह हों राज्यों में और केन्द्र में बैठ कर कानून बनाते हैं। इन्हीं सदनों में सदस्यों का बहुमत जिस दल को मिलता है उस दल की सरकार बनती है और वह सरकार समूह द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन चलाती है। विधान सभाओं और समूह के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तथा समूह के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यपालों और उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इन प्रकार शासन का मारा ढांचा (Structure) निर्वाचन के ही आधार पर खड़ा किया जाता है, और इसीलिए समदीय लोक तंत्र में निर्वाचन का महत्त्व सर्वोपरि है।

निर्वाचन (Election) के लिए उपयुक्त तंत्र की आवश्यकता होती है। सविधान में सार्वभौमिक वयस्क मतदाधिकार (Universal Adult Franchise) का उपलब्ध है। ऐसे प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का पूरा अधिकार है जिसे 18 वर्ष* या इससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान कोई भी हो। निर्वाचन मुक्त और निष्पक्ष हो सके यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। इसलिए ये एक स्वतंत्र प्राधिकरण के अधीक्षण और निदेश के अधीन कराए जाते हैं। यह प्राधिकरण निर्वाचन आयोग (Election Commission) कहलाता है। भारत जैसे विशाल आकार वाले (लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर), भारी जनसंख्या वाले (अनुमानों के अनुसार लगभग 80 करोड़) और इतने अधिक मतदाताओं (Voters) वाले (करीब 50 करोड़) देश में निर्वाचन करना एक बहुत बड़ा काम है।¹ समूह के दोनों सदनों के लिए और राज्यों के

*सविधाने (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा मतदाधिकार की आयु 18 वर्ष की गई। इसके पहले यह 21 वर्ष थी।

विधानमण्डलों के लिए निर्वाचकों के प्रतिरिक्त, निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उच्च पदों के लिए भी निर्वाचन कराता है ।

निर्वाचन आयोग (Election Commission) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से बनता है जिनको, समद्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है । निर्वाचन आयोग उक्त सभी मस्याओं और पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन-नामावली (Electoral Roll) तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, प्रकीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है । मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कर्तव्यों को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि इस पद पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसे पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव हो, विधि का ज्ञान हो और जो एक गणमान्य व्यक्ति भी हो । मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्ही प्राधारों पर ही हटाया जा सकता है, जिस रीति (महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा (Process of Impeachment) से और जिन प्राधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं । आयोग (Commission) के सदस्यों की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते । अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त (Regional Election Commission) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद में हटाया जा सकता है । केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को आयोग को उतने अधिकारी और कर्मचारी बृन्द उपलब्ध कराने होते हैं जितने उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हों और निर्वाचन सचची कृत्यों का निर्वहन करते हुए ऐसे सब अधिकारी तथा कर्मचारीबृन्द निर्वाचन आयोग के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होते हैं ।²

निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य सरकार से परामर्श करके हर एक राज्य के लिए वहाँ के एक अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट (Nominate) करता है जो निर्वाचन आयोग के प्रकीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन नामावलियों (Electoral Rolls) तैयार करके, उनका पुनरीक्षण (Revision) करने और उनमें शुद्धि करने के काम का पर्यवेक्षण (Supervision) करता है तथा सभी निर्वाचनों का संचालन करता है । इसी प्रकार प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी निर्दिष्ट किया जाता है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रकीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन अपने जिले में निर्वाचनों में संबंधित मारे कार्य का समन्वय तथा प्रकीक्षण करता है ।³ ग्राम तौर पर जिला कलक्टरों या उपायुक्तों (Deputy Commissioners)

को जिना निर्वाचन अधिकारी नामजद किया जाता है। जिना निर्वाचन अधिकारी हर एक मतदान केंद्र (Booth) के लिए एक पीठामीन अधिकारी (प्रेसिडिंग आफिसर) और मतदान अधिकारी (Booth Officer) नियुक्त करते हैं। पीठामीन अधिकारी का माधारण कर्तव्य मतदान केंद्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान निर्वाच और निष्पक्ष हो।¹⁴ मतदान केंद्र के मतदान अधिकारियों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसे केंद्र के पीठामीन अधिकारी (Presiding Officer) को उनके कृत्यों के पालन में सहायता करें।¹⁵

निर्वाचन आयोग, हर समस्रीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) के लिए और राज्य सभा में किसी म्यान या किन्ही मयानों को भरने के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, एक रिटनिंग अधिकारी नाम निर्दिष्ट (Nominate) करता है। रिटनिंग अधिकारी का ऐसे मय कार्य करने का अधिकार प्राप्त है जो निर्वाचन विधियों के अनुसार निर्वाचन का प्रमादी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो।¹⁶

सदस्यों का निर्वाचन लोक सभा का कार्यकाल पाच वर्ष है किन्तु राष्ट्रपति उसका विघटन किसी समय पहले भी कर सकते हैं। मय लोक सभा के लिए मय चुनाव या तो लोक सभा के मय किये जाने पर कराये जाने है या जब उसकी कार्यवाधि पूरी होने वाली हो तब।¹⁷

सविधान के उपबन्धों (Constitutional Provisions) के अमीन समूह को यह शक्ति प्राप्त है कि वह समूह के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों के सवन में, निर्वाचकनामावलिमया (Electoral Rolls) तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों का परिमीमन (Delimitation of Constituencies) करने और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए मय मभी आवश्यक विषयों हेतु विधान बना सकती है।¹⁸ सविधान में प्रदत्त इस शक्ति का अनुपालन करते हुए समूह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, (Peoples of Representative Act) 1951 अधिनियमित किये गये हैं और निर्वाचनों का रजिस्ट्रीकरण नियम (Registration of Election Rules), 1960 और निर्वाचनों का संचालन नियम (Conduct of Election Rules), 1961, उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के पूरक हैं। इन अधिनियमों और नियमों को मयतन बनाने के लिए समय-ममय पर आवश्यकतानुसार इनमें सशोधन किए जाते हैं।

सदस्यता के लिए अर्हताएं (Qualifications) और निहंताएं (बवालिकिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस) . कोई व्यक्ति मय के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तमो होना है जब—

- (क) वह भारत का नागरिक हा
- (ख) वह राज्य सभा के मयान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु वा

और लोक सभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो; और

- (ग) वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक हो, परन्तु राज्य-सभा के मामले में जिन राज्य से या सभ राज्यक्षेत्र में वह चुना जाता हो, उसमें निर्वाचक के रूप में पजीकृत हो।

अन्य अर्हताएँ मसद्, विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी।⁹

सदस्य बनने के लिए कुछ अनर्हताएँ (Disqualifications) भी हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति ससद् के किसी सदस्य का सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

- (क) वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिमको धारण करने वाले का निरर्हित न होना ससद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता हो,
- (ख) वह विकृतचित्त हो (Unsoundmind),
- (ग) वह अनुमोचित दिवालिया हो (Undischarged insolvent),
- (घ) वह भारत का नागरिक न हो,
- (ङ) वह ससद् द्वारा बनाई गई किसी विधि (Law) द्वारा या उसके अधीन निरर्हित कर दिया गया हो, और
- (च) वह दल-बदलने (Defection) के आधार पर निरर्हित करार दिया गया हो।¹⁰

कोई व्यक्ति, यदि भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार का मन्त्री है तो उसको लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता।¹¹ उपरोक्त अपेक्षाओं के प्रतिरिक्त, निर्वाचन विधियों में कुछ अन्य निरर्हताएँ भी निर्धारित की गई हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Peoples Representative Act), 1951 के अधीन यदि कोई व्यक्ति अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सम्प्रदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के कारण दोष-मिद्ध किया गया हो, या धूम के अपराध के लिए दोष मिद्ध किया गया हो, या असुप्रयत्ता का प्रचार करने और उसका पालन करने के कारण दण्डित किया गया हो तो वह सदस्य के रूप में चुने जाने में निरर्हित होता है। इसके प्रतिरिक्त, किसी अपराध के कारण दोष-मिद्ध किया गया कोई व्यक्ति जिसे कम से कम दो वर्षों के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, वह व्यक्ति अपनी रिहाई के पश्चात् पांच वर्षों की अवधि के लिए अनर्ह रहता है। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति-वफादारी के लिए बर्खास्त किया गया सरकारी कर्मचारी अपनी वसतिगो की तिथि में पांच वर्षों की अवधि के लिए अनर्ह रहता है।

निर्वाचन रीति

राज्य सभा - राज्य सभा में 238 निर्वाचित स्थान हैं। राष्ट्रपति द्वारा खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार 12 सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाता है। राज्य सभा में राज्यों के (और सभ राज्य क्षेत्रों के) प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अतिविष्ट उपबन्धों के अनुसार होता है। इसके सदस्य राज्यों तथा सभ राज्य क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका निर्वाचन प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional Representation System) के अनुसार एक सक्रमणीय मत (Single transferable Vote) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलों के लिए कुछ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है।¹²

राज्य सभा का विघटन (Dissolution) नहीं होता। उसके सदस्यों में से "यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, समुच्चय निर्मित विधि द्वारा बनाए गए तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाते हैं।¹³ सदस्यों का कार्यकाल उस तिथि से प्रारम्भ होता है जिस तिथि को सरकार निर्वाचित तथा नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा गजट में करती है।¹⁴

राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरणे के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाई गई तारीख को, अधिसूचना (Notification) जारी करके, निर्वाचकों (Electors) में राज्य सभा के सदस्यों को चुनने के लिए कहता है। परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक समय से पूर्व नहीं निकाली जाती जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि समाप्त होनी हो।¹⁵ रिटनिंग अधिकारी, निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से मतदान का स्थान निर्धारित और अधिसूचित करता है।

लोक सभा - नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए माधारण निर्वाचन वर्तमान सदन की पस्तिदावधि समाप्त होने के करीब या उसके विघटन (Dissolution) पर किये जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया लोकसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख से छ माह पूर्व प्रारम्भ हो सकती है। उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाई गई तिथि की, सब संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से कहना है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग (Election Commission) नामांकन-पत्र (Nomination Paper) दाखल करने, उनकी छानबीन करने, उन्हें वापस लेने और मतदान के लिए तिथियाँ निर्धारित करता है।¹⁶ निर्वाचन के लिए प्रत्येक

उम्मीदवार को 500 रुपये की राशि या जहाँ उम्मीदवार अनुमूचित जाति या अनुमूचित जनजाति का सदस्य है, वहाँ 250 रुपये की राशि उसके नामांकन के विधि मान्यकरण के लिए जमा करानी पड़ती है। यदि वह उम्मीदवार अपने निर्वाचन-क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह राशि जब्त कर ली जाती है।¹⁷ निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी (Applicant) को सविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation) करना होता है जिसका प्रारूप सविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन-पत्र की वैधता (Validity of Nomination Paper) को जांच करने के पश्चात्, वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित करता है।

राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से चुनाव के लिए, प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थान दिए गए हैं। इन स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को दिये गये स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के मामले में, जहाँ तक व्यवहार्य हो, एक जैसा रहे। उसके बाद प्रत्येक राज्य को चुनाव क्षेत्रों (Constituencies) में इस प्रकार बाटा गया है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र को दिए गए स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के मामले में, जहाँ तक व्यवहार्य हो, एक जैसा रहे। "जनसंख्या से अप्रतिपाद्य यह जनसंख्या है जो स्थानों के नियतन से पहले की जनगणना के अनुसार हो और जिसके प्राकंडे प्रकाशित हुए हों।"¹⁸

मतदान पूरा हो जाने के पश्चात् मतों की गणना ऐसी तिथि को और ऐसे समय पर होती है जो रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित करे। वही परिणाम की घोषणा करता है और निर्वाचन आयोग को और सम्बद्ध सदन के महामन्त्री को उसकी सूचना देता है।

यदि यह प्रश्न उठता है कि ससद् के किसी सदस्य का कोई सदस्य सविधान के अनुच्छेद 102 के खट (1) में वर्णित किसी निरहंता (Disqualification) से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय (Decision) के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा : परन्तु ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने में पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेता है और ऐसी राय के अनुसार कार्य करता है।¹⁹

स्थानों का रिक्त हो जाना यदि कोई सदस्य लोक सभा का पहले में ही सदस्य है और वह राज्य सभा के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो लोक सभा में उसका स्थान उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है, रिक्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई सदस्य राज्य सभा का पहले में ही सदस्य है और वह लोक सभा के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो राज्य सभा में उसका स्थान उस तारीख

को, त्रिगको वह ऐसे चुना जाता है, रिक्त हो जाता है।²⁰ यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमण्डल में धरने स्थान में, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन में 14 दिनों के भीतर, त्याग-पत्र नहीं दे देता तो, मदन का सदस्य नहीं रहता। कोई सदस्य, परामर्शदाता, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को संबोधित करने हस्ताक्षर गठित लेखा द्वारा धरने स्थान को त्याग कर सकता है, ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यदि मदन के किसी मदन का कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक मदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों (Sessions) में अनुपस्थित रहता है तो मदन उससे स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है।²¹ इसके अतिरिक्त, किसी सदस्य को मदन में धरना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि (एक) वह नाम का कोई पद धारण करता है, (दो), उसे विद्वतव्यक्त वाया व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है या अनुपस्थित दिवाविया (Undischarged insolvent) घोषित कर दिया जाता है, (तीन) वह स्वच्छ में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, (चार) उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा नुग्य घोषित कर दिया जाता है (पाच) वह मदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर निराधिन कर दिया जाता है, या (छ) वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है।²²

दन-द्वारा के आधार पर धरना होना गिद्धने दिनों हमारे देश में राजनीतिक दल-द्वारा (Defection) की समस्या के बड़ा गंभीर रूप धारण कर लिया था। एक ही दिन में दल-द्वारा (पनेर कागिस) के एक के बाद एक इच्छान्तर देखने को आए। फरवरी 1985 में मदन द्वारा मन्त्रिमंडल में मन्त्रोपन करने के 1985 में दल-द्वारा रोक विधि बनाई गई।²³ इस सर्वप्रथमिक मन्त्रोपन के अधीन किसी राजनीतिक दल का, मदन का या राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य मदन को सदस्यता में धरने (Disqualify) कर दिया जाएगा और उसे धरना स्थान रिक्त करता पड़ेगा—

- (क) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की, जिसका वह सदस्य है, सदस्यता स्वच्छता में छोड़ दी या
- (ख) यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए विदेश का उत्सर्जन करते हुए उसकी पूर्ण अनुज्ञा के बिना मदन में मन्त्रदान करता है या मन्त्रदान करने से विरत रहने की तारीख में पन्द्रह दिन के भीतर उसके राजनीतिक दल अथवा प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा ऐसी जायंदाही का क्षमा नहीं कर दिया जाता।

मदन का कोई निर्वाचन सदस्य, जो निर्दलीय (Independent) सदस्य के रूप में निर्वाचन हुआ है, मदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा, यदि वह

ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। इसी प्रकार सदन का कोई नाम निर्देशित (Nominated) सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निर्वाहित होगा यदि वह अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख में छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। इससे अभिप्रेत है कि यदि उक्त सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि में छह मास की अवधि के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह इस प्रकार अतर्क नहीं होगा।

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबन्ध ऐसे सदस्य पर लागू नहीं होता जिसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और जो यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है। विधि के अनुसार, दल में विभाजन (Division) हुआ तब माना जाएगा यदि किसी विधायी दल के कम से कम एक-तिहाई सदस्य अपने मूल दल को छोड़ दें। उसी प्रकार विलय हुआ तब समझा जायगा जब सम्बन्धित विधान-दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जायें।

कोई व्यक्ति जो लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाता है, वह निरर्हित नहीं होगा यदि वह ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण अपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या यदि वह ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों को, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय (Decision) के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उक्त विनिश्चय अन्तिम होगा। दल-बदल रोक विधि (Anti Defection Rules) के अधीन सदस्यों की अनर्हता में संशोधित कोई भी मामला न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में नहीं होगा।

निर्वाचन संबंधी विचार — निर्वाचनों के सम्बन्ध में हुए विवादों के बारे में निर्वाचन याचिकाओं (Election petitions) पर उच्च न्यायालय में ही विचार हो सकता है। अन्यथा ऐसा उपबन्ध है कि सदन के या किसी राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के लिए हुए किसी निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जाएगी।²⁴ ऐसी याचिका निर्वाचन में किसी उम्मीदवार द्वारा या किसी मतदाता द्वारा, पेश की जा सकती है। याचिका ऐसा स्थान भरने के लिए या निर्वाचन के दौरान कोई

अष्ट प्राचरण किये जाने के कारण जिस पर विधि द्वारा रोक हो, धनहता के प्राधार पर गेश की जा सकती है । यदि अभियोग गिद्ध हो जाते हैं तो उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उपरोक्त किमी एक प्राधार पर सफल उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित कर दे । 20

यदि प्रार्थी (Petitioner) द्वारा यह दावा किया जाना है कि उसको विधि मान्य मतों में से बहु-गण्यता में मत प्राप्त हुए थे और यदि निर्वाचित प्रार्थी नेगे किसी अष्ट प्राचरण को न प्रपत्ताता जो उसने प्रपत्ता ही यह निर्वाचन जीत नहीं सकता था तो उच्च न्यायालय, सतुष्ट हो जाने पर, निर्वाचित प्रार्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है और प्रार्थी को गभ्यकरूप से निर्वाचित घोषित कर सकता है और । 20 उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है ।

संदर्भ

- 1 घनु 324 (1), 325 और 326
- 2 घनु 324
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, धारा 13 क और 13 कक
- 4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 26 और 27
- 5 वही 11, 28
- 6 वही, 21 और 24
- 7 घनु 326, देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 16
- 8 घनु 327
- 9 घनु 84 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 3 और 4
- 10 दमबी अनुगुनी और घनु 102 (2) और 191 (2)
- 11 घनु 102
- 12 घनु 80 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 27 (क) और 27 (ख)
- 13 घनु 83 (1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 154
- 14 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 153
- 15 वही, धारा 12

16. वही, धारा 14
17. वही, धारा 24 और 158
18. अनु. 81
19. अनु 103
20. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 69
21. अनु. 101 (3) और (4)
22. अनु. 59 (1), 66 (1), 102 (1), 158 (1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 100 (1)
23. सविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 और लोक सभा (दल-बदल के आधार पर अनर्हता) नियम, 1985,
24. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 80 और 80 (क)
25. वही, धारा 100
26. वही, धारा 101

संसदीय कार्य में प्रक्रिया का महत्त्व

संसदीय कार्यविधि एक निरन्तर गतिमान प्रक्रिया है। लोकतन्त्रीय देशों की संसदीय प्रणालियों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उन देशों में धीरे-धीरे संसदीय प्रणाली का विकास हुआ। संसदीय शासन वाली प्रणाली में कार्यपालिका (Executive) संसद् के प्रति जवाबदेह होती है और विपक्ष की आलोचना का ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये जाते हैं। इन संसदीय सरकार की मूल अव्यवस्था यही है कि स्वतन्त्र रूप में चर्चा हो, मूल आलोचना हो और उसके बाद निर्णय लिये जायें। इस व्यवस्था के संचालन का सुगम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कानून तथा विनियमों द्वारा निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की जाये जिसका सभी पक्ष पालन करें। संसदीय प्रणाली की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए यह प्रतिबन्ध हो जाता है कि वे इन नियमों, मध्यमपीठ (Chair) से दिये गये निर्देशों (Directions) और निर्णयों (Rulings) का धैर्य और उनका सुचारु रूप में प्रयोग करें जिसमें संसदीय कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो। संसदीय प्रणाली का एक महान् गुरा यह है कि इसमें संसद् अपनी प्रक्रिया की स्वामी है। जैसा कि कार्लो ने कहा है "किन्ना लोकतन्त्रात्मक देश में सारी संसदीय प्रक्रिया, परिणतों पर आधारित कानून के अतिरिक्त कुछ नहीं, परन्तु वह निश्चित या क्षेपे हुए नियमों के रूप में होती है।"

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—भारत में आधुनिक संसदीय प्रक्रिया का प्रारम्भ 1850 से होता है किन्तु वर्ष 1921 तक इसमें मामूली परिवर्तन लिये गए। वास्तव में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 1921 में आये। संसदीय इतिहास में पहली बार प्रक्रिया में लोकतन्त्रात्मक तत्वों का समावेश हुआ किन्तु उस प्रक्रिया पर गवर्नर जनरल का पूरा नियन्त्रण था। 1921 में केन्द्रीय विधान मण्डल में त्रिस प्रक्रिया की स्थापना की गयी, वह मामूली परिवर्तनों के साथ ब्रिटिश संसद् द्वारा भारत स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 पास किये जाने तक लागू रही, परन्तु फिर भी संसदीय प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से 1921 और 1947 के बीच की अवधि ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की अवधि है, क्योंकि इसमें भारत के विधायक आधु-

निक प्रक्रिया के कई तत्वों में परिचित हुए। इस प्रकार जब 1947 में स्वतन्त्रता अधिनियम के पास होने के बाद, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करने की शक्ति भारतीयों के हाथ में आयी, तब उन्हें ठीक-ठीक मालूम था कि उसमें क्या दोष हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम, 1925 का अनुकूलन (Adaptation) किया गया और वे सारे परिसीमन (limitations) और परिरक्षण (Reservations) हटा दिये गये जिनके कारण भारतीयों के हाथों में शक्ति पर रोक लगायी गयी थी। परिणामस्वरूप सविधान सभा (विधायी) की प्रक्रिया स्वतन्त्र ससद् की प्रक्रिया बन गई, जिसमें अध्यक्ष को पूरी शक्तियाँ प्राप्त हुईं तथा संसदीय मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत में नई स्थितियों और परिस्थितियों के अनुरूप संसदीय प्रक्रिया का विकास प्रारम्भ हुआ। नियमों में अनेक नयी संकल्पनाएँ जाड़ी गईं तथा कार्यमन्त्रणा समिति (Business Advisory Committee) की सिफारिश पर समय का नियतन, ध्यान आकर्षण की सूचनाएँ, आश्वासनों सम्बन्धी समिति (Committee on Assurances) याचिका समिति के व्यापक कृत्य, अल्पकालिक चर्चाएँ (Short duration discussions) आदि।

सविधान सभा (विधायी) के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (Rules of procedure and conduct of business) को, जो भारतीय सविधान लागू होने से तत्काल पूर्व प्रभावी थे, लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा सविधान के अनुच्छेद 118 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के निबहन में संशोधित तथा अनुकूलित किया गया और "लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम" (Rules of procedure and conduct of Business in Lok Sabha) शीर्षक के अन्तर्गत 17 अप्रैल, 1952 को भारत के राजपत्र प्रकाशित किया गया। सभा की नियम समिति (Rules Committee) की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष द्वारा इन नियमों में समय-समय पर संशोधन किए गये और इसका नया संस्करण (edition) निकाला गया जब तक इसका सातवाँ संस्करण निकाला जा चुका है।

नियमों का पालन न करने से समय की बर्बादी : निःसन्देह ससद् जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति का सही मंच (फोरम) है। इस मंच का सही उपभोग तभी सम्भव है जब जन-प्रतिनिधियों को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हो और वे सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों (Rules), विनियमों (Regulations) से पूर्णतः परिचित हों। परन्तु आज देखने में आता है कि लोकसभा और राज्य सभा, दोनों में ही, ऐसे मामलों पर घण्टों व्यर्थ गवाए जाते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध संसदीय शासन प्रणाली से नहीं होता है। छोटे-छोटे, महत्वहीन मामलों को लेकर समय गवाया जाता है जो कि बड़ी गम्भीर बात है। यद्यपि ससद् सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष राज्य सभा में अपने कार्य का करने में कोई नहीं रोक सकता है तथापि ससद् का

अधिकार प्रत्येक सदस्य के अधिकार से बड़ा है। अतः प्रत्येक सदस्य को अपना कार्य मसदीय प्रौचित्य की पर्यादाओं और सीमाओं में रहकर करना ही श्रेयस्कर है।

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

जब अध्यक्ष सभा को संबोधित करने के लिए उठे तो सदस्य उसे चुपचाप सुनें। अगर कोई सदस्य बोल भी रहा हो तो उसे बैठ जाना चाहिए। उस समय किसी सदस्य को अपना स्थान छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब अध्यक्ष या अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति "शान्ति-शान्ति" कह तो प्रत्येक सदस्य को बैठ जाना चाहिए। सदस्यों को, जब सभापति खटा हा, न खट्टे हाना चाहिए, न चलना चाहिए, न उठकर बैठना चाहिए और जब वह बोल रहा हो तो कोई व्यवस्था का भी प्रश्न (Point of order) नहीं उठाना चाहिए। अतः यदि ससद् सदस्य इस नियम का पालन नहीं करता है तो पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के लिए सभा की कार्यवाही सामान्य ढंग से चलाने और अनुशासन को कायम रखना सम्भव नहीं होता।

सभा के कार्य में बाधा डालने पर निलम्बन (Suspension)

यदि कोई सदस्य अनुशासन भंग करता है तो अध्यक्ष उसे नामित करता है। तत्पश्चात् सभा पक्ष के किसी सदस्य के प्रस्ताव पर उसे सदन से निलम्बित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।⁴ पिछले पाक्स-कालीन सत्र के दौरान पीठासीन अधिकारियों को रागद् म दम प्रकार की धार अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। लोकसभा और राज्य सभा में पहले तीन दिन काफी शोर शुल हुआ जिसमें अध्यक्ष तो बया सदस्य भी बया कह रहे थे, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। दो दिन पश्चात् इस काण्ड की परिस्थिति लोक सभा में विपक्ष के 68 सदस्यों के त्यागपत्र में हुई और उनका त्यागपत्र उसी दिन स्वीकृत घोषित कर दिया गया। इन्हीं परिस्थितियों में लोक सभा अध्यक्ष बाध्य हुए कि नियन्त्रक और महा-लेखा-कार (Comptroller and Auditor General) की रिपोर्टें पर चर्चा की अनुमति दी जाए। इस प्रकार ससद् की यह परम्परा कि महालेखाकार की रिपोर्टें पर तभी चर्चा होती है जब लोक सभा-समितित उस पर अपनी रिपोर्टें दे दे, भंग हुआ गई। फलस्वरूप, लोक सभा में प्रश्नों और प्रस्तावों के जरिए चर्चा के नियमों और अध्यक्षीय निर्देशों (directions) में व्यापक परिवर्तन किए गए जिनके तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायालयों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आने वाले विषयों पर सदन में प्रश्न नहीं किए जा सकेंगे।

नए नियमों के अन्तर्गत यदि किसी प्रस्ताव में कोई वक्तव्य उद्धृत है तो प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उस वक्तव्य की सच्चाई की जिम्मेदारी लेनी

होगी। किमी निजी सदस्य द्वारा सदन के पटल (Table of the House) पर रभे गए किसी भी दस्तावेज (document) पर चर्चा करने वाला प्रस्ताव अब लोक सभा में पेश नहीं किया जा सकेगा।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-मचालन नियम के नियम 186 में जोड़े गए नए उपबन्धों (New provisions) के अनुसार किमी भी संसदीय समिति के विचाराधीन मामलों पर चर्चा करने की माग वाला प्रस्ताव सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्तावों में केवल ऐसे मामलों का जिक्र हो सकेगा जिनसे मन्त्री का अधिकारिक सम्बन्ध है। नियम 389 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा किए गए मशोधनों में एक नया 10 "ए" निर्देश जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत किसी भी लेख, समाचार, व्याख्यान और सार्वजनिक सभाओं में किसी व्यक्ति की निजी राय के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकेगा। यदि अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट है कि किमी प्रश्न का आधार तथ्यात्मक नहीं है तो उसे नामन्त्र कर दिया जा सकेगा। नियम 349 में जोड़े गए नए उपबन्धों के अनुसार कोई सदस्य सदन में नारा नहीं लगाएगा। अध्यक्ष के आसन तक स्वयं नहीं आ सकेगा, सदन में कोई बिल्ला नहीं लगाएगा तथा किसी भण्डे, निशान अथवा वस्तु का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। सभा में किसी विषय को उठाने के लिए सूचना का महत्त्व।

सभा में अपने मतव्य को अभिव्यक्त करने, किसी जानकारी को प्राप्त करने एवं किसी विषय को उठाने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, यथा प्रश्न, मकल्प, प्रस्ताव विधेयक, मशोधन आदि के रूप में विषय को उठाया जा सकता है। किन्तु किसी भी रूप में विषय को उठाने के लिए, उसके बारे में पहले सूचना देने की आवश्यकता होती है। नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रत्येक सूचना (notice) लिखित रूप में, महासचिव को सम्बोधित होनी चाहिए। उस पर सूचना देने वाले सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिये और वह अधिमूचित घण्टों के भीतर ससद् सूचना कार्यालय में दी जानी चाहिए।³

कार्य के विभिन्न मुद्दों के लिए नियमों के अन्तर्गत निहित सूचना (नोटिस) की अवधि इस प्रकार है :—

प्रश्न (Questions) अब तक अध्यक्ष अथवा निर्देश न दे, प्रश्न के लिए कम से कम पूरे दस दिन और अधिक से अधिक इक्कीस दिन।⁴

अल्प-सूचना प्रश्न : (Short notice question) इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन में कम की सूचना पर पूछा जा सकता है।⁵

स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion) इस सम्बन्ध में सूचना उस दिन की बंटक प्रारम्भ में पूर्व जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो।⁶

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषयों (Matter of urgent public importance) पर ध्यान दिस्ताना : बंटक प्रारम्भ होने से पहले, 10.0 बजे तक।⁷

गैरी सरकारी सदस्यों के संकल्प (Private members resolution) : कोई गैर-सरकारी सदस्य जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हो, शलाका (बैट) की तारीख से कम से कम दो दिन पहले इस प्राणय की सूचना देगा।⁸

संकल्प (Resolution) से संशोधन संकल्प प्रस्तुत किये जाने के दिन से पूर्व एक दिन।⁹

विधेयक (Bills) गैर सरकारी सदस्यों के . विधेयक को पुन स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि एक मास होगी।¹⁰

विधेयकों से संशोधन . विधेयक पर विचार किये जाने के दिन से एक दिन पूर्व।¹¹

कटीतीरे प्रस्ताव (Cut motions) मांग के विचाराधीन दिन से एक दिन पूर्व।¹²

प्राथम्य के चर्चा उठाने के संकल्प में त्रिस दिन उम विषय को उठाना हो उम दिन से तीन दिन पूर्व।¹³

छल्पकालीन चर्चा (Short duration discussion) सूचना की कोई अवधि नहीं रखी गई।¹⁴

नोक-टिन के किमी विषय पर चर्चा सम्बन्धी प्रस्ताव (अनिश्चित दिन वाला प्रस्ताव) (No-day-yet named motions) सूचना की कोई अवधि नहीं रखी गई।¹⁵

विशेषाधिकार (Question of privilege) प्र. . उम दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व त्रिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो।¹⁶

मन्त्रपरिषद से अविश्वास का प्रस्ताव (Motion of no-confidence in council of Ministers) बैठक प्रारम्भ होने से पहले।¹⁷

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटायुक्त करने के संकल्प (Resolution for removal of Speaker or Deputy-speaker from the office) इस सम्बन्ध में कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उम संकल्प को प्रस्तावित करने के प्राणय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो।¹⁸

त्रिस सूचना (notice) के सम्बन्ध में नियमों में यह कहा गया है कि वह "बैठक प्रारम्भ होने से पहले" मिलनी चाहिए, ऐसी सूचना बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम साधा घण्टे पहले दी जानी चाहिए। यदि ऐसी सूचना बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम साधा घण्टे पहले न मिले, तो अध्यक्षीय बैठक के लिए सूचना मानी जाती है।

एक ही जेंग या विषय-वस्तु में एक समान प्रश्नों को, जिसकी सूचना कई सदस्यों ने अलग-अलग से की हो, सम्बन्धित कर दिया जाता है और या उम प्रश्न को पृथक् किया जाता है जिसकी माया सबसे अधिक उपयुक्त हो और बाकी सब प्रश्नों के नाम उम पर जोड़ दिये जाते हैं। जब प्रश्नों की सूची में कोई प्रश्न एक से अधिक सदस्यों के नाम से छपा हो, तो वह प्रश्न उम सभी सदस्यों के नाम से माना जाता है। जब किसी सम्बन्धित प्रश्न पर त्रिस सदस्यों के नाम हैं, उनमें सबसे पहला

सदस्य अनुपस्थित हा तो बाकी उपस्थित सदस्यो मे से कोई भी जिसके नाम उस सूची मे हो वह प्रश्न पूछ सकता है ।

जहाँ दो या अधिक सदस्य एक जैसे प्रस्ताव या एक ही विषय के सम्बन्ध मे प्रस्तावो की प्रलग-प्रलग सूचना देते है तो ऐसे सभी सदस्यो के नाम गृहीत सूचना पर इकट्ठे लिखे जाते है । इन सदस्यो के नाम उसी क्रम मे लिखे जाते है जिस क्रम मे उनकी सूचना प्राप्त हुई हो या यदि उन मामले मे बैलेट आवश्यक हो तो बैलेट मे घाये क्रमानुसार उनके नाम सूचनाओ पर लिखे जाते है । ऐसे मामले मे प्रस्ताव सदन मे उसी क्रमानुसार पेश किये जाते है । सूची मे सबसे पहले जिस सदस्य का नाम दर्ज होता है वह ही प्रस्ताव पेश करता है । उसकी अनुपस्थिति मे क्रम मे दूसरे स्थान पर दर्ज सदस्य प्रस्ताव पेश करता है । इसी प्रकार विधेयको के बारे मे भी जिन सदस्यो ने एक ही जैसे विधेयक की सूचनाये दी हो, उन सब के नाम उस क्रम मे जिसमे सूचनाये प्राप्त हुई हो, रखे जाते है । जिन सदस्य ने सबसे पहले सूचना दी हो, उसे यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह विधेयक को पुर. स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश कर ।

जिस सदस्य ने किसी विधेयक को पुर. स्थापित करने की अनुमति माग्ने का प्रस्ताव रखने की सूचना दी हो, वह किसी अन्य सदस्य को अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखने का अधिकार दे सकता है बशर्ते कि ऐसा अधिकार लिखित रूप मे दिया गया हो । परन्तु कोई सशोधन (Amendment) या कटौती प्रस्ताव (Cutmotion) किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य की ओर से पेश नहीं किया जा सकता । जब किसी सदस्य को अपने सशोधन या कटौती प्रस्ताव रखने के लिए पुकारा जाता है और वह सभा मे उपस्थित नहीं होता तो वह प्रस्ताव रखने का अपना अवसर खो देता है ।

सकल्पो (Resolution) के मामले मे किसी अन्य सदस्य को अधिकार देने की अनुमति है । अध्यक्ष की अनुमति से कोई सदस्य किसी ऐसे सदस्य को, जिसके नाम मे वही सकल्प कार्य-सूची मे काफी नीचे हो, यह अधिकार दे सकता है कि वह उसकी ओर से सकल्प पेश कर सकता है । यदि सकल्प की सूचना देने वाले सदस्य को सदन मे सकल्प रखने के लिये पुकारा जाता है और वह सदन मे उपस्थित नहीं होता तो उसकी ओर से कोई अन्य सदस्य, जिसे उसने लिखित रूप मे अधिकार दिया हो, अध्यक्ष की अनुमति से उस सकल्प को पेश कर सकता है ।¹⁰

समाध्य सूचना कौन्टीनजेंट नोटिस . कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव या सकल्प या विधेयक की सूचना दे सकता है, जिसे वह चाहता हो कि ऐसे अन्य कार्य की ममाप्ति पर लिया जाये जिस पर यह प्रस्ताव समाध्य हो और यदि ऐसी सूचना अध्यक्ष द्वारा गृहीत कर ली जाये तो उसे कार्य-सूची मे, यथास्थिति, प्रस्ताव या सकल्प या विधेयक की समाध्य सूचना शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । सदन मे ऐसी सूचना को सभी लिया जा सकता है जब कार्य की वह

मद निपटारी वा चुकी हो जिस पर वह आश्रित हो।¹¹ समाज्य सूचना सामान्यतया विनिर्देश (अधेयकी (Appropriation Bills) के सवध में दी जाती है, जिन्हें सरकार, मदन द्वारा अनुदानों की मांगों के स्वीकार किए जाने के बाद पदागोच्य पाम करवाना चाहती है।

यदि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्यांग वा पद हो, जो प्रवर्णनक (argumentative), अनमदीय (unparliamentary), व्यंग्यात्मक (ironical), असंगत (irrelevant), झटुकावपूर्ण (verbiage) वा अन्यथा अनुचित हों तो वह स्वविवेक में ऐसी सूचना में परिचालित किए जाने में पूर्ण सयोग कर सकता है।¹² यदि कोई सदस्य किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाना चाहता हो, जिनकी सूचना पहले में ही किसी अन्य सदस्य या मंत्री ने दे रखी हो, उसे इस आश्रय पर अनुमति नहीं दी जाती कि वह अपने वाणी चर्चा को प्रत्यागा कर रहा है, परन्तु यह निर्धारित करने के लिए कि चर्चा प्रत्यागा के आश्रय पर निदम बाह्य है या नहीं अध्यक्ष प्रत्याशित विषय के मदन के सामने उचित समन के भीतर लाए जाने का ध्यान रखना है।

सूचनाओं का व्ययगत होना (Lapse of notices) मदन के महावसान पर विधेयक पुर. स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना को छोड़ कर सभी लम्बित सूचनाएँ (Pending notices) व्ययगत हो जाती हैं और यदि संबन्धित सदस्य अपने सत्र में इस विषय को उठाना चाहे वा उन्हें अपनी सूचनाएँ फिर से देनी पड़ती हैं, परन्तु किसी ऐसे विधेयक को पुर स्थापित करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव रखने के लिए तभी सूचना की आवश्यकता होती है, जिनके सत्र में राष्ट्रपति की पदान्ति मजुरी वा निवारण आवश्यक हो और पहले ही गई मजुरी वा निवारण प्रभावी न रही हो।¹³

सदस्या को भाषण देने के लिए बुचाना : जो सदस्य सभा में वाद-विवाद अथवा चर्चा में भाग लेना चाहता है, वह (एक) अपने समुदाय दल अथवा दल के माध्यम से अध्यक्ष का मनना नाम दे सकता है, (दो) अपने समुदाय दल अथवा दल के माध्यम के बिना भी अध्यक्ष को दे सकता है, और (तीन) अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। किन्तु अध्यक्ष को वाद-विवाद का निर्णय करने तथा वाद-विवाद में भाग लेने के लिए सदस्यों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी सदस्य इस बात के लिए आग्रह नहीं कर सकता कि उसे अवसर बोलने का अवसर दिया जाये। प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए अवसर प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना होता है, चाहे उसने अध्यक्ष का मनना रूप से लिखा हो अथवा अपना नाम अपने दल अथवा दल के माध्यम से भेजा हो। जब तक सदस्य अपने मनना पर सदा नहीं होता, उन बोलने के विषय नहीं पुकारा जा सकता, भले ही उसने दल अथवा दल अथवा अपने स्वयं विहित रूप में अध्यक्ष से अनुरोध किया हो।

जिस क्रम में सदस्यों को बोलने हेतु अध्यक्ष बुलाएगा, उमका निर्धारण वह स्वयं करता है। कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि उसको अगुक्त क्रम में बुलाया जाये। सदस्यों के चयन हेतु ससदीय दलों अथवा ग्रुपों के सचेतकों द्वारा अध्यक्ष को बतताओं की सूचिया दी जाती हैं ताकि एक मुविनियमित तथा सतुलित वाद-विवाद मुनिश्चित किया जा सके।

सभा को संबोधित करने की विधि (Mode of addressing House). जो सदस्य सभा के सामने किसी विषय के मन्थन में कोई बात कहना चाहता हो, उसे अपने स्थान पर खड़े होकर बोलना चाहिए। उसे अध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिए जो सदस्य रोग या दुर्बलता के कारण अममर्थ हो, अध्यक्ष उसे अपने स्थान पर बैठे-बैठे बोलने की अनुमति दे सकता है।²³

बोलते समय सदस्य को (एक) किसी ऐसे तथ्य अथवा विषय का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिस पर न्यायिक निर्णय (Judicial decision) लम्बित हो, (दो) मसद् या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाही के सचालन के विषय में अप्रिय बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, (तीन) सदन के किसी निश्चय पर, उसे रद्द कराने के प्रस्ताव के सिवाय, कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए, (चार) वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन से राष्ट्रपति के नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए, (पाच) अभिद्रोहात्मक (Treasonable), राजद्रोहात्मक (Seditious) या मान हानिकारक (Defamatory) शब्द नहीं कहने चाहिए, (छः) अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करना चाहिए; (सात) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि उक्त चर्चा समुचित रूप से रण्ये मूल प्रस्ताव (Substantive motion) पर आधारित न हो; (आठ) अध्यक्ष पीठ (Chair) की पूर्ण अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ना चाहिए, किन्तु बोलते समय टिप्पण (नोट्स) का सहारा लिया जा सकता है। (नौ) किसी सरकारी अधिकारी का उल्लेख उमका नाम लेकर नहीं करना चाहिए; (दस) सभा के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध आरोप, हित पूर्ति का नांछन लगा करके या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके कोई व्यक्तिगत उल्लेख नहीं करना चाहिए, जब तक कि वाद-विवाद, जो स्वयं विवाद विषय या उमसे सगत है, के प्रयोजन के लिए ऐसा करना अत्यावश्यक न हो; और (ग्यारह) किसी अन्य सदस्य का भाषण नहीं पढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन अध्यक्ष स्वयं ही या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना की जाने पर, किसी भी समय सदन में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके विचार कार्य में महायता की दृष्टि से, सदन को सम्बोधित कर सकता है। इस प्रकार व्यक्त किये गये मत को किसी प्रकार निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता।²⁴

समापन और वाद-विवाद की परिसीमा (Closure and limitation of Debate) किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी भी समय कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है "कि अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये" और यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव नियमों का दुरुपयोग है या उससे उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह प्रस्ताव रखता है कि "अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये" जब यह प्रस्ताव "कि अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये" स्वीकृत हो जाये तो उससे धान्युपगत प्रस्ताव या प्रस्तावों को आगे वाद-विवाद के बिना मतदान के लिए तुरंत रखा जाता है। हा, उसके पहले अध्यक्ष किसी सदस्य को उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है।²⁵

समापन प्रस्ताव किसी भी समय रखा जा सकता है। इस पर केवल यह शर्त लागू होती है कि यदि उस समय कोई सदस्य बोल रहा हो, तो उसे अपना भाषण पूरा करने की अनुमति दी जाती है और यदि प्रस्तावक को वाद-विवाद के उत्तर का अधिकार हो तो उसको उत्तर देने दिया जाता है। यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है कि यदि वह यह समझे कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है और ऐसा प्रस्ताव रखने का उचित समय है तो वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है।

जब कभी विधेयक के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर या किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद अनुचित रूप से लम्बा हो जाये, तो अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानने के बाद, यथास्थिति, विधेयक के किसी प्रथम (Stage) या सभी प्रक्रमों या प्रस्ताव पर चर्चा की समाप्ति के लिये समय-सीमा निश्चित कर सकता है। विधेयक या प्रस्ताव के किसी खाम प्रक्रम को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा के अनुसार नियत समय पर, यदि वाद-विवाद उससे पूर्व समाप्त न हो गया हो तो अध्यक्ष विधेयक या प्रस्ताव के उस प्रक्रम के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव मतदान के लिये रखता है।²⁶

मत विभाजन (division) यदि किसी मामले में सदन का निर्णय अपेक्षित हो तो उस पर निर्णय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछ कर किया जाता है। वाद-विवाद समाप्त हो जाने पर पीठासीन अधिकारी प्रश्न को सभा के समक्ष प्रस्तुत करना है जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हो उनमें "हां" और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हो उनमें "न" कहने के लिए कहा जाता है। उससे पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहता है, "मेरे समक्षता है कि "हां" या "न" यथास्थिति वाले जीते"। यदि पीठासीन अधिकारी के इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की जाती तो वह दो बार कहता है कि "हां" या "न" यथास्थिति वालों का बहुमत है और सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रश्न तदनुसार निर्णय किया जाता है। परन्तु यदि पीठासीन अधिकारी की इस राय पर

किसी सदस्य द्वारा आपत्ति की जाती है तो पीठामीन अधिकारी यह आदेश देता है कि भीतरी कक्ष (लॉबी) को सदस्यों में भिन्न व्यक्तियों में खाली कराया जाये। लगभग तीन मिनट बीत जाने पर पीठामीन अधिकारी दो बार प्रस्ताव रखता है और यह घोषणा करता है कि उसके विचार में "हाँ" वाले जीते हैं या कि "न" वाले। यदि उसकी इस प्रकार व्यक्त राय को फिर चुनौती दी जाती है, तो अध्यक्ष यह निदेश देता है कि मत या तो स्वचालित मत यंत्र के माध्यम में लिये जायें या सदस्यों द्वारा लोक सभा चैम्बर में जाकर मत डालकर।²⁷ जब में स्वचालित मत अभिलेख यंत्र लगा दिया गया है तब में लॉबी में जाकर मतदान करने की प्रणाली अप्रचलित हो गई है। मशीन खराब होने पर मतदान पत्रियों के द्वारा कराया जाता है।

अध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि मत-विभाजन अनावश्यक रूप में न कराया जाये। वह निराधार कारणों से मत विभाजन के लिए की गई प्रार्थनायें अस्वीकार कर देता है।

सविधान के उपबन्ध के अनुसार अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत विभाजन में मत नहीं दे सकता। उसे निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु उसका प्रयोग वह तभी करता है जब किसी विषय के पक्ष में या विपक्ष में बराबर मत धायें।²⁸

व्यवस्था का प्रश्न (Point of order) व्यवस्था का प्रश्न एक अमाधारण प्रक्रिया है, जिसके उठाये जाने पर सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है और उस समय बोल रहा सदस्य घपना भाषण रोक देता है। इसका उद्देश्य सभा का कार्य विनियमित करने के लिये नियमों, निदेशों तथा सविधान के उपबन्धों के प्रवर्तन में अध्यक्ष को सहायता प्रदान करना है। यह अनिवार्यतः प्रक्रिया के बारे में होना चाहिए और उस समय सभा के समक्ष कार्य में सम्बन्धित होना चाहिए। उस दिन की कार्य-सूची में पहले से सम्मिलित कार्य सदन के विन्यास में भी यह सम्बन्धित होना चाहिए।

व्यवस्था प्रश्न प्रक्रिया नियमों या सविधान के ऐसे अनुच्छेदों के निर्वाचन या लागू किये जाने में सम्बन्धित होना चाहिए, जो सभा के कार्य के विनियमन से सम्बन्धित हैं और उसके माध्यम से केवल ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिए, जो कि अध्यक्ष के मजान में हो।²⁹

कार्य न होने की स्थिति में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। यह उस समय सदन के समक्ष कार्य में ही सम्बन्धित होना चाहिए। तथापि, अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकता है, यदि यह सदन में व्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्य-विन्यास के सम्बन्ध में हो।

34 नियम (1) तथा (2) में उल्लिखित जलों के अध्यक्षीन रहने हुए कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है और अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि उठाया गया प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं और यदि वह हाँ की उम पर अध्यक्ष अपना निर्णय देता है जो अन्तिम होता है। व्यवस्था प्रश्न पर किसी बाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जाती, परन्तु यदि अध्यक्ष उचित समझें तो वह अपना निर्णय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकता है। व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार प्रश्न नहीं होता।

किसी सदस्य का निर्मात्रित बातों के लिये व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है।

- (क) जानकारी प्राप्त करने के लिये, या
- (ग) अपनी मिति दृष्टि करने के लिये, या
- (ग) उम समय जब किसी प्रस्ताव को मतदान के लिये मदन के सामने रखा जा रहा हो, या
- (घ) जो बान्धनिक हा, या
- (ङ) बि मत-विभाजन पृथी नहीं बजी या सुनायी नहीं पड़ी।

व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर मदन की कार्यवाही निलम्बित हो जाती है। जिस सदस्य ने अध्यक्ष की छाया नकर और पूर्व सूचना के उपरान्त व्यवस्था का प्रश्न उठाया होता है उमका सुनने के पश्चात् अध्यक्ष अपना निर्णय देता है।

सदस्यों द्वारा बाद-विवाद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषाएँ सविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत मदन का कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाता है, परन्तु जो सदस्य इन दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपने विचारों को प्रकटी करके लक्ष्य नहीं कर सकता वह अध्यक्ष की अनुमति से सविधान की धाराओं अनुगुची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी भी भाषा में मदन में भाषण कर सकता है।

सदस्यों की सुविधा के लिए मदन की समूची कार्यवाही का पार्लियामेन्टरी इन्टरप्रेटरी द्वारा अंग्रेजी में हिन्दी में और हिन्दी में अंग्रेजी में साथ-साथ अनुवाद किया जाता है और सदस्य इन दोनों भाषाओं में से किसी भाषा में लोक सभा सेंटर में प्रत्येक सीट पर लगे हुए भाषा वचन स्विकों के जरिये और हेड फोन इन्तेरफोन करने मदन की कार्यवाही सुन सकते हैं।

लोक सभा में असमी, बंगाल, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, उडिया, पञ्जाबी, गुरुकु, तमिल, तेलगु और उर्दू भाषा में दिये जाने वाले भाषणों का साथ-साथ अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनुवाद किये जाने की भी व्यवस्था है।

संदर्भ

- 1 लोकर सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-मचालन नियम, नियम 349
2. नियम 374
- 3 नियम 332
- 4 नियम 33
- 5 नियम 54
- 6 नियम 57
- 7 नियम 197 (1), श्याख्या (दो)
- 8 नियम 170
- 9 नियम 177 (2)
- 10 नियम 65 (3)
- 11 नियम 79 (1)
- 12 नियम 212
- 13 नियम 55 (2)
- 14 नियम 193
- 15 नियम 185
- 16 नियम 223
17. नियम 198 (ख)
18. धनुच्छेद 94, पहला परन्तुक 1
- 19 नियम 176 (2) और (3)
20. नियम 333
- 21 नियम 337
22. नियम 335
23. नियम 351
24. नियम 360
- 25 नियम 362
- 26 नियम 363
27. नियम 367
28. धनुच्छेद 100 (1)
- 29 नियम 376 (1)

सदनों के सत्र और बैठकें

ग्रामस्त्रण, कार्यक्रम, कार्यसूची, गणपूर्ति, स्थगन और विघटन की प्रक्रिया

संसद्, राष्ट्रपति और दो सभाप्रो-लोक सभा और राज्य सभा-से मिलकर बनती है। प्रत्येक सभा अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में स विधान के अनुसार कार्य करती है। इसमें से राज्य सभा एक स्थाई सभा है जिसका विघटन नहीं होता है, किन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्षों की अवधि के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं। लोक सभा वषट्क मनाधिकार के आधार पर सीधे निर्वाचित लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनती है। इसका विधिवत गठन प्रत्येक ग्राम चुनाव के पश्चात् निर्वाचन आयोग द्वारा अधि-सूचना जारी किए जाने पर होता है।¹ यदि इसका विघटन पहले न कर दिया जाये, तो इसकी कार्यविधि प्रथम बैठक की तारीख से शुरू होकर पाच वर्षों तक होती है और पाच वर्षों का कार्यकाल पूरा हो जाने के पश्चात् इसका विघटन हुआ माना जाता है। इसकी प्रथम बैठक नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान के प्रति शपथ अथवा प्रतिज्ञान (Oath or affirmation) किये जाने से शुरू होती है। शपथ या प्रतिज्ञान, इस प्रयोजन के लिए तीसरी अनुसूची में दिए गए श्रावण के अनुसार की जाती है। संसद् के प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना स्थान ग्रहण करने से पहले उक्त शपथ ले या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation) करें।² शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिये जाने पर ही संसद् सदस्य उन उन्मुक्तियों (Immunities) तथा विशेषाधिकारों (Privileges) का अधिकारी बनता है जो सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चात् ही उसको मतदान करने और भण्ड की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है।

बैठक का आमन्त्रण (Summon for Sitting)

राष्ट्रपति समय-समय पर ससद् के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आमन्त्रित करता है। प्रत्येक सत्र की अन्तिम बैठक और अगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होना चाहिए।³ छामाम की अवधि के भीतर अगले सत्र की बैठक होनी चाहिये। अधिवेशन के प्रारम्भ की प्रस्तावित तिथि और उसकी अवधि की सूचना मसदीय कार्य विभाग द्वारा राज्य सभा और लोक सभा के महामन्त्रियों को दी जाती है। उक्त प्रस्ताव पर राज्य सभा के महापति और लोक सभा के अध्यक्ष के महमत हो जाने पर दोनों सदनों के महामन्त्रिय उल्लेखित तारीख और समय पर सदनों को बैठक के लिए आमन्त्रित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करते हैं। आदेश प्राप्त हो जाने पर उनको असाधारण राजपत्र में अधिमूचित करते हैं और तन्मन्वन्धी विज्ञप्ति जारी करते हैं तथा सत्र के लिए नियम एवम्भान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमन्त्रण भेजते हैं।⁴

अस्थायी (प्रोटम) अध्यक्ष (Speaker Protem) की नियुक्ति

लोक सभा का विघटन (Dissolution) हो जाने पर भी, अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है और नई लोक सभा की पहली बैठक शुरू होने में पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करता। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ससद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, जपथ नेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। आम चुनाव के पश्चात् जब लोक सभा पहली बार बैठक के लिए आमन्त्रित की जाती है तो राष्ट्रपति लोक सभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष (Speaker-Protem) नियुक्त करता है। सामान्यतया लोक सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है ताकि नये सदस्य जपथ आदि ले सकें और अपना अध्यक्ष चुन सकें। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद उसके पहले सत्र और प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ पर, ससद् भवन के "गेन्ट्रल हॉम" में एक माथ समवेत दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं।

विश्व के सबसे बड़े लोकसत्र के राज्याध्यक्ष की गरिमा के अनुगून राष्ट्रपति अभिभाषण द्वारा अभिभाषण के लिए ससद् भवन पहुँचते हैं जहाँ मुख्य द्वार पर राज्य सभा के महापति, लोक सभा के अध्यक्ष, मसदीय कार्य मन्त्री और दोनों

सदनो के महासचिव उनकी श्रमवाणी करते हैं और उन्हें समारोहपूर्ण जुलूम में लागू कालीन से सुसज्जित मार्ग द्वारा सेटल हाल में ले जाते हैं । उनके पहुँचने पर राष्ट्रपति होता है और तत्पश्चात् वे अपना अभिभाषण पढ़ते हैं । उनके अभिभाषण में पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख होता है तथा आगामी वर्ष के कार्यक्रमों एवं नीतियों का विवरण दिया जाता है उन विधेयको आदि का जिक्र होता है जिन्हें सरकार पुर स्थापित करना और पारित करना चाहती है । एक प्रकार से राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कार्यक्रमों और तत्सम्बन्धी नीतियों का कच्चा चिट्ठा होता है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विचार किया जाता है । प्रत्येक सदन में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनो में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है ।⁶ अध्यक्ष की स्वीकृति में धन्यवाद प्रस्ताव पर सशोधन के माध्यम से उन महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाती है जिनके विषय में अभिभाषण में प्रकाश न डाला गया हो ।⁷ इस प्रकार बड़ी व्यापक चर्चा की जाती है और जागरूक सासदों की तंत्र से प्रशासन की गतिविधियों का कोई भी कोना छूटा नहीं रहता है । राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सभी मामलों पर विचार किया जाता है । किन्तु ऐसे किसी विषय की चर्चा का माध्यम नहीं बनाया जाता है जिनका भारत सरकार में कोई सीधा सम्बन्ध न हो । स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया गया उसके कार्यक्रमों और नीतियों का मर्मोदा हाता है, उन कार्यक्रमों और नीतियों के लिये सरकार जवाबदेह होती है, न कि राष्ट्रपति । अतः चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

चर्चा के अन्त में, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद का उत्तर देने की परम्परा है जिसके द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट की जाती है ।⁸ तत्पश्चात्, सशोधनों को निवटारा जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखा जाता है । प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद औपचारिक समावेशन द्वारा अध्यक्ष की मार्फत उनकी सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है ।⁹

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन (Election of Speaker-Deputy Speaker)

अनुच्छेद 93 के उपबन्धों के अनुसार यह अपेक्षित है कि लोक सभा उसके गठन और प्रथम बैठक के पश्चात्, या संभव शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने । प्रधानमंत्री या मन्त्रिमण्डल अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन का मुझाव लोक सभा सचिवालय को भेजता है और लोक सभा का महामन्त्रि प्रधान मन्त्री के मुझाव को राष्ट्रपति को भेजता है जो निर्वाचन के लिए तिथि का अनुमोदन करता है । तत्पश्चात् महासचिव उस तिथि की मूळता प्रत्येक सदस्य को भेजता है ।¹⁰

इस प्रकार निश्चिन तिथि में एक दिन पूर्व कोई भी सदस्य, किसी भी समय, महामन्त्रि को किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव की निम्नित सूचना दे सकता है। इस सूचना के साथ उस सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया गया हो, यह कथन संलग्न होना चाहिए कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। सामान्यतया, सत्ताधारी दल द्वारा चुने गये उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की सूचना प्रधानमंत्री द्वारा या ममदीय कार्य मन्त्री द्वारा दी जाती है। प्रस्ताव की नियमानुबन्ध पायी जाने वाली सभी सूचनाएँ उभी क्रम में रखी जाती हैं जिस क्रमानुसार वह प्राप्त हुई हो।

निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि की कार्य-सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं और विधिवत अनुमोदिन हो जाते हैं उन्हें एक-एक करके उभी क्रम में रखा जाता है जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हों और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे ही कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो पंजाबीन अधिकारी बाद के प्रस्तावों को रगे बिना, धोपणा करता है कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित (Proposed in the motion) सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है।¹²

उपाध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया भी वही है जैसे कि अध्यक्ष के निर्वाचन की, सिवाए इसके कि उपाध्यक्ष की निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष नियत करता है।¹³

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद तारण करने वाला सदस्य अपना पद रिक्त कर देगा। (क) यदि वह लोक सभा का सदस्य नहीं रहे (ख) यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष का और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को अपना त्याग-पत्र भेज दे, और (ग) यदि लोक सभा के उत्कालीन समय सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे पद से हटाने के लिए संकल्प (Resolution) पारित कर दिया जाये।¹⁴

अध्यक्ष लोक सभा के विघटन (Dissolution) के पश्चात् भी "सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले" तक अपने पद पर बना रहता है।

सदनों की बैठकें

किसी अधिवेशन के लिए धामन्त्रण के साथ ही, या उसके जारी होने के पौरन बाद प्रदेशक सदस्य को बैठकों के अस्थायी कार्यक्रम की छपी हुई प्रति भेजी जाती है जिसमें बताया जाता है कि लोक सभा की बैठक किस किस दिन होगी और कौन-कौन सा कार्य (सरकारी-गैर-सरकारी) किया जायेगा। प्रश्नों का घाटे भी भेजा जाता है जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए विभिन्न मन्त्रामयों के लिए कौन-कौन से दिन नियत किये गये हैं। प्रश्नों की सूचना देने के

सम्बन्ध में स्थावर जानकारी दी जाती है। अधिवेशन (Session) के प्रारम्भ हूँ सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर अन्य जानकारी के माध्यम-माध्य उक्त सूचना समक्ष समन्वय (वुलेटिन) में प्रकाशित की जाती है।

सदन की बैठके, यदि अध्यक्ष सन्ध्या निदेश नहीं देता तो, साधारणतया 11.00 बजे सत्र प्रारम्भ होती है और बैठके का मानस्य समय 11.00 बजे सत्र से 13.00 बजे तक और 14.00 बजे से 18.00 बजे तक होता है। 13.00 बजे से 14.00 बजे तक का समय सप्ताह भोजन के लिए छोड़ा जाता है।¹⁵ कार्यभार की अधिकता के परिणामस्वरूप प्रत्येक अवसरों पर साधारणतया स्पष्ट कर दिया जाता है और सदन की बैठके देर रात तक भी चलती है।

कार्यक्रम और कार्य-सूची

समक्ष कार्य की, सरकारी कार्य और गैर-सरकारी कार्य नाम से 31 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है,¹⁶ अर्थात् कि सरकारी द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्य और (ग) गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्य, जो सरकारी समय में किये जाते हैं।

अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों (Directions) के निर्देश के अनुसार यदि किसी विनिश्चित अवसर पर अध्यक्ष निर्देश न देता सभा के समक्ष कार्य निम्नलिखित क्रम में किया जाता है, यथा शपथ या प्रतिज्ञा, (Oath or affirmation) निष्पत्ति सम्बन्धी उल्लेख, (Obituary reference) प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion) प्रश्न करने की अनुमति, विधेयाधिकार भंग (Breach of privilege) सम्बन्धी प्रश्न, सभा फटम पर रमने जाने वाले प्रश्न, राष्ट्रपति से प्राप्त सदेशों की सूचना, ध्यानाकर्षण सूचनाएँ, बक्तव्य और वैयक्तिक स्पष्टीकरण, समितियों के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव, प्रश्न किए जाने वाले विधेयक, नियम 377 के अर्थात् मामले, इत्यादि।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य, अर्थात् विधेयक (Bills) और संकल्प (Resolutions) पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या ऐसे अन्य दिन जो अध्यक्ष नियत करे कोई सप्ते एक विचार होता है।¹⁷ कार्य की कुछ ऐसी मंजूरियाँ हैं या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा शुरू की जाती हैं लेकिन दिन पर सरकारी कार्य के लिए नियत समय में विचार दिया जाता है। किसी मन्त्री या सदस्य द्वारा उठे गये बक्तव्यों की गलतियाँ बताने वाले बक्तव्य और सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रावृत्तिक रूप से ही में कुछ अन्य कार्य भी आते हैं जैसे: प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वसनीय लोक महत्व के मामलों (Matters of urgent Public Importance) की ओर ध्यान दिखाना, विधेयाधिकार के प्रश्न, अविश्वसनीय लोक महत्व के विषयों पर छोड़े समय की खर्चा, मन्त्रिपरिषद् में अविश्वसनीय प्रस्ताव, प्रश्न और उनके उत्तरों में उत्पन्न विषयों पर छोड़े सप्ते की खर्चा, नियम 377 के अन्तर्गत

मामले, इत्यादि। सरकारी कार्य की विभिन्न गदा और अन्य उन गदों के लिए, जो सरकारी समय में ली जाती है, समय की सिफारिश सामान्यतः कार्य मन्त्रालय समिति द्वारा की जाती है।

गणपूर्ति (Quorum)

सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (कारम) अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग अथवा 55 सदस्यों से होती है। बैठक के प्रारम्भ में, अध्यक्ष के पीठासीन होने से पहले, प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि सदन में गणपूर्ति है। गणपूर्ति न पाई जाने पर गणपूर्ति-घण्टी (Quorum Bell) बजाई जाती है और गणपूर्ति हो जाने के पश्चात् ही अध्यक्ष पीठासीन होता है। मध्याह्न भोजन के पश्चात् या स्थगित होने के पश्चात् जब सदन पुनः सम्मेलित होता है तब भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। सभा की बैठक के शेष समय के दौरान एक प्रथा सी है यथा बैठकों के बढ़े हुए समय में, मध्याह्न भोजन के दौरान या जब सदन की बैठक सामान्य समय के बाद तक के लिये बढ़ा दी जाती है तो यह प्रश्न नहीं उठाया जाता। किन्तु यदि एक भी सदस्य एक बार गणपूर्ति का प्रश्न उठा देता है तो कार्यवाही रोकनी पड़ती है और गणपूर्ति घण्टी बजानी पड़ती है और सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने पर ही पुनः प्रारम्भ की जाती है।

सभा का स्थगन या विघटन (Adjournment of House or dissolution)

दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान (Prorogation) करने और लोक सभा को विघटित (Dissolution) करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद (85) (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सभा के किसी सत्र के समाप्त किये जाने को "सत्रावसान" कहते हैं।

सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिये या किसी और दिन तक के लिये या उसी दिन के किसी समय तक के लिये स्थगित (Adjourn) करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित है। अध्यक्ष सभा के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय, सभा की बैठक बुला सकता है।¹⁸ किन्तु एक बार सभा का सत्रावसान हो जाने के पश्चात् केवल राष्ट्रपति ही दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए प्रारूढ कर सकता है।

सामान्यतः किसी भी सभा के अनिश्चितकाल (Sine-die) तक के लिए स्थगित होने के बाद राष्ट्रपति उनका सत्रावसान करता है। सभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच सामान्यतः दो चार दिन का अंतराल होता है। लोकसभा के स्थगन या अनिश्चितकाल के लिए स्थगन पर सभा में लम्बित कार्य अक्षय (Lapse) नहीं होता है, परन्तु लोकसभा के प्रथम तथा द्वितीय सत्रावसान सम्बन्धी नियमों के नियम 335 के अनुसार सदन का सत्रावसान होने

पर किसी विधेयक का पुर स्थापित करने को अनुमति के नियम प्रस्ताव करने के विचार की सूचनाओं के अतिरिक्त मंत्र लम्बित सूचनाओं व्यपगत हो जाती है और अपने सत्र के नियम नई सूचनाओं देनी पड़ती है ।

लोक सभा अपने प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्षों तक चलती रहती है । यदि उसे कार्यविधि पूरी होने से पूर्व भंग नहीं कर दिया जाता या उसकी कार्यविधि बढ़ायी नहीं जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे भंग करने का औपचारिक आदेश जारी न किए जाने पर भी सभा पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति पर अपने आप भंग हो जाती है ।¹⁹

विघटन के प्रभाव (Effects of dissolution)

लोक सभा का विघटन (Dissolution) हो जाने पर वह केवल सामान्य निर्वाचन (General election) के बाद ही ममवेत होती है । संविधान के अनुसार लोक सभा का ही विघटन हो सकता है और विघटन से उसका सारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । राज्य सभा सदा बनी रहती है और वह विघटित नहीं होती है । लोक सभा के विघटन पर सभा या उसकी किसी समिति के समक्ष लम्बित (Pending) प्रत्येक विषय व्यपगत (Lapse) हो जाता है । विघटित सभा के रिकार्ड का कोई भी अंश आगे नहीं ले जाया जा सकता और नयी सभा के रिकार्ड या राजस्ट्रो में समाविष्ट नहीं किया जा सकता ।

सभा में लम्बित विभिन्न प्रकार के कार्यों पर विघटन के प्रभाव का संक्षिप्त द्वारा निम्नलिखित है —

- (एक) लोक सभा में, विघटन के समय लम्बित सभी विधेयक व्यपगत हो जाते हैं, वे चाहे लोक सभा में प्रारम्भ हुए हो अथवा राज्य सभा द्वारा इसके पास भेजे गए हो, और
- (दो) लोक सभा द्वारा पारित करके राज्य सभा को भेजे गए और उसके द्वारा न निबटाये गये विधेयक जो विघटन की तिथि को राज्य सभा में लम्बित हो, व्यपगत हो जाते हैं,
- (तीन) राज्य सभा में पुर स्थापित किये गये विधेयक, जो लोक सभा द्वारा पारित नहीं किए गए हो बल्कि अभी राज्य सभा में लम्बित हो, व्यपगत नहीं होते ।
- (चार) यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों में अमहमति है और विघटन से पहले उस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के अपने आशय की सूचना राष्ट्रपति ने दे दी हो तो वह विधेयक व्यपगत नहीं होगा और राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय की सूचना देने के बाद लोक सभा का विघटन हो जाने पर भी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसे पारित किया जा सकता है ।²⁰

- (पाच) दोनो सदनों द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा गया विधेयक लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता ।
- (छह) राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक व्यपगत नहीं होता और न ही सभा द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है ।
- (सात) लोक सभा में लम्बित अन्य कार्य की सभी मर्दों, यथा प्रस्ताव, सकल्प, सशोधन, अनुदानों की अनुपूर्क मांगें आदि, चाहे वे विचार की किसी भी अवस्था में हो, विघटन पर व्यपगत हो जाती हैं ।
- (आठ) याचिका समिति को निर्दिष्ट, सभा में पेश की गई सभी याचिकाएँ विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाती हैं ।
- (नौ) लोक सभा द्वारा पास किए गए साविधिक नियमों के अनुमोदन या रूपभेद के लिए प्रस्ताव जो राज्य सभा को उसकी सम्मति के लिए भेजे गए हो, या उसी प्रकार राज्य सभा से लोक सभा के पास भेजे गए हो, वे भी लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं ।
- (दस) आश्वासन, जिन्हे सरकार ने कार्यान्वित न किया हो, व्यपगत नहीं होते और नयी लोक सभा की सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति उन पर प्राय विचार करती है ।

संदर्भ

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 73
2. अनु. 99 और तीसरी अनुसूची, निर्देश
3. अनु. 85
4. नियम 3
5. अनुच्छेद 84
6. नियम 17
7. नियम 18
8. नियम 20
9. नियम 247
10. नियम 7 (1)
11. नियम 7 (2)

12. नियम 7 (3) प्रोर (4)
13. नियम 8 (1)
14. अनुच्छेद 94
15. नियम 12
16. मन्त्री के अलावा अन्य प्रत्येक सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, चाहे वह किसी भी दल का हो। मन्त्री सरकारी सदस्य कहलाता है।
17. नियम 26
18. नियम 15
19. मुभाय काश्यप, डिजिटलूशन प्रॉफेसर् लोकर सभा, द पालिसामेटेरियन, 57, जनवरी, 1977
20. अनुच्छेद 108

□□

संसद् के अधिकारी

अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी तथा महासचिव

किमी सदन के कार्य का मंचालन सुचारु रूप से और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये किमी प्राधिकारी का होना आवश्यक है ताकि वह उसकी कार्य-वाहियों को नियंत्रित कर सके और उसको गरिमा प्रदान कर सके। सदनों के इस महत्त्व को देखते हुए मविधान में लोक सभा के लिए अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy-Speaker) का और राज्य सभा के लिए सभापति (Chairman) और उप सभापति (Deputy-Chairman) का उपबन्ध किया गया है। लोक सभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष पीठासीन होता है और सदन की कार्यवाही संचालित करता है। इसी प्रकार सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति राज्य सभा की कार्यवाही को संचालित करता है और पीठासीन होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदन में ऐसे अथवा भी होते हैं जब उपयुक्त दोनों अधिकारी अमान ग्रहण करने के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता रहती है जो इन दोनों की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कर सके। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सदन में सभापति तालिका (Panel of Chairman) बनाई जाती है जिसमें सदस्यों में से अधिक से अधिक छः सदस्यों का नाम निर्देशित किया जाता है जो अपने-अपने सदन की उस समय अध्यक्षता करते हैं जब वहाँ दोनों पीठासीन अधिकारियों (Presiding officers) में से कोई भी उपस्थित न हो।¹ दोनों सदनों के उक्त दो पीठासीन अधिकारियों के अलावा प्रत्येक सदन में अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारी महासचिव (Secretary-General) है जो सदन का गैर-निर्वाचित स्थायी अधिकारी होता है।

अध्यक्ष

अध्यक्ष का पद मगदीय प्रणाली में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वत 700 वर्षों के दौरान इसकी गरिमा और शक्तियों का निरंतर विकास हुआ है।

सर्व प्रथम ब्रिटेन में 1377 में काम-म मंत्री क अध्यक्ष क पद की प्रस्ताव हुआ थी जब सर टामस ह्यगर फाई उमक अध्यक्ष चुन गये थे तब से यह पद अनवरत काम-म है और छोटे-छोटे उमकी गरिमा और गरिमा का विकास हुआ है। गुरु-गुरु में उमके ह्यड (Debate) बाद-बिवाद के अन्त में, पक्ष और विपक्ष, दोनों के तर्कों का निष्कर्ष निकालना और मदन के विचार 'वाचन' के समक्ष प्रस्तुत करना हुआ करता था। अतः वह मसाला क समक्ष काम-म मंत्री का प्रस्ताव या "स्पीच" हुआ करता था। आज बि-कुल उन्हा है अध्यक्ष बहुत ही कम बोलता है, वह केवल अपने अर्थान्व, प्राप्त निर्देशों मस्व और गौरव में ही मदन की अवस्था को बनाये रखता है और उमकी बैठका का अध्यक्षता करता है।

गणसम्बन्धीय देश (Commonwealth Countries) हान क जाने भारत में अध्यक्ष की स्थिति महामन वैसी ही है जेन कि काम-म मंत्री में अध्यक्ष की है। मसदीय प्रणाली में उमका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उमका पद गरिमा, प्राधिकार और प्रतिष्ठा का पद है। वह लोक मंत्री का प्रमुख है। मंत्री के कार्य का संचालन और नियंत्रण उमक हाथ में होता है। मदन के कार्य का चलाने सम्बन्धी सभी परिष्कार उमी का प्राप्त है। वह मंत्री का प्रमुख प्रवक्ता है उमकी सामूहिक आवाज और बाहरी दुनिया के लिये मंत्री का एक मात्र प्रतिनिधि मसदीय प्रणाली में अध्यक्ष के पद का अध्ययन करत पर पता चलता है कि स्वतन्त्रता और तिथ्यता इन पदधारी क दो महत्वपूर्ण गुण रह है। हमारा देश भी यह उद्देश्य कई प्रकार में सुनिश्चित होता है। वर्गीयता के क्रम (Order of precedence) में अध्यक्ष की बहुत ऊँचा दर्जा प्राप्त है। इस क्रम में उमका स्थान अनुषंगे रखा गया है और वह केवल गणसन्धि, उपासकानि और प्रधानमन्त्री क बाद और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर आता है। अतः प्रधान-मन्त्री के बाद मन्त्री मदन के अन्य सभी मन्त्रियों में उमका स्थान ऊँचा है। उमका वनन तथा मने भारत की सार्वत निधि (Consolidated fund of India) पर सन्धि व्यय है अर्थात् उनक लिये मसद् की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। उमक निर्णय पर सिवाए मूल (बकम्प्टांटिव) प्रस्ताव के प्राप्ति नहीं की जा सकती। वह अथवा निर्णायक मत (Casting Vote) केवल उमी द्वारा में देता है जब किसी प्रश्न के पक्ष तथा विपक्ष में बराबर-बराबर मत आए हो। जब मतान मत होने की ऐसी स्थिति में वह अथवा निर्णायक मत देता है तो ऐसा मदा सुम्बानित मसदीय सिद्धान्त और प्रथाओं के अनुसार ही किया जाता है। यह मसदीय की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति क पश्चात् भारत में ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जब कि अध्यक्ष का अथवा निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग करना पडा है। अध्यक्ष की कोई राजनीति नहीं होती, वह नस्त्रय (Neutral) होता है। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वह अपने दर की सब गतिविधियों में अलग ही जाता है। वह किसी दल क सम्बद्ध हान हुए भी अलग

दायित्व को इस प्रकार सम्पन्न करता है जिससे ऐसा लगता है कि वह किसी भी दल में नहीं है।³ वह किसी दल का पद धारण नहीं करता, किसी दल की बैठकों में या क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता और राजनीतिक विवादों से और दल के अभियानों से दूर रहता है।⁴

अध्यक्ष सविधान में उपबन्धित अपनी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करते हुए सदन को संचालित करता है और उसकी कार्यवाहियों को नियन्त्रित करता है। सभा में व्यवस्था (Order) बनाये रखना अध्यक्ष का मूल कर्तव्य होता है और उसकी अनुशासनात्मक शक्तियों (Disciplinary powers) का उद्गम "लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम" है। उनके निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती है, वे अन्तिम होते हैं। सभा में उसके द्वारा की गई सविधान के उपबन्धों और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की व्याख्या (Interpretation) अन्तिम व्याख्या होती है। ऐसे सब विषय जिनके बारे में नियमों में विशेष रूप से उपबन्ध न किया गया हो उनके सम्बन्ध में निर्देश देने की अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary powers) अध्यक्ष को प्राप्त हैं।⁵ ऐसा विनिर्णय (Ruling) करते समय वह किसी सदस्य से या सरकार से तथ्य एवं सूचना की मांग कर सकता है अथवा साक्ष्य उपलब्ध कराने को कह सकता है। इस प्रकार हर दृष्टि से विचार करने के परन्तु उसके द्वारा दिये गये निर्णय अन्तिम होते हैं उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। सदस्य सभा में या उसके बाहर अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय, व्यक्त किये गये विचार या दिये गये वक्तव्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं कर सकते। किसी मामले पर पुनर्विचार करने के लिये वे अध्यक्ष से निवेदन कर सकते हैं।

सदन में व्यवस्था बनाये रखने और उसकी कार्यवाही को सुचारु ढंग से संचालित करने के लिये अध्यक्ष को बहुत शक्तियाँ प्राप्त हैं।⁶ पीठ सीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य सदन में बोल नहीं सकता, अध्यक्ष ही इस बात का निर्णय करता है कि कोई सदस्य कब बोले⁷ और उगको कितनी बार बोलने का अवसर दिया जाए। जहाँ तक कि वह सदस्यों के भाषण की समय सीमा निर्धारित कर सकता है, सीमा का उल्लंघन करने पर मापण समाप्त करने को कह सकता है एवं मापण में अभिव्यक्त असमस्य या अभद्र विचारों (Unparliamentary Expressions) को वापस ले लेने के लिये सदस्य को आदेश दे सकता है। वह यह आदेश भी दे सकता है कि मामूद् द्वारा अभिव्यक्त असमस्य बातों को कार्यवाही वृत्त (Proceedings) से निकाल दिया जाये।⁸ कार्यवाही वृत्त में निकाली गयी ऐसी अभिव्यक्तियों (Expressions) को समाचार पत्रों द्वारा या अन्य माध्यमों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मसद् के सदस्यों के कार्यवाही वृत्तान्तों की प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है।

सभा में व्यवस्था (Order) कायम करने के लिये अध्यक्ष फँसाने वाले सदस्य को अध्यक्ष सभा का त्याग करने के लिए कह सकता है। यदि सदस्य उसके

आदेशों की अवहेलना करता है और सभा की कार्यवाही में बाधा डालता है तो अध्यक्ष उसका नाम लेकर उसे सभा से निलम्बित कर सकता है। सभा में घोर असव्यवस्था (Disorder) होने पर वह सभा को स्थगित कर सकता है या उसकी कार्यवाही निलम्बित कर सकता है। सदस्यों को अध्यक्ष का सम्मान करना होता है जब भी अध्यक्ष बोलने के या अपने निर्णय (Rulings) देने के लिए खड़ा होता है तो उसे सभी सदस्य खामोशी में सुनते हैं और यदि कोई सदस्य बोल रहा हो या बोलने लगा हो, उसे बंद जाना होता है। घन सदस्यों में अध्यक्ष के सामने गे बड़ी सामग्रानी बरतने की प्रेरणा की जाती है। सभा के विशेषाधिकार भंग (Breach of privilege) या उसकी अवमानना किए जाने संबंधी किसी विषय में प्रत्यक्ष कोई सार है या नहीं, इन बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है।^१ उसकी अनुमति के बिना किसी सदस्य, सभा या उसकी समिति के विशेषाधिकार भंग के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न सभा में नहीं उठाया जा सकता। अध्यक्ष अपने आप किसी ऐसे प्रश्न को, जिसे वह उचित समझे, विशेषाधिकार समिति को जांच, श्रवण तथा रिपोर्ट देने के लिए सौंप सकता है। यदि वह अपने सम्मति प्रदान नहीं करता तो उस मामले पर प्रागे कार्यवाही नहीं की जाती। अध्यक्ष यह सुनिश्चित बनाता है कि कोई सदस्य सदन में किसी के विरुद्ध आरोप/पापक, सातहाकि-कारक या दोषारोपण करने वाले बल्लभ न दे। ऐसा करने से पूर्व सदस्य को ऐसे स्वरूप के बारे में या जिस माध्यम पर वे आधारित है, उसकी पूर्ण सूचना अध्यक्ष को देनी होती है।

कभी-कभी अध्यक्ष अपनी विवेकप्रियता एवं सूक्ष्म बुद्धि से तनावपूर्ण क्षणों में सदन के वातावरण को प्रयुक्त और तनाव रहित बनाता है। यूँ तो यह जन्म-जात गुण होते हैं किन्तु एक गवैदनशील व्यक्ति प्रसंगानुसार इन गुणों को अर्जित कर लेता है। इस प्रकार अपना दायित्व निवाहने हुए अध्यक्ष सभा की परिभा और उसकी स्वतन्त्रता बनाए रखता है और स्वस्थ वातावरण में सदन की कार्य-वाही को संचालित करता है। भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के सदन में कभी कभी उत्तेजना, कोलाहल और अन्तर्बाधा के क्षण उत्पन्न होने अनिवार्य हैं किन्तु बुद्धिमान और योग्य अध्यक्ष अपनी चतुराई और वाकपटुता में स्थिति को सम्भाव्य लेता है और वाद-विवाद को अल्पस्थित और सुचारु ढंग में सहायता करता है।

सभा का अध्यक्ष होने के साथे वह अपने कृत्यों के निर्वाहन द्वारा सभा की गरिमा का बढ़ाता है। सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और अध्यक्ष राष्ट्र के हित को सर्वोपर्य ध्यान में रखता है। समय-समय पर प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रस्तावों की सूचनाओं, प्रश्नों आदि को सुनीत करने या न करने के बारे में विचार करते समय वह उनका चयन इस प्रकार करता है जिससे लोक महत्त्व के विभिन्न मामलों

पर मदन में विचार हो सके और उनके बारे में निर्णय लिये जा सकें। अद्ययश होने के बावजूद वह मदन का सेवक होता है, उसका स्वामी नहीं। सविधान और प्रक्रिया संबंधी नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों में वह अलक्षित नहीं होता है वनिक अल्पनी शक्तियों को मदन का ही एक अंग मानता है तथा मदन की व्यवस्था बनाए रखने और उनको मुचाए टग में चलाते के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करता है। अपने कार्य के दौरान स्वयं ममदीय परम्पराओं का निर्माण करता है जो घाते वाले प्रध्यक्षों या मार्ग-दर्शन करती है।

मदन की ओर से मदेश अक्ष के प्राधिकार में भेजे जाते हैं और उमी के प्राधिकार में प्राप्त होते हैं।¹⁰ मदन द्वारा पाणित विधेयकों का प्रमाणीकरण अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है और तत्पश्चात् उनको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। वह विधेयकों तथा मकल्पों के सम्बन्ध में रखे गये सशोधनों में से कुछ को मदन के समक्ष रखने के लिए चुन सकता है और किसी भी ऐसे सशोधन को मदन के समक्ष रखने से इनकार कर सकता है जो उसका विचार में तुच्छ हो। मदन द्वारा पाणित किसी विधेयक में प्रत्यक्ष अशुद्धियों को अध्यक्ष शुद्ध कर सकता है। वह मदन द्वारा स्वीकृत सशोधनों के अनुसूच मदन द्वारा पाणित किसी विधेयक में परिणामी परिवर्तन कर सकता है। अध्यक्ष होने के नाते, मदन को भेजे गए दस्तावेज, याचिकाएँ और मदेश वही प्राप्त करता है और वही मदन के सब आदेशों को कार्यान्वित करता है। वही मदन के निर्णयों का अनुपालन सम्बन्ध प्राधिकारियों में करवाता है।

लोक सभा की सभी ममदीय समितियाँ अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करती हैं, चाहे वे उसके द्वारा गठित की गई हों अथवा मदन द्वारा। अध्यक्ष ही उनके सभापतियों की नियुक्ति करता है। वह समितियों के कार्यकरण के सम्बन्ध में अध्यक्ष उनके द्वारा अपनायी जाने वाले प्रक्रिया के मामले में निर्देश जारी करता है।¹¹ यदि कोई प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है तो मार्ग-दर्शन के लिए उसको अध्यक्ष को भेजा जाता है और तन्मन्धी उसका निर्णय अन्तिम निर्णय होता है जिसका अनुपालन किया जाता है। कार्य मन्त्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति का सभापति स्वयं अध्यक्ष होता है और वे उसके नेतृत्व में कार्य करती हैं।¹²

दोनों मदनो के सभापती सम्बन्धों के मामले में सविधान के अन्तर्गत लोक सभा अध्यक्ष को विशेष स्थान दिया गया है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का अन्तिम प्रणित होता है।¹³ धन विधेयक अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने समय अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर गठित यह प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। किसी विधेयक (Bill) पर दोनों मदनो में अमहमति होने पर अब सभी दोनों मदनो की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी संयुक्त बैठक (Joint

sitting) की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करना है और उक्त बैठक के सञ्चालन में प्रक्रिया सम्बन्धी सब नियम उनके आदेशों और निर्देशों में लागू होते हैं।¹⁴

अध्यक्ष का यह दायित्व होता है कि वह सदस्यों के लिए समुचित सुविधाओं तथा सभ्यालय, प्राङ्गण, टेलीफोन, बेसन तथा भत्तों की प्रदायणी, समुद्र भ्रमण में जनपान और विश्राम बर्थों, मनोवीर पत्रों के मुद्रण और उनकी पूर्ति की व्यवस्था करे। लोक सभा का सचिवालय और सदन की इमारत-अध्यक्ष के नियंत्रण में होती है। इसका सारा प्रशासन, अर्थशास्त्र के आदेशों में ही चलता है। समुद्र भ्रमण के परिष्कार में सुरक्षा प्रवर्गों की व्यवस्था उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। अध्यक्ष संसदियों में दर्जनों¹⁵ और प्रिय (गवाहशहादतों के प्रयोग) की नियमित करता है। यदि कोई उनसे निर्देशों का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष सदन के आदेश के अनुसार दर्जनों को आवश्यक दण्ड दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति सदन की प्रवर्तमानता करने अथवा विरोधाधिकार भंग करने के लिए प्रयास करता है और इस आरोप के कारण उसकी सदन के समक्ष उपस्थिति अक्षेत्रित हो तो अध्यक्ष उसके नाम "नमन" जारी कर सकता है। यदि सदन किसी सदस्य पर बाहर के किसी व्यक्ति को कारावास का दण्ड देने का प्रस्ताव स्वीकृत करता है तो उसके विरुद्ध अध्यक्ष गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर सकता है।

मनोवीर दलों की भाषणा प्रदान करने के लिए पार्षदों निश्चालन अध्यक्ष नियुक्ति करता है और लोक सभा में विपक्ष के किसी दल के नेता की विपक्ष के नेता के रूप में भाष्यता उन्हीं के द्वारा दी जाती है। किसी सदस्य द्वारा सदस्यता में त्यागपत्र दिये जाने पर अध्यक्ष त्याग-पत्र स्वीकार करने में पूर्व इस बात का समाधान करता है कि त्याग-पत्र स्वैच्छा में दिया गया है और सही है। यदि जास के पञ्चायत यह पता जाता है कि त्याग-पत्र स्वैच्छिक या समर्थ (Voluntary or jinninc) नहीं है तो वह ऐसे त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं करता।¹⁶

सदनी समझा के समाधान के लिए कोई भी सदस्य अध्यक्ष को उनके कक्ष (Chambers) में मिल सकता है। दल-बदल अतिरिक्त (Anti defection Bill) के अन्तर्गत किसी सदस्य की अनुहंता सबंधी विवाद का निर्णय करने की सम्पूर्ण शक्ति अध्यक्ष को प्राप्त है। उसकी पूर्ण अनुमति से समय निर्दिष्ट करने कोई भी सदस्य या सत्रों उसके कक्ष में उसकी मिल सकता है। अध्यक्ष के अधिकार, उसकी निष्पक्षता, योग्यता, चरित्र या आचरण पर आरोप विरोधाधिकार भंग (Breach of Privilege) करना समझा जाता है। यह सभा की अन्तरक्रिया और रक्षा होता है। इन सदन की गरिमा की रक्षा के लिये उसको सर्वोच्च सम्मान दिया जाता चाहिये। उनसे द्वारा दिये गये निर्णय (Ruling) अन्तिम होते हैं मत उनकी सभा में अथवा सभा के बाहर आलोचना नहीं की जा सकती।

यदि लोक-सभा का कोई सदस्य किसी दायिक आरोप (Rimjal Charges) के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसे कारावास का दण्ड दिया

जाता है या कार्यपालिका के आदेश (executive order) के अन्तर्गत बन्दी बना लिया जाता है तो दण्डाधिकारी (Magistrate) या सरकारी अधिकारी को उसकी सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देनी होती है। इसी प्रकार की सूचना सदस्य की रिहाई के समय भी देनी अनिवार्य है। अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी सदस्य को सभा के परिमर (Precincts of the House) में न तो बंदी बनाया जा सकता है और न ही फौजदारी या दीवानी (Civil or Criminal) कानून के अन्तर्गत कोई आदेशिका उभे दी जा सकती है।¹⁷

अध्यक्ष सभा में निधन सम्बन्धी उल्लेख (Obituary Reference) करता है, कार्यावधि समाप्त होने पर विदाई भाषण देता है और साथ ही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के सम्बन्ध में औपचारिक रूप से उल्लेख भी करता है।

अध्यक्ष भारतीय संसदीय ग्रुप (Indian Parliamentary Group) का, जो भारत में अन्तर संसदीय मंच के राष्ट्रीय समूह (National forum) के रूप में और राष्ट्र मण्डल संसदीय मंच की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है, पदेन प्रेजिडेंट होता है। वह राज्य-सभा के सभापति के परामर्श से, विदेशों में जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्य मनोनीत करता है। वह प्रायः ऐसे प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व स्वयं करता है। अध्यक्ष भारत में विधायी निवासों के पीठामौन अधिकारियों के सम्मेलन का सभापति भी होता है।

अध्यक्ष लोक सभा सचिवालय का प्रमुख होता है जो कि उसके निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर पर और संसद् भवन सम्पदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोक सभा के महा सचिव की सहायता से करता है।¹⁸

अध्यक्ष की गरिमा और संसदीय प्रणाली में उसके महत्त्व को देखते हुए, तत्कालीन प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने 8 मार्च, 1958 को अध्यक्ष विट्ठल-भाई पटेल के चित्र का अनावरण करते हुये कहा था ;

“अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है। वह सभा की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है और चूंकि सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, अतः एक तरह से अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता और आजादी का प्रतीक बन जाता है। अतः यह उचित ही है कि अध्यक्ष का पद सम्मानित पद है। उसकी स्वतंत्र स्थिति है। इस पद पर वही व्यक्ति आसीन होने चाहिये जो असाधारण रूप से योग्य तथा निष्पक्ष हो।”

भारत में अध्यक्ष पद का इतिहास 1921 से आरम्भ होता है। ब्रिटिश संसद् की संयुक्त समिति ने, जिसे मोटेगू चेम्सफोर्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सर्वप्रधानिक सुधारों के बारे में सिफारिश की थी जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय विधान सभा की व्यवस्था की गई और उस समय के वाइसरॉय ने सर फ्रेडरिक वाट्स को केन्द्रीय विधान मंडल का प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किया।

24 अगस्त, 1925 को श्री विट्ठल माई पटेल, प्रथम मंत्र-मन्त्री अध्यक्ष के रूप में चुने गये। 20 जनवरी, 1927 को वह पुन निर्वाचित हुए और 1930 तक अध्यक्ष पर पर रहे। 25 अप्रैल, 1930 को उन्होंने अपने पद में त्याग-पत्र दे दिया। श्री पटेल को केन्द्रीय विधान मण्डल का प्रथम भारतीय और प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष होने का श्रेय प्राप्त था।

श्री गणेश बामुदेव भावराज का 1946 में केन्द्रीय विधान सभा का प्रेजीडेंट बनना था। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक वह इस पद पर रहे। 1947 में वह पुन मन्त्रिण सभा (विधायी) के अध्यक्ष सम्मति में अध्यक्ष चुने गये। जनवरी (1950) को जब भारत को तात्काल पारित किया गया तो प्रस्थायी मन्द् (Provisional Parliament) की अध्यक्षता का पद श्री भावराज को दिया गया। प्रथम आम चुनावों के परिणामस्वरूप गठित प्रथम लोक सभा में उनको प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

अब नव प्रेजीडेंट अध्यक्ष पद गुणाभिलक्षने वाले व्यक्तियों के नाम और पदावधि का इस प्रकार है -

स्वतन्त्रता-पूर्व की अवधि

सर फ्रेडरिक स्टोर्ट	3 फरवरी, 1911	अगस्त, 1925
विट्ठलमाई के पटेल	24 अगस्त, 1925	28 अप्रैल, 1930
मोहम्मद याजुब	9 जुलाई, 1930	31 जुलाई, 1930
टाहीम रहीमतुल्ला	17 जनवरी, 1931	7 मार्च, 1933
सर गनसुखम केट्टी	14 मार्च, 1933	31 दिसम्बर, 1934
अन्दुर रहीम	24 जनवरी, 1935	1 फरवरी, 1945
गणेश बामुदेव भावराज	24 जनवरी, 1946	14 अगस्त, 1947

स्वतन्त्रता-पश्चात् की अवधि

गणेश बामुदेव भावराज	17 दिसम्बर, 1947	25 जनवरी, 1950
(परिधान सभा) (विधायी)		
	26 जनवरी, 1950	17 अप्रैल, 1952
(प्रमर्साई समूह)		
	17 अप्रैल, 1952	15 मई, 1952
(लोक सभा)		
	15 मई, 1952	27 फरवरी, 1956
अन्नादत्तम अय्यंगर	8 मार्च, 1956	16 अप्रैल, 1962
हुसैन मिह	17 अप्रैल, 1962	16 मार्च, 1967
डा० नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च, 1967	19 जुलाई, 1969
डा० गुरुदयाल मिह डिम्लन	9 अगस्त, 1969	1 दिसम्बर, 1975

बलिराम भगत	5 जनवरी, 1976	25 मार्च, 1977
डा० भीलम सजीव रेड्डी	26 मार्च, 1977	13 जुलाई, 1977
के० एम० हेगडे	21 जुलाई, 1977	21 जनवरी, 1980
डा० बलराम जाखड	22 जनवरी, 1980	18 दिसम्बर, 1989
रवि राय	19 दिसम्बर 1989	
उपाध्यक्ष		

1950 में मविधान के लागू होने के बाद से उपाध्यक्ष के पद का महत्त्व बढ़ गया है और उसकी स्थिति अधिक प्रमुख हो गई है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा की अध्यक्षता (Preside) करता है। इस प्रकार अध्यक्षता करते हुए उसे वह सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष को प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष उस बजट समिति का सभापति होता है जो सचिवालय के बजट प्रस्ताव सामान्य बजट में सम्मिलित करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने में पूर्व अनुमोदित करती है। वह अध्यक्ष के अधीन नहीं है, बल्कि उसकी स्वतंत्र स्थिति है और वह केवल सभा के प्रति उत्तरदायी है। जबकि अध्यक्ष लोक सभा का प्रमुख अधिकारी या प्रशासनिक प्रमुख होता है, सचिवालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, किन्तु उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का कनिष्ठ अधिकारी नहीं होता है। वह तो भारत के मविधान के उपबन्धों के अधीन पीठासीन उप-अधिकारी (Deputy presiding officer) होता है।

केन्द्रीय विधान सभा के दिनों में, सभा की बैठकों का क्रम आज की तरह नहीं था। तब बैठक कम अवधि के लिए होती थी और वह भी काफी समय के बाद। आजकल लोक सभा की बैठक साल में लगभग सात महीने तक होती है और प्रत्येक बैठक लगभग सात घण्टे तक चलती है। अध्यक्ष के लिए यह व्यवहार्य नहीं होता है कि वह बैठक के दौरान सारा समय सभा में रहे। उसे अपने कक्ष में अन्य समदीय मामलों को भी निपटाना होता है। जब अध्यक्ष विशेषतया मध्याह्न पूर्व प्रश्न काल के दौरान और उसके तुरन्त बाद के कठिनाई के समय में पीठासीन रहता है। बैठकों के शेष समय, सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। यदि वह अनिवार्य मामलों में सभा के किसी मामले को अध्यक्ष के विनियमों के लिए रक्षित रख सकता है या स्वयं निर्णय देने के पूर्व उसमें परामर्श कर सकता है। इसके अनिश्चित जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष को उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष की स्थिति अध्यक्ष (Speaker) से भिन्न है। उपाध्यक्ष सभा में बोल सकता है, उसकी पक्षाधीन में भाग ले सकता है और सभा के मामलों किमी भी प्रश्न पर किमी अन्य मदस्य की तरह वोट दे सकता है, परन्तु यह काम वह तभी कर

करता है जबकि प्रत्यक्ष सभा की अध्यक्षता पर रहा हो। उस उपाध्यक्ष सभा की अध्यक्षता कर रहा हो, उस समय वह तभी वाट द करुता है जब किसी विषय के पक्ष में तथा विषय में बराबर-बराबर वाट प्राप्त।

उपाध्यक्ष अपने दल की राजनीति में भाग लेने सकता है, परन्तु व्यापार में वह सदन में अपनी निष्पत्तियाँ बताए रखने के लिए जहाँ तक हाँ या नहीं विवाद-दायक (Controversial) मामलों में अपने को घटका सकता है।

समूह के दोनों सदस्यों को सदन केन्द्र के दौरान अध्यक्ष की अनुमति से सभी बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है।

उपाध्यक्ष के पद के साथ साथ कुछ प्रमाण और परम्परा भी विकसित हुई है, यथा, यदि उपाध्यक्ष किसी उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत होता है या नियुक्त किया जाता है तो वह पद उपाध्यक्ष के नियुक्त हो जाता है। इसके प्रतिरूप, उपाध्यक्ष के पद के लिए सामान्यतया उपाध्यक्ष के किसी सदस्य को चुना जाता है।

1947 तक उपाध्यक्ष को 'सिन्डी प्रेसीडेंट' कहा जाता था, जो व्यक्ति उपाध्यक्ष के पद पर रहता है, नीचे उनके नाम और निर्वाचन की तिथियाँ दी गई हैं।

सदन प्रथा पूर्व

1	सचिदानन्द मिश्रा	(1 फरवरी, 1921)
2	सर राममन्त्री ज्ञानोभाय	(21 नवम्बर, 1921)
3	दीवान बहादुर श्री रमाधारीयार	(4 फरवरी 1924)
4	सर माहम्मद यादव	(30 जनवरी, 1927)
5	एच एम गोड	(11 जुलाई 1930)
6	शरमुहम्मद चेट्टी	(19 जनवरी, 1931)
7	अब्दुल मालिक चौधरी	(21 मार्च, 1934)
8	सलिम चन्द दल	(5 फरवरी, 1936)
9	सर मोहम्मद यामीन खा	(5 फरवरी, 1946)

सदन प्रथा पश्चात्

1	अनन्तगणेश अय्यर	(30 मई, 1952-8 मई, 1956)
2	सरदार हारम सिंह	(20 मई, 1956-31 मार्च, 1962)
3	इरगुनि राव	(23 अप्रैल, 1962-3 मार्च, 1967)
4	सार के साहित्यकार	(8 मार्च, 1967-1 नवम्बर, 1969)
5	श्री श्री श्रेय	(9 दिसम्बर, 1969-6 जनवरी, 1977)
6	गोड मुसाहरी	(1 अप्रैल, 1977-22 अगस्त, 1979)
7	श्री लक्ष्मणन	(2 फरवरी, 1980-31 दिसम्बर, 1984)
8	शास्त्री दुर्गे	(22 जनवरी, 1985-27 नवम्बर, 1989)

सभापति तालिका (Panel of Chairmen)

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए लगातार सात घंटों के लिए सदन की बैठक में उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो सकता है। क्योंकि वे तनिक आराम भी करना चाहेंगे, कभी अस्वस्थ हो सकते हैं, उन दोनों को सभा के बाहर भी कुछ काम हो सकते हैं, इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष समय-समय पर सभा के सदस्यों में से छह सदस्यों को सभापति तालिका (Panel of chairmen) के लिए मनोनीत करता है। इनमें से कोई एक सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करते समय अध्यक्ष सभा के विभिन्न दलों का ध्यान रखता है और यह भी ध्यान रखता है कि उसमें महिला सदस्य भी हो। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सभापति तालिका का कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित न हो तो सभापति के रूप में कार्य करने के लिए सदन द्वारा सदन का कोई अन्य सदस्य चुन लिया जाता है, और वह तब तक बैठक की अध्यक्षता करता है जब तक कि सभापति तालिका का कोई सदस्य या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पीठामौन होने के लिए सदन में नहीं आ जाता।

उपाध्यक्ष की तरह सभापति तालिका के सदस्य को भी सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि अध्यक्ष को प्राप्त है। सभापति द्वारा दिए गए विनियमों (Rulings) की आलोचना नहीं हो सकती, वे भी वैसे ही अन्तिम और बंधनकारी होते हैं जैसे कि अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनियम होते हैं। महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में अधिकृत विनियम के लिए, सभापति उन विषयों को अध्यक्ष के लिए रक्षित रखता है। पीठामौन सभापति के आचरण की निन्दा करना सदन की प्रवृत्तता सम्मती जाती है अतः उसे भी वही सम्मान दिया जाना चाहिए जो कि पीठामौन अधिकारी (Presiding Officer) को दिया जाता होता है।

चूँकि सभापति तालिका में मनोनीत (Nominated) सदस्य दोनों पक्षों—सत्तासूद दल (Ruling Party) और विपक्षी दलों में से नियुक्त होते हैं, अतः सभापति को सभा की सारी चर्चाओं में पूरी तरह में भाग लेने और विवादास्पद विषयों समेत सदन के समक्ष आने वाले सभी विषयों में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। वह अपने दल की बैठकों में भाग लेता है और सामान्यतः दल का सक्रिय सदस्य होता है। सभापति तालिका का सदस्य, सामान्यतः इस पद पर एक वर्ष तक रहता है किन्तु एक ही व्यक्ति को चार-बार मनोनीत किया जा सकता है। अध्यक्ष राजनीतिक दलों के परामर्श से सभापति तालिका के सदस्यों का चयन करता है।

महासचिव (Secretary General)

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद सदन का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी महासचिव होता है। सदन के संचालन (Conduct) में इसका बड़ा प्रहम योगदान

होता है। मस्य म उम मदन का प्रमुख सलाहकार रहा जा सकता है जो मसदीय कृत्या और वियाकवाओं मे और प्रतिया एव प्रथा सबधी मभी मामलों मे अध्यक्ष और सदस्यों को परामर्श देता है। मस्य तो प्रत्येक ग्राम चुनाव के बाद बदलते हैं किन्तु यह मदन का स्थाई अधिकारी होता है जो परिवर्तनशील विभिन्न सदनों और अध्यक्षा के बीच निरन्तर कड़ों का काम करता है। वह मसदीय प्रथाओं और परम्पराओं (Parliamentary customs & traditions) का रक्षक होता है। उससे यह प्राणा की जाती है कि वह प्रतिया सम्बन्धी नियमा, प्रथाओं और परम्पराओं तथा सचिवात्मक उपबन्धों का सर्वज्ञाता हो। यदि उसे मसदीय मामलों का सर्वज्ञाता कहा भी जाए तो इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव मे वह पहले के अनेक सदनों, पीठासीन अधिकारियों और स्वयं अपने पूर्वाधिकारियों के संचित ज्ञान (accumulated knowledge), विवेक एवं अनुभव का पुज होता है। उसका जीवन समदम्य होता है।

महासचिव के बहु-आयामी कृत्य है जिनमे विप्राइ, प्रशासनिक एवं कार्य-पालिका सबधी कृत्यों का निर्वहन और मसद्यों का सेवाएं और मुविधान उपलब्ध करना शामिल है। एन और यहीं वह धारक्षीयण मगठन (Watch of ward organisation) और मसद् सम्पदा (Parliament-Estate) के परिमर मे सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी है ता दूसरी ओर वह मसद् भवन, मसदीय सौध और मसद् की अन्य सम्पत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। मसदीय मयहालय और अभिलेखागार (Parliamentary museum & Archives) का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते वह मसद् की विमगन का रक्षक है और सब मसदीय अभिलेखों का परिमरक्षक/मसद् ग्रन्थालय शोध, मसदमं, प्रलेखन और मूचना सेवाएं भी उसी के अधीन कार्य करती हैं।

विधायी सेवाओं और मदन के सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होने के नाते, उसके प्रशासन और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए वह उत्तरदायी है। महासचिव यह सम्भव बनाता है कि मदन और उसकी समितियों का सचिवालय कार्य-विधि अनुसार, दक्षतापूर्वक एवं सुव्यवस्थित ढंग से हो। इसके लिए वह उन्हें सचिवालय महायुता और अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराता है और स्वयं मत्रणा देने के लिए उपलब्ध रहता है। ऐसे मे मसद्यों और समितियों के लिए उनकी भूमिका मिश्र, विचारक और मार्ग-दर्शक की होती है। सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होने के नाते मरचारी पक्ष के और विपक्ष के मसदस्य समान ढर मे परामर्श के लिए उसके पास आते हैं और वह बिना किसी भेद-भाव के वांछित ज्ञानकारी उपलब्ध कराता है। वह भी उसी प्रकार निष्पक्षता से अपने दायित्व विभाता है जिस प्रकार कि अध्यक्ष। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच एक मतुवन कायम रहता है और निष्पक्ष राय उपलब्ध करा कर मसद्यों का विश्वास अर्जित करता है। इस शोध

वदलती दुनिया में उगने अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी तरह से जागरूक और शीघ्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति हो। साथ ही में उसके लिए संसदीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्रों की पर्याप्त और नवीनतम जानकारी रखना और उसे उचित रूप में ध्यात्मसात करना भी अपेक्षित है। अतः स्पष्ट है कि महासचिव के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिभावान और संसदीय कार्यों में निपुण होना अनिवार्य है। उसके लिए एक ही समय में सविधानवेत्ता, लोक गभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों का ज्ञाता, मदन की प्रथाओं और परिपाटियों का जानकार होना होता है। उसे विभिन्न श्रेणियों के अनेक योग्य और विद्वान अधिकारियों की सहायता आवश्यक होती है। कार्य का आयोजन इस रीति से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इन्डर्स संसदीय जीवन के किसी विषय विशेष या पहलू विशेष सम्बन्धी कार्य कर और उमम प्रतिभा वाले कर्मचारी रसे जाये जो तकनीकी तौर पर योग्य हो और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन तत्परता और कुशलता के साथ करे। यह देखना महासचिव का कर्तव्य है कि समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए और संसदीय कार्य की कुशलता का एक उच्च स्तर सदा बना रहे। अतः सदन के सचिवालय के संगठन का रूप एवं स्वरूप तय करना महासचिव का पद धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण पर काफी निर्भर करता है।

महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उसे लोक सभा सचिवालय के उन वरिष्ठ अधिकारियों में से चुना जाता है जिन्होंने सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए संसद् की सेवा में सराहनीय कार्य किया हो। वह महासचिव के पद पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक कार्यरत रहता है। सदन में उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। वह केवल अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके लिए सेवा की सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता प्रदान करने की दृष्टि से और इस दृष्टि से पर्याप्त रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उत्साह, निष्पक्षता, निष्पक्षता तथा न्यायोचित ढंग से और सर्वोच्च जनहित में करे। लोक सभा सचिवालय पूर्णतः पृथक् और अध्यक्ष के सर्वोच्च नियंत्रणाधीन है ताकि संसद् को स्वतन्त्र परामर्श मिल सके और इसके निर्देशों को किसी बाहरी हस्तक्षेप या आंतरिक दबाव के बिना उचित कार्य रूप दिया जा सके।

नियमों में उल्लिखित संसदीय कर्तव्यों के प्रतिरिक्त महासचिव बहुत से अन्य काम प्रथा और परिपाटी के आधार पर करता है। वह राष्ट्रपति की आर से सदस्यों की मदन के अधिवेशन में उपस्थित होने का आमन्त्रण देता है। वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रस्तावित करता है। मदन की सम्बन्धित या उसके लिए भेजी गयी याचिकाएँ, दस्तावेज, तथा पत्र प्राप्त करता है। दीर्घाओं (Galleries) में, दर्शकों के प्रवेश के लिए प्रवेश-पत्र जारी करता है। अध्यक्ष की

घोर गमदस्या, सदियों तथा श्रमों के साथ पत्र-व्यवहार करता है। सदन घोर उमके गचिवालय के वित्त एव लेनाओं पर नियंत्रण रखता है। सदन की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सारास, सक्षिप्त विवरण तथा शब्दशः वृत्तान्त तैयार करवाता है और उन्हें छपवाता है। कार्य-सूचियों, बुनेटिन और मशोघनों की सूचनाएँ परिचालित करता है। सदन के विचाराधीन विभिन्न विषयों के संबंध में सदस्यों द्वारा वाञ्छित जानकारी उपलब्ध करवाता है। सदस्यों और अन्य लोगों के लिए उपयोगी बहुत सी पत्रिकाओं और अन्य समदीय प्रकाशनों (Parliamentary periodicals and publications) का सम्पादन करता है और उन्हें प्रकाशित करवाता है। समदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (Bureau of Parliamentary Studies and Training) का प्रमुख होने के नाते, वह नए सदस्य सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों के नए सदस्यों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, और अन्य प्रखिल भारतीय सेवाओं के परिचीथाधीन अधिकारियों के लिए भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और देश एव विदेशों से आए समदीय अधिकारियों के लिए समदीय संस्थाओं और प्रोक्त्याओं में अध्ययन पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठियाँ, प्रशिक्षक एव प्रबोधन कार्यक्रम (Training and refresher courses) इत्यादि आयोजित करता है।

भारतीय समदीय ग्रुप (Indian Parliamentary Group) के मांचव क नाते, वह राष्ट्र मण्डल समदीय सघ और अन्तर समदीय सघ का भारत शाखा की गतिविधियों का भी आयोजन करता है। वह समुदाय प्रतिनिधि मण्डलों (Parliamentary delegations) के साथ विदेशों में जाता है। जब राष्ट्रमण्डल अध्यक्षी (Commonwealth Speakers) का देश में सम्मेलन (Conference) होता है तो लोक सभा का महासचिव उस सम्मेलन का यदन महा सचिव होता है। वह भारत में विद्यार्थी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (Presiding Officer Conference) के लिए भारत से विभिन्न विधान मण्डलों और समदीय समितियों के सभापतियों के सम्मेलनों का नए सचिबीय कर्तव्यों के विवरण तैयार करने और सम्मेलनों के आयोजन के लिए उत्तरदायी होता है। समदीय कार्यों से भिन्न क्रिया-कलापों तथा विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सदस्यों के समक्ष भाषण, स्वागत समारोह, समदीय सद्भावना मिशन (Parliamentary goodwill mission) विदेशों में भेजने या विदेशों से भारत आने वाले ऐसे मिशनों का स्वागत करना इत्यादि के लिए भी उत्तरदायी होता है।

महामन्त्रि के उपरोक्तिलिखित विम्बुत कर्तव्यों एव दायित्वों के प्रतिरिक्त बहुत से अन्य कृत्य भी हैं जिनको वह अध्यक्ष की ओर से और उसके नाम में करता है। वह अध्यक्ष की शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के सम्पादन क विषय में अध्यक्ष का सलाहकार है और अध्यक्ष के माध्यम से वह सभा को भी सलाह देता है। उदाहरणार्थ, प्रश्नों, प्रस्तावों आदि की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की अनुमति देन

या अनुमति न देने के मामले में अध्यक्ष की जिन शक्तियों का प्रयोग महासचिव करता है, वे प्रत्यायोजित शक्तियाँ नहीं हैं। वास्तव में अध्यक्ष की ये शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं जा सकतीं; ये शक्तियाँ केवल अध्यक्ष में निहित हैं और वह इनका प्रयोग कर सकता है। अतः महासचिव द्वारा दिए गए आदेश अध्यक्ष के नाम में दिए गए आदेश हैं और अध्यक्ष उन आदेशों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन दोनों में परस्पर एक अद्वैत विश्वास का सम्बन्ध है जो अलिखित है और अवर्णनीय है।

राज्य सभा का सभापति

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति (ex-officio chairmen) होता है वह राज्य सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या जब वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा में सभापति पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ससद् के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) पद्धति के अनुसार एकल संप्रतलीय मत (Single transferable vote) द्वारा किया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति ससद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। वह अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या अपना पद त्याग करने तक या राज्य सभा के ऐसे सकल्प द्वारा अपने पद से हटाय जाने तक जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पास किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो गई हो, पद धारण करता है।²⁶

राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) के रूप में और राज्य सभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में उसके कृत्य और कर्तव्य लगभग वही हैं जो लोक सभा के अध्यक्ष के हैं।²⁶

उप सभापति

राज्य सभा का उप सभापति (Deputy chairmen), सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। वह राज्य सभा का सदस्य बने रहने तक या अपना पद त्याग करने तक या राज्य सभा में ऐसे सकल्प द्वारा अपने पद से हटाय जाने तक जिसे राज्य सभा के सदस्यों के बहुमत ने पास किया हो, पद धारण करता है।

राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) के रूप में उप-सभापति सभी प्रकार में उन्हीं कर्तव्यों, कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करता है जैसे कि लोक सभा का उप-अध्यक्ष करता है।²⁷

सभापति तालिका और महामन्त्र

सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सचिवों के दौरे में सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राज्य सभा का सभापति सभा के सदस्यों में से सदस्यों की एक तालिका (Panel) बनाता है। तालिका में से एक सदस्य सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्य सभा की बैठक का अध्यक्षता करता है। तालिका के सदस्यों को वार्ड्स चेंबरमेंट कहा जाता है। राज्य सभा का वार्ड्स चेंबरमेंट और महामन्त्र राज्य सभा के सम्बन्ध में तबतब उन्हीं कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करते हैं जिनका पालन लोक सभा के सदस्य सभापति तालिका के सदस्य और महामन्त्र करते हैं।

संदर्भ

1. अनु. 64, 89, और 94 नियम 9
2. अनु. 94, 96, 100 (1) और 111 (3) (ख)
3. श्री एन. मन्नीय रेड्डी जी अपने अध्यक्ष हुए हैं (1967-69 के दौरान) जिन्होंने अपने शब्द में पद स्थापित किया था।
4. हम विषय पर चर्चा के लिए देखिए मुद्राण संशोधन, अध्यक्ष की भूमिका, लोकसभा समीक्षा, जुलाई, सितम्बर, 1969 (अंक 3) सांविधानिक तथा समक्षीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
5. नियम 389
6. नियम 378
7. नियम 350
8. नियम 353, 356 और 380
9. नियम 222 और 225
10. नियम 23, 246 और 247, अनु. 80 (2)
11. नियम 258 और 283
12. नियम 287, 330 और परिशिष्ट 2
13. अनु. 110, नियम 96 (2)
14. अनु. 108 और 118 (4) देखिए मद्रास के सदन (संयुक्त बैठकें तथा पत्राचार) नियम
15. नियम 386
16. अनु. 101 (3)

- 17 नियम 229-232
- 18 अनु 98 और निर्देश 124 और 124 क
- 19 1947 तक अध्यक्ष को प्रेजिडेंट कहा जाता था ।
- 20 पाचवी विधान सभा की कार्यविधि 1935 से 4-2-1945 तक थी ।
- 21 छठी केन्द्रीय विधान सभा 14 अगस्त, 1947 के पश्चात् अस्तित्व में नहीं रही और भारतीय संविधान सभा को, जो 9-12-1946 से कार्यरत थी, देश के विधान मण्डल के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया ।
- 22 अस्थायी सगद 17-4-1952 को अस्तित्व में नहीं रही । राष्ट्रपति ने श्री मावलकर को ऐसे समय तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जब तक कि प्रथम लोक सभा का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित चुन लिया नहीं जाता ।
- 23 अनु 93-95, नियम 10
- 24 सभा की कार्यविधि युद्ध आदि के कारण चुं कि समय-समय पर 1945 तक बढ़ाई जाती रही अतः श्री दत्त लगभग दस वर्षों तक पद पर बने रहे ।
- 25 नियम 9 और 10
- 26 अनु 64, 66, 67 और 89
- 27 अनु 89-91

प्रश्न प्रक्रिया

प्रश्नों के प्रकार, ग्राह्यता के नियम, आधे घंटे की चर्चा और "शून्य" काल

संसद को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रजासत्ताक पर निगरानी रखना है। इस दायित्व को निभा देने के लिए संसदीय प्रश्न एक महत्वपूर्ण माध्यम है। संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली वान प्रत्येक देश में इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर काल के माध्यम से देश का प्रत्येक नागरिक संसद के साथ जुड़ता है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद के दरवाजे पर जाकर अपनी गुहार करना है, अपनी शिकायतें रखना है। इस प्रकार सरकार अपनी प्रत्येक गूँज-गूँक के लिए संसद के प्रति घोर संसद के द्वारा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदों को सम्बन्धित मन्त्रियों के विशेष विचारधारा में प्राप्त वान सार्वजनिक महत्त्व के मामलों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु प्रश्न पूछने का अधिकार है। घन प्रशासन में जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य का अन्तर्निहित एवं निर्वाह संसदीय अधिकार है। अपने इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए सदस्य सरकार के प्रत्येक क्रिया कलाप (Activity) पर अपनी नजर रखता है और किसी भी ऐसे अवसर से नहीं चूकता जो जनहित को प्रभावित करने वाला हो। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य जनहित के किसी मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करना और तत्सम्बन्धी तथ्य जानना है। इसमें प्रश्नों का अभाव देखा नहीं जाता है। इनकी परिधि में सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन (Implementation of National & International Policies) धन-नवधेयक (Money Bill), कटौती प्रस्ताव (Cut-motions), यहाँ तक कि प्रशासन के लगभग सभी पहलुओं की छानबीन पा जाती है।

प्रश्नों के उत्तर केवल सदन में दिये जाते हैं। दोनों सदन में प्रत्येक बैठक के पहले घण्टे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर प्राप्त किये जाते हैं।

उसे "प्रश्न काल" (Question hour) कहा जाता है। इस काल के दौरान सदन सदस्य सर्वसाधारण महत्त्व के विषयों के बारे में प्रश्न पूछते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। वही किसी स्थान पर किसी सरकारी अधिकारी ने जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, सरकारी आदेशों या नीतियों का पालन नहीं किया, भ्रष्टाचार किया या जन जीवन को किसी प्रकार की गति पहुँचाई तो वह प्रश्न के रूप में मन्त्री के सामने आ जाता है और मन्त्री का उत्तर देना पड़ता है। उस सम्बन्ध में जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए तैयार होना पड़ता है। इस प्रकार अधिकारी भी सचेत हो जाते हैं। अतः प्रश्नों द्वारा संपूर्ण प्रशासन में क्रियात्मक संचार होता है। विभागों की वृद्धि मन्त्रियों की जानकारी में आती है और अधिकारी उनका निराकरण करके अपने कार्यक्रम में सुधार करते हैं।

सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से मोठे कही हुई बात का प्रभाव पड़ता है। वह समाचार पत्रों में छपती है और उसका व्यापक प्रसार होता है। अतः प्रश्न काल सदन की कार्यवाहियों का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें क्या जनता-जनार्दन, क्या पत्रकार और क्या स्वयं सदस्य, सभी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रश्नकाल एक ऐसा अवसर है जिसमें सदन सदस्य को अपनी कुशलता, अपनी जागरूकता और अपनी प्रतिभा एवं विषय की पकड़ को प्रदर्शित करने का घोर हाजिर-जवाबी का मौका मिलता है। विचारणीय विषय की गम्भीरता से कभी-कभी सदन में तनाव और कटु तर्क-वितर्क उत्पन्न हो जाता है और कई सदस्य अपनी विनोद-प्रियताओं से तनावपूर्ण वातावरण में हँसी पंदा कर देते हैं जिससे वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है और इससे प्रश्नकाल में जान पड़ जाती है। प्रश्न काल का महत्त्व इससे भी पता चलता है कि सदन में न केवल सदस्य बड़ी सहायता में उपस्थित होते हैं बल्कि दर्शक एवं प्रेस दीर्घाएँ भी संचालन भरी होती हैं।

प्रश्नों के प्रकार

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। (एक) तारांकित (Starred) प्रश्न, (दो) अतारांकित प्रश्न (Un-starred), और (तीन) अल्प-सूचना प्रश्न (Short-Notice Question)। सामान्यतः प्रश्न मन्त्रियों अर्थात् सरकारी सदस्यों में पूछे जाते हैं। कभी-कभी इनको गैर-सरकारी सदस्यों से पूछा जा सकता है बशर्ते कि इनका विषय किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या अन्य किसी विषय से सम्बन्धित हो, जिसके लिए वे सदस्य जिम्मेदार हों।

तारांकित प्रश्न (Starred Question)

सदन में सदस्य जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर (Oral Answer) चाहता है वह तारांकित प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के पश्चात् सदस्यों द्वारा तत्सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्न (Supplementary-question) भी पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न का सङ्केत है कि सदस्य उस पर ताराक लगाकर उसको विशेषांकित करता

है। इस प्रकार विभेद न किये जाने से वह निश्चित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में रखा दिया जाता है।²

अज्ञातराशित प्रश्न (Un-Starred Questions)

सदस्य जिन प्रश्नों का निश्चित उत्तर चाहते हैं, वे अज्ञातराशित प्रश्न कहलाते हैं। इनको तगरे का चिन्ह लगाकर विशेषांकित नहीं किया जाता। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता और न ही इस पर कोई प्रतुपूर्वक पत्र पड़े जाते हैं।³

शल्प सूचना प्रश्न (Short-Notice Question)

जिना पूर्ण सूचना के सदन में प्रश्न पूछे जाने पर मन्त्रिपरिषद् के सदस्य सतोपजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे और इस प्रकार प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही निरफल हो जाता है। विभिन्न स्तरों से सदन जानकारों तकवित करने और सदन में मन्त्री द्वारा दिये जाने के लिए सुस्पष्ट उत्तर तैयार करने के लिए सम्बद्ध विभाग को कुछ समय की प्रावश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया को सुवधाजनक बनाने के लिए दोनों सदनों में कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया नियमों में उपबन्ध किया गया है कि कोई सदस्य प्रश्न की सूचना सम्बद्ध सदन के महासचिव को दे सकता है। जिन नियमों प्रश्न का उत्तर माया जाए उस नियम से ऐसी सूचना कम से कम दस दिन पूर्व और अधिक से अधिक इककीस दिन पूर्व दी जानी चाहिये।⁴

पल्प सूचना प्रश्न किसी अविश्वसनीय लोक महत्व के विषय (Matter of Urgent Public Interest) में संबंधित होता है और इसके सामान्य प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित दस दिन की अवधि में इसकी सूचना देकर पूछा जा सकता है।⁵ सदस्य को प्रश्न सूचना पर प्रश्न पूछने के कारण संशय में बताने पड़ते हैं।

प्रधक्ष द्वारा प्रश्न की अविश्वसनीयता (Urgency) स्वीकार कर लिये जाने पर सम्बद्ध मन्त्री में पूछा जाता है कि क्या वह शल्प सूचना पर उम प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि हाँ तो किम नियमों ?

यदि मन्त्री शल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत नहीं होता और प्रधक्ष सभापति की दृष्ट राय हो कि प्रश्न इतने लोक-महत्व (Public Importance) का है कि सदन में उमका मौखिक उत्तर (Oral Answer) दिया जाना चाहिए तो वह निर्देश दे सकता है कि प्रश्न उम दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा दिया जाए जिन दिन वह प्रश्न कम से कम पूरे दस दिन की शर्त पूरी करने पर रखा जा सकता है। किमी एक दिन की प्रश्न-सूची में गेया केवल एक ही प्रश्न रगा जाता है।

प्रश्न कैसे गृहीत किये जाते हैं

प्रश्न जानकारी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जनता जन-दंत-समाचार-पत्र और सदस्य गहरी दिलचस्पी लेते हैं और इनके माध्यम से उप-

सम्य जानकारी का व्यापक प्रसार होता है अतः यह स्वाभाविक ही है कि इनकी ग्राह्यता में पूर्व उनकी पूरी छानबीन की जाये। ऐसा भी हो सकता है कि किसी गलत जानकारी के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जायें जिनमें गलत निष्कर्ष निकाले गये हों, परिणामस्वरूप सरकार को या किसी व्यक्ति को, उसकी सरकारी या निजी हैमियत से, अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में बचने के लिए दोनों मदनों के नियमों में बृद्ध शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके अन्तर्गत प्रश्न गृहीत किये जाते हैं।¹⁶ ऐसे आरोप/प्रश्न, जिनके कथन की शुद्धता की जांच न की गई हो और जो किसी वर्ग या मस्य के बारे में न होकर किसी व्यक्ति के बारे में हो तो सामान्यतया गृहीत नहीं किये जाते हैं क्योंकि एक बार विशेष रूप से कोई आरोप लगा दिया जाय तो वह प्रमाणित हुआ या कि नहीं, उसका ऐसा प्रभाव होता है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा विशेष रूप में तब होता है जब कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं, उनको मदत के समक्ष आकर अपनी स्थिति पर प्रकाश डालने का कोई अवसर नहीं मिलता। ऐसे प्रश्नों को गृहीत करने से पूर्व तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को भेजा जा सकता है और प्रश्न में लगाये गये आरोप के समर्थन में सक्षम तथ्यात्मक सामग्री भी मांगी जा सकती है।

जिन मामलों में जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है अथवा जो राज्य के क्षेत्र में आते हैं गृहीत नहीं किये जाते। ऐसे प्रश्न जिनका विषय किसी न्यायालय के समक्ष अथवा विधि के अधीन बनाये गये किसी अन्य न्यायाधिकरण या निकाय के समक्ष विवादाधीन हो या किसी मसदीय समिति के विवादाधीन हो, गृहीत नहीं किये जाते हैं। जिन देशों के साथ भारत के मैत्री संबंध हैं, उनके बारे में अशिष्ट-तापूर्ण उल्लेख करने वाले प्रश्न गृहीत नहीं किये जाते। परन्तु यदि कोई प्रश्न उच्च पद वाले किसी व्यक्ति के बारे में हो या उसके द्वारा मिद्वान्त या नीति का कोई महत्वपूर्ण मामला जनहित में उठाया गया हो तो उसे गृहीत किया जा सकता है। राज्यों से संबंधित ऐसे मामलों पर प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते जिनके लिए भारत सरकार जिम्मेदार न हो। ऐसे प्रश्न, जिनमें तर्क, अनुमान अथवा मानहानि का एक कथन हो या किसी व्यक्ति के सामर्थ्य या सार्वजनिक हैमियत को छोटकर अथवा चरित्र अथवा आचरण का उल्लेख हो, स्वीकार नहीं किये जाते और ऐसे प्रश्न ही गृहीत नहीं किये जाते जिनमें जानकारी मांगने की बजाए जानकारी दी गयी हो।

वास्तव में प्रश्नों को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना नियमाधीन अध्येक्ष के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) पर निर्भर करता है। अध्येक्ष चाहे तो कोई कारण बताए बिना किसी प्रश्न को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार (reject) कर सकता है और उसकी शक्ति के इस प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

निगमानुसार प्रश्नों का वर्गीकरण नागरिक या अनागरिक रूप में किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को अनागरिक श्रेणी में रखा जाता है जिनमें जानकारी मांगने में मांगी

गयीं हों या जो म्यादीय रवि के मामला में संबन्धित हों या जा दिन-द्विदिन के प्रशासन में संबन्धित हों। इनमें भिन्न, तारांकित प्रश्नों की श्रेणी में वे प्रश्न आते हैं जिनका विषय लोक सभत्व का हो और जिन पर अनुसूचक प्रश्न पूछ जाने की सम्भावना हो। किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर के लिए रसे या निम्नित उत्तर के लिए, पक्ष बाध सम्बन्ध के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है।¹⁷

प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों और इनमें सुम्धारित नगदीय प्रश्नों के अनुगत वार्ड जाने वाली प्रश्नों की सूचनाएँ हों, निम्न दिन की प्रश्न सूची में, क्या-क्या, मौखिक या निम्नित उत्तर के लिए रखा जाता है।¹⁸ कोई भी सदस्य किसी दिन विशेष के लिए जिनके प्रश्नों की सूचनाएँ (Notices) दता जाते हैं, परन्तु किसी एक दिन के लिए उनके तारांकित तथा अनतारांकित प्रश्नों का मित्राकर प्रश्न सूचियों (Questions lists) में उसके नाम में रसे जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या पाच में अधिक नहीं हो सकती। इसके अनिश्चित एक दिन में एक ही सदस्य के राज्य सभा में अष्टिक में अष्टिक तीन तारांकित प्रश्न और लोक सभा में अष्टिक में अष्टिक एक तारांकित प्रश्न उद्दीन किया जा सकता है। किसी एक दिन की तारांकित प्रश्न सूची में अष्टिक में अष्टिक कुल 20 प्रश्न होते हैं।¹⁹ लोक सभा में किसी एक दिन की अनतारांकित प्रश्न सूची में अष्टिक में अष्टिक 230 प्रश्न होते हैं। राज्य सभा में कोई सीमा नहीं है परन्तु सामान्यतया किसी एक दिन की अनतारांकित प्रश्न सूची में 200 से कम प्रश्न होते हैं।

लोक सभा के मत की बैठकों की निर्दिष्ट निर्धारित दिने जाने के सुभल बाद, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देने हेतु उपलब्ध दिनों का आबंटन किया जाता है। इस आबंटन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की वरिष्ठ वर्गी अर्थात् ए.बी.सी.टी और ई में बाटा गया है और एक मन्त्रालय के अंदर अन्तर मन्त्रालय मन्त्रालय बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रालयों के उन वर्गों के लिए दिन निर्धारित किये गये हैं। मंत्रालयों विभागों का वर्गों में विभाजन इस ढंग में किया जाता है कि एक दिन ही मंत्रालय विभाग का लोक सभा और राज्य सभा में एक ही दिन निर्दिष्ट न हो ताकि सत्रियों को मौखिक उत्तर देने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित दिने में कम से कम पाच दिन पहले अन्तिम रूप में उद्दीन प्रश्नों की सूची मंत्रालयों को भेज दी जाती है ताकि उनके उत्तर तैयार करने के लिए मंत्रालयों को पर्याप्त समय मिल सके।²⁰

प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं

मौखिक उत्तर के लिए सुद्दीन प्रश्न अद्यतन या सभासदि द्वारा, क्या-क्या, उर्मा क्रम में पूछने जाते हैं जिस में कि वे प्रश्न सूची में रसे गये हों। अद्यतन/सभा-पति बारी-बारी से प्रत्येक वर्ग सदस्य को पुरारता है जिसके नाम में कोई प्रश्न

मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में हो। जिस सदस्य को इस प्रकार पुकारा गया हो वह अपने स्थान पर उठता है और प्रश्न सूची में दी गई मर्यादा पढ़कर न कि प्रश्न का पाठ पढ़कर, प्रश्न पूछता है।¹¹ तत्पश्चात् सभी प्रश्न का उत्तर देता है।

प्रश्न काल के दौरान किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति नहीं होती। परन्तु सदस्य मौखिक प्रश्न के दिये गये उत्तर संबंधी किसी तथ्य के अग्रतर स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए अनुपूरक प्रश्न (Supplementary Question) पूछ सकता है।¹² जिस सदस्य के नाम से तारांकित प्रश्न दर्ज होता है वह दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। तत्पश्चात्, पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कह सकता है और सामान्यतया वह एक अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्य को और दूसरा प्रश्न पूछने के लिए विपक्ष के सदस्य को पुकारता है। इस पर प्रश्न के महत्त्व का देखते हुए समुचित गरया में अनुपूरक प्रश्नों का पूछने की अनुमति देकर और मदन के नव पक्षों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देकर पीठासीन अधिकारी इस अनूठे ममदीय उपाय की कुशलता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रश्न काल ५ सीमित समय में, उसका यह प्रयास रहता है कि यथामध्य अधिक में अधिक् प्रश्न पूछे जा सकें। प्रश्न काल में अधिक से अधिक मौखिक प्रश्नों के उत्तर दिलाने के लिए अध्यक्ष का यह प्रयास रहता है कि किसी तारांकित प्रश्न पर सामान्यतया आठ मिनट में अधिक समय न लिया जाए। जबकि यदि ६० मिनटों में २० प्रश्न लिए जाने हों तो एक प्रश्न पर औसतन तीन मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। यदि अध्यक्ष/सभापति यह महसूस करता है कि मामले पर पर्याप्त रूप में बात हो चुकी है तो वह उस सदस्य का नाम पुकारता है जिसके नाम में सूची में अन्तम प्रश्न दर्ज हों। यह मिनटिमिना १२ बजे दोपहर तक चलता रहता है।

गैर-सरकारी सदस्यों (Private members) से पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न का विषय, यदि किसी ऐसे विधेयक, सकार्य ग्रथवा सभा के कार्य में अन्य विषय से संबंधित हो, जिसके लिये कोई गैर-सरकारी सदस्य उत्तरदायी रहा हो तो प्रश्न किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य से भी पूछा जा सकता है।¹³ ऐसे प्रश्न लोक सभा में शायद ही कभी पूछे जाते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अनुपूर्वक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। कोई धल्प-सूचना प्रश्न भी किसी गैर-सरकारी सदस्य से नहीं पूछा जा सकता।

आधे घण्टे की चर्चा (Half-an-hour-Question)

सदस्य, प्रश्नों के प्रश्न पूछ कर लोक महत्व के किसी विषय पर सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। वे किसी ऐसे विषय पर लोक सभा में आधे घण्टे की चर्चा उठाने की पूर्व सूचना दे सकते हैं, जिस पर कि हाल ही में किसी प्रश्न का मौखिक या लिखित उत्तर दिया गया हो और जिसमें किसी तथ्य के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। लोक सभा में आधे घण्टे की चर्चा सामान्यतः सप्ताह में तीन दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है और किसी बैठक के अन्तिम आधे घण्टे में की जा सकती है। राज्य सभा में ऐसी चर्चा सभापति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किसी दिन सामान्यतया 5 बजे म.प. में 5.30 तक की जा सकती है।¹⁴

जो सदस्य आधे घण्टे की चर्चा उठाना चाहता हो उसे उन दिन में, जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता है, तीन दिन पहले, लिखित रूप में सूचना देनी होती है। इसी प्रकार की सूचना के साथ सदस्य को उन विषयों का भी विवेक से उल्लेख करना चाहिए जिनके बारे में वह और अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है। किसी दिन की बैठक के लिए आधे घण्टे की चर्चा की केवल एक सूचना रनी जाती है। इसके प्रतिरिक्त, लोक सभा में एक सप्ताह में किसी एक सदस्य के नाम में केवल एक चर्चा रनी जाती है और कोई सदस्य एक ही अधिवेशन (Session) में दो से अधिक चर्चाएँ नहीं उठा सकता। प्रत्येक मामले में अध्यक्ष/सभापति यह फैसला करता है कि क्या चर्चा के लिए रखा जाने वाला विषय लोक महत्व का है या नहीं, और क्या किसी तथ्यात्मक पहलू के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

चर्चा प्रारम्भ करने की प्रक्रिया (Procedure) यह है कि जिस सदस्य ने चर्चा की पूर्व सूचना दी हो उससे द्वारा अपनी बात कहे जाने के पश्चात् अधिक से अधिक चार अन्य सदस्य, जिन्होंने इस मास्य की पूर्व सूचना दी हो, किसी तथ्यात्मक बात के अग्रतर स्पष्टीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तत्पश्चात्, अन्त में, संबंधित मंत्री चर्चा का उत्तर देता है।

प्रश्न-काल का मूल्यांकन

प्रश्नों का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना होता है और इनके व्यापक क्षेत्र में भारत के किसी भी भाग में व्याप्त किसी भी विषय पर चर्चा शामिल की जा सकती है। बहुत से प्रश्नों का विज्ञापण करने पर पता चलता है कि प्रश्नकर्ता मदन्य को मवधित मंत्री महोदय से प्रश्नाधीन विषय के बारे में अधिक जानकारी है जिसमें प्रतीत होता है कि प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त किये जाने की अपेक्षा जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार के प्रश्न राजनीति से प्रेरित होते हैं जिनका उद्देश्य प्रशासन को परेशानी में डालना अथवा उस पर दबाव डालकर किसी काम को करने के बारे में बचनबद्ध करना अथवा सरकार की कमियों पर से पर्दा उठाना हो सकता है।

प्रश्न-काल एक और जहा सदस्यों को नागरिकों की बहुत सी शिकायतों को सरकार के सम्मुख शक्तिशाली ढंग में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है वही दूसरी ओर इन प्रश्नों के द्वारा सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों, इसकी नीतियों और विभिन्न मामलों पर उसके दृष्टिकोण और प्रशासन के कार्यकरण के ढंग में लॉग अवगत होते हैं। प्रश्नों से दो प्रकार की भूमिका अदा होती है। इन में प्रशासन को पता चलता है कि उनके कार्यकरण में क्या झुटिया हैं। उन पर इनमें रोक लगनी है और साथ ही में मंत्रियों को जोकि राजनीतिक नेता होने के कारण कार्यपात्रिका से मवाधित दायित्वों के साथ अन्य व्यस्तताएँ भी निबाहते हैं, प्रश्नों के माध्यम में यह जानने में सहायता मिलती है कि उनके नियंत्वाधीन विभागों में क्या हो रहा है, क्या कमियाँ हैं, उनके द्वारा कार्यान्वित नीतियों का जनता पर क्या प्रभाव पड रहा है। इस प्रकार प्रश्न काल जनता की शिकायतों को उठाने और सरकारी की झुटियों को उजागर करने का एक मशक्त माध्यम है।

प्रथम लोक सभा में मातवी लोक सभा के प्रश्नों संबंधी घाकटों का विज्ञापण करने में पता चलता है कि संसदीय प्रक्रिया की अन्य विधाओं की तुलना में प्रश्नोत्तर काल मदन्यों में अधिक प्रिय हुआ है और उत्तरोत्तर इसके प्रयोग में वृद्धि हुई है। नाँचे मारणी में प्रत्येक लोक सभा में गृहीत किए गए प्रश्नों, जिनके कि उत्तर दिए गए, दर्शाए गए हैं जिनसे इनके प्रयोग में उत्तरोत्तर हुई वृद्धि का पता चलता है।

मारणी (Table)

प्रवधि	मव अंशियों के गृहीत प्रश्नों की मख्या
प्रथम लोक सभा (1952-57)	43, 725
दूसरी लोक सभा (1957-62)	24, 631
तीसरी लोक सभा (1962-66)	56, 355

चौथी लोक सभा (1967-70)	91, 538
पाँचवी लोक सभा (1970-76)	98, 606
छठी लोक सभा (1977-79)	50 144 (दो वर्षों के बीच)
सातवी लोक सभा (1980-84)	1, 02, 927
आठवी लोक सभा (1985-89)	98, 390.

प्रथम लोक सभा में गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या ३३,७२५ थी जो आठवी लोक सभा में बढ़कर ९८, ३९० हो गई। यह भी देखा गया है कि अधिकांश प्रश्नों के दौरान भारी मात्रा में प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त होती हैं उनमें से केवल ५० से ७० प्रतिशत प्रश्न ही गृहीत किए जाते हैं परन्तु गिनतियों में शामिल किए जाने वाले तारांकित और तारांकित प्रश्नों की निर्धारित सीमा के कारण बजट अधिवेशन में केवल ३३ प्रतिशत और मानसून तथा शरदवासीन अधिवेशनों में ३० से ४५ प्रतिशत प्रश्न वास्तव में सूचियों में सम्मिलित हो पाते हैं। प्रति बैठक प्राप्त होने वाली प्रश्नों की सूचनाओं की औसत संख्या लगभग ६०० बैठकों है।

श्री वी. वेंकटेश्वर (१९९१), मूद्रा सचिव (१९९७), भारतीय लाइसेंस काण्ड (१९९४) और हाल ही का इत्यादि के मौकों की जान का माधव और वनस्पति श्री में नाम की जर्नी विमानों का माधव का उदाहरण है जो प्रश्नों के माध्यम से उठाए गये और जिनके प्रश्नों में आते पर बाध्य होकर सरकार को जवाब देनी पड़े। इसमें प्रश्न का ही उपयोगिता सिद्ध होती है और यही चिन्ता है कि सार्वजनिक प्रक्रिया में यह कितना महत्वपूर्ण है।

शून्य बाल (जीरो घावर) (Zero hour)

"शून्य बाल" अर्थात् "जीरो घावर" की शुरुआत १९६० और १९७० की दशक की है। उक्त दशक की प्रारम्भिक काल में किसी समय समाचारों में बिना पूर्व सूचना के अतिरिक्तनीय लोक महत्व के विषय को उठाने की प्रथा का नामकरण "शून्य बाल" किया गया। वेग दिवसों में "शून्य बाल" का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मद्रास के दोनो सदस्यों में प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय "शून्य बाल" अर्थात् "जीरो घावर" के नाम से जाना जाता है। क्योंकि प्रश्न काल की समाप्ति १२ बजे होती है और १२ बजे दोपहर का समय न तो मद्रास पूर्व का समय होता है और न ही मद्रास पश्चात् का घण्टा "शून्य बाल" हुआ। प्रायः शून्य बाल घण्टे तक, अर्थात् १२ बजे से १ बजे मद्रास पश्चात् सदस्यों के मद्रास भोजन के लिए स्थगित होने का चलता था। इस कारण इसे "घावर" भी कहा गया परन्तु आजकल यह मामूली अथवा अधिक से अधिक ५ से १५ मिनट तक चलता है। "शून्य बाल" में चूंकि बिना पूर्व सूचना के अतिरिक्तनीय महत्व का कोई भी मामला उठाया जा सकता है। घट सरकार को इसकी कोई जागरूकी नहीं होती कि अब किस तरह का आह्वान होगा। प्रश्न काल के तत्काल बाद सदस्यों को उठाने के लिए घण्टे हो जाते हैं जो उनकी राय

में अविलम्बनीय महत्त्व के हैं और जिनके बारे में कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। इससे एक ओर सदस्यों की जागरूकता प्रदर्शित होती है और दूसरी ओर सरकार परिस्थिति से निपटने की तत्परता दिखाती है। चूँकि इस प्रकार के मामले उठाने के बारे में नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है। अतः "शून्य काल" नियमों के प्रतिबन्ध तोड़ कर बना प्रतीत होता है। सदस्यों ने राष्ट्रीय महत्त्व के मामले अथवा लोगों की गम्भीर शिकायतों संबंधी मामले सदन में उठाने के लिए नियमों को बाधक माना है और उनकी कोई उपादेयता नहीं समझी है। दूसरी ओर हम "शून्य काल" को संसदीय कार्यवाही में उत्पन्न तनाव को शोधित करने का साधन भी कह सकते हैं। जहाँ अनेक उत्तेजित सदस्य अपनी भटास निकालने के लिए एक साथ बोलते हैं और इस प्रकार शोधित हो जाने के पश्चात् शान्त हो जाते हैं।

किन्तु नियमों की दृष्टि से "शून्य काल" एक अनियमितता (*irregularity*) है। इसके सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। सदन के विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य पिछड़ जाते हैं। अतः न तो अध्यक्ष और न ही सदन नियमित कार्य में ऐसी बाधा को प्रोत्साहन देते हैं।

संदर्भ

1. नियम 32
2. नियम 36
3. नियम 39
4. नियम 33-34
5. नियम 54
6. नियम 41
7. नियम 44
8. नियम 45 मौखिक उत्तर (तारांकित प्रश्न) के लिए प्रश्नों की सूची हरे कागज पर मुद्रित होती है और लिखित उत्तर (अतारांकित प्रश्न) के लिए प्रश्नों की सूची सफेद कागज पर।
9. नियम 37 (1)
10. नियम 35
11. नियम 48
12. नियम 46 और 50
13. नियम 40
14. नियम 55 (1)

विधायी प्रक्रिया

साधारण विधि और सांविधिक संशोधन

विधि निर्माण सभ्यता का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वोच्च सभ्यता द्वारा पारित और राजाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत विधेयक (Bill) कानून अथवा अधिनियम (Act) बनता है। इसके अन्तर्गत इस बात की व्याख्या की गई होती है कि कौन सा काम किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है और किस प्रकार किया जा सकता है। विधि शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यथा 'ऐसे अधिनियम में दिया गया प्रादेशात्मक निर्देश जिस पर कि विधेयक (Bill) के रूप में विधिवत् वाद-विवाद हुआ है, जिसे विधिवत् गठित विधानमण्डल ने विधिवत् तरीके से पास किया हो, जिसकी मंजूरी राज्य के अध्यक्ष ने दी हो जो प्रत्येक नागरिक पर बाध्यकारी हो और जिसे लागू करना न्यायालयों के लिए आवश्यक हो। नू कि सभ्यता लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित सभ्यता है अतः वह एम्मे विधान (Legislation) बनानी है जिनमें लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताएँ प्रतिबिम्बित (Reflect) होती हैं तथा जिनसे उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति होती है।

व्यावहारिक तौर पर यह कार्यपालिका (Executive) अथवा मन्त्री-परिषद् (Council of Ministers) का दायित्व होता है कि वह विधि निर्माण के किसी विषय के संबंध में प्रस्ताव (Motion) लाये। सभ्यता में उस प्रस्ताव पर चर्चा एवं वाद-विवाद होता है तथा उसे पारित किया जाता है। पहले कार्यपालिका द्वारा की जाती है परन्तु उसकी परत, उसको तरासना और स्वरूप देना सभ्यता का कार्य होता है। इस प्रकार विधि का निर्माण करना अब भी सभ्यता का मुख्य कार्य है। सभ्यता द्वारा यह कार्य अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।

विधान सभ्यता सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में सभ्यता में पेश किए जाते हैं। विधेयक स अधिनियम है किसी विषय विशेष की रूपरेखा जिसके सम्बन्ध में सरकार कानून बनाना चाहती है। विधेयक को सभ्यता के किसी भी सदन में किसी मन्त्री द्वारा

अथवा किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुर.स्थापित (Introduced) किया जा सकता है । विधेयको को दो श्रेणियों में वर्गीकृत (Classified) किया जा सकता है —

(1) सरकारी विधेयक (Government Bill)

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (Private members bill)

वस्तुतः स्थिति यह है कि अधिकांश विधेयक सरकार द्वारा ही पुर.स्थापित किए जाते हैं । किन्तु गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किए विधेयक यद्यपि विधि का बहुत कम रूप लेते हैं किन्तु इनमें सरकार को एक दिशा-निर्देश मिलता है कि विद्यमान विधि में कहा-कहा संशोधन बरकरार है अथवा वे कौन से विशेष विषय हैं जिनके सम्बन्ध में विधान बनाना अपेक्षित है ।

विधेयको को विषय-वस्तु के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है —

(एक) मूल विधेयक (Original Bill) ऐसे विधेयक जिनमें नये प्रस्ताव, विचार या नीतियों संबंधी उपबन्ध होते हैं ।

(दो) संशोधी विधेयक (Amendment-Bill) जिनका उद्देश्य विद्यमान अधिनियमों में रूप भेद करना या संशोधन करना या उनका पुनरीक्षण करना होता है ।

(तीन) समेकन विधेयक (Consolidation Bill) (ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य किसी विषय विशेष पर वर्तमान कानूनों को समेकित करना होता है) ।

(चार) व्ययगत होने वाले कानूनों को जारी रखने वाले विधेयक (ऐसे विधेयक जिनका प्राणय उन अधिनियमों (Acts) को जारी रखना होता है, जिनकी अवधि समाप्त हो रही है)

(पाच) अध्यादेशों के स्थान पर आने वाले विधेयक (ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों का स्थान लेते हैं) और

(छ.) संविधान (संशोधन) विधेयक । (Constitution Amendment Bill) स्थूल रूप से विधेयको का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है.—

(क) साधारण विधेयक । (Ordinary Bill)

(ख) वित्तीय मामलों सम्बन्धी उपबन्धों पर प्राध्वरित धन विधेयक (Money Bill) और

(ग) संविधान संशोधन विधेयक ।

साधारण विधेयक:—

ऊपर दिए स्थूल वर्गीकरण में स्पष्ट हो जाता है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में इनके अन्य सभी विषयों के बारे में विधान सम्बन्धी प्रस्ताव साधारण विधेयक होते हैं ।

साधारण विषयों के बारे में विधायी प्रक्रिया -

(एक) विधेयक के मसौदे तैयार करना — (Drafting of Bills)

जैसे ही किसी विशेष विषय में संबंधित विधान बनाने का प्रस्ताव पेश होता है, संबंधित मंत्रालय द्वारा उसमें सम्बद्ध राजनीतिक प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य परिणामों की जांच की जाती है। यदि विचारणीय विषय किसी अन्य मंत्रालय प्रयुक्त राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में भी आता हो तो उनका भी परामर्श लिया जाता है। जहां तक उस प्रस्ताव के वैधिक एवं संवैधानिक पहलुओं का सम्बन्ध है, भारत सरकार के विधि मंत्रालय और महान्यायवादी मंडल के बारे में परामर्श किया जाता है। यदि विधान का विषय विभिन्न दलों को प्रभावित करने वाला हो तो प्रासंगिक सम्बन्धित दलों पर व्यापारिकों, श्रमिकों, कृषकों और उद्योग-पतियों में भी इन सम्बन्ध में मलाहती जाती है। इस प्रकार विस्तारपूर्वक जांच कर लेने के पश्चात् सम्बद्ध मंत्रालय विधान सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रिमण्डल का प्रस्तुत करता है। मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् सरकारी प्राम्पकार (हाउसिंग) द्वारा प्रस्ताव का विधेयक का रूप दिया जाता है। जिसकी प्रशासनिक मंत्रालय में बारीकी से जांच की जाती है और उसे अन्तिम रूप दिया जाता है।

उपरोक्त प्रक्रिया में से गुजरने के पश्चात् विधेयक मदन में पुर स्थापित किए जाने के लिए तैयार हो जाता है। विधेयक संबंधित मंत्री द्वारा दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पुर स्थापित किया जा सकता है। मंत्री को विधेयक का पुर स्थापन के लिए सदन की अनुमति मांगने के प्रस्ताव की लिखित सूचना सात दिन पहले देनी होती है।¹ ऐसी सूचना के माध्यम विधेयक की विधिवत रूप में शुद्ध की गई दो प्रतियां उस सदन के महासचिव को भेजी जाती हैं। जिनमें विधेयक पेश किया जाता है। माचसालय द्वारा विधेयक की जांच की जाती है और उसके सभी दृष्टि से पूर्ण पाए जाने पर, ऐसी प्रतियों को कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाता है जो अध्यक्ष या सभापति द्वारा पेशस्थिति, इस प्रयोजन के लिए निरिक्त की गई हो। परन्तु किसी विधेयक का पुर स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्य-सूची में तब तक प्रविष्टि नहीं की जाती जब तक कि पुर स्थापन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पहले विधेयक की प्रतिक्रिया सदस्यों का उपलब्ध नहीं करा दी जाती।²

(दो) वाचन (Reading) विभिन्न प्रथम —

विधान सम्बन्धी सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में सदन में पेश किए जाते हैं और अधिनियम बनने से पूर्व उन्हें विभिन्न प्रथमों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते हैं —

(क) प्रथम वाचन (First-Reading) :

सर्वप्रथम विधेयक को पेश करने के लिए सदन की अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। विधेयक के पुर स्थापन के लिए नियत तिथि को प्रश्नकाल के पश्चात् अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को बुलाता है और वह विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता है। वह खड़ा होकर कहता है "महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि... (विधेयक का पूरा नाम) विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाये" यदि मंत्री सभा में उपस्थित न हो तो उप-मंत्री या कोई और मंत्री उसकी ओर से यह प्रस्ताव पेश कर सकता है। अध्यक्ष इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता है और सभा उसे मौखिक मत द्वारा अनुमति प्रदान करती है। तब मंत्री द्वारा विधेयक पुर स्थापित किए जाने से विधेयक के प्रथम वाचन की औपचारिकता सम्पन्न होती है।

इस भवस्था में विधेयक पर चर्चा नहीं होती। प्रायः विधेयक को पुर स्थापित करने का विरोध नहीं किया जाता। यदि किसी विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो पीठासीन अधिकारी, यदि वे उचित समझे, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य का संक्षिप्त व्याख्यात्मक कथन सुनने के बाद बिना किसी वाद-विवाद के प्रश्न को सभा के समक्ष रख सकता है। परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि इस विधेयक का माध्यम से ऐसा विधान बनाया जा रहा है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है तो पीठासीन अधिकारी पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है जिसमें विशेष आवश्यकता पड़ने पर महान्यायवादी (Attorney General) भी भाग ले सकता है।¹ उसके पश्चात् सदन में प्रश्न पर मतदान होता है। कोई मंत्री एक दिन में चाहे कितने भी विधेयक पुर स्थापित कर सकता है, इस सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

विधेयक को सदन में पुर स्थापित करने के पश्चात् उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।² अध्यक्ष/सभापति की अनुमति से विधेयक को पुर स्थापित करने से पूर्व भी भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है।³ उसे पुर स्थापित करने की अनुमति मागने की बजाए पुर स्थापित कर दिया जाता है।

(ख) द्वितीय वाचन (Second Reading)

दूसरे वाचन में दो प्रथम (Stages) होते हैं। दो प्रथमों में विधेयक पर विचार किया जाता ही यह निश्चय करता है कि दूसरा वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इन प्रथमों में विधेयक की बारीकी में सम्पूर्ण जांच होती है।

प्रथम प्रक्रम (First-Stage)

पहले प्रथम में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है जब विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा की जाती है। किन्तु विधेयक के व्योम पर उतनी ही चर्चा होती है जितनी की उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।¹⁷ इस प्रक्रम में सभा विधेयक को सभा की प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है अथवा उस पर राम जानने के लिए उसे परिचालित कर सकती है या उस पर सीधे ही विचार कर सकती है।¹⁸

समिति को सौंपना

प्रवर समिति में उभी सभा के सदस्यों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें कि विधेयक पुर स्थापित किया गया हो। सामान्यतः सभा के दलों तथा समूहों का अनुपातत प्रतिनिधित्व रहता है। संयुक्त समिति में दोनों सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों का अनुपात सामान्यतः 2:1 होता है। संयुक्त समिति का सम्भावित समिति के सदस्यों में से उस सदन के सीटामीन अधिकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें कि विधेयक पुर स्थापित किया गया हो।¹⁹ किसी प्रवर या संयुक्त (Joint-Committee) का अस्तित्व समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है।

समितियां सभा के समान विधेयक पर खंड खंड (Clause-by-Clause) विचार करती हैं। समिति के सदस्य विभिन्न खंडों (Clauses) पर सशेषण प्रस्तुत कर सकते हैं।²⁰ समिति विशेषज्ञों और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के विचार भी सुन सकती है जिन पर विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता है।²¹ समितियों में विधेयक पर विचार करने की प्रक्रिया वही है जिसका सभा में विधेयक पर विचार करने के दौरान अनुसरण किया जाता है।²² समिति द्वारा विधेयक पर इस प्रकार विचार किए जाने तथा खंडों आदि को स्वीकृत कर लिए जाने के पश्चात् लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया समिति का प्रारूप प्रतिवेदन सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर सभा को प्रस्तुत किया जाता है।²³ तत्पश्चात् समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर सभा में विचार प्रारम्भ होता है।

राम जानने के लिए परिचालन (Circulation), किसी विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव (Motion) सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सभा का सचिवालय विधेयक राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजता है और उनसे अपने-अपने राजपत्रों में उसे प्रकाशित करने को कहता है और विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में राज्यों के विधान मण्डलों (Legislature) के सदस्यों और जिन सार्वजनिक संस्थानों के चुने हुए अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों का परामर्श लेना राज्य सरकारें आवश्यक समझे, उनकी रायों की दो-दो प्रतिया यथाशीघ्र भेजने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से

उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करने को भी कहा जा सकता है। जब राय जानने के लिये विधेयक के परिचालन की कोई तिथि प्रस्ताव में निर्दिष्ट न की गई हो तो राज्य सरकारों में कथित प्रस्ताव के स्वीकृत होने के तीन महीने के अन्दर रायों को भेजने के लिये कहा जाता है।¹⁴ विधेयक पर राय प्राप्त हो जाने पर उन्हें यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाता है और तत्पश्चात् विधेयक को प्रवर/समुक्त समिति (Select/Joint Committee) को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया जाता है।¹⁵ साधारणतया इसकी अनुमति नहीं है कि इस अवस्था में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया जाए। विधेयक फिर समिति अवस्था में गुजरता है और फिर विधेयक को प्रतिवेदित रूप में सदन में पेश किया जाता है।

विधेयक पर यथास्थिति, समुक्त समिति या प्रवर समिति (Select-Committee) का अन्तिम प्रतिवेदन सदन में पेश कर दिए जाने के बाद सम्बन्धित मंत्री प्रस्ताव कर सकता है कि (क) प्रतिवेदित रूप (As reported) में विधेयक पर विचार किया जाए, या (ख) प्रतिवेदित रूप में विधेयक को फिर से या तो उसी प्रवर/समुक्त समिति या किसी नई प्रवर/समुक्त समिति के पास भेजा जाए, या कि (ग) समुक्त समिति/प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक यथास्थिति उम पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये।¹⁶

यदि सम्बन्धित मंत्री यह प्रस्ताव करता है कि यथास्थिति, समुक्त समिति या प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये तो उस पर बाद-विवाद (Debate) की अनुमति दी जाती है। ऐसे में वाद-विवाद समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक तक ही सीमित रहता है और विधेयक के सिद्धान्त पर फिर से चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि जब किसी विधेयक को किसी प्रवर/समुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सभा उस विधेयक के सिद्धान्तों से बंध जाती है।

द्वितीय प्रश्न (Second Stage) - जब यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि विधेयक, या प्रवर/समुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, पर विचार किया जाये, तब विधेयक पर सप्ताहवार विचार प्रारम्भ किया जाता है। प्रत्येक प्रत्येक घण्टा को अलग-अलग लेता है और उनका सम्बन्ध में मसौदा रखने की अनुमति देता है। तत्पश्चात् ग्राह्यता की शर्तों के अधीन उसमें मसौदा पेश किए जा सकते हैं।¹⁷ विधेयक पर सप्ताहवार विचार की प्रक्रिया बड़ी ही अमूर्त प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक सप्ताह पर साधारणतया अलग से चर्चा की जाती है। निवाए ऐसे मसौदों के जो प्रस्तावक द्वारा वापस ले लिए गए हैं प्रत्येक मसौदा पर अलग से चर्चा होती है और उसे सदन द्वारा अलग से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। जो मसौदा स्वीकृत हो जाते हैं वे विधेयक का अंग बन जाते हैं।

तृतीय वाचन (Third Reading) तीसरा वाचन में प्रथमप्रायः द्वय प्रस्ताव पर चर्चा नि विधेयक (या संशोधित विधेयक) का पास किया जाए। जब किसी विधेयक के सभी सभ्य और अनुसूचियों, यदि कोई हो, पर सदन में विचार हो जाता है और वह स्वीकार कर लिया जाता है तो विधेयक का प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पास किया जाये।¹⁸ इस अवस्था में चर्चा विधेयक के समर्थन में या उस अव्यवहार करने के लिये दिये गये तर्कों तक ही सीमित रहती है। संस्था के तर्क सामान्य होने चाहिए और उन्हें विधेयक के व्यौर में नहीं जाना चाहिए। व्यौर की चर्चा के केवल उम्मी सीमा तक कर सकते हैं जिस सीमा तक एंसी चर्चा उनके तर्क के लिए आवश्यक है।¹⁹ इस अवस्था में केवल शाब्दिक, औपचारिक और प्राथमिक संशोधन (Ancillary amendment) ही पेश किये जा सकते हैं।²⁰ न कि विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों पर सहमति हा चुकी जाती है और उसकी विस्तारपूर्वक जांच भी हा चुकी जाती है। अतः तृतीय वाचन के दौरान सभावाद-विवाद शायद हा कभी होता है।

कोई साधारण विधेयक पास करने के लिए उपस्थित प्रारंभिक मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत प्राधान्य होता है। इसलिए समदोय वाचन प्रणाली में जहाँ बहुमत वाला दल सरकार बनाता है, कोई भी सरकारी विधेयक संसदीय सभा से पास हो जाता है।

(तीन) दूसरे सदन में विधेयक जब कोई विधेयक, जिस सदन में उसे पुरखापित किया गया हो, उस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे दूसरे सदन को उसकी सहमति के लिए दस सप्ताह के सदन के साथ भेजा जाता है।²¹ दूसरे सदन में विधेयक फिर इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है। हरे दल में से कोई कार्यवाही कर सकता है।²²

(क) वह विधेयक का पूर्णतः अव्यवहार कर सकता है। परिणामस्वरूप दोनों के बीच गतिरोध (dead lock) उत्पन्न हो सकता है।

(ख) वह विधेयक को उसी रूप में या संशोधनों के साथ पारित कर सकता है। यदि वह पहले सदन द्वारा भेजे गये रूप में उसे पारित कर देता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके पास भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करता है तो विधेयक पहले सदन के पास वापस भेज दिया जाता है। वहाँ उक्त संशोधित विधेयक को सभा-पटल पर रखा जाता है। दो दिन की सूचना देने के बाद प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि संशोधनों पर विचार किया जाए। यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों से सहमत हो जाता है तो वह विधेयक, संशोधित रूप में दोनों सदन द्वारा पास किया गया माना जाता है। परन्तु यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधन से सहमत नहीं होता तो वह विधेयक एक बार

फिर दूसरे सदन की सहमति के लिए उसके पास भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन अपने सशोधनों पर बराबर जोर देता रहता है तो यह समझा जाता है कि सशोधन या सशोधनों के बारे में दोनों सदनों में अन्तिम रूप से सहमति हो गई है।

(ग) यह भी हो सकता है कि वह सदन विधेयक पर कोई कार्यवाही न करे अर्थात् उसे सभा पटल पर पड़ा रहने दे। ऐसी स्थिति में यदि विधेयक प्राप्त होने के बाद छह महीने की अवधि बीत जाती है और वह सदन उस विधेयक को पास नहीं करता तो यह मान लिया जाता है कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

(चार) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint sitting)—किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने से गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक असाधारण स्थिति है। इसका समाधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। संविधान के उपबन्धों के अधीन, उस दिशा के सिवाय जिसमें लोक सभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया हो, राष्ट्रपति विधेयक पर, विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए दोनों सदनों का "संयुक्त बैठक" के लिए आमन्त्रित कर सकता है। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और महासचिव, लोक सभा संयुक्त बैठक के सचिव के रूप में कार्य करता है²¹। संयुक्त बैठक पर लोक सभा के प्रक्रिया नियम लागू होते हैं²²। संयुक्त बैठक में उन सशोधनों के सिवाय किसी और सशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता जो विधेयक को पास करने में देर होने के कारण आवश्यक हो गये हो। ऐसी बैठकों में निर्णय दोनों सदनों के उपरिष्ठ और मतदान करने वाले समस्त सदस्य गसुया के बहुमत द्वारा किए जाते हैं। स्पष्ट है कि लोक सभा की सदस्य गसुया अधिक होने के कारण उसका निश्चय ही प्रभुत्व रहता है। अब तक संयुक्त बैठक में केवल दो विधेयक, अर्थात् दहेज निषेध विधेयक (Dowry prohibition Act, 1971) और बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1974 (Banking Service Commission (Repeal) Act, 1974) पारित किए गये हैं।

(पांच) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति—जब कोई विधेयक सदन के दोनों सदनों द्वारा असंग-असंग या संयुक्त बैठक में पारित कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर या तो अनुमति दे सकता है या अपनी अनुमति रोक सकता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और यदि वह अनुमति प्रदान कर देता है तो अनुमति प्रदान करने की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को इस संदेग के साथ वापस भेज सकता है कि उस पर दोनों सदनों द्वारा फिर विचार किया जाय। जब विधेयक राष्ट्रपति द्वारा इस

प्रकार लौटा दिया जाता है तब मदन विधेयक पर नदनुसार पुनर्विचार करते हैं और यदि विधेयक सदनों द्वारा ससोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के ममक्ष अनुमति के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोक सकता ।²⁶

धन विधेयक (Money Bill)

संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के अन्तर्गत कोई भी विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी एक में सम्बन्ध रखने वाले उपाय हों, अर्थात्—

- (क) किसी कर का निर्धारण (Imposition), उत्सादन (Abolition), परिहार (Remission), बदलना या विनियमन (Alteration or Regulation)
- (ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा लिए गए अथवा लिये जाने वाले कर्जों की विलोप दायित्व से संबंध विधि का संशोधन ।
- (ग) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund or Contingency Fund) अथवा प्राकृतिकता-निधि की प्रभारता, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना,
- (घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग,
- (ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभावित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;
- (च) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के या भारत के लोक-सेवा के मध्य धन प्राप्त करना अथवा सब राज्य के लेखाओं का लेखा परीक्षण; अथवा
- (छ) अनुच्छेद 110 (1) के उपलब्ध (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी का अनुपगतिक कोई विषय ।

परन्तु कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं समझा जाता कि वह जुर्मानों अथवा अन्य धर्म-दण्डों (Pecuniary penalties) को लगाने का अथवा लाइसेंस के लिए फीस का या की गई सेवा के लिए फीस की मांग का या उनको देने का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्वाधीन प्रयोजनों के लिए किसी कर के प्रयोज्यता, उत्सादन, परिहार बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है । यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है ।²⁷

धन विधेयको के संबंध में विषय प्रक्रिया

कोई धन विधेयक (Money Bill) राज्य सभा में पुर स्थापित नहीं किया जा सकता।²⁷ वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोक सभा में ही पुर स्थापित किया जा सकता है²⁸। लोक सभा द्वारा इसे पास किए जाने के पश्चात् इसके अध्यक्ष के इस प्रमाण-पत्र के साथ कि विधेयक धन विधेयक है, राज्य सभा की सिफारिशों के लिए उसको भेजा जाता है। राज्य सभा को धन विधेयक की प्राप्ति की तारीख में चौदह दिन की अवधि के अन्त में अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। राज्य सभा इसको किसी सिफारिश के साथ अथवा बिना सिफारिश के साथ लौटा सकती है। यदि कोई धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिशों के साथ लौटाया जाता है तो उसे लोक सभा पटल पर रखा जाता है। यदि लोक सभा राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये मशौघों को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए मशौघों और लोक सभा द्वारा स्वीकृत रूप में, समझ के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये मशौघों में से किसी को स्वीकार नहीं करती, तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये किन्हीं मशौघों के बिना लोक सभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। यदि राज्य सभा चौदह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर धन विधेयक नहीं लौटाती तो विधेयक उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् समझ के दोनों सदनों द्वारा लोक सभा द्वारा पारित रूप में पास किया गया समझा जाता है। चूंकि राज्य सभा को धन विधेयक के संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है अतः दोनों सदनों के बीच कोई असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए किसी धन विधेयक को सदन की दोनों सभाओं की समुक्त समिति का भेजने का कोई उपबन्ध नहीं है। इसमें निश्चय होता है कि धन विधेयक के बारे में राज्य सभा की अनुमति प्राप्त करना मात्र एक औपचारिकता के और कुछ नहीं है।

वित्त विधेयक (Finance Bill)

सविधान में धन विधेयक (Money Bill) और वित्त विधेयक (Financial Bill) में भेद किया गया है। सामान्यतया राजस्व या व्यय में संबंधित विधेयक, वित्त विधेयक होता है। इसमें किसी धन विधेयक के लिए सविधान में उल्लिखित किसी मामले का उपबन्ध करने के अतिरिक्त अन्य मामलों का भी उपबन्ध किया जाता है। मुविषा के लिए वित्तीय विधेयक निम्नलिखित दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है -

श्रेणी क. प्रथम श्रेणी में ऐसे विधेयक आते हैं जिनमें अन्य उपबन्धों के साथ-साथ सविधान के अनुच्छेद 110 में मर्यादित उपबन्ध भी होते हैं। तथापि, धन संबंधी अन्य प्रतिबन्ध इन श्रेणी के विधेयकों पर लागू नहीं होते। उदाहरणार्थ,

कोई विधेयक जिसमें करारोपण का पद होता है परन्तु वह केवल करारोपण के मद्दय में नहीं होता।

श्रेणी ए इस श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे विधेयक आते हैं जिनमें मध्य उपबन्धों के साथ-साथ ऐसे उपबन्ध भी होते हैं जिनके अग्रनिर्दिष्ट हो जाने पर भारत की मन्चिन निधि में से व्यय अतन्निहित होता है।

घन विधेयक और वित्त विधेयक में अन्तर

सम्बन्धी स्वरूप के कारण दोनों विधेयकों अर्थात् घन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अन्तर है। घन विधेयक में अनुच्छेद 110 (1) (क) से (घ) तक उल्लिखित विधेयों का ही समावेश होता है। जबकि वित्तीय विधेयक में उक्त अनुच्छेद में से सब अथवा किसी एक से सम्बन्ध रखने वाला ही मामला नहीं होता, अर्थात् इसमें अन्य विधेयों में सम्बन्धित उपबन्ध भी होते हैं।

घन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोक सभा में पुर स्थापित किया जा सकता है जबकि मन्चिधान के अनुच्छेद 117 (1) के अन्तर्गत वित्तीय विधेयक दोनों सभाओं की समुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। समुक्त बैठक का उपबन्ध घन विधेयक के मामले में लागू नहीं होता। इस श्रेणी के विधेयकों को भी घन विधेयकों की तरह राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोक सभा में पुर स्थापित किया जा सकता है। इस श्रेणी के विधेयक में दो तरह के होते हैं जो किमो घन विधेयक में भी पाए जाते हैं अर्थात् (क) वह राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता और (ख) वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है परन्तु वित्त विधेयक, घन विधेयक न होने के कारण, राज्य सभा को इसे रद्द करने या इसमें संशोधन करने की बैसे ही पूरी शक्ति है जैसे इसे किसी भी साधारण विधेयक के मामले में प्राप्त है। इसके अतिरिक्त किसी कर के घटाने या उसके उत्पादन के लिए उपबन्ध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव को छोड़ कर अन्य कोई संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

दूसरी श्रेणी के वित्त विधेयक ऐसे विधेयक हैं जिनमें अन्य उपबन्धों के साथ-साथ ऐसे उपबन्ध भी होते हैं जिनके अग्रनिर्दिष्ट हो जाने पर भारत की मन्चिन निधि (Consolidated Fund) में से व्यय का मामला सम्भलित होता है। यह एक साधारण विधेयक माना जाता है और इसी कारण ऐसे विधेयक को दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पुर स्थापित किया जा सकता है। राज्य सभा को उसे रद्द करने की या उसमें संशोधन करने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है। तथापि इस विधेयक पर किसी भी सदन द्वारा विचार किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। किन्तु उसे पुर स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को

मिफारिश आवश्यक नहीं होती। जैसा कि किसी धन विधेयक या प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक के मामले में है।

संविधान (संशोधन) विधेयक [Constitution (Amendment) Bill] :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मसूदा अपनी संविधायी शक्ति (Legislative power) का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। संशोधन के प्रयोजन के लिए संविधान में कोई अलग संविधायी मस्या की व्यवस्था नहीं है। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को मसूदा के किसी भी मदन में पुर-स्थापित किया जा सकता है। इसको किसी मंत्री द्वारा अथवा किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सामान्यतया सरकार द्वारा लाये जाने वाले संविधान (संशोधन) विधेयक, लोक सभा में पुर-स्थापित किए जाते हैं। गैर-सरकारी सदस्य द्वारा लाये गये संविधान (संशोधन) विधेयक के मामले में विधेयक का सर्वप्रथम गैर-सरकारी विधेयको और सकार्यो सम्बन्धी समिति (Committee on Private members bill & resolutions) द्वारा परीक्षण किया जाना होता है तथा उसको पुर-स्थापित करने की मिफारिश करनी होती है।³⁰

संविधान में निम्नलिखित तीन प्रकार के संविधान संशोधनों का उपबन्ध है।

- (क) ऐसे संशोधन, जिन्हें मसूदा साधारण बहुमत द्वारा पारित कर सकता है।
- (ख) ऐसे संशोधन, जिन्हें मसूदा विहित "विशेष बहुमत" द्वारा पारित कर सकती है।
- (ग) अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक (Proviso) में बणित मामलों में सम्बन्धित संशोधन, जिनका ऐसे "विशेष बहुमत" के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्य विधानमण्डलों द्वारा अनुमर्षण होना आवश्यक है।

साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

निम्नलिखित में से किसी विषय से सम्बन्धित विधेयक को साधारण विधेयक माना जाता है, अर्थात् उसे सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है :

- (क) नये राज्यों का मध्य में प्रवेश अथवा स्थापना, नये राज्यों का गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में अथवा उनके नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 2, 3, 4)
- (ख) राज्यों की विधान परिषदों का मूलन अथवा उत्पादन (Creation and Abolition) (अनुच्छेद 169)

- (ग) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण (पंचम अनुसूची का पैरा 7), और
- (घ) प्रगम, संपादन, निपुण और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन (छठी अनुसूची का पैरा 21)

जहाँ तक इन श्रेणियों के संशोधनों का सम्बन्ध है, सामान्य विधान निर्माण प्रक्रिया ही लागू होती है, तथापि नये राज्यों के निर्माण और विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की व्यवस्था करने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में कुछ शर्तें हैं, पर्याप्त रूप प्रकार का कोई भी विधेयक मसूदे के किमी भी गठन में बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के पुर स्थापित नहीं किया जा सकता और जब विधेयक में कोई ऐसा प्रस्ताव हो जिसका प्रभाव किमी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता हो, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल के पास उसको भेजना आवश्यक है जिससे कि वह निश्चित समय के भीतर अपनी राय दे सके। राय जानने के लिए प्रबंध को राष्ट्रपति बड़ा भी सकता है। तत्पश्चात् ही ऐसा विधेयक पुर स्थापित किया जा सकता है। परन्तु राष्ट्रपति इस प्रकार प्राप्त हुए विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता।¹¹

राज्यों में विधान परिषदों (Legislative Councils) को समाप्त करने पर उनके निर्माण के सम्बन्ध में बानून बनाकर उपबंध करने की समद की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब उस राज्य विशेष की विधान सभा इस सम्बन्ध में सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत में इस मसूदे में एक संकल्प (Resolution) पास कर दे।¹² समद ऐसे संकल्प को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है या यदि चाहे तो उस पर कोई कार्यवाही न करे।

विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
सविधान के किमी धन्य प्राग में संशोधन करने वाला विधेयक समद के दोनों सदनों में से किमी भी सदन द्वारा एक विशेष बहुमत अर्थात् उस सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत में तथा सभा के उपस्थित और मतदान (Present & Voting) करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत में पारित करना पड़ता है। याम्बव में इस उपबंध में जिस विशेष बहुमत का विधान किया गया है, उसकी आवश्यकता विधेयक के तीसरे वाचन के समय मतदान में ही हो सकती है, परन्तु संवधानों के लिए, विधेयक के सभी प्रभावी प्रश्नों के सम्बन्ध में विशेष बहुमत की आवश्यकता का उपबंध नियमों में किया गया है।¹³

सविधान में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
सविधान के निम्नलिखित उपबंधों में संशोधन करने वाला विधेयक विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाता है। इनकी समद के दोनों सदनों द्वारा विशेष

बहुमत में पास किया जाना होता है और राष्ट्रपति की अनुमति हेतु उसे प्रस्तुत किये जाने के पहले उम मशोधन का राज्यो में से कम से कम आधे राज्यो के विधानमंडलो द्वारा मकल्प (Resolutions) पारित करके उसका अनुसमर्पन करना होता है ।³¹

- (क) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54 और 55);
- (ख) मघ और राज्यो की कार्यपालिका शक्ति (executive power) का विस्तार (अनुच्छेद 73 और 162),
- (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (सविधान का अनुच्छेद 241, भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5)
- (घ) मघ तथा राज्यो के बीच विधायी शक्तियो का वितरण (सविधान के भाग 11 का अध्याय 1 और मानवी अनुसूची)
- (ङ) मसद् में राज्यो का प्रतिनिधित्व; या
- (च) सविधान में विहित मशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

सविधान में किमी तेमी ममय-सीमा की अपेक्षा नही की गई है जिके भीतर राज्यो को उनको निदिष्ट किये गये मशोधनो में अनुसमर्पन या निरनुमोदन की सूचना भेजनी अनिवार्य है ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (Private Members Bill)

मसद् में गैर सरकारी सदस्यो की भूमिका भी उतनी महत्त्वपूर्ण होती है जितनी की सरकारी सदस्यो की । जहाँ वे एक और सरकार के लोकतांत्रिक तथा देश के हितो में किए गए कार्यों की मरगहना करते हैं वहीं वे सरकार के उन प्रयासो का विरोध करते हैं जिनको वे देश के लिए अहितकर समझते हैं । ऐसा वे मसद् के नियमों एवं प्रक्रियाओ में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न साधनो का प्रयोग करके करते हैं । इन विभिन्न साधनो का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी सदस्य लोक महत्त्व के विभिन्न मामलो पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सरकार को जनहित के कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करने की आवश्यकता के बारे में जनता की अभि-लाषाओ और ममय की मांग में अवगत कराते हैं । गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विधान की शुरुघात भी इसी दिशा में एक कदम होना है और मसद् के नियमों एवं प्रक्रियाओ में इन बारे में विशेष उपबन्ध किया गया है ।

यद्यपि गैर सरकारी सदस्यो द्वारा लाए जाने वाले विधेयक प्रायः अन्त में पारित नही हो पाते हैं किन्तु इन पर दुर्द चर्चा में लोक महत्त्व की ममस्याओ पर प्रकाश पड़ता है तथा उनके मन्वन्ध में हुए विस्तृत वाद-विवाद में उम विषय के मन्वन्ध में विभिन्न विचारधाराओ में सरकार अवगत हो जाती है । गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक की विषय-वस्तु के मन्वन्ध में सरकार को अपने

विचार मदन व मसदा रखने पढ़ने हे घोर उमका ध्यान म ममत हुए घपनी नीतिया की तए माड दन पढ़त ? । कमी-कमी पढ भी होता हे विधेयक की विषय-वस्तु के महुद्व वी देखते हुए सरकार स्वय तनुमम्बन्धी व्यापक विधेयक समदु मे पेश करती हे ।

प्रत्येक समदु मदम्य वी, जा मनी नही गैर सरकारी मदम्य कहा जाता हे । ताक समा म, प्रत्येक शुक्रवार को बैठक व दान्तव डार्ट घटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को निपटान, घर्षातु गैर-सरकारी मदम्या के विधेयका तथा सकल्यो (Private members bills & resolutions) के लिए नियत रिज जाल हे । इनमे सम्बन्धित काय एक दूसर क बाड आने वाले शुक्रवार का घथाक्रम निपटारा जाता हे, जा विधेयको मे प्रारम्भ किया जाता हे, घथात नव प्रारम्भ होने के पश्चात पहल शुक्रवार का विधेयक (Bill) लिजे जाते हे और दूसर शुक्रवार का सफल (Resolution) घोर यही क्रम चलता रहता हे ।

जहां तक गैर-सरकारी मदम्या द्वारा पज किए गए विधेयको का सम्बन्ध हे, उनक बार मे सामान्य प्रक्रिया वही हे जो सरकारी विधेयको के बार मे हे । गैर-सरकारी मदम्य द्वारा पुर स्थापित किए जान वान विधेयका का भी उन मभी अवस्थामा (Stages) मे म गुजरना पटना हे जिनमे म कि सरकारी विधेयक गुजरत हे । परन्तु विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि, किसी मदम्य द्वारा एक अधिवेशन (Session) मे पज किए जा मकने वाले विधेयको की संख्या पर प्रतिबन्ध, सविधान मे मगाधन करने वान विधेयका, चचा के लिए मापदंड पूर्व-वर्तिता इत्यादि के सम्बन्ध मे गैर-सरकारी मदम्यो के विधेयको मे सम्बन्धित कुछ विशिष्ट प्रक्रियागत तत्व हे ।

यदि कोई मदम्य कोई विधेयक पुर स्थापित करना चाहता हो उमे उमकी पूर्व सूचना दनी होदी हे । किसी विधेयक का पुर स्थापित करने के लिए सूचना की अवधि एक महीना हे, रिन्तु घधेश का अनुमान से उमे इमग कम अवधि के भीतर भी पुर स्थापित किया जा सकता हे । सूचना क साथ विधेयक की एर प्रति तथा उद्देश्यों घोर कारणों का एक व्याख्यात्मक बघन (explanatory notes) भी देना होता हे । जहा विधेयक क अधिनियमित हो जान पर भारत की मचिन निधि मे म धन खच होने की मभावना हो, वही मदम्य को विधेयक के साथ खर्च की अनुमानित शक्ति को दनादि वाना एक वित्तीय ज्ञारन (Financial Memorandum) भी लगाना होता हे । यदि विधेयक मे प्रत्यायोजित विधान (Delegated legislation) के बारे मे कोई प्रस्ताव हे तो प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी अधिनियम भी विधेयक के साथ लगाना जाता हे ।¹⁰⁵

गैर-सरकारी मदम्यो के लिए नियत किसी दिन को पुर स्थापित किए जान के लिए प्रस्तावित सभी विधेयको के पुर स्थापन के प्रस्ताव उमी दिन की कार्य-सूची

में शामिल किए जाते हैं।³⁶

संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयको पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको सम्बन्धी सामान्य नियम तो लागू होते ही हैं, इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको और प्रस्तावों सम्बन्धी समिति³⁷ द्वारा भी उगकी जांच की जाती है और उम समिति द्वारा सिफारिश किए गए विधेयक ही पुर स्थापन के लिए कार्य-सूची (List of Business) में रूभे जाने हैं।

परिपाटी के अनुसार गैर-सरकारी सदस्य के किमी विधेयक के पुर स्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता। यदि किमी विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव (Motion) का विरोध किया जाए तो पीठासीन अधिकारी (Presiding officer) यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को सक्षिप्त बक्तव्य (Statement) देने की अनुमति दे सकता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव सदन में निर्णय के लिये मतदान के लिये रख सकता है। परन्तु यदि विधेयक पुर स्थापित करने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करना है जो सभा की विधायिनी क्षमता (Legislative Competence) से परे है तो पीठासीन अधिकारी उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव सदन के फंसल के लिए मतदान के लिये रख सकता है। एक गैर-सरकारी सदस्य को एक सत्र (Session) में चार से अधिक विधेयक (Bills) पुर स्थापित (Introduce) नहीं करने दिये जाते।

विधेयको के पुर स्थापित किये जाने के पश्चात् और सभा में उन्हें विचारार्थ लिये जान से पूर्व गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको का उनके स्वरूप, उनकी अविगम्बनीयता और महत्ता के आधार पर दो वर्गों, अर्थात् वर्ग "क" और वर्ग "ख" में वर्गीकरण करती है। सभा में विचार लिए जाने के प्रयोजन से वर्ग "क" में वर्गीकृत विधेयको को वर्ग "ख" में वर्गीकृत विधेयको की तुलना में पूर्ववर्तिता दी जाती है। उन पर विचार लिए जाने के लिए समय भी समिति ही प्रावटित करती है। वर्ग विशेष में रखे गये विधेयको की सापेक्ष पूर्ववर्तिता बेलेट द्वारा निर्धारित की जाती है। विधेयको की बेलेट द्वारा निर्धारित प्राथमिकता त्रम क अनुसार कार्य-सूची में शामिल किया जाता है।

अधीनस्थ विधान (Subordinate legislation)

कल्याणकारी राज्य की आधुनिक संकल्पना (Modern Concept) में सरकार का कार्य-कलाप माननीय कार्यकलाप के अत्येक क्षेत्र तक पहुंच गया है और इस निरन्तर बढ़ते हुए कार्यकलाप की निर्दिमित करने के लिए भिन्न-भिन्न कानून बनाने की आवश्यकता पडती है। विधान मडल के पाग इतना समय नहीं होता कि वह सभी आवश्यक विधियों पर निचार कर सके, उन पर चर्चा कर सके और उनका अनुमोदन कर सके। कानून बनाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल और तकनीकी

बन गयी है और कानून की सभी तकनीकी बागौनीया विस्तृत ठीक होना आवश्यक है। इस परिस्थिति में संसद यही कर सकती है और करती रही है कि जो भी कानून उसके सामने आये वह उसके सम्बन्ध में मुख्य सिद्धान्त निर्धारित कर दे और यह काम कार्यपालिका (Executive) पर छोड़ दे कि वह उन सिद्धान्तों के अनुसार उस कानून का औपचारिक (Formal) तथा प्रतियोग सम्बन्धी स्वीकार तैयार कर सके। इसका परिणाम यह है कि विधान मंडल सामान्य रूप में विधियाँ बनाना है और यह बात सरकार पर छोड़ देता है कि वह उन्निहित सीमाओं में रहकर विस्तृत नियम एवं विनियम (Rules & regulations) बनाये और विधान के उद्देश्यों को पूरा करे और ऐसी नई परिस्थितियों का समाधान कर जो विधियाँ बनाते समय विधान मंडल के समक्ष नहीं थी। विधान मंडल द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार (Delegated Authority) के अधिकार क्षेत्र में रह कर किसी अधीनस्थ एजेंसी (Subordinate Agency) द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे नियमों एवं विनियमों को "अधीनस्थ विधान" कहा जाता है। कभी कभी इसे "प्रत्यायोजित विधान" (Delegated legislation) भी कहा जाता है।

भारत में प्रत्यायोजन (Delegation) की यह शक्ति मुख्य रूप में विधायी शक्ति (Legislative Power) का स्वरूप है। विधान मंडल को यह शक्ति नहीं है कि वह कार्यपालिका (Executive) या किसी अन्य निकाय (Body) का किसी अत्यावश्यक मामले में अपने कानून बनाने के प्राधिकार दे दे। ऐसा तभी हो सकता है जबकि विधान मंडल (Legislature) लगभग सामान्य रूप में नीति का निर्धारण कर देता है और प्रत्यायुक्त (Delegate) का कबल यह शक्ति देता है कि विधान मंडल की नीति को कार्य के रूप में परिणत करने के लिये नियम तथा विनियम बनाये। यह विधान मंडल की दृष्टि पर निर्भर है कि वह जितना उचित समझे उतना कार्य किसी अधीनस्थ प्राधिकार (Subordinate Authority) का दे दे, जो उस नीति की सीमाओं में रहते हुए उस कानून के स्वरूप की बात तय करे।

अधीनस्थ विधान की कभी-कभी इस आधार पर पुरज़ोर आलोचना की जाती है कि प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया से संसद की विधायी शक्तियाँ कार्यपालिका अनाधिकृत रूप में ग्रहण कर लेती है और इसके परिणामस्वरूप नोकरशाही (Bureaucracy) की "नयी सामन्तशाही" कायम हो जाती है जो न तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और न प्रत्यक्ष रूप में लोगों के प्रति। ऐसा पूर्ण प्राधिकार देने में स्पष्टतया नोकरशाही मनमाने ढंग में कार्य कर सकती है। ऐसा होते हुए भी, आज के बातावरण से अधीनस्थ विधान (Subordinate Legislation) से पूर्णतया बचना असंभव है। इसलिये सबसे आवश्यक बात यह है कि अधीनस्थ विधान की शक्ति के प्रयोग पर निरन्तर संसदीय निगरानी एवं नियन्त्रण (Parliamentary surveillance & control) रहे।

प्रत्यायोजित शक्ति (Delegated Power) के दुरुपयोग ना रोकने के लिये कुछ पूर्वोपायो का उपबन्ध किया गया है। यथा "जिस क्रियक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन (Delegation of legislative powers) के प्रस्ताव सम्मिलित हो, उसके साथ अग्रतः तक जापन (Memorandum) होगा जिसमें ऐसे प्रस्तावों की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति (Scope) की धार ध्यान दिलाया जाएगा तथा यह भी बताया जाएगा कि वे सामान्य रूप की है या अपवाद रूप की।" ³⁸ इसके अतिरिक्त जब मूल अधिनियम (Original Act) अर्थात् शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाला विधेयक (Bill) सभा के विचाराधीन हो तो उस समय इन प्रादेशों के क्षेत्र, स्वरूप तथा प्रयोजन पर वाद-विवाद हो सकता है, उनकी ठीक-ठीक परिभाषा की जा सकती है और उन्हें सीमित किया जा सकता है, या जब प्रादेश प्रस्तावित किए जाते हैं या बनाये जाते हैं तो लोक सभा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि इनका प्रारूप (Draft) या इनका अन्तिम रूप ससद के सामने रखा जाएगा, जिसमें कि वह उनका अनुमोदन कर सके या उन्हें रद्द कर सके, या आदेश बन जाने के बाद लोक सभा उनका प्रति सहरण (Revoke) कर सकती है या वाद में कानून बनाकर उनमें फेर-बदल कर सकती है। इस प्रकार ससद इन अवस्थाओं में अपने अधिकार का प्रयोग करके ध्यानवीन करती है और नियन्त्रण रखती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका या प्रशासन के अधिकारणों द्वारा सविहित प्राधिकार के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियमों और विनियमों की न्यायालय उनके शक्ति बाह्य होने के तर्क के आधार पर जांच कर सकते हैं। सबसे अधिक बात तो यह है कि ससद के प्रत्येक सदन की "अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति" कार्यपालिका द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम-विनियम की जांच करती है और यह देखती है कि क्या ससद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का, ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने वाली विधि के दायरे में रहकर, उचित प्रयोग किया गया है और उसके बाद अपने सदन को उम बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। वास्तव में, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (Committee on subordinate legislation) ही इस बात पर प्रकृश लगानी है कि कार्यपालिका मनमानी शक्तियाँ प्रहण न करे। इस समिति ने सदा यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्यायोजित शक्तियों (Delegated powers) के अधीन बनाये जाने वाले सभी नियम और विनियम न केवल तुरन्त ससद के समक्ष प्रस्तुत किये जायें बल्कि उन्हें रद्द करने या उनमें रूप भेद करने का अधिकार ससद के पास रहे।

संदर्भ

- 1 मुभाय कायम, पार्लियामेंट ऑफ इन्डिया—मिथ्स एण्ड रिएल्टी, नई दिल्ली, 1988
- 2 निर्देश 19 क
- 3 निर्देश 19 ग
- 4 नियम 2
- 5 नियम 3
- 6 नियम 64
- 7 नियम 75
- 8 नियम 74
- 9 नियम 258
- 10 नियम 77
- 11 नियम 302
- 12 नियम 200 (2)
- 13 निर्देश 68
- 14 निर्देश 20 (क) और (3) तथा 21
- 15 निर्देश 24 और 26
- 16 नियम 77
- 17 नियम 79 और 80
- 18 नियम 93 (1)
- 19 नियम 94
- 20 नियम 93 (3)
- 21 नियम 96 (1)
- 22 अनु. 108 (3)
- 23 अनु. 118 (4) और समूह के सदस्य (संयुक्त बैठक तथा पत्राचार) नियम, नियम 2
- 24 बड़ी नियम 7
- 25 अनु. 111 और नियम 128
- 26 अनु. 110
- 27 अनु. 109
- 28 अनु. 117 (1)
- 29 अनु. 117
- 30 नियम 294

- 31 अनु. 3
32. अनु. 169
- 33 नियम 157, 158 और 159
- 34 अनु. 68 (2)
- 35 नियम 65, 69 और 70
- 36 नियम 27 (1)
- 37 राज्य सभा में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा मन्त्रों सम्बन्धी समिति नहीं होती
- 38 नियम 70

□

वित्तीय मामलों में प्रक्रिया बजट और वित्तीय विधान

सांख्यिकीय दृष्टि से नियोजित सरकार का यह दायित्व ही जाना है कि वह लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विकास योजनाएँ कार्यान्वित करे तथा उनको आबाम उपलब्ध कराए, उनका लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य सेवाएँ कराए एवं रोटी-गेहूँ के माध्यम उपलब्ध कराए। इसके प्रतिनिधि देश के अन्दर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा राष्ट्र की बाहरी प्राथमता में रक्षा करने का दायित्व भी सरकार के सामंजस्य में धारण है। कहना न होगा कि इन सब कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय समाधान (Financial Resources) जुटाने, प्रत्यक्षिताने निर्धारित करने और कार्यक्रम चलाने का काम भी सरकार का होता है। अतः इन कृत्यों के निर्वहन के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है जोकि देश के समाधानों में से करों, ऋणों आदि के रूप में जुटाया जाता है। देश के समाधान (Resource) पूर्ण सीमित होने के अतः विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए दुर्लभ समाधानों का आवंटन करने हेतु उचित बजट व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि करों और ऋणों के रूप में धन लोगों से जुटाया जाता है। धन सरकार के वित्तीय प्रस्तावों के लिए लोगों की मजूरी लेना आवश्यक है जो समय में उनके मुँह से प्रतिक्रियाओं के द्वारा स्पष्ट रूप में व्यक्त की जाती है। इसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार समय के दोनो सदनों में प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है।

बजट क्या है

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) या अनुमानित आय और व्यय का विवरण (Estimated receipts and expenditure Statement) प्राप्त होता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष उस समय प्रत्येक वर्ष की प्रथम अप्रैल से आरम्भ होता है। विशेष में, बजट में इस बात का ध्यान दिया

गया होता है किससाधन (Resources) किस प्रकार जुटाये जायेंगे और आगामी वर्ष किन-किन मदों पर कितना धन खर्च किया जाना है।

संविधान में उपबंधित है कि कोई कर, विधि के प्राधिकार से अधिरोपित या मगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं और राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रावकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (Statement of estimated receipts and expenditure) रख पाएगा¹। इस प्रकार वित्तीय मामलों में लोक सभा की सर्वोच्चता सुनिश्चिन्त होती है। चूंकि व्यय के प्रत्येक प्रस्ताव को संसद द्वारा केवल एक वर्ष के लिए मंजूर किया जाता है सरकार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए संसद को नजर अन्दाज नहीं कर सकती है। संविधान में भारत की "संचित निधि" (Consolidated Fund) के लिए उपबन्ध किया गया है जिसमें ऋणो, अधिम राशियों इत्यादि द्वारा प्राप्त मारा राजस्व (Revenue) जमा किया जाता है।² बजट में व्यय इस प्रकार पृथक्-पृथक् दिखाए जाते हैं — (क) संविधान में भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर प्रभारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि, और (ख) भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि। प्रथम श्रेणी के व्यय के बारे में दोनों सदनों में चर्चा हो सकती है परन्तु उसे दोनों में से किसी भी सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। अतः वह बजट का मतदान के लिए न रखा जा सकने वाला भाग है। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय में सम्मिलित होता है। राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते तथा उनके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय राज्य सभा के सभापति और उप सभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और अन्य भत्ते, भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को, या उनके सवध में, मंदाय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार प्रभारित घोषित किया जाता है। दूसरी श्रेणी का व्यय लोक सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों (Vote of Grants) के रूप में रखा जाता है। लोक सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी ऐसी मांग को स्वीकार करे या स्वीकार करने से इकार कर दे अथवा इस मांग में कमी कर दे। किसी अनुदान की ऐसी मांग राष्ट्रपति की गिकारिण पर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं³। इन मांगों का उद्देश्य चूंकि सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करना होता है इसलिए यदि कोई मांग पूरे तौर पर अस्वीकृत कर दी जाती है तो इगका अर्थ सरकार की पराजय होता है।

भारत की संचित निधि में से कोई धन समुद्र पाग द्वारा किए जाने वाले विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के अधीन ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।⁴

बजट संबंधी कार्य करते समय सगद् में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसकी तीन अवस्थाएँ हैं।

(क) बजट पेश किया जाता। लोक सभा में बजट दो भागों में, अर्थात् रेल वित्त से संबंधित रेल बजट और रेलों को छोड़कर भारत सरकार की मधुची वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला "सामान्य बजट" (General Budget) रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने का मूल उद्देश्य यह था कि रेलवे राजस्व से निरविकृत रूप में सामान्य राजस्व को असादान किए जाने की व्यवस्था करके प्रायश्चित्तों में स्थिरता लायी जाये और रेलवे वित्त के प्रशासन में लचीलापन लाया जाये।

रेल बजट रेलवे मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रत्येक वर्ष कारवरी मास के तीसरे गणनाह में विधायी दिना प्रस्तुत किया जाता है और सामान्य बजट प्रतिवर्ष फरवरी के अन्तिम कार्य-दिवाक को 5 बज ग प पर पेश किया जाता है। सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया जाता है। मंत्री के बजट भाषण के दो भाग होते हैं, भाग 'क' में देश का सामान्य अर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) और भाग 'ग' में पेशे वाले विधायक वर्ग के लिए कराधान संबंधी प्रस्ताव (Taxation Proposals) होते हैं। भाषण की समाप्ति के पश्चात् वित्त मंत्री बजट की एक प्रति स्वयं प्रमाणित कर राज्य सभा के सदन पर रखता है। उसके तुरन्त बाद वित्त मंत्री लोक सभा में, पेशे वर्ष के सम्बन्ध में सरकार के वित्तीय प्रस्तावों का कार्य कर देने के लिए वित्त विरोध पेश करता है जिसमें सरकार के कराधान प्रस्ताव होते हैं²। उसके बाद सभा की बैठक स्थगित हो जाती है और जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं की जाती³।

(ख) बजट पर चर्चा बजट पर दो प्रश्नों (Stages) में चर्चा होती है, अर्थात् (1) पहले उस पर सामान्य चर्चा (General Discussion) होती है और उसके पश्चात् अनुदानों की मांगों (Demands of Grants) पर विस्तृत चर्चा तथा मतदान होता है। बजट पर चर्चा बजट पेश किए जाने के कुछ दिन पश्चात् प्रारम्भ होती है⁴।

सामान्य चर्चा वाद-विवाद (Debate) में प्रारम्भ होती है जो दोनो सदनों में तीन-चार दिन तक चलता है। सामान्य चर्चा के दौरान सभा को इस बात की पूरी सूट होती है कि वह चाहे तो मसूचे बजट पर चर्चा करे, परन्तु कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। प्रशासन की सामान्य मसीक्षा की जा सकती है। कराधान और व्यय के अन्तरे को चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता है। चर्चा केवल वित्त मंत्री के भाषण में उल्लिखित कराधान नीति तक ही सीमित होती है। इस प्रकार सामान्य वाद-विवाद में प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है जिसमें सरकार को यह धारणा हो जाता है कि प्रस्ताव विशेष के प्रतिपाद की अवस्थाओं में क्या प्रतिक्रिया होगी। राज्य सभा की दी गई शक्ति के अन्तर्गत

वहाँ केवल सामान्य चर्चा होती है। केवल लोक सभा ही मांगों पर मतदान का अधिकार प्राप्त है।

(ii) सामान्यतः, प्रत्येक मंत्रालय को दिये जाने वाले अनुदान (Grants) के मबध में एक धनग माग की जाती है। इन मांगों का सबध वजट के व्यय वाले भाग से होता है। इनके जरिये कार्यपालिका लोक सभा से निवेदन करती है कि मांगी गई राशि का खर्च करने का उन्हें अधिकार दिया जाये। अनुदानों की मांगे (Demand For Grants) सामान्यतया मम्बद्ध मंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत नहीं की जाती। ये मांगे पेश की गई मानी जाती हैं तथा सभा का समय बचाने के लिए अध्यक्षरीठ (Chair) द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। इस प्रक्रम में चर्चा का क्षेत्र ऐसे मामले तक, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होता है और उम माग के प्रत्येक शीर्षक (head) तक, जो सभा में मतदान के लिए रखी जाती है, सीमित रहता है।

मांगों पर चर्चा के दौरान मम्बद्ध मंत्रालय की नीतियों और कार्यकरण की विस्तारपूर्वक जाच की जाती है। प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिए अलग-अलग समय नियत किया जाता है। सदस्यों को इस बात की छूट होती है कि वे किसी मंत्रालय विशेष द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का निरनुमोदन कर सकें अथवा उम मंत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता (economy) लाने हेतु उपाय सुझा सकें अथवा उम मंत्रालय का ध्यान विशिष्ट स्थानीय शिकायतों की ओर घानृष्ट कर सकें। इस प्रक्रम में अनुदानों की मांगों के मूल प्रस्ताव के महायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं। इन महायक प्रस्तावों को संसदीय भाषा में "कटौती प्रस्ताव" (Cut-Motion) कहा जाता है।¹⁸ परन्तु किसी माग में कमी करने के उद्देश्य से पेश किये गये किसी प्रस्ताव में मशोधनों की अनुमति नहीं होती है।

कटौती प्रस्ताव, अनुदानों की मांगों की राशियों में कमी करने वाले प्रस्ताव "कटौती प्रस्ताव" कहलाते हैं। कटौती प्रस्तावों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है (एक) नीतिनिरनुमोदन कटौती (Disapproval of policy cut), (दो) मितव्ययिता कटौती (Economy cut) और (तीन) सांकेतिक कटौती। सबसे प्रभावी कटौती प्रस्ताव "नीति निरनुमोदन कटौती" प्रस्ताव होता है जिसमें कहा जाता है कि माग की राशि को घटाकर एक छपवा किया जाये"। इसका तात्पर्य होता है कि प्रस्तावक मोग में अन्तर्ग्रस्त नीति का निरनुमोदन करता है। इसके अतिरिक्त "मितव्ययिता कटौती" प्रस्ताव होता है जिसका उद्देश्य व्यय में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से माग की राशि में छपये (एक राशि व्यय) की कमी की जाये। कम करने के लिए मुझाई गई राशि माग में एक मुश्ट राशि (lump-sum) की कमी करने के बारे में हो सकती है या मांग में से किसी मद को हटाने अथवा उममें कमी करने के बारे में हो सकती है। अन्तिम कटौती प्रस्ताव "सांकेतिक कटौती" (Token cut) प्रस्ताव होता है जिसमें कहा जाता है "कि माग की राशि

में 1971 रुपये कम किए जायें।" ऐसे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा उभरे विनिर्दिष्ट शिवायत तक ही सीमित रहती है, जो भारत सरकार के उत्तर-दायित्व के क्षेत्र में होती है। कटौती प्रस्ताव के रूप में, इस प्रस्ताव का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है।

सामान्यतया, मूल प्रस्ताव और उभरे संबंधित कटौती प्रस्ताव पर मदन में एक साथ चर्चा की जाती है और उसे मतदान के लिए रखा जाता है। घट कटौती प्रस्ताव से माध्यम से अनुदानों की मांगों (Demands of Grants) पर चर्चा प्रारम्भ की जाती है। चर्चा के पश्चात्, मसुप्रथम कटौती प्रस्तावों (Cut motions) की विपटाया मना है और उसके बाद अनुदानों की मांगे मदन में मतदान के लिए रखी जाती है। कटौती प्रस्ताव विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। उनसे स्पष्ट है कि जान से तात्पर्य है मन्कार की निन्दा। किन्तु मदन में बहुमत की सरकार होने से उनके स्वीकृत होने की आशा ही नहीं होती। घट कटौती प्रस्ताव अनुदानों संबंधी मांगों पर चर्चा प्रारम्भ करने में प्रतीक मान होने है।

किसी मांग विषय की और बन्द सहित अनुदानों की मांगों पर चर्चा हेतु और उनका स्वीकार करने के लिए मदन का आवेदन कार्य-मण्डल समिति (Business Advisory Committee) द्वारा किया जाता है। जैसे ही किसी मांग का मसु-समाप्त होती है, उस पर चर्चा के "समापन" (Closure of discussion) की प्रक्रिया लागू की जाती है और मांग का मतदान के लिए रखा जाता है।¹⁰ नियत दिनों में प्रथम दिन निश्चित समय पर अध्यक्ष अनुदानों की मांगों में संबंधित सभी पेश मामलों की विपटाने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न सभा के मसु रखा है। इस अनुदानों की मांगों पर "चर्चा की समाप्ति" (विनाइटन) बहुत है। इसका साथ ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो जाती है।¹¹

(ग) विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) सविधान के अनुच्छेद 114 के उपसर्गों के अनुसार भारत की सचिन निधि (Consolidated fund of India) में कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि उसके सम्बन्ध में कानून द्वारा विनियोग (Appropriation) न किया गया हो। सभा द्वारा अनुदानों की मांग (Demand of grants) वारित किये जाने के बाद, अनुदानों को और भारत की सचिन निधि पर प्रभारित व्यय (Charged) व्यय की पूरा करने के लिए सभी धनराशियों का भारण की सचिन निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक (Bill) पुरन्थाकृत किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है और उसे पारित किया जाता है। उसमें वे राशिया भी शामिल होती हैं जो भारत की सचिन निधि पर प्रभारित व्यय हैं। इस विधेयक का प्राण

गचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिये सरकार को कानूनी अधिकार देना है।

विनियोग विधेयक पर चर्चा उसमें शामिल अनुदानों में निहित लोक महत्त्व के विषयों पर प्रणामनिक नीति तथा ऐसे मामलों तक, जो अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय पहले उठाये गये हों, सीमित रहती है। इस पर कोई सशोधन पेश नहीं किए जा सकते।¹¹ अन्य मामलों में विनियोग विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया वही होती है, जो कि अन्य विधेयकों के संघ में होती है। विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् अध्यक्ष उसे धन विधेयक (Money Bill) होने के रूप में प्रमाणिकृत करता है और उसको राज्य सभा के पास भेज देता है। राज्य सभा को धन विधेयक में सशोधन करने या उसे अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उसको विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। तत्पश्चात्, विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) वित्त विधेयक (Finance Bill) "वित्त विधेयक" का अर्थ उस विधेयक में है, जो सामान्यतया, प्रतिवर्ष, अगले वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों (Financial proposals) का स्वीकृति देने के लिये पुर स्थापित किया जाता है तथा उसमें एसा विधेयक भी शामिल होता है, जो किसी अवधि के लिये अनुपूरक (Supplementary) वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति देता है।¹² यह विधेयक साधारणतया प्रत्येक वर्ष बजट पेश किये जाने के तुरन्त पश्चात् लोक सभा में पेश किया जाता है।

वित्त विधेयक के पुर स्थापन का विरोध नहीं किया जा सकता और उसे नुरन्त मतदान के लिये रखा जाता है।¹³ विधेयक पर चर्चा सामान्य प्रशासन संबंधी मामलों, भारत सरकार की जिम्मेदारी के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों के संघ में स्थानीय शिकायतों या सरकार की वित्तीय धयवा धन संबंधी नीति के सम्बन्ध में ही उठायी जा सकती है।¹⁴ वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार की नीति की सामान्य आलोचना की तो अनुमति है किन्तु किसी विशेष प्रावकलन के ब्योरे पर चर्चा करना नियमानुसूल नहीं है। सक्षम में सारे प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है। परन्तु उन प्रश्नों को फिर से नहीं उठाया जा सकता जिन पर पहले किसी वाद-विवाद में चर्चा हो चुकी है। वित्त विधेयक सप्तद् द्वारा, उसके पुर स्थापित किये जाने के 75 दिनों के भीतर पास करना पड़ता है और उसी अवधि के भीतर राष्ट्रपति की अनुमति उस पर पर मिलना आवश्यक है।¹⁵

लेखानुदान (Vote on Account) :

चू कि बजट सम्बन्धी समूचा कार्य, जो बजट के पेश किये जाने में आरम्भ होता है और अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने पर समाप्त होता है, सामान्यतः चानू वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं हो पाता, इसलिये संविधान में ऐसा उपबन्ध किया गया है, जिसके

अन्तर्गत लेखा-अनुदान (Vote on Account) द्वारा अधिम अनुदान देने की शक्ति लोक सभा का ही गई है। जिसमें मांगकर अनुदानों की मांगों (Demands for grants) पर मतदान होने तथा वित्तियोग विधेयक (Appropriation Bill) और वित्त विधेयक (Finance Bill) के पारित होने तक अपना कार्य चला सके।¹⁴

सामान्य लेखा-अनुदान की स्वीकृति दो महीनों के लिये ली जाती है और इसकी राशि अनुदानों की विभिन्न मांगों के अधीन समस्त वर्ष के लिये प्राकल्पित (Estimated expenditure) व्यय के छोटे भाग के बराबर होती है। यदि किसी निश्चित वर्ष में यह पूर्व-अनुमान हो कि सभा को मुख्य अनुदानों और वित्तियोग विधेयक को पारित करने में अधिक समय लग सकता है तो लेखा-अनुदान की स्वीकृति अधिक समय अर्थात् तीन से चार भाग तक के लिये ली जा सकती है। प्रधान-अनुदान को एक अर्धवारिकता माना जाता है और इसे लोक सभा किसी वर्ष के बिना ही स्वीकार करती है। बजट पर सामान्य वर्षा समाप्त होने के पश्चात् और अनुदानों की मांगों पर वर्षा पारित करने में पूर्व लोक सभा द्वारा लेखा-अनुदान स्वीकृत किया जाता है। येन बजट के सम्बन्ध में दिने 31 माघ में पहले स्वीकार किया जाता है, किन्तु निश्चित वर्ष को छोड़कर अब ऐसा करना आवश्यक हो, कोई लेखा-अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें¹⁵

समूह द्वारा स्वीकृत राशि से अग्रिम व्यय उसकी मजुरी के बिना खर्च नहीं किया जा सकता। यदि किसी सेवा विशेष पर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या जब उस वर्ष के बजट में अर्पणित किसी नई सेवा के लिये चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय (Supplementary or additional expenditure) करने की आवश्यकता पैदा होती है, तो राष्ट्रपति समूह के दोनों सदनों के समक्ष उन व्यय की प्राकल्पित राशि दिखाने वाला एक और विवरण प्रस्तुत करवाना है।

यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशि (Granted amount) में अधिक व्यय हो जाता है तो राष्ट्रपति लोक सभा में ऐसे अतिरिक्त व्यय के लिये मांग प्रस्तुत करवाना है। ऐसे अतिरिक्त व्यय के सभी मामलों की ओर निरीक्षक और महा-सेवा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) द्वारा वित्तियोग लेखा-अधी सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन के माध्यम से समूह का ध्यान दिखाना जाता है। लक्ष्मण्ण अतिरिक्त व्यय के इन मामलों की दृष्टिगत लोक सेवा सचिवालय द्वारा की जाती है, जो सभा को प्रस्तुत किये जाने वाले अपने प्रतिवेदन में इनकी विनिर्दिष्ट करने के बारे में अपनी विचारों पेश करती है। अनुपूरक अनुदानों (Supplementary grants) को माने विधीन रूप का अन्त होने में पूर्व पेश और स्वीकार की जाती है, जब कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगें वास्तव में इन व्यय किये जाने के पश्चात् तथा उस वित्तीय वर्ष, वित्त

सबध में वे हैं, के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद केवल उन मसौ तक ही सीमित रहता है जिन्हें एक प्रस्तुत किया गया हो, और जहां तक चर्चाधीन मसौ की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।¹⁸ उन योजनाओं के सम्बन्ध में, जो मुख्य बजट में पहले ही मजूर की जा चुकी हों नीति संबंधी या सिद्धान्त संबंधी किसी प्रश्न पर कोई चर्चा उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। किन्तु मांगों के सबध में कोई मजुरी न ले ली गयी हो, उनसे सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी प्रश्न उन्हीं मसौ तक सीमित रहे जाते हैं, जिन पर सभा को मतदान करना है। किसी अनुपूरक मतदान पर चर्चा के समय सामान्य शिकायतें नहीं बतयी जा सकती हैं। कोई मसौ केवल इतना कह सकता है कि अनुपूरक मांग आवश्यक है या कि नहीं।

अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (Additional demands for grants) पर चर्चा के दौरान मसौ केवल यह कह सकते हैं कि कैसे धन का अनावश्यक रूप में व्यय किया गया है या इसका व्यय नहीं किया जाना चाहिये था।

प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान (Votes of Credit and Exceptional Grants)¹⁹

जब किसी मेधा की महत्ता या राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिये निधियों की आवश्यकता हो और जिसके सबध में पैसा खोला देना सम्भव न हो जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण (Financial Statement) में सामान्यतया दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में मदन बिना खोले दिये प्रत्ययानुदान के माध्यम से अप्रत्याशित मांग (unexpected demand) की पूर्ति के लिये अनुदान स्वीकृत कर सकता है।

अपवादानुदान (exceptional grant) एक ऐसा अनुदान है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं होता है। मसौ को किसी विशेष प्रयोजन के लिये इसे स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है। तथापि आज तक ऐसी कोई मांगें मसौ में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

इसके अलावा, मधु राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों के बजट भी लोक सभा में पेश किये जाते हैं। ऐसी मामलों में केंद्रीय सरकार भी बजट संबंधी प्रतिष्ठा अध्यक्ष द्वारा किये गये परिवर्तनों के माध्यम से अपनाई जाती है।

संदर्भ

1. अनु० 112, 113, 265 और नियम 204 मविधान में "बजट" शब्द का

प्रयोग नहीं किया गया है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” का लोक प्रिय नाम है।

2. अनु० 266 इसके अतिरिक्त एक आकस्मिता निधि भी होती है जो राष्ट्र-पति द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अविलम्बनीय और अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति के पास रहती है। (अनु० 267)
- 3 अनु० 113
- 4 अनु० 114(1)
- 5 नियम 219
- 6 नियम 205
- 7 नियम 207
- 8 नियम 209
- 9 नियम 362
- 10 नियम 208
- 11 नियम 218
- 12 नियम 219(1)
- 13 नियम 72(द्वितीय पारन्तुक)
- 14 नियम 219(5)
- 15 देविपे करो का प्रम्थाई गप्रहरा (सशोधन) अधिनियम, 1964
- 16 अनु० 116(1)(क) और (ल)
- 17 अनु० 115
- 18 नियम 216
- 19 अनु० 116

संकल्प, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनायें
 और अल्पकालीन चर्चायें
 सदन में लोक महत्त्व के मामले उठाने की
 प्रक्रियायें, अविश्वास और निन्दा
 प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रियायें

“प्रश्न काल” (Question hour) “शून्य काल” (Zero hour) और “आध घण्टे की चर्चा” (Half-an-hour Discussion) के अलावा अति-सम्बन्धी लोक महत्त्व के मामले उठाने के लिए समद सदस्य को अनेक अनिश्चित प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि दरकार होती है। “शून्य काल” जैसा पहले तो नियमों में कुछ होती नहीं थी और फिर उस के दौरान एक ही प्रश्न पर अनेक सदस्यों के बोलने में मामले का जोर में घोषित हो जाने की अधिक सम्भावना रहती है। किसी अप्रत्याशित रूप में उत्पन्न समस्या की ओर सरकार का तुरन्त ध्यान आकर्षित करने के लिए समद सदस्य के पास निम्नलिखित अन्य उपाय उपलब्ध हैं यथा मकल्प (रिजोल्यूशन), प्रस्ताव (मोशन), ध्यानाकर्षण सूचनायें (कानिग एटेंशन नोटिसिज) स्पेसियल प्रस्ताव (एडजर्नेमेंट मोशन), अल्पकालीन चर्चायें (शार्ट ड्यूरेसन डिस्कशन) और नियम 377 के अधीन उल्लेख। उक्त उपायों के प्रयोग के लिए लोक सभा के प्रक्रिया नियमों में व्यवस्था की गई है। राज्य सभा में भी ऐसी ही व्यवस्था है सिवाय इसके कि राज्य सभा में स्पेसियल प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते क्योंकि उनमें सरकार के प्रति निन्दा का तत्त्व होता है। नियम 377 के अन्तर्गत पर राज्य सभा में विशेष उल्लेख की व्यवस्था है।

“कि इस बात से चिन्तित होते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य क्रियान्वयन में प्रशामन विलम्ब के कारण राष्ट्र आकांक्षायों के अनुकूल आगे नहीं बढ़ रहा है, यह सभा सरकार में सिफारिश करती है कि वह सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर बराबर निगरानी रखने, प्रगति में बाधक तत्त्वों का पता लगाने और जहाँ कोई परियोजनाएँ रुकी हुई हों और उनमें विलम्ब हो रहा हो वहाँ तुरन्त उपचारात्मक उपायों का मुभाव देने के लिए एक राष्ट्रीय सांविधिक निगरानी निकाय की स्थापना करे।”

इसी सदस्य की निम्नलिखित सूचना 15 अगस्त, 1982 की सकल्प (Resolution) के रूप में गृहीत हुई थी और पेश की गई थी

“सरकार के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को शीघ्र कार्यरूप देने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की दृष्टि में यह सभा सिफारिश करती है कि सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर बराबर निगरानी रखने, प्रगति में बाधक तत्त्वों का पता लगाने और उन्हें शीघ्र कार्यरूप देने के लिए तुरन्त उपचारात्मक उपायों का मुभाव देने के लिए सरकार के अधीन एक निगरानी निकाय की स्थापना की जाये।”

सकल्प मूल प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं अर्थात् प्रत्येक सकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। जबकि सब प्रस्ताव मूल प्रस्ताव नहीं होते। सब सकल्पों पर मदन में मतदान होता है। दूसरी ओर सब प्रस्तावों को मतदान के लिए सदन में रखा जाना अनिवार्य नहीं होता है। मूल प्रस्ताव होने के कारण किसी सकल्प पर स्थानापन्न प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता जबकि मूल प्रस्तावों से भिन्न प्रस्तावों पर स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के सकल्प :

सकल्पों को इन श्रेणियों में बाटा जा सकता है। गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्प, सरकारी सकल्प, और सांविधिक सकल्प।

(क) गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्प (Private Members Resolution) मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य गैर-सरकारी सदस्य कहलाते हैं। उनमें द्वारा पेश किए जाने वाले सकल्पों को गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्प कहा जाता है। इनसे अनिश्चित प्रस्तावों या ऐसे प्रस्तावों के बारे में जिन पर जनमत प्रती बनना हो, मदन के विचार जानने का सरकार को अवसर मिलता है।

लोक सभा में हर दूसरे शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढाई घण्टे गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्पों पर चर्चा के लिए नियत किये जाते हैं। गैर सरकारी सदस्यों को, जो सकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं प्रथमतया वेलट की तारीख में कम से कम दो

दिन पहले महासचिव की इस याचिका की रचना विहित सूचना ही देनी होती है। जिस सदस्यो की ऐसी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं उनके नामों का बिल्ट किया जाता है। लोक सभा में तीन सदस्यों के नामों और राज्य सभा में पांच सदस्यों के नामों का बिल्ट द्वारा विधायक होना है ताकि जमा प्रत्येक सदस्य सकल्प की सूचना दे सके।¹⁵ यदि वे सरकार की याचिका के विरोध में हों, तो उन्हें गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य-सूची में रखा दिया जाता है। पीछेकी अधिकांश उदाहरणों द्वारा जाने पर सम्बन्धित सदस्य सकल्प प्रस्तुत करना है और अपना भावना देना है।¹⁶ उपरोक्त अन्य सदस्य और संबन्धित सचिव भी बिल्ट करते हैं। सकल्प प्रस्तुत किए जाने के बाद कोई सदस्य, सकल्पों में सम्बन्धित नियमों के अंतर्गत रहते हुए सकल्प में संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।¹⁷ गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्पों पर चर्चा करने के लिए समय का आवंटन गैर-सरकारी सदस्यों के विषयों तथा सरकारी संसदीय समिति बरती है। सामान्यतया किसी गैर-सरकारी सदस्य के सकल्प पर चर्चा के लिए दो घण्टे का एक समय आवंटित किया जाता है। इसी के अलावा वे पान्दानुसकन्त के प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार होता है।

(ग) सरकारी सकल्प (Government Resolution) प्रकाश मन्त्री द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में उनकी ओर से किसी अन्य मन्त्री द्वारा पेश किया जाने वाला सकल्प सरकारी सकल्प कहा जाता है। यद्यपि सरकारी सकल्पों के लिए सूचना देने को कोई बाधा निर्धारित नहीं की गयी है वास्तव में मन्त्री उस क्षिति में कई दिन पहले ऐसे सकल्प की पूर्ण सूचना देते हैं जिस दिन उन्हें कार्य-सूची में रखा जाना हो। कोई सकल्प पेश करने की अपनी इच्छा की सूचना मन्त्री जो भी महासचिव को देनी होती है। सरकारी सकल्पों पर साहसता सम्बन्धी वही नियम लागू होते हैं जो कि गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्पों पर। किसी सरकारी सकल्प पर चर्चा के लिए समय सदन द्वारा कार्य-संयोजन समिति की सिफारिश पर तयत किया जाता है।¹⁸ उसमें संशोधन करने तथा उनसे निपटारे और सकल्प के निपटारे के सम्बन्ध में वाक्य प्रयोग वही है जो कि गैर-सरकारी सदस्यों के सकल्प के सम्बन्ध में है।

सरकारी सकल्पों का उद्देश्य सामान्यतया ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, अभिसमयों या करारों पर सदन का अनुमोदन लेना होता है जो सरकार द्वारा सम्पन्न किए गए हों या सरकार की बुद्ध नीतियों को घोषणा करना या उनका अनुमोदन, या बुद्ध समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन करना होता है।

(घ) सांविधिक सकल्प (Constitutional Resolution) संविधान या समूह के किसी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत रहे गये सकल्पों को सांविधिक सकल्प कहा जाता है।¹⁹ ऐसे सकल्प किसी मन्त्री द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किए जा सकते हैं। संविधान द्वारा अधिनियमों में स्पष्ट रूप में कहा गया होता है

कि सरकार निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे मकल्प अवश्य लाये। किसी सांविधिक मकल्प को रखने की सूचना की कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं होती, जब तक कि इस प्रकार की अवधि का उपबन्ध मविधान के किसी विशेष अनुच्छेद या उस अधिनियम की किसी धारा में न किया गया हो, जिसके अन्तर्गत इसको रखा जा रहा हो।¹⁰ गृहीत किए जाने के पश्चात् सांविधिक मकल्प चर्चा के लिए समय सरकार द्वारा सरकारी कार्य के लिए नियत समय में से दिया जाता है जो सदन द्वारा कार्य-मन्त्रणा समिति की सलाह पर निश्चित किया जाता है।

गैर-सरकारी सदस्य का मकल्प, सरकारी मकल्प या सांविधिक मकल्प, सदन द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् सभी की एक प्रति महामन्त्रिद्वारा मविधान मन्त्री को प्रेषित की जाती है।

सदन द्वारा स्वीकृत संकल्पों या प्रस्तावों का प्रभाव यदि कोई प्रस्ताव अथवा मकल्प सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है और सदन इसके बारे में अपनी राय की घोषणा करता है तो उससे सदन का आदेश अभिप्रेत होता है। प्रभाव की दृष्टि से संसद् द्वारा स्वीकृत मकल्प इन श्रेणियों में आते हैं

(एक) ऐसे मकल्प, जो सभा द्वारा व्यक्त की गयी राय मात्र है। उनका उद्देश्य सभा की राय जानना होता है। अतः सरकार ऐसे संकल्पों में व्यक्त किए गए विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिये बाध्य नहीं होती है। यह बात पूर्ण रूप से सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है कि ऐसे मकल्प में जिस कार्यवाही का सुझाव दिया गया है, वह उसे करे या नहीं।

(दो) ऐसे मकल्प, जिनका सांविधिक प्रभाव है, यदि इस प्रकार के मकल्प स्वीकार हो जाए, तो सरकार उनके द्वारा बाध्य हो जाती है और ऐसे मकल्प में वही शक्ति होती है जो कि किसी कानून में। मविधान में उपबन्ध है कि इस प्रकार के मकल्प राष्ट्रपति पर अभियोग (Impeachment) चलाने, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उप-सभापति को हटाने, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश (Ordinance) का निरनुमोदन करने, राष्ट्र के हित में राज्य-सूची में सम्मिलित किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति समझ को देने, प्रखिल भारतीय सेवाओं का नृजन करने, और प्रापत स्थिति की उद्घोषणा को स्वीकृत करने जैसे प्रयोजनों के लिए पेश किए जाते हैं।¹¹

(तीन) ऐसे मकल्प जो कि सभा अपनी कार्यवाही पर नियन्त्रण के मद्दमें पेश करती है। इन मकल्पों के स्वीकृत हो जाने पर उनमें वही बल

होता है जो कि कानून में और किसी भी न्यायानय में उनकी वैधता पर प्रापति नहीं की जा सकती है ।

सकल्प, चू कि, राय प्रकट करने या निष्काशन करने के रूप में हो सकता है, अथवा ऐसे रूप में हो सकता है जिसके द्वारा सभा सरकार के किसी कृत्य या नीति का अनुमोदन या निःसुमोदन करता है । यदि विपक्ष सरकार के किसी कार्य या नीति के निरनुमोदन करने में सफल हो जाती है तो क्या उस सकल्प को सरकार की निन्दा माना जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में क्या सरकार को पद त्याग कर देना चाहिए ? इस सवाल में कोई निश्चित नियम नहीं है । केवल ऐसे मामले में जो महत्वपूर्ण मामला समझा जाता हो अथवा विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर सरकार से पद त्याग करने का या मदन को मग करने का परामर्श देने की आज्ञा की जाती है ।

प्रस्ताव (Motion)

सदन का एक मुख्य कर्तव्य यह होता है कि वह विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अपनी इच्छा का राय बताये । चू कि लोक सभा की सदस्य संख्या काफी अधिक है, अतः मदन की इच्छा जानने की सुविधाजनक बनाने और सदन द्वारा प्रत्येक निर्णय के लिये किसी सदस्य को प्रस्ताव के रूप में कोई सुझाव मदन के समक्ष रखना होता है । यदि मदन सदस्य द्वारा रमे गये प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह समूचे सदन की राय या इच्छा बन जाती है । मच ही यह है कि सारी समस्यीय कार्यवाही का आधार प्रस्ताव ही होता है । व्यापक अर्थों में "प्रस्ताव" का अर्थ कोई भी ऐसी प्रस्थापना हो सकता है जो सभा का निर्णय जानने के लिए मदन के सामने रखी जाये ।¹²

प्रस्ताव पर वाद-विवाद के निम्नलिखित प्रक्रम होते हैं—

- (क) प्रस्ताव का रखा जाना,
- (ख) अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करना,
- (ग) वाद-विवाद या चर्चा जहाँ अनुज्ञेय हो, और,
- (घ) सदन की स्वीकृति या अस्वीकृति ।

प्रस्ताव का प्रस्तावक उसे उस रूप में पेश करता है जिसमें कि वह चाहता है कि अंततोगत्या सदन उसे पाम कर दे । परंतु यह सदन पर निर्भर करता है कि वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दे या उसे पूर्णतया स्वीकार कर दे या यदि कोई विशेष मसौदा रखे गये हो तो मसौदा सहित उसे स्वीकार कर दे या इसका अभिप्राय यह है कि जो सदस्य यह चाहते हैं कि वह प्रस्ताव उसमें भिन्न रूप में पाम हो, जिसमें उसे रखा गया है, उन्हें मूल प्रस्ताव के पीछासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाने के बाद उसमें मसौदा या स्थानापस प्रस्ताव रखने पड़ते हैं ।

सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। जहाँ सरकारी सदस्य (मन्त्री) सरकार की किसी नीति या कार्यवाही के लिए सदन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव रखते हैं वहाँ गैर-सरकारी सदस्य मामले पर सरकार की राय या विचार जानने के लिए प्रस्ताव पेश करते हैं। सब प्रस्तावों को, निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) मूल प्रस्ताव (Substantive Motion),

(ख) स्थानापन्न प्रस्ताव (Substitute Motion), और

• (ग) सहायक (सबमिडियरी) प्रस्ताव।¹³ (Subsidiary Motion)

मूल प्रस्ताव (सबस्टेन्टिव मोशन) मूल प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव होता है, जो सदन के अनुमोदन के लिए उसके सामने रखा जाता है और उसका प्रारूप इस ढंग से तैयार किया जाता है कि वह सदन निर्णय की अभिव्यक्ति कर सके।¹⁴ यह प्रस्ताव न तो किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करता है और न ही किसी अन्य प्रस्ताव से उत्पन्न होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति तथा उप सभापति के चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव अविश्वसनीय लोकमहत्त्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव, संकल्प, सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा उठाने के प्रस्ताव, मन्त्रीपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति या उपसभापति को पदच्युत करने के संकल्प और ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त करने का प्रस्ताव, जिसकी छुट्टी सदन ने मंजूर न की हो, मूल प्रस्तावों के उदाहरण हैं।¹⁵ इसके अतिरिक्त ऊँचे पदों पर आसीन व्यक्तियों पर महाभियोग चलाने का उपबंध है जो उचित शब्दों में बनाए गए मूल प्रस्ताव द्वारा ही चलाया जा सकता है।¹⁶ मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक को वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार होता है। सब संकल्प मूल प्रस्ताव होते हैं।

स्थानापन्न प्रस्ताव (सबस्टीट्यूट मोशन) - जो प्रस्ताव किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार करने के मूल प्रस्ताव के स्थान पर रखने के लिए प्रस्तुत किये गये हों, स्थानापन्न प्रस्ताव कहलाते हैं।¹⁷ किसी मूल प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ होने में पहले कोई सदस्य स्थानापन्न प्रस्ताव रख सकता है जो कि मूल प्रस्ताव के विषय पर हो परन्तु इस ढंग से लिखा जा सकता है कि उसमें सदन की कोई राय व्यक्त होती हो। स्थानापन्न प्रस्ताव पर मूल प्रस्ताव के साथ-साथ विचार किया जाता है। वाद-विवाद के पश्चात् केवल स्थानापन्न प्रस्ताव पर ही सभा का मत लिया जाता है।¹⁸ स्वीकृत हो जाने पर वह मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है जिसे तब मतदान के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि जब मंशोधन स्वीकृत हो जाए तो मूल प्रश्न को संशोधित रूप में मतदान के लिए रखा जाता है।

सहायक प्रस्ताव (सबसोइयरी मोशन):

यह प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों पर प्राथित या उनसे संबंधित होते हैं या मदन की किसी कार्यवाही में उत्पन्न होते हैं। अपने प्राप में उनका कोई मतलब नहीं होता ? और वे मूल प्रस्ताव या मदन की कार्यवाही का उल्लेख किये बिना मदन के निर्णय की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। सहायक प्रस्तावों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है।

- (क) धान्यगिक प्रस्ताव (अन्वीयरी मोशन),
- (ख) प्रतिस्थापक प्रस्ताव, (सुपरसीडिंग मोशन). और,
- (ग) सशोधन (एम्बेन्डेन्ट)।^{११}

धान्यगिक प्रस्ताव (Ancillary Motion) वे प्रस्ताव हैं, जिन्हें मदन की प्रथा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य को आगे चलाने का नियमित उपाय माना जाता है अर्थात् ये वे प्रस्ताव हैं जो किसी विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों के संबंध में रखे जाते हैं जैसे कि 'विधेयक पर विचार किया जाये' या 'विधेयक को किसी प्रवर या समुक्त समिति को सौंपा जाये' या 'कि विधेयक को पास किया जाये।'

प्रतिस्थापक प्रस्ताव (Supercedding Motion) वे प्रस्ताव हैं जो यद्यपि अपने प्राप में स्वतंत्र होते हैं, परन्तु वे किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान रखे जाते हैं और इनका उद्देश्य उक्त प्रस्ताव का स्थान लेना होता है। ऐसे प्रस्तावों को किसी भी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है। प्रस्ताव के माध्यम में यह कहा जा सकता है कि "किसी विधेयक (Bill) को प्रवर या समुक्त समिति (Select-Committee) को पुनः गौंपा जाये" या "उम पर और राय जानने के लिए उसे फिर से परिचालित किया जाये" या "विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।" उक्त प्रकार के प्रस्ताव बिलम्बकारी प्रस्ताव होते हैं।

सशोधन किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान रखा जाने वाला सहायक प्रस्ताव है जिसके माध्यम से मुख्य प्रस्ताव के रखे जाने और उम पर निर्णय होने के बीच वाद-विवाद और निर्णय का एक क्रम प्रारम्भ हो जाता है। उसका उद्देश्य या तो किसी प्रस्ताव का रूप भेद करना या मूल प्रश्न के विकल्प के रूप में कोई नया प्रस्ताव मदन के समक्ष पेश करना होता है। सशोधन विधेयक, संकल्प या प्रस्ताव किसी क्षण के बारे में हो सकता है या संकल्प या प्रस्ताव के बारे में हो सकता है। यदि कोई सशोधन स्वीकार हो जाता है तो मूल प्रस्ताव को गंभीर रूप में मदन के समक्ष समझाने के लिए रखा जाता है।

किसी अन्य सूचना की तरह प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में महासचिव को दी जाती है।^{१२} प्रस्तावों की सूचना के लिए कोई प्रवधि निर्धारित नहीं है। यह सूचना किसी सरकारी सदस्य (मन्त्री) द्वारा या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी जा सकती है। पीठासीन अधिकारी किसी प्रस्ताव को गृहीत कर सकता है या रद्द

कर सकता है या उसके लिए प्राणिक रूप में अनुमति दे सकता है।²¹ इसके अतिरिक्त प्रस्ताव की विषय-वस्तु में, अन्य बातों के लिए साथ-साथ, किसी एक ही निश्चित प्रश्न को उठाया जाना चाहिए, उसमें व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मान-हानिकारक कथन नहीं होने चाहिए और उसके माध्यम से कोई विशेषाधिकार का प्रश्न या किसी ऐसे विषय से संबंधित प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अधीन हो।²²

अनियत दिन वाले प्रस्ताव (No-day-yet Named Motions)

अदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की सूचना स्वीकार कर लेता है और उस पर विचार के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की जाती तो, उसे "अनियत दिन वाला प्रस्ताव" कहा जाता है। ऐसे प्रस्तावों की सभी सूचनाएँ सप्ताह में एक बार कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखी जाती हैं जो उनके विषय की अविलम्बनीयता और महत्व के आधार पर सदन में चर्चा के लिए प्रस्तावों का चयन करती है और इस हेतु समय भी नियत करती है।²³

प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है :

जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा गया हो, प्रस्ताव के लिए नियत दिन अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर वह विधिवत अपना प्रस्ताव रखता है और अपना भाषण देता है। उसके बाद अध्यक्ष प्रस्ताव को सभा के सामने रखता है। तत्पश्चात्, सदस्य शोधन या स्थानापन्न प्रस्ताव रखते हैं और इस विषय पर चर्चा होती है। जब सदस्य और सम्बद्ध मंत्री वाद-विवाद में भाग ले चुकते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए प्रस्ताव का प्रस्तावक सदस्य उस पर बोल सकता है। शोधन तथा स्थानापन्न प्रस्ताव, यदि कोई हो, सभा के मतदान के लिए रखा जाता है। परन्तु नियम 342 के अधीन यह प्रस्ताव कि किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य मामले पर विचार किया जाये, सभा के मत के लिये नहीं रखा जाता। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी एक प्रति उचित कार्यवाही के लिए सम्बद्ध मंत्री को भेज दी जाती है।

प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सभा में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन, जैसी भी स्थिति हो, सभापति मूल प्रश्न पर सदन के फंसले के लिए तुरन्त प्रत्येक आवश्यक प्रश्न को मतदान के लिए रखता है। प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार होता है। ऐसे प्रस्ताव पर शोधन भी पेश किए जा सकते हैं।²⁴

स्थगन प्रस्ताव : (Adjournment Motion),

सामान्यतया, अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो उम दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो।²⁵ तथापि

अविनम्यनीय लोक महत्व (urgent Public Importance) के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए संसद की सदस्यों से सभा का सामान्य कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, 16

स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी ऐसे अविनम्यनीय लोक महत्व के मामले की ओर, जिसके सम्पूर्ण परिहारा हो सकते हैं और जिसके बारे में समुचित सूचना सहित प्रस्ताव या सदन देने में बहुत विचलन हो सकता है, सभा का ध्यान आकर्षित करना है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए, जिसका समुचित देण पर और उसकी सुरक्षा पर दुःप्रभाव पड़ना हो तथा सभा के लिए अपने सामान्य कार्य को रोक कर उस पर दुःप्रभाव विचार करना आवश्यक हो गया हो। इन स्थगन प्रस्ताव एक ऐसी समाधारण प्रक्रिया है जिसके गृहीत होने पर "अविनम्यनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले" पर चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं उदाहरण के लिए सामान्य—

- (क) निश्चित (Spec. fic) होना चाहिए,
- (ख) उसका आधार तथ्यात्मक (Factual) होना चाहिए,
- (ग) अविनम्यनीय (urgent) होना चाहिए, और
- (घ) लोक महत्व (Public Importance) का होना चाहिए।

इस प्रकार देश में राजनीतिक स्थिति जैसा कोई सामान्य विषय, मजदूरी की बेकारी, अराजकता, मितों का बन्द हो जाना सामान्य जनसंख्यीय स्थिति इत्यादि, स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं है। हड़ताल की घमकी प्रथा केवल के प्रत्यक्ष होने की सम्भावना प्रथम ऐसी स्थिति के बारे में सूचना जो सामान्य में पेश नहीं हुई है, ऐसे प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं है। इनके विशेषाधिकार का कोई प्राण, गणपालय में विचारणीय कोई मामला, किसी विशिष्ट मूल प्रस्ताव (Substantive motion) के माध्यम से ही उठाया जा सकने वाला मामला और ऐसे विषय पर भी चर्चा नहीं उठाई जानी चाहिए, जिन पर उसी मजदूरी के पहले चर्चा हो चुकी हो। 17 उसका मजदूरी के मामले में प्रथम होना चाहिए जिसके लिए भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो। यद्यपि राज्य सरकार के विशेषाधिकार से आने वाला मामला गृहीत नहीं किया जाता है, तथापि, किसी राज्य की सांविधिक घटनाओं प्रथम समुचित जानियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार के मामले पर, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का भी सम्बन्ध होता है, उनके महत्व को देखते हुए गृहीत करने के लिए विचार किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप माकड़ी लोक सभा के दौरान पृथ्वी मुख विषय नीचे दिये गये हैं। उन पर चर्चा भी हुई थी।

1. दिल्ली में नकली शराब पीने के कारण आठ व्यक्तियों की मृत्यु और अन्य अनेक व्यक्तियों का रोग ग्रस्त हो जाना और इनके उत्पन्न सम्पूर्ण स्थिति।

- 2 कुतुबमीनार दुर्घटना जिममे 45 लोग मारे गये ।
- 3 सरकार की यह सुनिश्चित करने में प्रयत्न कि स्वर्ण मंदिर धादि जैसे धार्मिक स्थानों का विधि और व्यवस्था विगड़ने के लिए प्रयोग न किया जाये जैसा कि 25 अप्रैल, 1983 को स्वर्ण मंदिर के निकट भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या किए जाने में स्पष्ट है ।
- 4 पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों में उत्त्पन्न गम्भीर स्थिति और इस मामले को हल करने में सरकार की विफलता ।

जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) पेश करना चाहता हो, उसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सूचना उस दिन, जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, 10 00 बजे म.पू. तक महासचिव को दे और उसकी प्रतिया अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को भेजे²⁸ । जहाँ अध्यक्ष प्रथम दृष्टि में इस बात में संतुष्ट हों जाए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित मामला नियमों के अनुकूल है, तो वह प्रस्ताव पेश करने की सम्मति दे सकता है और उपयुक्त समय पर अर्थात् प्रश्न काल के पश्चात् अध्यक्ष संबंधित सदस्य को कह सकता है कि वह स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए सभा की अनुमति मागे । यदि अनुमति दिये जाने पर आपत्ति की जाती है, तो अध्यक्ष अनुमति दिये जाने के पक्षधर सदस्यों को अपने स्थानों पर खड़ा होने के लिए कहेगा और यदि तदनुसार कम में कम पच्चास सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो वह घोषणा करेगा कि अनुमति दी जाती है ।²⁹

सभा द्वारा किसी स्थगन प्रस्ताव को पेश किए जाने के लिए सभा की अनुमति दिये जाने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा सामान्यतया 11 00 बजे म. पू. पर प्रारम्भ होती है और ढाई घंटे तक अर्थात् 18.30 बजे म.पू. तक चलती है ।³⁰ प्रस्तावक द्वारा यह प्रस्ताव "कि सभा प्रवृत्त होगी" पेश किये जाने के साथ ही चर्चा प्रारम्भ हो जाती है । प्रस्ताव पर प्रस्तावक के बोले चुकने के बाद अन्य सदस्य बोलते हैं और उनके बाद मंत्री बोलता है और अन्त में प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार होता है । तत्पश्चात् स्थगन प्रस्ताव सभा के मामने मतदान के लिए रखा जाता है । जिस समय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ होती है, उस समय से लेकर उसका निर्णय होने तक अध्यक्ष को सभा को स्थगित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है । उस समय के बीच सभा के स्थगन के सबंध में निर्णय करने की शक्ति सभा के हाथ में है ।

यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो स्थगन प्रस्ताव के कारण जिस कार्य के निपटान में व्यवधान आया था, उस पर चर्चा पुनः शुरू की जाती है । यद्यपि स्थगन प्रस्ताव पास हो जाने से सरकार अप्रदक्ष्य नहीं होती तथापि उसमें यह आभास हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिबन्ध मन को रोकने में विफल रही है वह मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers) में 'अविश्राम' के

प्रस्ताव" (No-Confidence Motion) के परिणाम से बच नहीं सकेंगे। लोक सभा को कार्यवाही के दौरान प्राप्त हुई म्यगन प्रस्तावों की 5762 सूचनाओं में से केवल 149 सूचनाएँ सदन के समक्ष लायी गयीं और सदन में उनमें से केवल 24 सूचनाएँ गृहीत हो सकीं और उन पर चर्चा हो सकी और उनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। साइली लोकसभा में 1801 सूचनाएँ मिलीं, 80 सदन के सामने उठाये जाने के लिये प्रयत्न की अनुमति पाई, 4 पर चर्चा हुई किन्तु कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं गया।

ध्यान आकर्षण सूचनाएँ (Calling Attention Notices)

ध्यान आकर्षण सूचनाओं सबसे निम्न। जनवरी, 1954 को प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णयों में रखा गया था। उसमें पहले निर्णय और सरकारों सदन के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया की कमी महसूस की जा रही थी जिसके माध्यम से वह अन्य सूचना पर कोई महत्वपूर्ण मामला उठा सके। ऐसे प्रयोजनों के लिए बहुधा म्यगन प्रस्ताव की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता था। क्योंकि म्यगन प्रस्ताव निम्न प्रस्ताव (Censure Motion) जैसा होता है और उनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि किसी ऐसी प्रक्रिया का विकास किया जाए जिसके माध्यम से सदस्यों को सभा का ध्यान महत्वपूर्ण मामलों की ओर दिवाने का अवसर मिल सके।

ध्यान दिवाने की सूचनाओं की प्रारम्भ भारतीय उद्भव की है। यह प्राथमिक संवैधानिक प्रक्रिया में भारत की नयी दल है। इसमें प्रश्न पूछने के माध्यम-माध्यम प्रत्युत्तर प्रश्न (Supplementary Question) और सभे में टिप्पणी करना भी शामिल है। जिसमें सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखे जाते हैं और सरकार का ध्यान पत्र बनाने का समुचित ध्यान प्राप्त होता है। कई बार इन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों का किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार की पराध या प्रयत्न रूप से प्राचीनता करने का अवसर प्राप्त होता है। वे इसके माध्यम से किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार की असफलता या अपराध कायदा पर भी प्रकाश डाल सकते हैं।

कई सदस्य प्रयत्न/समाधान की पूर्व प्रयुक्त स अविश्वनीय लोक महत्व (Urgent Public Importance) के किसी विषय की ओर किसी भी का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उसमें शर्तना कर सकता है कि वह उन विषय के संबंध में वक्तव्य (Statement) दे।¹¹ नती एक नक्षिण वक्तव्य दे सकता है या बाद में किसी समय सभा की ही दिन वक्तव्य देने का समय मांग सकता है।

साक्षात्कार ध्यान आकर्षण सूचनाएँ (Call attention Notices), दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित होती हैं। कभी-कभी वे सभा में उद्भव की निम्नी जानकारी के आधार पर या उनके सदन निर्वाचकों के द्वारा हुए

पत्र-व्यवहार के आधार पर भी दी जा सकती है ।

ध्यान आकर्षण सूचनाएँ सदस्यों द्वारा लिखित रूप में 10 00 बज म पू. तक देनी होती है । साधारणतः किसी सदस्य को किसी एक बैठक के लिए दो से अधिक सूचनाएँ नहीं देनी चाहियें । एक ही विषय पर एक से अधिक सदस्यों द्वारा सूचनाएँ दी जा सकती हैं, परन्तु कार्यसूची (List of Business) में अधिक से अधिक पाँच सदस्यों के नाम दिखाये जाते हैं । एक सप्ताह के दौरान प्राप्त सभी ध्यान आकर्षण सूचनाएँ बनी रहती हैं और दिन प्रतिदिन अध्यक्ष के समक्ष रखी जाती हैं । अध्यक्ष इन सूचनाओं पर विचार करता है तथा किसी ऐसे मामले को जो कि को उसकी राय में अधिक महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है, अपने दिन गदन की बैठक में संबोधित मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के लिए चयन करता है । साधारणतया, एक दिन में केवल एक ही मामला लिया जाता है । तथापि, कतिपय मामलों में अध्यक्ष द्वारा एक बैठक के लिए दो ऐसे मामले चुने जा सकते हैं । परन्तु यदि अध्यक्ष का विचार हो कि मामला इतना अविलम्बनीय है कि मंत्री द्वारा उसी दिन वक्तव्य दिया जाना चाहिए तो वह, अपने विवेकाधिकार (Discretion) से, ध्यान आकर्षण को उसी दिन लिए जाने की अनुमति दे सकता है जिस दिन उसकी सूचना दी गई हो । ध्यान आकर्षित किये जान पर यदि मंत्री के पास सभी तथ्य हो तो वह वक्तव्य दे सकता है । जो जानकारी मांगी गई हो, यदि वह उस समय मंत्री के पास न हो, तो वह बाद के किसी समय या तिथि तक समय माग सकता है जिस से कि वह जानकारी इकट्ठी करके वक्तव्य दे सके ।

सामान्यतया सभा की एक बैठक में ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अविलम्बनीय लोक महत्व के दो से अधिक विषय नहीं उठाये जा सकते । ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद (Debate) नहीं होता, परन्तु प्रत्येक सदस्य, जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकता है । अतः ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मुख्य प्रयोजन यह है कि किसी अविलम्बनीय स्वरूप के मामले पर संबोधित मंत्री प्राधिकृत वक्तव्य दे । इस प्रक्रिया में सरकार की निन्दा अन्तर्गत्त नहीं होती क्योंकि न तो इस प्रस्ताव पर नियत रूप से चर्चा होती है और न ही मतदान होता है ।

कुछ विषयों के उदाहरण जिन पर मंत्रियों को वक्तव्य देने का कहा गया इन प्रकार हैं—भारत के किसी भाग में उपद्रव; मीमावर्ती भगड़े; रेल दुर्घटनाएँ; सरकारी उपक्रमों का बन्द होना, न्यायालयों द्वारा दिये गये ऐसे फैसले जिनमें मन्त्रालयों या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को प्रभावित करने वाली टिप्पणियाँ की गई हो; शत्रु के विमानों द्वारा वायु-सीमा क्षेत्र का

उत्पन्न, पतनी, बन्दरगाहों, विमान कम्पनियों, रेलवे तथा अन्य यांत्रिक उपयोग की सेवाओं में हड़ताओं; विदेशों में रहने वाले भारतीयों की स्थिति, गम्भीर स्वादान्न, मूसल या बाढ़ की स्थिति; उत्पादि । ध्यान आकषण सूचना की श्राद्धता की दो मुख्य कमीटिया है, अखिलभारतीय और लोक महत्त्व । इस सूचना की श्राद्धता का निर्णय प्रथम अपने विवेकाधिकार में करता है ।

ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया में मसूदा सरकार पर द्रष्टुश भगाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । इसमें वह सरकार को मसूदा मन्त्र मन्त्री सूची है । यह एक महत्त्वपूर्ण मामलों का उठाने, उस पर चर्चा करने और निष्कर्ष पर पहुंचने का ऐसा मसूदा एक तात्कालिक उपाय है जिसमें सूचना देने वाले सदस्यों को, दल के सचेतक (चिह्न) के बिना और किसी औपचारिक या विशिष्ट प्रस्ताव पर मन्त्र विभाजन द्वारा दुखद निर्णय पर पहुंचने बिना समान रूप में भाग लेने का अधिकार होता है ।

अल्पकालीन चर्चाएं (Short Duration Discussions)

अल्पकालीन चर्चा एक ऐसा महत्त्वपूर्ण मसूदाय माधन सदस्यों को उपलब्ध है जिसके द्वारा वे अखिलभारतीय लोक महत्त्व के मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकषित कर सकते हैं । 1953 में पूर्व मन्त्र अथवा प्रस्ताव के अलावा अखिलभारतीय लोक महत्त्व के किसी मामले पर मन्त्रों में चर्चा उठाने के लिए नियमों में कोई उल्लेख नहीं था । जब कभी मन्त्र किसी अखिलभारतीय लोक महत्त्व के किसी मामले की ओर सरकार का ध्यान आकषित करना चाहते थे, तो के स्थान प्रस्तावों का सहारा लेते थे । नू कि स्थान प्रस्ताव में निन्दा प्रस्ताव अभिप्रेत है इसलिए मन्त्री व्यवस्था में जब सरकार मसूदा के प्रति उत्तरदायी हो गई, तब ऐसी प्रक्रिया का महत्त्व लेना उचित नहीं समझा गया । इसलिए मार्च, 1953 में एक परम्परा अपनाई गयी जिसके द्वारा मन्त्रों किसी औपचारिक प्रस्ताव अथवा उस पर मन्त्रों के बिना अल्पकालीन चर्चाएं (Short Duration Discussion) उठा सकते थे । यह प्रक्रिया अब दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों का अंग बन चुकी है ।

अल्पकालीन चर्चाओं को उठाने के लिए सूचना महामन्त्रिक के नाम विहित रूप में देनी होती है जिसमें उठाया जाने वाला विषय स्पष्ट रूप में बताया होता है । सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पण (Explanatory Note) संलग्न होना चाहिए जिसमें चर्चा को उठाने के लिए कारण बताए गये हों और उन पर कन से कन दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए ।¹²²

अध्यक्ष/सभापति अल्पकालीन चर्चा की सूचना की श्राद्धता का निर्णय करता है । यदि उसका समाधान हो जाये कि विषय अखिलभारतीय है और मन्त्रों में जन्दी ही उठाने जाने के विने पर्याप्त महत्त्व की है और उस

पर चर्चा के लिए जल्दी कोई अवसर प्रणयता उपलब्ध नहीं है तो वह सूचना ग्रहण कर सकता है।³³ किसी भी अल्पकालीन चर्चा भी सूचना तभी गृहीत की जाएगी यदि उगमे ऐसा मामला उठाया गया हो जिसका मूलतः केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध हो, जो निराधार आरोपों पर आधारित न हो, जो काल्पनिक न हो और जो अविनम्बनीय हो। एक सूचना में केवल एक मामला उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष अल्पकालीन चर्चाओं के लिये एक सप्ताह में दो बैठकें नियत कर सकता है और ऐसी चर्चा के लिए बैठक की समाप्ति पर श्रवण उसमें पूर्व अधिक से अधिक दो घंटे की अवधि की अनुमति दे सकता है।³⁴ कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) चर्चा के लिये समय नियत करती है। सामान्यतया, अल्पकालीन चर्चाएं, मंगलवार और गुन्वार के दिन की जाती हैं। राज्य सभा में सभापति, सदन के नेता के परामर्श में, चर्चा के लिए तिथि निर्धारित कर सकता है और उसके लिए अधिक से अधिक ढाई घंटे का समय दे सकता है।

चर्चा के लिए सूचना गृहीत किये जाने और तारीख निश्चित किये जाने के बाद उसे उस तारीख की कार्य-सूची में प्रथम दो सदस्यों के नाम से सम्मिलित किया जाता है। उस दिन अध्यक्ष उस पहले सदस्य को, जिसके नाम से कार्य-सूची में चर्चा दर्ज होती है, संक्षिप्त बतव्य देने को कहता है। किसी ऐसे सदस्य का भी जिसने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। अन्त से मंत्री सक्षेप में उत्तर देता है। जो सदस्य चर्चा उठाता है उसे उत्तर देने का अधिकार नहीं होता। सभा के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता है और न ही मतदान होता है।³⁵ चर्चा का प्रयोजन यह होता है कि जिन सदस्यों के पास विचाराधीन मामले के बारे में कुछ तथ्य हो वे सदन को उन तथ्यों से अवगत कराएँ और मंत्री सदन और राष्ट्र के लाभार्थ स्थिति स्पष्ट करे।

नियम 377 के अधीन उल्लेख (Reference Under Rule 377)

प्रश्न काल के तुरन्त बाद अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर अपना मामला उठाना चाहते हैं। जिन्हें वह अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं और जिसके लिये प्रक्रियागत कार्यवाही करना उनके लिये विलम्बकारी होता है, इससे सदन में कोलाहल और अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सदन का समय तो नष्ट होता ही है किन्तु सदस्य भी अपने मामले के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार मूल्यवान् समय की हानि को देखते हुये दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी महसूस करने लगे थे कि इस प्रथा को रोकने की आवश्यकता है। वे चाहते थे कि कोई ऐसी प्रक्रिया विकसित की जाये जिससे कि सदस्य उन मामलों को उठा सकें जो हाल ही के किसी प्रश्न, स्वयं प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि का विषय न रहे हो। फलस्वरूप राज्य सभा में "विषय उल्लेख" (Special mention) की प्रथा और लोक सभा में नियम 377 के अधीन मामलों

उठाने की प्रथा प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम 14 मई, 1900 को नियम 377 के उप-बन्ध का प्रयोग किया गया जब पुलिस द्वारा एक सड़क गंदस्य के साथ स्थित गये दुर्घटनाकार सबरी मामला उठाया गया। यह एक ऐसा मामला था जो किसी भी अन्य नियम के अधीन उठाया नहीं जा सकता था।

अपराधों के प्रश्नों में भिन्न मामलों का या जैसे मामलों का जिन्हें प्रश्नों, धन्यसूचना प्रश्नों, ध्यान माहर्षण सूचनाओं, प्रस्ताव आदि से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता, नियम 377 के अधीन उठाया जा सकता है।

जो सदस्य नियम 377 के अधीन किसी मामले को उठाना चाहता हो उस उसकी सूचना महासचिव को वास्तविक रूप में देनी होती है। उनका प्रस्तावित कथन साधारणतया 200 शब्दों में सीधे शब्दों का नहीं होना चाहिए। कोई सूचना प्राप्त बनाने के लिये उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केवल स्थानीय महत्त्व का मामला अथवा मात्र के दौरान इन नियमों के अधीन सदस्य द्वारा पहले उठाये गये विषय के समान या न्यायालय के विचारार्थीय मामला (Sub-judicial matter) नहीं उठाया जाना चाहिए और कांड ऐसा मामला नहीं उठाया जाना चाहिए जिसमें तर्क, अनुमान, व्यक्तित्व, प्रयोग या प्राकृतिक कारण कथन है।

अध्यक्ष द्वारा यथा स्वीकृति पाठ की प्रति सम्बन्धित सदस्य को उस दिन दी जाती है, जब उसे साक्ष्य उठाने की अनुमति दी जाती है। सदस्य का अपने बक्तव्य के अनुमोदिन पाठ में हटकर कुछ करने की अनुमति नहीं होती। सामान्यतया, मंत्री, 377 नियम के अधीन उठाने वाले या न मानने पर बक्तव्य नहीं देते हैं। तथापि, यदि कोई मंत्री ऐसा करना चाहे तो वह अध्यक्ष की अनुमति से उस विषय पर बक्तव्य दे सकता है। सदस्य द्वारा नियम 377 के अधीन उठाये गये मामलों के बारे में सर्वप्रथम मंत्री सीटें सदस्य को पत्र लिखता है और उस मामले पर सरकार के दृष्टिकोण अथवा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना देता है। यह मद कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं की जाती है।

छठी लोक सभा के चौथे अधिवेशन तक नियम 377 के अधीन मामल उठाने का प्रयोग सीमित रहा किन्तु तत्पश्चात् इसके प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यह देखने में आया है कि सदस्य लोक महत्त्व के विभिन्न मामलों उठाने में इस नियम का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। यथा, चौथी लोक सभा की कार्यवाही में नियम 377 के अधीन केवल 36 मामले उठाने की अनुमति दी गई तथा पाचवी छठी, सातवीं और आठवीं लोक सभा की कार्यवाही में इन मामलों की संख्या बढ़कर क्रमशः 184, 829, 3134 और 3205 हो गई।

अविश्वास प्रस्ताव (Motion of No-Confidence)

मन्त्र परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जिम्मेदार है। वह तब तक पदासीन रहती है जब तक उसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त हो कि सरकार

के लिये अपनी विधान सम्बन्धी और राजस्व सम्बन्धी प्रस्तावनाओं तथा खर्च के बारे में स्पष्ट रूप से ससद् का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है और कई बार उसे ससद् के सामने अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ती है और उसे उचित प्रमाणित करना पड़ता है। यदि सभा स्पष्ट रूप में यह कह दे कि वह सरकार का समर्थन नहीं करना चाहती अर्थात् यदि सरकार सभा का विश्वास खो बैठे-तो सरकार को या तो पद त्याग करना पड़ता है और या सभा का विघटन करना पड़ता है। चाहे प्रधान मन्त्री सभा के विघटन की सिफारिश करें या न करें। विरोधी पक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence motion) पर सभा में मतदान करा कर सभा की राय का पता चला सकता है।

लोक सभा के प्रति मन्त्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी (Collective responsibility of Council of Ministers) स्पष्ट रूप से संविधान में उपबोधित है। किसी एक मन्त्री में अविश्वास का प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि यह उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। नियमों के अन्तर्गत केवल सामूहिक रूप से मन्त्रि-परिषद् में विश्वास के अभाव का प्रस्ताव गृहीत किया जा सकता है और किसी मन्त्री में व्यक्तिगत रूप में विश्वास का अभाव व्यक्त करने वाला प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होता है।³⁷

मन्त्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव (Censure motion) से बिल्कुल भिन्न है। जब कि निन्दा प्रस्ताव में वे आधार या आरोप बताये जाते हैं जिन पर वह आधारित हो, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में वे आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। मन्त्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिये अनुमति मागने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पहले महा-मन्त्रि को उस प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है, जो यह पेश करना चाहता हो। नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्त निर्धारित नहीं है। अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निर्णय करे कि कोई प्रस्ताव नियमानुकूल है या नहीं।

यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि कोई अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वह सभा में प्रस्ताव पढ़ कर सुनाता है या सूचना देने वाला सदस्य उस प्रस्ताव को पेश करने के लिये सभा की अनुमति मागता है। उसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो प्रस्ताव के पक्ष में हो, कहता है कि वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जायें और यदि तदनुसार कम से कम पचास सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष घोषणा करता है कि सभा प्रस्ताव के रखे जाने की अनुमति देती है। यदि पचास से कम सदस्य खड़े हो तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करता है कि उसे सभा की अनुमति नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव सभा में रखे जाने की अनुमति मिलने के दस दिन के भीतर उस पर सभा में चर्चा होना आवश्यक है। अध्यक्ष सदन के नेता और विभिन्न विरोधी दलों तथा समूहों से परामर्श करके फैसला करता है कि प्रस्ताव पर चर्चा किस दिन हो।

चर्चा के लिये समय, सभा द्वारा कय मन्त्रशासकत्व को सिफारिश पर नियत किया जाता है। जब सदस्य प्रस्ताव पर बोल लेते हैं तो प्रधानमंत्री सरकार पर लगाये गये आरोपों का उत्तर देता है। प्रस्ताव रखने वाले सदस्य को वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार होता है। जब प्रस्ताव पर वाद-विवाद समाप्त हो जाये तो अध्यक्ष प्रस्ताव पर सभा का निर्णय जानने के लिये उसे तुरन्त सभा के सामने रख सकता है और सभा का निर्णय मौखिक मत द्वारा, या विभाजन द्वारा, यदि इसकी मांग की जाये तो, जाना जाता है।²⁹

सदन में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मागने वाला सदस्य अविश्वास प्रस्ताव की सूचना वापस भी ले सकता है किन्तु ऐसा वह सदन की अनुमति से ही कर सकता है। वे सदस्य जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर हस्ताक्षर कर रखे हो अपने हस्ताक्षरों सहित पत्र भेज कर भी सूचना वापस ले सकते हैं किन्तु यह कार्यवाही सदन में अविश्वास प्रस्ताव के लिये जाने से पहले की जानी चाहिये। उम स्थिति में सदन में उस मस का उल्लेख ही नहीं किया जाता या उसे सदन के सामने पेश ही नहीं किया जाता।

सविधान के अधीन, लोक, सरकार सामूहिक रूप में केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोक सभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, अतः राज्य सभा को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

निन्दा प्रस्ताव (सेन्सोर मोशन)

निन्दा प्रस्ताव मन्त्रपरिषद् में अधिभाग के प्रस्ताव से बिल्कुल भिन्न है। निन्दा प्रस्ताव में वे आरोप या आरोपों का उल्लेख किया जाता है जिन पर वह आधारित होता है जब कि अविश्वास प्रस्ताव में वे आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। निन्दा प्रस्ताव को सरकार की कुछ नीतियों या कार्यवाहियों के कारण उसकी निन्दा करने के स्पष्ट प्रयोजन से पेश किया जाता है। निन्दा प्रस्ताव मन्त्रपरिषद् के विच्छेद या किसी एक मंत्री के विच्छेद या मन्त्रियों के किसी समूह के विच्छेद इस आधार पर रखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी नीति पर कार्य नहीं किया। या वे उसमें असफल रहे हैं या उनकी नीति के कारण ही ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव स्पष्ट होने चाहिये जिसमें कि निन्दा के कारण, संक्षेप में और ठीक-ठीक बताये गये हों। प्रस्ताव नियमानुबद्ध है या नहीं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है। निन्दा प्रस्ताव रखने के लिये सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती। यह सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वह उसके लिये समय निकाले और चर्चा के लिये तमि निर्धारित करे। निन्दा प्रस्ताव रखने के बारे में नियमों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे प्रस्ताव पर वही नियम लागू होते हैं जो कि सामान्य प्रस्तावों पर लागू होते हैं,³⁰ और उसे अनियत दिन वाले प्रस्तावों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

संदर्भ

1. नियम 172
2. नियम 171
3. यह मसूदा 28. 8. 1981 को पेश किया गया था और 11. 9. 81 को सदन की अनुमति से वापस लिया गया था ।
- 4 यह मसूदा 31 3. 1983 को पेश किया गया था और 19. 8 83 को सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया था ।
- 5 नियम 30 (4), 170, निर्देश 9
- 6 नियम 176
- 7 नियम 177 (1), निर्देश 113
- 8 नियम 288
- 9 9 ख (1)
- 10 उदाहरण के लिये देखिये अनु. 61, 67, 90 और 94 । इनमें कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना का उपबन्ध किया गया है ।
- 11 अनु 61, 67, 90, 94, 123, 249 और 312
- 12 नियम 184 (लोक सभा) और नियम 167 (राज्य सभा)
- 13 निर्देश 41 (1)
- 14 निर्देश 41 (2) (एक)
- 15 नियम 7, 8, 17, 56, 184, 198, 200, 226 और 328 तथा अनु. (7, 90 (ग) और 94 (ग)
- 16 नियम 352 (पाच) और अनु. 61, 121, 124 (4) और (5) 118 (1) और 324 (5)
- 17 निर्देश 41 (2) (दो)
- 18 नियम 342
- 19 निर्देश 41 (2) (तीन)
20. नियम 185
- 21 नियम 187
- 22 नियम 186
23. नियम 189 और 190

24. नियम 190, 192
25. नियम 31 (2)
26. नियम 56
27. नियम 58
28. नियम 57
29. नियम 60
30. नियम 61 और 62
31. नियम 197
32. नियम 193
33. नियम 194 (1)
34. नियम 194 (2)
35. नियम 195
36. धनु 75 (2)
37. नियम 198 (1)
38. नियम 198
39. नियम 184-189



संसदीय समितियां प्रकार, गठन और क्रिया-विधि

भाजकल ससद् को न केवल विभिन्न प्रकार का, बल्कि बहुत अधिक काम करना पडता है । उसे सरकार की नीतिया निर्धारित करनी होती हैं, विधि निर्माण का कार्य करना होता है और प्रशासन पर निगरानी रखनी होती है । उसके समक्ष आने वाले विधेयक तथा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की छानबीन करना और उनके सम्बन्ध मे ध्यानपूर्वक और शान्त वातावरण मे गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है । उसके समक्ष आने वाले कार्यों की विशिष्टता को देखते हुए उनकी विशेषज्ञो द्वारा अथवा ब्यौरेवार विचार करने की आवश्यकता होती है । जहा सरकार के पाम इन कार्यों को निबटाने के लिए आवश्यक प्रशासनतत्र और संगठन उपलब्ध होते है वहा विधान मण्डल मे इसका नितान्त अभाव होता है । यद्यपि विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओ, यथा प्रश्नो और वाद-विवाद के माध्यम मे वह कुछ हद तक प्रशासन पर निगरानी रख सकता है किन्तु विशिष्ट और तकनीकी स्वरूप के विषयो को निपटाने के लिए सम्पूर्ण सदन के बजाये उममे से चुने हुए कुछ सदस्यो को लेकर बनाई एजेंसी के माध्यम से पूरी तरह से उन पर विचार करके उन्हें निपटाना श्रेयस्कर होता है । ऐमे मे ससद् अपना बहुत सा कार्य समितियो के माध्यम से करती है । ये समितिया ससद् सदस्यो मे से ही गठित की जाती है । दूसरे शब्दो मे संसदीय समितियां संसद् का ही लघु रूप हैं ।

लोक सभा के लिए, जो कि 545 सदस्यो का गठन है उन सभी विधायो तथा अन्य मामलों पर, जो उनके समक्ष आते है, गहराई के साथ विचार करना सम्भव नहीं है । इसके अनिश्चित समिति व्यवस्था के कारण सभा का समय बच जाता है, जो महत्त्वपूर्ण मामलो पर चर्चा मे लगाया जा सकता है और ससद् मामले की बारीकियों मे फस कर नीति और विस्तृत सिद्धान्तो के विषयो से परे नहीं जाती । साथ-साथ समिति द्वारा प्रायः ऐमे मामलों के संबध मे कार्य किया

जाता है जिन पर अधिक गहराई से सावधानी और शीघ्रता से, प्रचार के जगत् से दूर रहकर, शान्त और यथा सम्भव दलगत रहित वातावरण में विचार करने की आवश्यकता होती है। सदन की अपेक्षा जहाँ सदस्य दलगत लिफ्टाओं के आधार पर कार्य करते हैं और जहाँ स्वभावतया सदस्यों में अपनी छवि बनाने की चिन्ता रहती है, समितियों के वातावरण में विभिन्न विचारों को स्थान देकर और आदान-प्रदान की प्रक्रिया द्वारा सम्झौते करना अधिक सामान्य होता है। यह तो स्पष्ट ही है कि भारतीय मसद् के दोनों सदनों के वास्तविक गठन में अधिक अन्तर न होने के कारण, राज्य सभा लगभग बराबर का सदन बन गया है। यदि ऐसा न भी होता तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सभा वातावरण को "शान्त" करने वाला या पुनरीक्षण करने वाला परम्परागत सदन है, या वह बरिष्ठ व्यक्तियों यथा विशेषज्ञों का सदन है जो जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण विधान बनाने की रोक-थाम करता है। इन परिस्थितियों में, विधेयको सम्बन्धी प्रवर समितियाँ और संयुक्त समितियाँ, अन्य बातों के साथ-साथ, परम्परागत, द्वितीय सदन की भूमिका निभा सकती हैं। संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) का एक और महत्त्व यह है कि दलगत प्रणाली में, जैसे कि भारतीय मसद् में है, कुछ समितियाँ ऐसे कृत्यों का पालन करती हैं जो अन्यथा विपक्ष के होते हैं अर्थात् वे कार्यपालिका को सदा सतर्क रखती हैं और उसे मनमानी करने से रोकती हैं। विपक्ष के सदस्य भी अपनी वास्तविक सल्लाह के बावजूद समितियों में प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं क्योंकि सदन की अपेक्षा उनकी कार्यवाहियाँ कम औपचारिक होती हैं और प्रक्रिया अधिक लचीली होती है। इस कारण भी समितियों को सीपे जाने वाले मामलों पर विचार अधिक व्यापक रूप से और विवेकपूर्ण ढंग से होता है। समितियाँ ऐसे उपयोगी मंचों का काम करती हैं जहाँ सदस्यों को अपने अनुभव एवं योग्यता का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। समितियाँ भावी मन्त्रियों और पीठामन अधिकारियों (Presiding Officers) के लिए बहुमूल्य प्रशिक्षण का साधन भी होती हैं। वे अनेक सदस्यों को केवल दस बार में ही प्रशिक्षण नहीं करती कि प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है बल्कि दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण में प्रशासकों के समक्ष आने वाली समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराती हैं।¹

समितियाँ सामान्यतया सामञ्जस्यपूर्ण ढंग से कार्य करती हैं और उनका उद्देश्य समान होता है। अपनी कार्यवाहि में किए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों के अध्ययन दौरों के दौरान सदस्यों में मित्रता की भावना उत्पन्न होती है। उक्त भावना से न केवल समिति को कार्य करने में सहायता प्राप्त होती है बल्कि सदन में चर्चा के दौरान पैदा हुई कटुता कम होती है। समितियाँ एक और संसद् और लोगों के बीच और दूसरी और सरकार और लोगों के बीच सम्पर्क का काम करती हैं। वे जिन विषयों का अध्ययन करती हैं उनके सम्बन्ध में विभिन्न उपक्रमों तथा

निकायो और अन्य सभों को अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रभावितिया भेजती हैं, प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करती हैं और जहाँ आवश्यक होता है सार्वजनिक साध्य और विशेषों की राय लेती हैं। वे सम्बद्ध सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का मौखिक साध्य (Oral evidence) भी लेती हैं। इस प्रकार संसदीय प्रणाली के कार्यकरण के बारे में लोगों को शिक्षित करने और महत्त्वपूर्ण, सार्वजनिक मामलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने में महत्त्व मिलती है।

जहाँ तक भारत के संविधान में संसदीय समितियों सम्बन्धी उपबन्ध का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध कंई विशेष उल्लेख नहीं है सिवाए इसके कि कुछ एक अनुच्छेदों में कही-कही उनका जिक्र किया गया है।¹ ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं ने इस बात को मदनो पर छोड़ दिया था ताकि वे अपने अपने प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में उनके विषय में उपबन्ध कर सकें।

“संसदीय समिति” से तात्पर्य उस समिति में है जो—

(क) सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है, अध्यक्ष/सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है, (ख) अध्यक्ष/सभापति के निदेशानुसार कार्य करती है; (ग) अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है; और (घ) समिति का सचिवालय लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

संसदीय समितियों के अतिरिक्त कुछ अन्य समितियाँ होती हैं जो सरकार द्वारा गठित की जाती हैं और जिनमें दोनों सदनों के सदस्य रखे जाते हैं। ये समितियाँ संसदीय समितियाँ नहीं होती हैं। ये न तो अध्यक्ष के निदेश के अन्तर्गत कार्य करती हैं और न अपने प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को देती हैं। केवल सम्बद्ध मन्त्री की प्रार्थना पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन इन समितियों के लिये करता है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से मलग्न परामर्शदाता समितियाँ (Consultative Committees) इस वर्ग की समितियाँ हैं। वास्तव में परामर्शदाता समितियाँ, प्रतिवेदन क्रिमी को भी पेश नहीं करती वरिष्ठ मंत्रियों के नियंत्रणाधीन विभागों के कार्यकरण में रुचि रखने वाले समद-सदस्यों और मंत्रियों के बीच विचारों के अनौपचारिक आदान-प्रदान के लिये केवल मन्त्र का काम करती हैं। इस प्रकार वे संसदीय समितियाँ नहीं होतीं²।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण

संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं स्थायी समितियाँ (Standing Committees) और तदर्थ समितियाँ (Ad-hoc Committees)। स्थायी समितियाँ वे समितियाँ हैं जिनका गठन नियमों के अनुसार किया जाता है और जो प्रत्येक समिति के निर्धारित कार्यकाल के अनुसार, सहाय्य प्रतिवर्ष या अन्य कालान्तर पर पुनर्गठित की जाती हैं या अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत की जाती

है और जो स्थायी स्वरूप की होती हैं। तदर्थ समितियाँ (Ad-hoc Committees) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

स्थायी समितियाँ (Standing Committees) अन्वेषक सदन में स्थायी समितियों (और कुछ समुक्त समितियों) को उनके कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित पांच मोटे शीर्षों में बांटा जा सकता है —

(एक) वित्तीय समितियाँ (Financial Committees) (उदाहरण के लिये लोक सभा की प्रारम्भिक समिति, लोक सेवा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति),

(दो) जांच समितियाँ (उदाहरण के लिये पाकिस्तान समिति और विशेषाधिकार समिति);

(तीन) ध्यानकेंद्रित समितियाँ (उदाहरणार्थ सरकारी भाषासन्धी सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सभापटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति),

(चार) सभा के दिन प्रति-दिन के कार्य सम्बन्धी समितियाँ (उदाहरण के लिये सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति, कार्यसूचना समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सरणों सम्बन्धी समिति और नियम समिति), और

(पांच) सेवा समितियाँ, जिनका काम सदस्यों को सुविधाएँ प्रदाना है (उदाहरण के लिये सामान्य प्रयोजन समिति, भाषा समिति, पन्थागत समिति, सऊद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी समिति),

इसके प्रतिरिक्त हाल ही में तीन विशिष्ट विषयों को लेकर स्थायी समितियों की नियुक्ति की गई है वे हैं —

(क) कृषि सम्बन्धी समिति,

(ख) पर्यावरण और वन सम्बन्धी समिति और

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति।

तदर्थ समितियों को मोटे तौर पर दो शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

(एक) विधेयक सम्बन्धी प्रश्न या समुक्त समितियों, जो सभा में पास किये गये इस प्रस्ताव के अनुसार बनायी जाती हैं कि किसी विधेयक पर विचार करने तथा उनके सबंध में रिपोर्ट देने के लिए समिति की नियुक्ति की जाये, ये अन्ध तदर्थ समितियों से इस बात में भिन्न होती हैं कि उनका सम्बन्ध उन विधेयकों से ही होता है जो उन्हें सौंपे जाते हैं और उनकी प्रक्रिया नियमों तथा अध्यक्ष/सभापति द्वारा जारी किये गये निर्देशों में दी जाती है।

(दो) वे तदर्थ समितिया जो समय-समय पर या तो दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके बनायी जाती हैं या अध्यक्ष/सभापति द्वारा समय-समय पर गठित की जाती हैं। उदाहरणस्वरूप एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी मामिला (मुद्गिल का मामला, 1951), समय-समय पर नियुक्त रेलवे अभिसमय मिति, लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति और किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए सदन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा या सभापति द्वारा नियुक्त कोई अन्य मिति भी ऐसी मितियों के अन्य उदाहरण हैं।

समितियों का गठन

संयुक्त समिति जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, या तो एक सदन द्वारा पाम किये गये और दूसरे सदन द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव के अनुसार गठित की जाती है और या दोनों सदनों की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों के बीच सम्बद्ध के फलस्वरूप या नियमों के अंतर्गत ससदीय मितियों में सदस्यों की नियुक्ति, सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव के माध्यम से या सभा द्वारा निर्वाचन के माध्यम से या अध्यक्ष/सभापति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, नाम-निर्देशन के माध्यम से की जाती है⁴। विधेयकों के संबंध में प्रवर या संयुक्त मितियाँ ऐसी मितियाँ हैं जिनकी नियुक्ति सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावों के अनुसार की जाती है। सभा वित्तीय मितियों (अर्थात् प्राश्नकालन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति और लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त मिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। शेष मितियाँ संघित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत की जाती हैं।

लोक लेखा मिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति, जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति, लाभ के पदों सम्बन्धी मिति तथा तीनों विशिष्ट विषय मितियाँ (कृषि, पर्यावरण और वन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी) ऐसी मितियाँ हैं जिनके सदस्य दोनों सदनों में से लिए जाते हैं जबकि कुछ मितियाँ प्रत्येक सदन द्वारा अलग से गठित की जाती हैं। संयुक्त मितियों का गठन दोनों में प्रस्तुत और स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसरण में किया जाता है।

ससदीय मितियों में, जहाँ तक संभव हो, सदन या सदनों में विभिन्न दलों और ग्रुपों को सदस्य स्वरूप के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दूर दृष्टि में समिति सम्पूर्ण सभा का लक्ष्य रूप होती है। धामनी पर, दलों अथवा ग्रुपों के नेताओं द्वारा सुझाए जाने वाले अध्यक्ष/सभापति द्वारा स्वीकृत सदस्यों के नामों के आधार पर प्रत्येक वर्ष मितियों का पुनर्गठन किया जाता है।

सभी संसदीय समितियों के सभापति अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति द्वारा, यथास्थिति, समिति के सदस्यों में से नियुक्त किये जाते हैं। यदि पीठासीन अधिकारी स्वयं किसी समिति का सदस्य हो तो वह उम समिति का पदेन सभापति होता है। यदि अध्यक्ष/सभापति समिति का सदस्य न हो किंतु उपाध्यक्ष/उपसभापति सदस्य हो तो, उसे समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

समितियों की कार्यवाही

संसदीय समिति एक वर्ष की अवधि के लिए या अध्यक्ष सभापति द्वारा प्रस्ताव द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए या जब तक कोई नयी समिति नाम-निर्देशित नहीं की जाती, तब तक पद धारण करती है। कार्य मंत्रणा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और नियम समिति पुनर्गठित होने तक कार्य करती रहती है जबकि अन्य स्थायी समितियाँ एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पदधारण करती हैं। यदि अध्यक्ष/सभापति द्वारा किसी तदर्थ समिति का कार्यकाल निर्दिष्ट न किया गया हो, तो समिति तब तक पद धारण करती है जब तक कि उसका काम पूरा न हो जाये और वह अपना प्रतिवेदन, यदि कोई हो, न दे दे।⁶

समितियों की प्रक्रिया

किसी संसदीय समिति या उप समिति की औपचारिक भयवा अनौपचारिक बैठकें सदन भवन या संसदीय सौध में होती हैं। यदि किसी कारण से किसी समिति या उप-समिति की बैठक सदन भवन के बाहर करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष/सभापति की अनुमति से उनको बैठकें बाहर भी हो सकती हैं। समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मागने की शक्ति प्राप्त होती है। वह साक्ष्य ले सकती है या दस्तावेज माग सकती है, व्यक्तियों को बुला सकती है, कागजात ले सकती है या अभिलेख माग सकती है। परन्तु यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना समिति के प्रयोजनों के लिए सगत है या नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है। समिति किसी ऐसे विषयों की, जो उसे निर्दिष्ट किये जायें, जांच करने के लिए एक या अधिक उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है। उप समिति के प्रतिवेदन पर मुख्य समिति द्वारा विचार कर सकती है। उप समिति के प्रतिवेदन पर मुख्य समिति द्वारा विचार किया जाता है।⁶

संसदीय समितियों की बैठक गुप्त होती है। समितियों में कार्यवाही मुख्य रूप से उसी प्रकार चलाई जाती है, जैसी कि सभा में, किंतु बड़ा अधिक घनिष्ट और अनौपचारिक वातावरण रहता है और वह दलगत आधार से परे होती है। जब कोई समिति विचार-विमर्श कर रही हो तो कोई सदस्य

विचाराधीन प्रश्न पर एक से अधिक बार बोल सकता है। समिति की किसी बैठक में विचाराधीन सभी प्रश्न उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किये जाते हैं। किन्हीं विषय पर मतों की समानता होने पर सभापति या सभापति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। समिति की बैठकों की कार्यवाही-माराणो के आधार पर, जिनमें समिति के विचार-विमर्शों का मार और साथ ही में गिफार्शों शामिल होती हैं, समिति प्रतिवेदन तैयार करती है। प्रतिवेदन या तो प्रारम्भिक हो सकता है या अंतिम। कोई मंसदीय समिति, यदि वह ठीक समझे, किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश में आये और जिसे समिति अध्यक्ष या सदस्य के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, प्रतिवेदन दे सकती है। चाहे ऐसा विषय समिति के निर्देश पदों में प्रत्यक्षतया संबन्धित न हो।⁷

समिति का प्रतिवेदन सभा में सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत समिति के किन्हीं सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जाने में पहले गोपनीय समझा जाता है, गदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद ही वह सार्वजनिक दस्तावेज बनता है।⁸

(एक) वित्तीय समितियाँ (Financial Committees)

संसदीय समितियों के माध्यम से सभा सरकार पर नियंत्रण रखने और उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के माध्यम-साथ उसके द्वारा तैयार किए बजट प्रस्तावों और व्यय के अनुमानों की जांच करती है और उनका अनुमोदन करती है। यों तो बजट अधिवेशन में सरकार द्वारा तैयार किए गए करानेपण के प्रस्तावों और अलग-अलग मंत्रालय के व्यय के अनुमानों पर चर्चाएं आयोजित की जाती हैं किन्तु देखने में आया है कि सदस्य बहुधा एक ही विषय को शब्दों के हेर-फेर में दोहराते रहते हैं जिसमें समय व्यर्थ की चर्चाओं में नष्ट हो जाता है और अनेक मंत्रालयों और विभागों संबंधी मांगों पर चर्चा हो ही नहीं पाती। फनस्वरूप "गिलोटिन" का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसे में वित्तीय समितियों की उपादेयता मिट्ट होती है। ये समितियाँ सरकार के खर्च और कार्य-निष्पादन की विस्तृत छानबीन करने का कार्य करती हैं।

वित्तीय समितियाँ कन्यासकारी राज्य के स्वयं को गान्कार बनाने में सहायक मिट्ट होती हैं। उनके माध्यम से मंत्रालयों की विस्तृत गतिविधियों पर उचित परिवीक्षण किया जाता है और उनकी प्रक्षमता, फिजूलखर्ची और कार्य-निष्पादन में गिरावट पर अकुण लगा कर उन्हें-चुस्त बनाया जाता है। मंसदीय समितियाँ लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त,

कोई प्रशासन-व्यवस्था पूरी नहीं है जो शक्ति के दुरुपयोग, लापरवाही, विलंब, उपेक्षा, पक्षपात आदि जैसे दोषों से शत प्रतिशत मुक्त हो। अतः यहन छानबीन पर आधारित अध्ययन के दिना, व्यवस्थित जांच के दिना, सबंधित मंत्रालय या उपक्रम के अधिकारियों के पूर्ण परोक्षता के दिना, प्रशासन के इन पहलुओं संबंधी तथ्य जानने सशक नहीं होते।

संसदीय समितियाँ अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं और मण्डलों के बारे में सर्वांगीण कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती हैं। सदन में इस प्रकार का व्योमचार अध्ययन करना सम्भव नहीं होता है। इसलिए यह कार्य वित्तीय समितियों को सौंपा गया है। समितियाँ लगभग सभी महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों, विभागों के कार्यों की छानबीन करती हैं। समिति की सिफारिशों का अनुसरण करके सरकार के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में अनेक परिवर्तन करना सम्भव हो सका है। इन समितियों के सुझाव और टिप्पणियाँ स्वयं को विनिर्दिष्ट करने और भविष्य के लिए प्रस्ताव और योजनाएँ बनाने के मामले में मार्गदर्शक भूमिका होती हैं। इस प्रकार ये समितियाँ छानबीन के सभी साधनों, यथा प्रस्तावलिखा (List of Points) जारी करके, प्रतिनिधि गैर-सरकारी मण्डलों और जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से जापन माग्वा कर, मण्डलों का मौँके पर अध्ययन करके और गैर सरकारी व्यक्तियों और अधिकारियों के माध्यमोंपचारिक रूप से चर्चा करके और उनका मौखिक साक्ष्य (Oral evidence) लेकर सरकार के कार्यक्रमों पर निरन्तर, पूर्ण और प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखती हैं।

यह सर्व विदित है कि सरकारी खर्च पर ससद् का नियंत्रण धनराशि मजूर करने तक सीमित नहीं है। तीन वित्तीय समितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि धन-राशि सही ढंग से खर्च हो और उससे योजनाओं में तथा कार्यक्रमों में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हो। इन उद्देश्य में वित्तीय समितियों का निरन्तर अभिगमन प्रशासन को सदा सतर्क बनाए रखता है। विचार-विमर्श के दौरान अनेक सरकारी अधिकारी समितियों के समक्ष उपस्थित होते हैं और प्रशासन की कमियों को दूर करने और भविष्य के लिए प्रस्ताव और योजनाएँ बनाने के मामलों में ताम्रप्रद मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उन्होंने अनेक बार इस बात को स्वीकार किया है कि समितियों से हुए विचार-विमर्श उपयोगी रहते हैं और इनसे उन्हें बहुत लाभ होता है। इन समितियों के प्रतिवेदनों के कारण इन्हे समाज के सरकारी और गैर-सरकारी सभी वर्गों में पर्याप्त सम्मान मिलता है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि सरकार इन समितियों की 70 से 80 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर लेती है। इन्होंने मंत्रालयों/विभागों में मितव्ययिता लाने और उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने में सरकार को बहुत अधिक प्रभावित किया है। समितियों की जो सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाती उन्हें स्वीकार न करने के कारणों से उनकी अवगत

कराया जाता है। सिफारिशों को कार्य रूप देने में हुई प्रगति की प्रौर समितियों तथा सरकार में जिन मतभेदों का समाधान नहीं होता उनको "की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन" (Action taken Report) के माध्यम से मदन के ध्यान में लाया जाता है। इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की अनुवर्ती कार्यवाही की विस्तृत एवं प्रभावी प्रक्रिया अन्वय विद्यमान मन्दीय प्रक्रियाओं को मूल रूप से भारतीय देन है।

तीनों विस्तीय समितियों की कार्यवाही एक वष है। इसके सदस्य सभा द्वारा प्रतिवष सदस्यों में स अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धात के अनुसार एकज सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते है। कोई भी मंत्री समितियों के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है प्रौर न ही उन्हें साध्य देने के लिए इनके समक्ष उपस्थित होने का कहा जा सकता है। समितियों के सभापति अध्यक्ष द्वारा समितियों के सदस्यों में से मनोनीत किए जाते है। नियमों तथा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गय निर्देशों (Directors) में दिये गय उपवधों की अनुवृति करन के लिए ये समितिया, अध्यक्ष के अनुमोदन से अपने आतारक कार्य के लिए प्राक्रया के विस्तृत नियम बना सकती है। ये समितिया साधारणनया नीति के प्रश्नों में नहीं जातं बयोकि नीतियों का निर्माण करना पूर्णतया ससद् के अधिकार क्षेत्र की बात है प्रौर किसी समिति स यह आशा नहीं की जाती कि यह ससद् द्वारा पहलें स अनुमोदित किसी नीति के बारे फंसला द। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जा तीनों विस्तीय समितियों में पाया जाता है वह यह है कि व कार्य हों चुकने पर प्रशासन की जाच करती है। प्रशासन के दिन-प्रति-दिन के कार्यों के हस्तक्षेप की मभावना न रह इस कारण समितिया केवल उन्ही कार्यों की जाच करती ह जो पहल से किए जा चुक हा या एस कार्यों की जो किए नहीं गए परन्तु जा अन्वया किए जाने चाहिए थ।

संसदीय समितियों की सिफारिशें बधनकारी न होते हुए भी प्रभावकारी हातो है। इसी कारण प्राय कोई भी मंत्री अथवा अधिकारी उनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा नहीं कर सकता।

प्रायकलन समिति:— (Estimates Committee)

इस समिति के सभी 30 सदस्य लोक सभा के होते हैं⁹। अन्य दा विस्तीय समितियों के समान, इस समिति से राज्य सभा के सदस्य सहयोजित नहीं किए जाते। सरकारी खर्च में मितव्ययिता प्रौर कार्यकरण में कुशलता लाने सम्बन्धी सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। यह समिति वार्षिक बजट अनुमानों की विस्तृत जाच करती है ताकि :—

(क) इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे कि प्रायकलनों में अन्तर्निहित नीति के अनुरूप क्या-क्या मितव्ययिता गगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं।

- (घ) प्रशासन में कायकुशलता और मितव्ययता सान के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुभाव दे ।
- (ग) इस बात की जाच करे कि क्या प्राक्कलनो में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढग से लगाया गया है या नहीं,
- (घ) इसका सुभाव दे कि प्राक्कलन क्रिम रूप में ससद् में पेश किए जायें ।¹⁰
- समिति, ससद् द्वारा अनुमोदित नीति के विरुद्ध नहीं जाती । इस मामले में 'ससद् द्वारा, विधि के द्वारा, या निशिष्ट सक्तों के द्वारा निर्धारित नीति' और सभी अन्य नीतियों में जो इन प्रकार निर्धारित नहीं हो, भेद किया गया है । बाद वाले मामलों के सम्बन्ध में समिति किमी तेंगे मामले की जाच खुलकर कर सकती है जो सरकार द्वारा अपने कार्यपालिका सम्बन्धी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नीति के रूप में तय किया गया हो । किन्तु जहा यह बात प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाये कि किमी निशिष्ट नीति से प्रत्याशित या अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं या उसमें प्रपञ्च्य हो रहा है, तो समिति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाये कि नीति में परिवर्तन भी आवश्यकता है ।

लोक सेवा समिति (Public Accounts Committee)

यह समिति लोक सभा की वित्तीय समितियों में सबसे पुराना समिति है । समिति व 22 सदस्य होते हैं (15 लोक सभा के और / राज्य सभा के) वर्ष 1907 से चली आ रही परिपाटी के अनुसार विरोधी पक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है ।¹¹

लोक सेवा समिति भारत सरकार के व्यय को बहन करने के लिए ससद् द्वारा अनुदत्त राजियों का विनियोग दिखाने वाले लेखापत्रों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखापत्रों और सभा के सामने रमे ऐसे अन्य लेखापत्रों की जाच करती है जिन्हें वह ठीक समझे । पूर्कि प्राक्कलन समिति सावंजनिक ध्यय के अनुमानों सम्बन्धी कार्य करती है, इसलिए लोक सेवा समिति को कभी-कभी प्राक्कलन समिति की "जुडवा बहन" भी कहा जाता है । इन दो समितियों के काय एक दूसरे के पूरक हैं । समिति इस बारे में धयना समाधान करती है कि लेखापत्रों में व्यय क रूप में दिखाया गया धन उम भेवा या प्रयाजन के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाये जाने योग्य था जिसमें यह लगाया गया है या पारित किया गया है अथवा व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिससे अन्तर्गत वह किया गया है । समिति यह भी शक्ती है कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में बनाय गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है । यदि किसी सेवा पर उस प्रयाजन के लिए सभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि खच का गई हो तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के तदर्भ में उन परिस्थितियों की, जिनके कारण यह बात-

रिक्त व्यय हुआ है, जाँच करती है तथा ऐसी सिफारिशें करती है जो वह उचित समझे। तत्पश्चात् अधिक व्यय के ऐसे मामले सरकार को विनियमन के लिए सदन के समक्ष लाने पड़ते हैं।¹²

समिति के कृत्य खच की औपचारिकता देखने से कही अधिक है। वह ऐसे मामलों की जाँच करती है, जिनमें हानि हुई हो, निरर्थक खर्च हुआ हो और वित्तीय अनियमितताएँ की गयी हो। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि उपेक्षा करने के कारण हानि हुई हो या फजूलखर्ची हुई है तो सम्बद्ध मन्त्रालय से यह बताने के लिए कहा जाता है कि इस प्रकार की घटना को दोबारा न होने देने के लिए अनुशासनात्मक या अन्यथा कौन भी कार्यवाही की गई है। ऐसे मामलों में समिति या तो सरकार की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है या उसकी निन्दा करती है।

समिति जाँच के लिए विषयों का चयन सरकार के लेखाग्रो पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में से करती है जो ससद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं। लेखाग्रो और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की जाँच करने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षा समिति की सहायता करता है।¹³

समिति की सीमाएँ

समिति की दो सीमाएँ हैं, प्रथम नीति सम्बन्धी निर्णयों में यह मार्ग-दर्शन नहीं करती, ऐसे निर्णय लेना सरकार का दायित्व है। दूसरी, इसके निष्कर्ष कार्योपरान्त हाते हैं। परन्तु यह बताना समिति के अधिकार क्षेत्र में है कि उक्त नीति का कार्यान्वित करते समय फजूलखर्ची हुई है या नहीं। यद्यपि समिति अनियमितताएँ हो चुकने के बाद उन्हें प्रकाश में लाती है किन्तु इसका सरकारी अधिकारियों द्वारा खर्च के भ्रविवेकशील तरीके पर काफी प्रभाव पड़ता है और वे इसके निष्कर्षों और सिफारिशों को बहुत गभीर रूप से लेते हैं। सामान्यतया समिति मितव्ययिता लाने के लिए सामान्य नियंत्रण पर ही जोर देती है, परन्तु यह प्रशासन की कमजोरियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट कर सकती है। अतः ऐसी समिति का होना ही सभाध्य प्रशासनिक, अपव्यय और फजूलखर्चों के लिए रोकतात्मक प्रभाव रखता है और इसके द्वारा वित्तीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

(1) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (Committee on Public undertakings) : देश में आयोजित आर्थिक विकास प्रारम्भ होने और पचास के दशक में सदन द्वारा औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प पारित किए जाने के बाद अनेक औद्योगिक कृषि वाणिज्यिक उपक्रमों में काफी वृद्धि हुई है जिनका नियंत्रण तथा प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में है। बहुत सी सरकारी कंपनियों और सविहित निगम भी अस्तित्व में आयी जिनमें बहुत अधिक पूंजी लगी हुई है। इन्हें "सार्वजनिक उपक्रम" (Public Undertakings) कहा जाता है। उन पर लगायी गयी घन राशियाँ चूँकि भारत को संचित निधि में लगाई गई हैं अतः लोक सभा का यह

दायित्व हो जाता है कि वह उनका कामों पर पथोक्त नियंत्रण रखे। इस उद्देश्य से समझ द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का गठन किया गया है जिसके 22 सदस्य होते हैं। जिनमें 15 सदस्य लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा। समिति का समापन अन्त्येष्ट द्वारा समिति के सदस्यों (लोक सभा से निर्वाचित) में से नियुक्त किया जाता है।

समिति के कृत्य ये हैं - लोक सभा के प्रांशुया तथा कार्य मन्त्रालय सम्बन्धी नियम की चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनो तथा लेखापत्रो की ओर यदि उनके बाहर में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जाच करना और सरकारों उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के सदर्भ में, यह जान करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धान्तो और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओ के अनुक्रम चल रहे हैं। समिति ऐसे विषयो या मामलो की भी जान कर सकती है जो सभा अध्यक्ष अध्यक्ष महादेश द्वारा उग विशेष रूप से गीत किये। परन्तु समिति प्रभुग सरकारी नीति सम्बन्धी ऐसे मामलो की जा कि सरकारी उपक्रमों के व्यापार प्रथवा वाणिज्यिक कृत्यो में भिन्न है, अथवा ऐसे मामलो की जिन पर विचार करने के लिए उग विशेष विधि की व्यवस्था की गई है, जिनके अन्तर्गत सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है, जाच और छानबीन नहीं कर सकती।¹¹

समिति द्वारा सरकारी उपक्रम की जाच सामान्यतया उगक काम के मूल्यांकन के रूप में होती है। इन जाचों में नीतियों और कार्यक्रम वरी कार्यान्विति, प्रबंध तथा वित्तीय पहलू आ जात है, जेम उत्पादन, सामान्य अर्थव्यवस्था में अ शदान, रोजगार के अवसर पैदा करना, महायक उद्योगों का विकास, उपभोगता के हितोंका संरक्षण इत्यादि। समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों में परियोजना सम्बंधी योजना बनाने, सभी क्षेत्रों में प्रबंध व्यवस्था करने, नियंत्रण व्यवस्थाओं में विदेशी सहयोग और उनकी भूमिका एवं उपलब्धियाँ इत्यादि शामिल हैं। समिति द्वारा ये तथ्य समझ और लोगों के ध्यान में लाए गए हैं कि उपक्रमों द्वारा किस प्रकार मार्गजतिक घन का प्रपथय किया जाता है।

(2) सदन की समितियाँ .

कार्य संत्रण समिति (Business Advisory Committee). प्रत्येक सदन में यह कार्यमंत्रणा होती है। लोक सभा में इस समिति में अध्यक्ष की सिद्धाकर पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होने हैं जिसका नाम निर्देशन अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष इस समिति का पदेन समापन है। राज्य सभा में उपसभापति सहित इसके प्यारह सदस्य होते हैं। राज्य सभा के समापन समिति के पदेन समापन होते हैं। अध्यक्ष या समापन, अचारिथल सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर समिति को नाम निर्दिष्ट करता है। नियमों में इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया लेकिन इसका कार्यकाल तब तक रहता है जब तक कि नयी समिति मनोनीत नहीं की जाती।

समिति का काम यह सिफारिश करना है कि सरकार के उन विधायी तथा अन्य कार्य पर जिसे अध्यक्ष/सभापति सभा के नेता के परामर्श से समिति को सौंपने का निर्देश दें, चर्चा करने के लिए कितना समय नियत किया जाए। परन्तु राज्य सभा में समिति यह भी सिफारिश करती है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा सकल्पों पर चर्चा के लिए कितना समय नियत किया जाए। समिति ऐसे अन्य कृत्य करती है जो अध्यक्ष द्वारा अथवा सभापति द्वारा यथास्थिति उसे समय-समय पर सौंपे जायें। समिति स्वयं भी सरकार से सिफारिश कर सकती है कि वह कोई विषय विशेष सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत कर और उस चर्चा के लिए समय नियत कर सकती है। यद्यपि समिति में सामान्यतया सभी मतों वाले सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहता है तथापि समय नियत करने संबंधी निर्णय सदा सर्व-सम्मति से लिए जाते हैं और समूचा सदन सामान्यतया उनसे सहमत हुआ है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति (Committee on Private Members' Bills & Resolutions). इस समिति के पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होते, जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष करता है और यह एक वर्ष तक पद धारण करती है। समिति के महत्त्व को देखते हुए उपाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से इस समिति में लिया जाता है जो इसका सभापति होता है। इसके कृत्य हैं— गैर सरकारी सदस्या के विधेयको और सकल्पों के लिए समय नियत करना, सिद्धान्त में सशोधन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको (Bills) को लोक सभा में उनको पेश किए जाने से पहले जांच करना और गैर सरकारी सदस्यों के ऐसे विधेयको की, जिनमें सभा की विधायी क्षमता को चुनौती दी गई हो, जांच करना। इस प्रकार यह गैर-सरकारी सदस्या के विधेयको तथा सकल्पों के सबंध में उन्ही कृत्या का पालन करती है जिनका कि कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा सरकारी कार्य के सबंध में किया जाता है। राज्य सभा समिति के कृत्य ये हैं:—(एक) सभा की बैठकों में अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त के लिए सदस्यों के सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार करना, (दो) और ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना, जिसमें कोई सदस्य 60 दिन या इससे अधिक समय तक बिना अनुमति के सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहा हो और यह प्रतिवेदन देना कि क्या इस अनुपस्थिति को क्षमा कर दिया जाये या कि उस मामले को परिस्थितियों में यह उचित है कि सदन उस सदस्य के स्थान के रिक्त होने की घोषणा कर दे। इसके अतिरिक्त समिति सभा के सदस्यों की उपस्थिति के सबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन भी करती है, जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाए।

नियम समिति (Rules Committee) दोनों सदनों की एक-एक नियम समिति है। लोक सभा में नियम समिति का नाम-निर्देशन अध्यक्ष करता है और उसके 15 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। वह इस समिति का पदेन सभापति होता है। राज्य सभा में सभापति और उपसभापति सहित इस समिति के 16 सदस्य हैं। राज्य सभा का सभापति इस समिति का पदेन सभापति होता है।

इस समिति के कृत्य इस प्रकार हैं (एक) गभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के मामलों पर विचार करना और (दो) नियमों में आवश्यक समझे जाने वाले सभो-घनों अथवा परिवर्द्धनों की सिफारिश करना । नियमों में सभोघन या वृद्धि करने का सुझाव सदन के किसी भी सदस्य द्वारा किसी मंत्री या स्वयं समिति द्वारा दिया जा सकता है ।

(तीन) जाच समितियाँ

याचिका समिति (Committee on Petition) संसदीय लोकतंत्र में लोगों को संसद के समक्ष अपनी शिकायतें रखने और उनका समाधान खोजने एवं लोक महत्त्व के मामलों पर अपने रचनात्मक सुझाव देने का अस्तित्वित अधिकार होता है । यह काम व अपने क्षेत्र के संसद सदस्य के माध्यम से याचिका समिति को याचिकाएँ पेश करके करते हैं । प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति है । लोकसभा की इस समिति में 10 सदस्य होते हैं और राज्य सभा की इस समिति में 10 सदस्य । समिति प्रत्येक ऐसी याचिका को जाच करती है जो सदन में पेश किये जाने के बाद उस सीपी गयी मानी जाती है । समिति का यह कर्तव्य है कि याचिकाओं में की गयी त्रिमिष्ट शिकायतों के संबंध में सदन को प्रति-वेदन दे और उसमें पहले ऐसा साध्य ले, जैसा कि वह उचित समझें और स्थिति को सुधारने के लिये कार्यवाही का सुझाव दे, जा या तो उस रूप में समीक्षाधीन मामले पर लागू होती है, या जिसके कारण संबंध में वेसी बातों को पुनरावृत्त न हों, जिनकी शिकायत का गई है ।

समिति विभिन्न व्यक्तियों तथा सभों से प्राप्त सम्भावना, चोटियों और तारों पर विचार करती है, जा याचिकाओं संबंधी नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं और उन्हें निपटाने के लिए निर्देश देती हैं । यह समिति ग्राम नागरिकों को न्यायार्थित शिकायतों को दूर करने के मामले में सतदाय समर्थन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण कार्य करती है । पीड़ित और दमन के शिकार नागरिकों के लिए यह समिति "ग्रामबुद्ध-मंत्र" या "सावजनिक शिकायत समिति" के रूप में कार्य करती है ।

विशेषाधिकार समिति (Committee on Privileges) - संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से, और उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अर्थात् उन्हें कुछ अधिकार तथा उन्मु-क्तियाँ मिली हुई हैं, जिनके बिना सभा तथा उसके सदस्य उन कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, जा संविधान ने उन्हें सौंपे हैं । जब कभी विशेषाधिकार भंग होने का आरोप लगाया जाता है, तो सभा उस विषय पर विचार कर सकती है परंतु सामान्यतया सभा उस विषय की जाच, ध्यानहीन तथा प्रांतवदन देने के लिये उस विशेषा-धिकार समिति को सौंप देती है । प्रत्येक सदन में यह समिति गठित की गई है । सामान्यतया दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विशेषाधिकार

रखा गया है, (ख) क्या पत्र को सभा पटल पर रखने में कोई अनुचित विलम्ब हुआ है, (ग) यदि ऐसा विलम्ब हुआ है तो क्या उक्त विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखा गया है तथा क्या वे कारण सन्तोषजनक हैं, (घ) क्या उस पत्र के हिन्दी तथा अंग्रेजी मस्करण सभा पटल पर रचे गये हैं और (ङ) क्या हिन्दी मस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है, तथा क्या वे कारण सन्तोषजनक हैं। इस प्रकार, सामान्य रूप में समिति का उद्देश्य प्रशासन के उन क्षेत्रों में संसदीय नियंत्रण लागू करना है जिनमें 1955 में इस समिति का गठन होने तक वह नहीं था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (Committee on the welfare of Scheduled Castes/Tribes) भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कई रक्षोपायों का उपबन्ध किया गया है। इन रक्षोपायों की कार्यान्विति पर निगरानी रखने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पद की व्यवस्था की गई है। आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अधीन राष्ट्रपति को रक्षोपायों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन पेश करना है और तत्सम्बन्धी सिफारिशें करना है। इन सिफारिशों का प्रभावपूर्ण ढंग से अनुपातानुभव बनाने के लिए संसद द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति गठित की गई है। इस समिति के 30 सदस्य होते हैं, लोक सभा के 20 और राज्य-सभा के 10 जो संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने-अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते हैं।

समिति के महत्वपूर्ण कृत्य अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों पर विचार करना और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश करना है कि उन पर सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या करना अपेक्षित है। समिति केन्द्रीय सरकार के विभागों, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि में सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में जांच करती है और उनके कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यक्रमों की समीक्षा करती है तथा संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति समय-समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विशेष हित के मामलों पर भी विचार करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि इन पिछड़े समुदायों के लिये संवैधानिक रक्षोपायों को प्रभावी कार्यरूप दिया जाये।

(चार) सेवाएं उपलब्ध कराने वाली समितियाँ . संसद सदस्यों को उपलब्ध की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के कार्यक्रमों में सम्बन्धित अन्य मामलों की जांच करने वाली समितियाँ

इस प्रकार हैं सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, ग्रन्थालय समिति और समसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति ।

सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee) इस समिति का पड़ने सदस्य के कार्यों से सम्बद्ध ऐसे विषयों पर विचार करने और परामर्श देने के लिए किया जाता है, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे भेजे जायें । समसद् के दोनों सदस्यों की एक-एक सामान्य प्रयोजन समिति होती है । इसमें सर्वप्रथम सदस्य का पीठासीन अधिकारी समिति का पदेन सभापति होता है । इस समिति में अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उपसभापति जैसी भी स्थिति हो, सभापति तालिका के सदस्य, उस सदस्य की सभी स्थायी समितियों के सभापति मान्यता प्राप्त दलों/ग्रुपों के नेता और ऐसे अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किया जाए ।

आवास समिति (Housing Committee) समसद् के प्रत्येक सदस्य की एक-एक आवास समिति होती है जो सदस्यों के लिये भवानों में सर्वप्रथम सभी प्रश्नों को तय करती है और दिल्ली में सदस्यों के निवासों और होस्टलों में दिये गये स्थान, भोजन, चिकित्सा सहायता तथा अन्य सुविधाओं संबंधी कार्य करती है ।

प्रपालय समिति (Library Committee) यह एक पीठासीन समिति है जिसमें दोनों सदस्यों के सदस्य नियुक्त हैं । इस अध्यक्ष द्वारा ग्रन्थालय संबंधी विषयों के बारे में उन्हें परामर्श देने के लिए यत्न किया गया है । इस समिति में उपाध्यक्ष सहित, जो समिति का पड़ेन सभापति होता है, लोक सभा के छह सदस्य और राज्य सभा के तीन सदस्य होते हैं । इन सदस्यों का दोनों सदस्यों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मनोनीत किया जाता है । यह समिति प्रत्येक वर्ष यत्न करती है । इस समिति का मुख्य कृत्य ग्रन्थालय और उसका सहायक सेवाओं, अर्थात् सदस्य, शोध तथा प्रलेखन सेवाओं के प्रयोग में सदस्यों को सहायता करना है । यह नई पुस्तकों तथा समसद् ग्रन्थालय में सर्वप्रथम अन्य दिन प्रतिदिन के विविध विषयों तथा ग्रन्थालय के लिए नियम बनाने और इसकी भावी योजनाएँ बनाने आदि से संबंधित मामलों में अध्यक्ष को परामर्श देती है ।

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति (Joint Committee on Members Salary & Allowances) इस समिति का गठन 1954 में किया गया था जिससे कि समसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों अधिनियम 1954 के अधीन नियम बनाये जा सकें । इस संयुक्त समिति में लोक सभा के दस और राज्य-सभा के पांच सदस्य होते हैं, जिनको दोनों सदस्यों के पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशित करते हैं ।

इस समिति के कृत्य हैं केंद्रीय सरकार के परामर्श में दोनों सदस्यों में सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, पानी,

विजली, निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी तथा मचिवीय सुविधायें आदि देने के बारे में नियम बनाना ।

निष्कर्ष—संसदीय समितियाँ विचारधीन विषय को शान्त वातावरण में वारीकी से छान-बीन कर निष्कर्ष निकालती हैं और सिफारिशें देती हैं । सरकार द्वारा इनकी सिफारिशों को बड़ी गंभीरतापूर्वक लिया जाता है और सामान्यतया अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं । समितियाँ शक्ति का स्रोत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । जो सरकारी विभाग कुशल दक्षता में कार्य नहीं करते अथवा जिनके अधिकारी चुटियों के दांपी हैं उन्हें सम्बद्ध विषयों पर साक्ष्य के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कठोर जिरह के समय अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ना है और उनको इस बात का ज्ञान भी होता है कि समिति को झूठी जानकारी देना समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है, जिसके गंभीर परिणाम निकलते हैं । अतः समितियाँ सरकार के अकुशल प्रशासन पर अकुशल लगाव में उभरे चुम्बक बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं । भारतीय संसद् की समितियाँ यह काम बड़ी कुशलतापूर्वक कर रही हैं । इन समितियों द्वारा निरन्तर सतर्क रह कर और सरकारी विभागों के कार्यकरण के न्यायोचित एवं रचनात्मक मूल्यांकन से समितियों ने संसद् के प्रभावी कार्यकरण में विशिष्ट योगदान किया है और देश में संसदीय सभ्यता को सामान्य रूप में सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

समितियों के रचनात्मक प्रभाव को देखते हुए यह विचारधारा जोर पकड़ती जा रही है कि आधुनिक प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद् की समिति प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए । संसद् में दलगत विचारधारा के कारण बहुत सा समय छीटाकशी में व्यर्थ चला जाता है, जिसमें कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो पाता है । समितियों में सदस्य दलगत भावना में ऊपर उठकर सामंजस्यपूर्ण ढंग में कार्य करते हैं क्योंकि समितियों में समान उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है । अतः देश में विषयों पर आधारित या मंत्रालयों/विभागों पर आधारित विशेषज्ञ समितियाँ स्थापित करने की विचारधारा की गंभीरता में ध्यान देने की आवश्यकता है । इसमें सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकरण की लगातार छानबीन करना बजट प्रस्तावों और विधायी प्रस्तावों की उनके अपने-अपने विषय क्षेत्रों में जांच करना सम्भव होगा और समितियाँ संसद् की पूरक सिद्ध होंगी । ऐसी समितियों की स्थापना में संसद् के पास ऐसे साधन उपलब्ध हो जायेंगे, जिनमें कि वह सरकार के क्रियाकलापों की निरन्तर छानबीन कर सकेगी और माथ ही कार्यपानिका में प्राप्त होने वाले सभी प्रस्तावों की उनके विषय-क्षेत्रों में ही जांच कर सकेगी । इस मदर्भ में हानि ही तीन विषयगत समिति बनाकर जो पहल की गई है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है ।

संसदीय विशेषाधिकार

विशेषाधिकार (Privileges) का ग्रीक-लाता शाब्दिक अर्थ "छूट का प्रसारण अधिकार" है। इस शब्द का कानूनी अर्थ यह है कि "यह किसी कर्त्तव्य, बोध या दायित्व से छूट है जो बाकी सब के लिये हो"। यह "विशेष" इसलिये है कि यह अधिकार या छूट जेप लोगो को प्राप्त नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) संसद् के विशेषाधिकार नहीं है क्योंकि संसद तो राष्ट्रपति और दोनो सदनों से बनती है जब कि संसदीय विशेषाधिकार केवल दोनो सदनों को, उनकी समितियों को और उनके सदस्यों को प्राप्त है।

संसदीय भाषा में, "विशेषाधिकार" शब्द से अभिप्रेत है ऐसे कतिपय अधिकार तथा उन्मुक्तिया जो संसद् के प्रत्येक सदन तथा उसकी समितियों को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं और जिनके बिना वह अपने कृत्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद् की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। ये सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है क्योंकि संसद् अपने सदस्यों की सेवाओं के वाधारहित प्रयोग के बिना अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकती और प्रत्येक सदन को अपने सदस्यों के संरक्षण तथा प्राधिकार एवं गरिमा की रक्षा के लिये ये सामूहिक रूप से प्राप्त हैं। परन्तु ये सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से केवल उभी सीमा तक उपलब्ध हैं जहाँ तक कि सदन को किसी अवरोध या बाधा के बिना अपने कृत्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करने के लिये आवश्यक है। वे सदस्यों को समाज के प्रति दायित्वों से, जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं, मुक्त नहीं करते। संसद् के विशेषाधिकार कानूनों के लागू होने के मामले में संसद् सदस्यों को साधारण नागरिकों से बिली भी प्रकार भिन्न स्थिति में नहीं रखते, जब तक कि स्वयं संसद् के हित में ऐसा करने के लिये टोन तथा पर्याप्त कारण न हो।

भाधारभूत सिद्धान्त यह है कि सभी नागरिक, जिनमें ससद् सदस्य भी प्राते हैं, कानून की दृष्टि में बराबर हैं। कानून के लागू होने के विषय में कोई ससद् सदस्य, जब तक कि सविधान या कानून में स्पष्ट रूप में इसकी व्यवस्था न की गई हो, समान्य नागरिक की अपेक्षा अधिक विशेषाधिकारों की मांग नहीं कर सकता। अतः किसी सदस्य को किसी प्रकार की आक्रामक भयवा परेशान किये जाने की कार्यवाही के विरुद्ध विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होता है जब कि ससद् सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों वा निर्वहन करते समय उसके लिये कोई बाधा उपस्थित की जाये या किसी प्रकार उसको परेशान किया जाए। इसी प्रकार यदि किसी ससद् सदस्य के किये गये अपमान या उस पर लगाये गये घासेप का सदन के सदस्य के रूप में उससे प्रानरण या करिज में सञ्चय नहीं है और वह सदन के कार्य के वास्तविक निष्पादन में उत्पन्न मामलों पर आधारित नहीं है तो ससद् के विशेषाधिकार का मापना नहीं बनता। सदस्यों को देश की साधारण विधियों के प्रवर्तन से छूट नहीं होनी। एक विशिष्ट मामले में यह निर्णय दिया गया कि किसी सदस्य को सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाली विधि द्वारा प्राधिकृत रूप से डरक को सेंसर करने और टेलीफोन पर होने वाली बातों को बीच में मुनने के बारे में कोई विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जब कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकार, व्यक्तिगत रूप से सदस्यों या सामूहिक रूप से सभी के किसी विशेषाधिकार, अधिकार या उन्मुक्ति की अक्षेपता करता है या उस पर कुठाराघात करता है तो उस अपराध को विशेषाधिकार भंग की सजा दी जाती है।

सर्वप्रान्तिक उपबन्ध (Constitutional Provisions)

ससद् के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ भारत के सविधान के अनुच्छेद 105 में उल्लिखित हैं। इस अनुच्छेद में प्रमुख उपबन्ध यह किया गया है कि ससद् के सदस्यों को वाक् स्वातंत्र्य प्राप्त है, ससद् में या उसकी किसी समिति में सदस्य द्वारा कही गई किसी बात अथवा दिये गये किसी मत के बारे में किसी ससद्-सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। राज्यों के विधान मण्डलों और उनके सदस्यों के बारे में ऐसा उपबन्ध अनुच्छेद 194 में किया गया है। उनमें से कुछ विशेषाधिकार कतिपय सविधियों में और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित हैं और कुछ अन्य देश में विकसित प्रथाओं पर और पूर्वोच्चारणों पर आधारित हैं।

सविधान के अनुच्छेद 105 में यह उपबन्ध है

- (1) इस सविधान के उपबन्धों के और ससद् की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, ससद् में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।

- (2) संसद् या उसकी किसी समिति में संसद् के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात पर दिये गये किसी मत के संबन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
- (3) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो संसद् समय-समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही होंगी जो संविधान (बचालीसवाँ मसौदा) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी ।
- (4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन या उसको किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।

अनुच्छेद 105 (3) अथवा 194 (3) में स्पष्ट रूप में यह उपबंधित किया गया था कि जब तक भारतीय संसद् द्वारा अन्य शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ विधि द्वारा परिभाषित नहीं की जाती तब तक "ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स" की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ भारत की संसद् और विधान मंडलों और उनके सदस्यों के लिये उपलब्ध रहेंगी । इससे अभिप्रेत है कि यदि संसद् किसी समय किसी विशिष्ट विशेषाधिकार के संबंध में कोई उपबन्ध अधिनियमित करती है तो ब्रिटेन के पूर्वोदहारण उस मीमा तक भारतीय संसद् पर लागू नहीं होंगे । परन्तु 1978 में खण्ड (3) में संशोधन करके यह उपबन्ध किया गया कि संविधान में उल्लिखित विशेषाधिकारों के अलावा विशेषाधिकारों के संबंध में, संसद् के प्रत्येक सदन की, उसके सदस्यों की और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वही होंगी जो संविधान (बचालीसवाँ मसौदा) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने (20.6.1978 में) ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी । इस संशोधन द्वारा वस्तुतः ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स के सभी निर्देशों का लोप करके केवल शाब्दिक परिवर्तन किये गये हैं पर सार वही रहता है । कहना न होगा कि संविधान में उल्लिखित शक्तियों और विशेषाधिकारों के अलावा प्रत्येक सदन की, उसके सदस्यों और समितियों को व्यवहार में वही

शक्तिया और विरोधाधिकार प्राप्त है, जो 20 जनवरी, 1950 को ब्रिटेन के हाउस आफ कॉमन्स उसके सदस्यों तथा मामलियों को प्राप्त थे।

सविधान (समाधान) विधेयक पर बोलते हुए, अनुच्छेद 105 (3) में संशोधन करने का प्रयोजन बनाते हुये तत्कालीन विधि मंत्री ने कहा था "कि मूल उपबन्ध, जिसका कि कोई विकल्प नहीं था, में ब्रिटिश हाउस आफ कॉमन्स का उल्लेख किया गया था। अब भारत जैसा स्वाभिमानी देश अपने पारलम संवैधानिक दस्तावेज में किसी विदेशी संस्था का उल्लेख नहीं करना चाहता।" "इसदिने इस संघ के द्वारा यह नाबिद्ध परिवर्तन किया जा रहा है ताकि एक विदेशी संस्था का उल्लेख न रहे।"

मुख्य विरोधाधिकार

समझ, उसके सदस्यों तथा मामलियों के कुछ विरोधाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख सविधान, कुछ शक्तों और मदन के प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया गया है, कुछ इस देश में विद्यमान परिघटनाओं पर आधारित है। इनके आधार पर ममदीय विरोधाधिकारों सम्बन्धी सूचना संसार की जा सकती है परन्तु ऐसी कोई सूची व्यापक नहीं हो सकती। कुछ महत्त्वपूर्ण विरोधाधिकार य हैं—

- (एक) समझ में वाक स्वतंत्रता (सविधान का अनु 105 (1))
- (दो) समझ में या उसकी किसी मामलि में किसी सदस्य द्वारा कही हुई किसी बात या दिने गये मत के आधार पर किसी भी न्यायालय की कार्यवाही में उन्मुक्ति (सविधान का अनुच्छेद 105 (2))
- (तीन) किसी व्यक्ति द्वारा समझ के किसी मदन के अधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, दस्ता या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही लिये जाने से उन्मुक्ति (सविधान का अनुच्छेद 105 (2))
- (चार) न्यायालयों द्वारा समझ की कार्यवाहियों की जांच करने का निषेध (सविधान का अनुच्छेद 121)
- (पाच) मदन के मंत्र के शोधान तथा उसके आरम्भ होने के 40 दिन पहले और उसके समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी से उन्मुक्ति (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 135 क)
- (छह) सदस्यों का जुरी की सदस्यता के दायित्व में छूट (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (क))
- (सात) किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोष सिद्धि, कारावास तथा रिहाई के संबंध में तुरन्त सूचना प्राप्त करने का मदन का अधिकार (लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, मातवा संस्करण नियम 229 और 230)

- (घाट) अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सदन के परिमर में विरपतारी और किमी कानूनी आदेशिका की तामील पर रोक (लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन नियम मातवा संस्करण, नियम 232 और 233)
- (नी) सदन की किमी नोपनीय बैठक की कार्यवाहिया या फंमले प्रकट करने पर रोक (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचानन नियम, सातवा संस्करण, नियम 252)
- (दस) सदन के सदस्य या अधिकारी सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाहियों के सबध में किसी न्यायालय में साक्ष्य नहीं देंगे या दस्तावेज पेश नहीं करेंगे (दूसरी लोक सभा द्वारा 13 सितम्बर, 1957 को स्वीकृत किया गया),
- (ग्यारह) सदन के सदस्य या अधिकारी सदन की अनुमति के बिना दूसरे सदन के या उसकी किसी समिति के समक्ष या राज्य विधान मण्डलों के किसी सदन के या किसी समिति के समक्ष माक्षियों के रूप में उपस्थित नहीं होंगे और उन्हें सम्बन्धित सदनों की सम्मति के बिना ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता । (दूसरी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति का छटा प्रतिवेदन जो लोक सभा द्वारा 17 सितम्बर, 1958 को स्वीकृत किया गया),
- (बारह) सभा संसदीय समितियों को उनके द्वारा की जाने वाली किसी जाच के प्रयोजन के लिये सगत व्यक्तियों को ग्राहृत करने, पत्रों एवं अभिलेखों को मागने की शक्ति प्राप्त है । किसी संसदीय समिति द्वारा किसी साक्षी को बुलाया जा सकता है और उसे समिति के प्रयोग के लिये अपेक्षित दस्तावेज पेश करने के लिये कहा जा सकता है (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, सातवा संस्करण, नियम 269 और 270),
- (तेरह) किसी संसदीय समिति के समक्ष किमी माक्षी की जाच के समय समिति उसे शपथ दिला सकती है या प्रतिज्ञान करा सकती है (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन नियम मातवा संस्करण नियम 272),
- (चौदह) किसी संसदीय समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य और उसका प्रतिवेदन एवं कार्यवाहियां किसी के द्वारा तब तक प्रकट या प्रकाशित नहीं जा सकती तब तक कि उन्हें सभा पटल पर नहीं रख दिया जाता (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य मंचालन नियम, सातवा संस्करण, नियम 275),

उपरोक्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक सदन की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जो उनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। वे शक्तियां निम्नलिखित हैं :—

- (एक) व्यक्तियों को चाहिए वे सदन के सदस्य हों या नहीं, सदन के विशेषाधिकार भंग करने या अथवा उनके लिये दोषी सिद्ध करने की शक्ति,
- (दो) साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और पत्र एवं दस्तावेज मागने की शक्ति,
- (तीन) अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को स्वयं विनियमित करने की शक्ति (संविधान का अनुच्छेद 118),
- (चार) अपने वाद-विवाद और कार्यवाही वृत्तान्त के प्रकाशन पर रोक लगाने की शक्ति (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, सातवां संस्करण, नियम 249),
- (पांच) बाहर के व्यक्तियों की सदन में उपस्थिति पर रोक लगाने की शक्ति (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, सातवां संस्करण, नियम 248)

संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद में वाक् स्वतंत्रता का विशेषाधिकार और सदस्यों को संसद या उसकी किसी समिति में "उनके द्वारा कही गयी किसी बात या किये गये काम के संबंध में किसी न्यायालय की कार्यवाही" में उन्मुक्ति का उपबन्ध विनिष्ट रूप से दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में सनी नागरिकों को भी वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। किन्तु जहाँ अनुच्छेद 105 और 194 में संसदीय और विधान सभों के सदस्यों के बोलने की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया है वहाँ अनुच्छेद 19 के अधीन वाक्-स्वातंत्र्य का अधिकार युक्तियुक्त निर्वन्धनों के अधीन है। उदाहरणार्थ अथवा संबंधी विधि के अधीन यदि कोई माध्यामिक व्यक्ति कोई अथवा जनक बात कहता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है परन्तु यदि कोई संसद सदस्य सदन में या उसकी समितियों में बोलता है तो उसके विरुद्ध इस आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती कि उसका भाषण अथवा जनक या मानहानिकारक था।

संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको संसद में उन लोगों की शिकायतें पेश करनी होती हैं, लोक महत्त्व के मामलों को उठाने होते हैं वत उनकी वाक्-स्वतंत्रता पर कोई निर्वन्धन नहीं लगाया जा सकता। मात्र इसके कि उन्हें सदन के या सम्बन्धित समितियों

के जिसके कि वे सदस्य होते हैं, भ्रान्तरिक अनुशासन में रहना होता है। वे किसी बाहरी अधिकारी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। कोई सदस्य सदन में अपनी किसी बात या भाषण के सम्बन्ध में सभा के अनुशासन के ही अधीन है और उनके सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी या फौजदारी कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती। सदन या उसी समिति में कही गयी किसी बात या दिये गये किसी मत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विशेषाधिकार दिया गया है जिससे कि सदस्य अपनी बात कहते हुए बर नहीं और अबाध रूप से अपने विचार प्रकट करें। इस प्रकार सदस्य को न्यायालयों की कार्यवाही से पूरा सरक्षण प्रदान किया गया है। उसने विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि सदन में दिये गये भाषण विशेषाधिकार के अन्तर्गत आते हैं और अनुच्छेद 122 में सदन की कार्यवाहियों की न्यायालयों द्वारा किसी जाच की विशेष रूप से मनाही है। सदन में जो भी बात कही जाय या काम किया जाए उसके सम्बन्ध में सदन में कार्यवाही हो सकती है। अतः 105 के अन्तर्गत सदस्यों को जो वाक्-स्वतंत्रता दी गयी है वह संविधान के केवल उन्हीं उपबन्धों के अधीन है जो सदन की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। इसके अतिरिक्त उस पर सभा के नियम तथा स्थायी आदेश लागू होते हैं। लेकिन इस पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सकता जो कि अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत कानून द्वारा किसी साधारण नागरिक की वाक्-स्वतंत्रता पर लगाया गया हो। सदस्यों द्वारा अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये कहीं गई किसी बात या किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में सदन के बाहर कोई जाच सदस्यों के अधिकारों में गम्भीर हस्तक्षेप होगा।

परन्तु सदस्यों को प्राप्त वाक्-स्वतंत्रता का अधिकार अबाध अधिकार नहीं है। वह संविधान के उपबन्धों के अधीन है। संसद में चर्चा पर भी निर्वन्धन लगें हैं। उदाहरणार्थ अनुच्छेद 121 में उपबन्धित है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये आचरण के विषय में सदन में कोई चर्चा उपबन्धित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार लोक सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी तथा कार्य मचालन नियमों के नियम 352 और 353 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप लगाने पर रोक लगाई गई है। जब कोई सदस्य किसी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य के आचरण की ओर सभा का ध्यान दिलाने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द

करने का निर्देश कर सकता है या आदेश दे सकता है कि सदस्य द्वारा प्रयोग में लाये गये मानहानिकारक, अशिष्ट, अशुभमयी या अशुभ शब्द वापस लिये जायें या, उन्हें सदन के कार्यवाही वृत्तान्त से निवारित किया जाए। उक्त आदेश का शोर उल्लंघन किये जाने पर अध्यक्ष सदस्य को बाहर चले जाने का निर्देश भी दे सकता है और/अथवा सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित करने का कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

सदस्यों को अपनी संसदीय कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा डालकर रोकना नहीं जा सकता। उसे जिस मदन वा वह सदस्य है उसके सत्र के दौरान या उसके आरम्भ से चालीस दिन पहले या समाप्त होने के चालीस दिन बाद, किसी फौजदारी अपराध के आरोप या निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी के अतिरिक्त, अन्य किसी प्रकार गिरफ्तार किया या करवाया जाता है तो यह सभा का विशेषाधिकार भंग तथा भ्रवमान होगा। इसी प्रकार यदि कोई सदस्य ससद् या उसकी किसी सभा के कोई काम करने के लिए नयी दिल्ली आ रहा हो तो नयी दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर उसे परेशान किया जाना या कोई बाधा उपस्थित किया जाना भी विशेषाधिकार का भंग करना होगा। सदस्यों को प्राप्त इस विशेषाधिकार का उद्देश्य यह है कि सदस्य बिना किसी रोक टोक के ससद् की कार्यवाहियों में नियमित रूप से भाग ले सकें।

यद्यपि गिरफ्तारी में उन्मुक्ति का विशेषाधिकार फौजदारी आरोप या निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार पर लागू नहीं होता, तथापि, नियमों में यह उपबन्ध स्पष्ट रूप से किया गया है कि जब किसी सदस्य का किसी फौजदारी आरोप पर या फौजदारी अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है या किसी न्यायालय द्वारा उस कारावास दंड दिया जाता है या कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत उस नजरबन्द किया जाता है तो सम्बद्ध अधिकारी का इस बात की सूचना अध्यक्ष को तुरन्त देना होती है। यदि सम्बद्ध अधिकारी सदन के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी या कारावास की सूचना नहीं देता तो यह सदन का विशेषाधिकार भंग होगा। यदि कोई सदस्य दण्ड के किसी दूरस्थ स्थान पर गिरफ्तार हो, उसकी सूचना तार भ्रज कर अवश्य दी जानी चाहिए और बाद में पत्र भेज कर उसकी पुष्टि करनी चाहिए।

ससद् के परिस्तर में बन्दीकरण और बंध आदेशों के निवहन के बारे में उपरोक्त है कि ससद् के पारसरो के भीतर अध्यक्ष/सभापति की आज्ञा प्राप्त किये बिना किसी सदस्य को बन्दी नहीं बनाया जा सकता और न ही अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना दीवानी या अपराधिक कोई कर्तव्यी आदेशिका कोई "समन" दिया जा सकते हैं। इसी प्रकार सदन या उसकी किसी सभा के सामने पेश हान के लिए बुलाए गए किसी साक्षी की बन्दी

बनाना भी सभा का अवमान है । अतः समद के परिमरो के भीतर अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि समद के परिमरो में केवल समद के प्रत्येक सदस्य के या अध्यक्ष/सभापति के आदेश लागू होते हैं । समद के परिमरो में धारा 144 भी लागू नहीं की जा सकती । वहाँ अध्यक्ष/सभापति के आदेशों का ही अनुपालन होता है ।

सामदों को "ज्यूरी" का सदस्य बनने के दायित्व में छूट का विशेषाधिकार प्राप्त है । इन विशेषाधिकार का उद्देश्य भी यह सुनिश्चित करना है कि सामदों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े । दूसरे शब्दों में सदस्य के कर्तव्य न्यायालयों तथा अन्य न्यायों में उपस्थिति के दायित्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ।

सदन के किसी अधिकारी या सदन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा सदन के आदेशों का पालन करने वाले किसी व्यक्ति के काम में बाधा डालना सभा का अवमान है । उनको सदन की अनुमति के बिना किसी सदन की कार्यवाही के सबंध में साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार किसी सदस्य को, उस सदन की अनुमति के बिना जमका वह सदस्य हो, दूसरे सदन के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।

यदि सदन या उसकी किसी समिति के आदेशों का पालन करने में लगे हुए सदन के किसी अधिकारी को बाधा पहुँचाई जाती है या उसके द्वारा अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किए गए किसी काम के लिए उसे तग किया जाता है तो यह सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमान है । सभा या उसकी समिति के सामने पेश होने के लिए बुलाए गए साक्षी को गिरफ्तार करना सभा का अवमान है । उसी प्रकार सदन या उसकी समिति के सामने उपस्थिति के समय किसी साक्षी को बाधा पहुँचाना या साक्षी के रूप में उसके पेश होने तथा साक्ष्य के आधार पर वाद में उसको तग करना सदन का अवमान है ।

दूसरी ओर सदन या उसकी किसी समिति के सामने किसी प्रकार का कदाचार चाहे दोष समद के सदस्य का हो या साधारण नागरिक, जो दण्डक दीर्घा में जाने दिये गये हों या साक्षी के रूप में समिति की बैठक में आए हों—सदन का अवमान माना जाता है । ऐसे कदाचार को सदन के सामने अव्यवस्थापूर्ण, मानहानिकारक, अनादरपूर्ण, या घृणा दर्शाने वाला व्यवहार माना जाता है । सदन या उसकी समितियों के सामने सामान्य नागरिकों और साक्षियों द्वारा कदाचार के कुछ विशेष दृष्टान्त जिनमें विशेषाधिकार भंग होता है और सदन और समिति की अवमानना होती है, ये हैं :—

- (एक) मदत या उमकी समितियों की कार्यवाही में बाधा या गड़बड़ डालना,
 (दो) किसी समिति की बैठक के सामने किसी साक्षी द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में इन्कार,
 (तीन) किसी साक्षी द्वारा किसी समिति के प्रश्नों का उत्तर देने में इन्कार, या दस्तावेज, जो उसके पास हों, पेश करने में इन्कार,
 (चार) किसी समिति के सामने टांगमटान करना या भ्रष्ट साक्ष्य देना या जानबूझ कर मूर्खानाई दिखाना, या बार-बार समिति को सुमराह करना, और
 (पाच) समिति के साथ विवकाद करना, उसके प्रश्नों के अवमानजनक उत्तर देना, या नये स धुन होकर समिति के सामने आना।

समक्षीय समितियों के आदेशों की अवज्ञा को मदत का अवमान समझा जाता है। समितियाँ भी उन्नी सम्मान की अधिकारी हैं जिसका कि मदत। यदि कोई व्यक्ति किसी समक्षीय समिति के फैसलों, पर आचरण पर आशेष करता है तो उसे विभाषाधिकार भंग करना और मदत की अवमानता करना माना जाता है।

हिरामन में रये गये किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष, महामन्त्रि या किसी समक्षीय समिति के सभापति के नाम लिखे पत्र गेकना विभाषाधिकार भंग है। उमकी विधान सभल के साथ पत्र व्यवहार करने अव्यय तथा विभाषाधिकार समिति के सभापति को अव्यवेदन देने का अधिकार प्राप्त है तथा किसी कार्यकारी प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह लेने पत्रों को रोक सके।

किसी समक्षीय समिति की कार्यवाही, साक्ष्य वा दस्तावेजों के सभा में पेश किए जाने में पहूने उमकी कार्यवाही या उमके सामने दिए गए साक्ष्य या उमके सामने रये गये दस्तावेजों के किसी अंग का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा किया जाता है तो वह मदत का विभाषाधिकार भंग या अवमानता करना है। उन्नी प्रकार किसी समक्षीय समिति के प्रतिवेदन के मदत में पेश किये जाने में पहूने प्राप्प प्रतिवेदन या स्वीकृत प्रतिवेदन का प्रकाशन मदत का विभाषाधिकार भंग माना जाता है।

विभाषाधिकार भंग (Breach of Privilege) समक्षीय सदस्यों अव्यय समष्टि के रूप में मदत के अधिकारों, विभाषाधिकारों या उन्मुक्तियों की अवहेलना करना अव्यय किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उनकी आलोचना करने या उमके प्रति अवमान प्रदर्शन करने में विभाषाधिकार भंग हो सकता है। मदत द्वारा पूरी तरह में जाच किए जाने के पश्चात् विभाषाधिकार भंग किए जाने के मामले में बिने ही दण्ड दिया जा सकता है जैसे कि न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा अव्यय प्राधिकार की अवमानता किए जाने पर देने हैं। विभिन्न विभाषाधिकारों के भंग किये जाने के मामलों के अतिरिक्त, सभा के प्राधिकार या गरिमा के विरुद्ध अपराधिक कार्य-

वाहिया यथा उसके विधिगमन आदरी की अवज्ञा या उसके सदस्यों अथवा अधिकारियों के शर में अन्यायजनक लेख आदि का प्रकाशन करना भी सभा के अमान के रूप में दण्डनीय है ।

सदन की अवमानना सदन के अवमान की सामान्यतः इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है कि 'जिसे कोई कार्य या धन-वृत्त, जो संसद के किसी सदन के कान में उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा या अड़चन डालती है अथवा सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के मार्ग में उसके कर्तव्य के पालन में बाधा या अड़चन डालती है अथवा जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, संसद का अवमान माना जाता है ।' विरोधाधिकार भग और सदन की अवमानना में बहुत थोड़ा सा अन्तर है । विरोधाधिकार भग के सभी मामले अवमान के मानने हैं लेकिन सम्भव है कि कोई व्यक्ति सदन के किसी विरोधाधिकार को भग तो न करे लेकिन फिर भी वह अवमान का दोषी हो, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी समिति की बैठक में पैर होने के आदेश की अवहेलना करे या किसी सदस्य के आचरण या चरित्र पर आक्षेप प्रकाशित कर दे । किसी परिस्थिति में कोई विरोध कार्य अवमानना हो सकता है तो किसी अन्य परिस्थिति में वही कार्य अवमानना नहीं भी हो सकता । इस बात का निर्णय संसद का संबन्धित सदन ही कर सकता है कि अवमानना की गयी या नहीं । अक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों की सर्वोच्चता, प्राधिकार या गरिमा पर किया गया कोई भी प्रहार उनकी अवमानना है । संसद के कृत्रिम महत्वपूर्ण अवमानों के उदाहरण इस प्रकार हैं —

सदनों, उनकी समितियों अथवा सदस्यों पर आक्षेप करने वाले भाषण या लेख,

अध्यक्ष/सभापति के कर्तव्यों के पालन के संबंध में उनके चरित्र या निष्पक्षता पर आक्षेप,

सदनों की कार्यवाहियों के भूटे तथा विवृण्वृत्तान्त का प्रकाशन, पीठामात अधिकारियों द्वारा सदनों की कार्यवाहियों में न निकाले गये प्रश्नों का प्रकाशन, किसी समदीय समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में पक्षपात किये जाने का आरोप लगाना,

सदनों में सदस्यों के आचरण को लेकर उनकी निन्दा या सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने समय या सदनों में या उनकी किसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए जाने हुए या बहा में आते हुए सदस्यों के मार्ग में बाधा पहुँचाना,

सदस्यों के समदीय कार्य पर अक्षर डालने के लिए उनकी धूम देने की पेशकश करना,

सदस्यों के समदीय प्राधरण के सम्बन्ध में उनकी त्राम पट्टु चाना, किसी सदस्य द्वारा या साक्षी द्वारा सदनों के समक्ष या उनकी किसी समिति के समक्ष जानबूझ कर चलन या गुमराज करने वाला माध्य देना, और सदनों के समक्ष या उनकी किसी समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी साक्षी के लिए बाधा डालना या उसे परेशान करना,

सामने त्रिममे सबनों का विशेषाधिकार भग नहीं होता। सदनों के कायों में संबधित विभिन्न मामलों का समय में पट्टने प्रचार करना एक अनुचित कार्य है, लेकिन सदन का विशेषाधिकार भग या अवमान नहीं है। ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं जो अनुचित हो लेकिन जो सभा के विशेषाधिकार भग या अवमान की परिभाषा में नहीं आते। उदाहरणार्थ, दल की बैठकों में सन्त्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। यदि लोकहित के विषयों के संबंध में वक्तव्य सदन में नहीं, बल्कि सदन के बाहर दिए जायें, जा उसमें समद के किसी विशेषाधिकार की क्षति नहीं पट्टु चती। ऐसे कार्य परिपाटी तथा औचित्य के विरुद्ध हैं, लेकिन उनके माधार पर विशेषाधिकार का प्रयन नहीं उठाया जा सकता। नियमों, परिपाटियों तथा प्रपापी के उल्लघन को विशेषाधिकार, भग नहीं माना जाता। यदि नियम आदि का उल्लघन किया जाये तो उपयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से सभा या अध्यक्ष का रोप व्यक्त किया जा सकता है।

विशेषाधिकार भग, अवमानना आदि के लिए दण्ड :

समद के परिमरों में किसी दोष के लिए मामान्य न्यायालयों द्वारा दण्ड दिखे जाने का प्रावधान नहीं है। बट्टा पीठासीन अधिकारियों का आदेश चलना है। स्वयं सदन अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। सदन के विशेषाधिकार को भग करने के लिए दोषी पाये गये किसी व्यक्ति को सदन स्वयं उसकी भर्त्सना करके या ताडना करके या निर्धारित अवधि के लिए कारावास द्वारा दण्डित कर सकता है। जिन मामलों में विशेषाधिकार भग या सदन की अवमानना का अपराध इतना गम्भीर न हो कि उसके लिए कारावास को ही ठीक दण्ड समझा जाए, उस व्यक्ति को सदन की "बार" में बुलाया जा सकता है और पीठासीन अधिकारों सदन के आदेश से उसकी भर्त्सना कर सकता है या ताडना दे सकता है। ताडना देना अपने आप में नरम किस्म का दण्ड है और भर्त्सना करना अधिक गम्भीर किस्म का दण्ड है जिसके द्वारा सदन की अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है। विशेषाधिकार भग या सदन की अवमानना के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को सदन ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दे सकता है जो माधारणतया सदन के अधिवेशन की अवधि से अधिक नहीं होती। दण्डों द्वारा दण्ड दीर्घाओं से नारे लगाकर और/यापवा इतिहास फेंक कर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने समय-समय पर अपराधियों को सदन के उस दिन स्थागत होने तक कारावास का दण्ड दिया है।

विशेषाधिकार भग के उन मामलों में जो कानून के अन्तर्गत भी अपराध हैं, यदि मदन आवश्यक समझता है कि उसके द्वारा दिया जाने वाला दण्ड अनराध की तुलना में अपर्याप्त है, अथवा किसी अन्य कारणों से मदन की राय में कानूनी कार्यवाही करना अनिर्वाह्य हो, तो वह अपनी कार्यवाही के स्थान पर या उसके अनिर्दिष्ट उस व्यक्ति पर न्यायालय से मुकदमा चलाये जाने का निर्देश दे सकता है।

अपने मसूयों के मामलों में मदन दो और दण्ड दे सकता है और वेनाइनों तथा भर्त्सना में अधिक बड़ा रोप प्रकट कर सकता है। वह है मसूयों को मदन की सेवा में नियमित करता और निष्क्रिय करना। मदन का दायित्व अधिकार क्षेत्र अपने मसूयों तक और उनके मामले किये गये अपराधों तक ही सीमित न होकर मदन की सभी अनुमाननाओं पर व्याप्त होता है चाहे अनुमानना मसूयों द्वारा की गई हो या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो मसूय न हों। मदन का विशेषाधिकार भग करने या उनकी अनुमानना करने के कारण व्यक्तियों को दण्ड देने की मदन की यह शक्ति समदीय विशेषाधिकार की सीमा है। मदन अपनी दायित्व शक्तियों का प्रयोग बड़े गम्भीर मामलों में ही करता है। मदन की ऐसी परम्परा भी रही है कि दोषी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्त के दिल से स्वीकृत किया गया वेद मदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और माघारगुनया मदन अपनी गरिमा को देखते हुए ऐसे मामलों पर अपने कार्यवाही न करने का निर्णय करता है।

विशेषाधिकार के प्रश्नों सम्बन्धी प्रक्रिया

विशेषाधिकार के प्रश्नों को निपटाने की प्रक्रिया लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-मंचालन नियमों (नियम 222 से 228 और नियम 313 से 316) में दी गयी है। कोई मसूय, अध्यक्ष की अनुमति से, किसी मसूय के या मदन के या उनकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भग अनुसूचित होने वाला कोई प्रश्न उठा सकता है। विशेषाधिकार का भग किये जाने का प्रश्न उठाने वाले मसूय को उसकी विहित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि उस प्रश्न को उठाने का उनका विचार हो, महासचिव को देनी होती है। यदि उठाया जाने वाला प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो, तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न किया जाना चाहिए। सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा मामले पर विचार किया जाता है। अध्यक्ष विशेषाधिकार का प्रश्न सभा में उठाये जाने के लिए अपनी सम्मति दे सकता है या इन्कार कर सकता है। तथापि, यह निर्णय करने से पूर्व, कि क्या विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने वाले प्रस्तावित मामले पर सभा में विचार किये जाने की आवश्यकता है और क्या उस मामले को सभा में उठाये जाने की अनुमति ही जानी चाहिए, अध्यक्ष उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अभियोग लगाया गया है, अपना स्पष्टीकरण अध्यक्ष के समक्ष देने का अवसर

प्रदान कर सकता है। तत्परचायु गवर्धित सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय की सूचना दी जाती है। अध्यक्ष के इस निर्णय की कि उसने मामले को सदन में उठाये जाने की सम्मति नहीं दी है सूचना सदस्य को दिये जाने के पश्चात् उस सदस्य की सभा में वह मामला उठाने की अनुमति नहीं होती है। तथापि, यदि सदस्य सन्तुष्ट न हो, तो वह अपनी मामला स्पष्ट करने के लिए अध्यक्ष को उसके कक्ष में जाकर मिल सकता है। यह प्रक्रिया इसलिए निर्धारित की गई है कि जो मामला प्रथम दृष्टया गृहीत करने योग्य न हो उसे उठाने से सदन का समय व्यर्थ न जाए। जहाँ मामला अविलम्बनीय स्वरूप का हो और सूचना देने का समय न हो तो अध्यक्ष निम्नलिखित पूर्व सूचना के बिना सदस्य को विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकता है :

इस प्रश्न का फैसला केवल सदन कर सकता है कि जिस मामले की शिकायत की गई है क्या वह वास्तव में विशेषाधिकार भंग का या सदन की अवमानना का मामला है, क्योंकि केवल सदन ही अपने विशेषाधिकारों का स्वामी है। अध्यक्ष जब किसी मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में सदन में उठाए जाने के लिए अपनी सम्मति देता है तो वह केवल यह विचार करता है कि क्या यह मामला प्रयत्न जांच योग्य है और क्या उसे सदन के समय लाया जाना चाहिए। यदि अध्यक्ष सदन में विशेषाधिकार का मामला उठाये जाने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर देता है तो जिस सदस्य ने सूचना दी होती है वह अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए सभा की अनुमति मांगता है। ऐसी अनुमति मांगने समय, गवर्धित सदस्य को विशेषाधिकार के प्रश्न में मग्न केवल एक सक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि अनुमति दिये जाने के समय में आपत्ति की जाती है तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में होते हैं अनुरोध करता है कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। यदि तदनुसार पन्चीस या अधिक सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो यह माना जाता है कि सदन ने मामले के उठाये जाने की अनुमति दे देनी है और अध्यक्ष घोषणा करता है कि अनुमति दी जाती है, अन्यथा अध्यक्ष सदस्य को सूचित करता है कि उसे मामला उठाने के लिए सदन की अनुमति नहीं है।

सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति केवल उसी सदस्य द्वारा मांगी जा सकती है, जिसने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। वह अपनी ओर से किसी अन्य सदस्य को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता है। विशेषाधिकार के प्रश्न का कार्य-सूची की अन्य मदों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। तदनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रश्नों के पश्चात् और कार्य-सूची की अन्य मदों को लिये जाने से पूर्व मांगी जाती है। तथापि, अध्यक्ष ऐसे अविलम्बनीय मामलों को जिन पर सभा द्वारा तुरन्त विचार किये जाने की आव-

प्रयत्न हो, किसी बैठक के दौरान प्रश्नों को निपटाये जाने के पश्चात्, किसी भी समय उठाने की अनुमति दे सकता है।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने के लिए सदन द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात् उस मामले पर सदन द्वारा स्वयं विचार और विनिश्चय किया जा सकता है या उसे सदन द्वारा किसी सदन के प्रस्ताव पर परीक्षण, श्रवण और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। सामान्य प्रथा यह है कि शिकायत वाला मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है और सदन अपना निर्णय समिति का प्रतिवेदन पेश किये जाने तक स्थगित रखता है। जहां सदन यह देखता है कि मामला बहुत ही मामूली है या अपराधी ने पर्याप्त क्षमा याचना कर ली है, उस में आगे कोई कार्यवाही न करने का निर्णय करके सदन स्वयं उस मामले को निपटा देता है।

जब समिति का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सदन में पेश कर दिया जाता है तो समिति का कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि रिपोर्ट पर विचार किया जाये। प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात्, समिति का सभापति या कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के साथ सदन सहमत है या असहमत है या शोधनों के साथ सहमत है। इस प्रस्ताव को कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये, सामान्यतया वही पूर्ववर्तिता दी जाती है, जोकि विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को बर्णने कि उस प्रस्ताव को लाने में देरी न की गई हो।

अपनी गरिमा के अनुरूप, ससद् के दोनों सदन विशेषाधिकार भंग के मामलों में सदन अधिकतम उदार रहते हैं। अब तक कुछ ही मामलों में कार्यवाही की गई है। उन्होंने सदैव उदार दृष्टिकोण अपनाया है और तुच्छ और महत्वहीन मामलों की ओर ध्यान देना सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं समझा है। उनके विचार में यदि ऐसे मामलों को गम्भीरता पूर्वक लिया जाता है तो इससे उन लोगों या तत्वों को अनुचित महत्व मिलेगा जो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। केवल संसद् ही अपने विशेषाधिकारों की निर्णायक :—

कभी-कभी तथाकथित "उच्चतम न्यायालय के निर्णय" का उल्लेख किया जाता है जिसकी रिपोर्ट ए.आई.आर. 1965 उच्चतम न्यायालय 745 में प्रकाशित हुई थी। वास्तव में वह कोई निर्णय नहीं था बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन 26 मार्च, 1964 को निर्दिष्ट किए गए विशेष मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय थी। वह मामला विशेषाधिकार भंग करने और सदन की अवमानना करने के कारण उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा श्री केशव मिश्र को कारावास का दण्ड दिये जाने, और उनको मुक्त किये जाने के लिये दत्ताहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका के बारे में था जिसके कारण अनेक घटनाएँ घटी और राज्य विधान सभों और उनके

मदस्यो की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय और उनके न्यायाधीशों की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र संबंधी विधि के महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न उठ खड़े हुए ।

भारत में न्यायालयों ने यह बात मानी है कि किसी विशेष मामले में विशेषाधिकार मग हुआ है या नहीं हुआ है इस प्रश्न का फंमला करने का अधिकार केवल मगद या राज्य विधानमण्डल के सदन का है । यह भी निर्णय दिया गया है कि अवमानना करने के कारण दण्ड देने की शक्ति वैसे ही है जैसे कि हाउम आफ कॉमन्स की है और उस शक्ति के प्रयोग की धानधीन करने के लिए कोई न्यायालय मशम नहीं हो सकता ।

1959 में, सर्वलाईट मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया —

“अनुच्छेद 194 के खण्ड(2) के उपबन्धों के अनुसार खण्ड(1) में निर्दिष्ट वार्ड-स्वातंत्र्य उम वार्ड-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य से भिन्न है जिसकी गारंटी अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन दी गई है और उसमें अनुच्छेद 19 के खण्ड(2) द्वारा परिक्लित किसी विधि द्वारा किसी भी तरह कमी नहीं की जा सकती ।”

“अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के उपबन्ध संवैधानिक विधियां हैं न कि मगद या राज्य विधानमण्डलों द्वारा बनाई गई साधारण विधियां और वे उसी प्रकार सर्वोच्च हैं जिन प्रकार भाग तीन [मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद] के उपबन्ध हैं ।”

“सुसंगत अर्थान्वयन का सिद्धान्त अवश्य अपनाया जाना चाहिए और उसी प्रकार अर्थ लगाये जाने चाहिए कि अनुच्छेद 19(1)(क) के सम्बन्ध, जो सामान्य हैं, अनुच्छेद 194(1) और इसके खण्ड(2) के बाद वाले विशेष भाग के अधीन होने चाहिए ।”

1965 में उच्चतम न्यायालय ने, 1964 के केशव मिह के मामले में अपनी परामशंदायी राय में ये टिप्पणियां की थी

“सर्वलाईट मामले में बहुमत के निर्णय का यह अर्थ लगाना सही नहीं होगा कि उम के द्वारा सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किया गया है कि जहां कहीं अनुच्छेद 194(3) के बाद वाले भाग के उपबन्धों और भाग(3) में प्रत्यामूल मूल अधिकारों के किसी भी उपबन्ध के बीच टकराव हो तो बाद में उल्लिखित उपबन्ध पहले उल्लिखित उपबन्धों के अधीन होगा । अतः बहुमत के निर्णय का यही अर्थ लगाना चाहिए कि यह फंमला दिया गया है कि अनुच्छेद 19(1)(क) लागू नहीं होगा और अनुच्छेद 21 लागू होगा ।

“अनुच्छेद 194 के खण्ड(3) में किये गये उपबन्धों के प्रभाव के संबंध में जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि उक्त उपबन्धों और मूल अधिकारों सम्बन्धी उपबन्धों के बीच टकराव है तो सुसंगत अर्थान्वयन का नियम अपना कर टकराव का समाधान करने

का प्रयास करना होगा।”

यहां यह बताना दिया कि सर्वलाईट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त ऐसे सभी मामलों में लागू होने वाले माने गये हैं।

भारत में विधायी निकायों के पीटासीन अधिकारियों के 11 और 12 जनवरी, 1965 को बम्बई में हुए सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय की राय पर विचार किया गया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक सकल्प स्वीकृत किया जिसमें यह विचार व्यक्त किया कि संविधान के निर्माताओं के आशय पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए, जिसमें किसी संदेह की गुंजायण न रहे, अनुच्छेद 105 और 194 में उपयुक्त गणोधन किये जाने चाहिए ताकि विधानमण्डलों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां किसी भी मामले में संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद के अधीन या अधीन न समझी जायें।

दत्तात्रेय उच्च न्यायालय ने केशवसिंह मामले में 10 मार्च, 1965 के अपने निर्णय में, अर्थात्, उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री राय प्राप्त होने के पश्चात् दिये गये निर्णय में, ये टिप्पणियाँ की

- 1 “प्राधिकार के अनुसार और संविधान के सगत उपबन्धों पर विचार करने पर, हमारी राय है कि यही उचित है कि विधान सभा को, अनुच्छेद 194(3) के कारण, अपनी अवमानना किये जाने पर दण्ड देने की वही शक्ति प्राप्त है जोकि हाऊस आफ कामन्स को प्राप्त है।”
- (2) “हमारी राय है कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के उपबन्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषसिद्धि के और कारावास का दण्ड लागू किए जाने के अनुसरण में नजरबन्दी पर लागू नहीं हो सकते।”
- (3) “हम चूँकि पहले ही निर्णय दे चुके हैं कि विधान सभा को उसकी अवमानना किये जाये जाने के कारण प्रार्थी को दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है और चूँकि विधान सभा ने अनुच्छेद 208(1) के अधीन अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम बनाये हैं, अतः प्रार्थी का दण्डित किया जाना और उसको वैयक्तिक स्वतंत्रता में रक्षित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थों में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसृत ही टहराया जा सकता है।”
- (4) “एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि विधान सभा को उसकी अवमानना किये जाने के कारण दण्ड देने और प्रार्थी पर दण्ड को लागू करने की शक्ति है और ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में है तो हम दण्ड के सही होने, उसके औचित्य या वैधता के प्रश्न में नहीं जा सकते। यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद

206 के अधीन किसी पानिका में, विधान सभा द्वारा उसकी अवमानना किये जाने के कारण प्रार्थी को दण्डित करने के फैसले के विरुद्ध अपील का फैसला नहीं कर सकता। विधान सभा अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करती है और इस प्रश्न का फैसला केवल वही कर सकती है कि उसकी अवमानना की गई है या कि नहीं की गई है।”

इस निर्णय के परिप्रेष्य में सरकार ने फैसला किया कि संविधान में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। सरकार का विचार था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दो गई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकाश में विधानमंडल और न्यायपालिका स्वयं अपनी प्रथाएँ विकसित करेंगी।

अतः यह ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, विशेषाधिकार के मामलों में अभी तक वही निर्णय अन्तिम है।

संसदीय विशेषाधिकार और प्रेस

प्रेस के दो मुख्य कार्य हैं—एक समाचार प्रकाशित करना और दूसरा जनमत बनाना। प्रेस ही जनता को संसदीय गणतंत्र में कार्यपालिका और विधान मंडल तथा सत्तासूत्र दल और विपक्षी दल के पारस्परिक संबंधों और उनके कार्यों से अवगत कराता है। जनता को शिक्षित करने के माध्यम-माध्यम प्रेस प्रजातंत्र के दोषों को दूर करने में सहायता करता है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19/1/क के अधीन नागरिकों को प्रत्याभूत “वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य” के मूल अधिकार में अन्तर्निहित है। संसद् के वाद-विवाद या कार्यवाही के वृत्तान्त के प्रकाशन पर प्रत्येक सदन का नियंत्रण है। दोनों सदन को अधिकार है कि वे इस वृत्तान्त के प्रकाशन का निषेध कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी आवश्यक हो, वाद-विवाद को गुप्त रख कर वाक्-स्वतंत्रता को रक्षा की जाये। यह शक्ति संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिये गये “वाक्-स्वातंत्र्य” के अधिकार के ऊपर है। तथापि, संसद् की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में संबंधितक उन्मुक्त कार्यवाही के समाचार पत्रों में प्रकाशन या ग्योसलों द्वारा अनपेक्षित प्रकाशन पर लागू नहीं होती लेकिन संसद् की कार्यवाही (प्रकाशन का नरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत, संसद् की कार्यवाही में मूलतः सच्चे वृत्तान्त के समाचार पत्रों में प्रकाशन की नरक्षण दिशा गया है। सदन की कार्यवाही में निकाले गये अथवा प्रकाशित करना विशेषाधिकार भंग करना और सदन की अवमानना करना है। संसद् के प्रत्येक सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन से संबंधित सभी व्यक्तियों को, यदि ऐसा प्रकाशन सदन द्वारा या सदन

के प्राधिकार से किया जाये, साविधान के अधीन, किसी न्यायानय मे कार्यवाही मे पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गई है । (अनुच्छेद 105(2)(1))

दोनों सदनों या उनकी समितियों के स्वरूप या कार्यवाहियों या ससद् सदस्य के रूप मे किसी सदस्य के चरित्र या आचरण पर या उसके सम्बन्ध मे कोई मानहानिकारक बात छापना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भग तथा अवमान है । किन्तु, ससद् के प्रत्येक सदन की किसी कार्यवाही की मूलरूप से सही रिपोर्ट समाचार पत्रों मे प्रकाशित करने या वायरलेस टेलीग्राफी द्वारा प्रसारित करने के लिए साविधिक सारक्षण दिया गया है बशर्ते कि वे रिपोर्ट सार्वजनिक हित मे हों और किसी दुर्भावना से न की गई हों । (साविधान का अनुच्छेद 361क)

उक्त सारक्षण इस सीमा के साथ प्रदान किया गया है कि प्रत्येक सदन को अपने वाद-विवाद और कार्यवाहियों के प्रकाशन का नियंत्रण करने और यदि आवश्यक हो, प्रकाशन के निषेध की शक्ति प्राप्त है । सामान्यतया सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त छापने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । परन्तु जब वह वृत्तान्त कदापि से प्रकाशित किया जाता है, भर्षात् जब वाद-विवाद को जानबूझ कर गलत ढंग से पेश किया जाता है तो ऐसा करने वाले को सदन का विशेषाधिकार भग करने और सदन की अवमानना करने के अपराध मे दण्ड दिया जा सकता है । इसी प्रकार सदन की किसी गुप्त बंटक की कार्यवाही या निष्णयो का रहस्योद्घाटन जब तक कि सदन न उन्हे गुप्त रखने का प्रतिबन्ध हटा न लिया हो, और विशेषाधिकार भग माना जाता है । कारण यह है कि प्रेस द्वारा ऐसी बात प्रकाशित का गई है जिसका प्रकाशन न करने का आदेश सदन ने दिया है । किसी सप्तदीय सभात की कार्यवाही, साध्य या दस्तावेजों के सदन मे पेश किए जाने से पहले उसका कार्यवाही या उसके समक्ष दिए साध्य या उसके सामने रखे गये दस्तावेजों क किसी अंश का तब तक प्रकाशन नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कार्यवाही या साध्य या दस्तावेज सदन मे पेश नहीं कर दिये जाते । इसी प्रकार सदन की कार्यवाही के वृत्तान्त से जो अंश निकाल दिया गया हों, उसका प्रकाशन सदन का विशेषाधिकार भग तथा अवमान है और उसके लिए दंड दिया जा सकता है । दूसरी ओर यदि धालाचना न्यायोचित और सद्भवपूर्ण हो तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती । प्रायः देखा गया है कि विधान मण्डलों की कमियों की सही धालो-चना करने वाले लेखकों, वक्ताओं या ध्यग्य चित्रकारों के विरुद्ध विशेषाधिकार भग के बारे मे कार्यवाही नहीं की जाती ।

लोक सभा द्वारा विशेषाधिकार के मामलों मे सामान्य रूप से बही दण्ड भपनाया जाता है जो यू.के. मे हाउस आफ कामन्स का रहता है ।

हाऊस आफ बामन्ज (यूके) की संसदीय विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रवर समिति, 1967, ने निम्नलिखित सिफारिश की थी :

“हाऊस को अपने दायित्वक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग (ब) किसी भी स्थिति में यथासम्भव कम से कम करना चाहिए, और (ग) तभी करना चाहिए जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि ऐसा करना आवश्यक है जिससे कि हाऊस को, उसके सदस्यों को या उनके अधिकारियों को ऐसी अनुचित रूकावट से या रूकावट डालने के प्रयास से या रूकावट डालने की धमकी से, जिसमें उनके अपने-अपने कृत्यों के पालन में काफी हस्तक्षेप हो रहा हो या होने की सम्भावना हो, मुक्तियुक्त सरक्षण मिल सके।”

उसके बाद, हाऊस आफ कामन्स की विशेषाधिकार समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन (1976-77) में उक्त सिफारिश को दोहराया और हाऊस आफ कामन्स, यू. के. ने उसे 6 फरवरी, 1978 को स्वीकार किया।

दूसरी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की थी :-

“कोई भी प्रेस को या किसी नागरिक को न्यायोचित टिप्पणी करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। परन्तु यदि टिप्पणियों में समुद्र में सदस्यों के आचरण के कारण उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना की गई हो या यदि टिप्पणियों की भयानक अशिष्ट या अपमानजनक हो तो उन्हें न्यायोचित टिप्पणियाँ या आलोचना नहीं माना जा सकता। प्रेस प्रयोग (1954) का भी यह विचार था कि “अशिष्ट या अपमानजनक भाषण में की गई टिप्पणियाँ अनुचित हैं।” गैर-जिम्मेदाराना सनमनीवाद भी न्यायोचित टिप्पणी को परिभाषा में नहीं आता।”

छठी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया था —

“समिति जानती है कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के मूल अधिकार का अभिन्न अंग है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन सभी नागरिकों को दी गई है। समिति इस बात को महत्वपूर्ण मानती है कि संसदीय प्रणाली में संसद की कार्यवाहियों की न्यायोचित ढंग से और वफादारी से प्रकाशित करने की प्रेस को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए परन्तु यदि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोग दुर्भावना से किया जाता है तो संसद का कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करे। इसके साथ ही समिति का विचार है कि संसदीय विशेषाधिकार के कारण विचारों की निर्बाध अभिव्यक्ति या न्यायोचित टिप्पणी में कोई रूकावट नहीं आनी चाहिए या उसे निरस्त/अहित नहीं किया जाना चाहिए।”

सातवीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में अन्य

बातों के साथ-साथ यह विचार व्यवत किये —

“समिति का विचार है कि यदि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में शक्ति का प्रयोग समय से किया जाये तो उससे सभी की गरिमा बढ़ती है, जितना शक्तिशाली कोई निकाय या संस्था हो उतने ही अधिक समय की विशेषकर अपने दायित्वक अधिकारों के प्रयोग में, उससे अपेक्षा की जाती है।”

विशेषाधिकारों की संहिताबद्ध (Codification) करना

संसद के सदस्यों तथा विधान मण्डलों और उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 के खण्ड (1) तथा (2) में दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ इस अनुच्छेद के खण्ड 105(3) में उपबंधित है कि “संसद के प्रत्येक सदन और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ वही होंगी जोकि संसद समय-समय पर कानून बना कर परिभाषित करें, किन्तु इस उपबन्ध के अनुसरण में अभी तक संसद ने प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों की परिभाषा करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं बनाया। वास्तव में संसद का एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार यह है कि विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध न किया जाये। वह वैसे ही अपरिभाषित रहने चाहिए जैसे कि आज है और जैसे कि वे सदा रहे हैं। जहाँ तक इस संवैधानिक उपबन्ध का, अर्थात् “जब तक संसद द्वारा विधि द्वारा, परिभाषित न किये जायें” और संसदीय विशेषाधिकारों की परिभाषा करने या उन्हें संहिताबद्ध करने के प्रश्न को सबंध है, इस बारे में मतभेद है।

इन विषय पर कानून बनाने का प्रश्न भी पीठासीन अधिकारियों के विचाराधीन रहा है। अधिकतर लोगों का मत था कि तत्सम्बन्धी कानून बनाने का कोई लाभ नहीं होगा बल्कि उसको संहिताबद्ध करने से विधानमंडलों की प्रतिष्ठा और शक्तियों को क्षति पहुँचाने की अधिक सम्भावना है। उनका यह भी विचार था कि हाऊस आफ कामन्स नये विशेषाधिकार बनाने की अनुमति नहीं देता है और ऐसे विशेषाधिकारों को मान्यता देता है जो परम्परा में विद्यमान हैं। अतः वर्तमान परिस्थितियों में संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना न तो आवश्यक है और न वाञ्छनीय। विधानमंडल और न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। संसद अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में। जो मामले न्यायालयों के समक्ष आते हैं उनमें विधि की व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है। इस सम्बन्ध में श्री एम. हिदायतुल्ला, भारत के मूलपूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्य सभा के मूलपूर्व सभापति का यह कथन स्मरण कराए जाने योग्य है :

“यदि संसद और न्यायपालिका एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना रखते हैं तो विशेषाधिकारों के विषय पर विधि को संहिताबद्ध

करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। महिनावद्ध विधि में उन लोगों को अधिक नाम होगा तो समझ, उनके सदस्यों और मजिनियों को बदनाम करने पर सुने होते हैं और न्यायालयों का अधिकाधिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाएगा। धात्र जो स्थिति है उसमें धमर होनी तरफ उचित गून्बून्ग हो तो अधिक सम्भावना यही है कि समदीय विशेषाधिकार भग करने और उनकी प्रवमानना करने के मामलों में दृढ देने के समदीय अधिकार को न्यायालयों का समर्पण मिलेगा न कि इसके विपरीत स्थिति अपनाया जायेगा। निम्नित रूप में विधि होने में समझ के लिए तथा न्यायालयों के लिए वह गरिमा बनाए रखना कठिन होगा जो बंध रूप में समझ की है और जिनमें न्यायालय मदा उत्साहपूर्वक बंध ही बनाए रखेंगे जैसे कि वे अपनी गरिमा बनाए रखते हैं।'



13

सदन में व्यवहार के नियम

सदस्यों के लिए आचार संहिता

राष्ट्र की सर्वोच्च गरिमामयी विधायी मन्था के सदस्य होने के नाते सदस्यों में यह भाषा की जाती है कि वे सदनों में और सदनों के बाहर मन्था के प्रनुरूप आचरण के कुछ स्तर बनाए रखें। चू कि विधान मंडल कोई आमोद-प्रमोद की "नव" मात्र नहीं होता, अतः उसके सदस्यों में अपेक्षित है कि उनके व्यवहार से ममद् की गरिमा बढ़े और माघ ही में उनकी भी गरिमा बढ़े। शिष्टाचार के कुछ नियम और प्रथाएं ऐसी होती हैं जो प्रत्येक विधायी मन्था के लिए समान होती हैं। अतः उक्त मन्था के सदस्यों का आचरण उसके नियमों और प्रथाओं के विपरीत नहीं होना चाहिए और न ही किसी प्रकार से मदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध और उस स्तर से असंगत होना चाहिए जिसकी भांति मसद् अपने सदस्यों से करती है। सदन में कार्य व्यवस्थित ढंग में, निर्वाह रूप में कुशलतापूर्वक निपटाया जा सके और विविध विचारधाराओं को महत्व मिल सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज के सर्वोच्च विचार-विमर्शी मंच में वातावरण का गम्भीर एवं गरिमापूर्ण होना अनिवार्य है।

संसद् के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में सदस्यों द्वारा निजी व्यवहार का शिष्टाचार संबंधी कुछ नियमों का पालन करना केवल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कि सदन का कार्य निर्वाह रूप में और शिष्टता में चलता रहे बल्कि इसलिए भी कि मसद् और उसके सदस्यों की गरिमा बनी रहे। ये नियम दोनों सदनों के प्रक्रिया तथा गरिमा संबंधी नियमों पर आधारित हैं और प्रथाओं तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये विनियमों से धीरे-धीरे इनका विकास हुआ है।¹

सदन में व्यवहार

बैठक प्रारम्भ होने पर . मत्र के दौरान सदस्यों में यह भाषा की जाती है कि प्रति-दिन सदन की बैठक प्रारम्भ होने के लिए जो समय निर्धारित हो उससे और

पध्याह्न भोजनोपरान्त उसके पुनः समवेत होने के समय में कुछ मिनट पूर्व के अपना-घपना स्थान ग्रहण कर लें। अध्यक्ष के मदन में प्रवेश के समय जब मार्शल अध्यक्ष के आगमन की घोषणा करता है और अध्यक्ष लोक सभा चैम्बर में प्रवेश करना है तो सदस्यों को घायम में बातचीत बंद कर देनी चाहिए और अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जाना चाहिए और अध्यक्ष जब अपने स्थान पर बैठे हुए मदन के सभी ओर झुक कर अभिवादन करता है तो सदस्यों को भी अध्यक्ष की ओर झुक कर अभिवादन करना चाहिए। अन्य सदस्य जो उमरी समय मदन में प्रवेश कर रहे हों, उन्हें तब तक मार्ग में स्वामोनी में खड़े रहना चाहिए जब तक कि अध्यक्ष अपना स्थान ग्रहण न करें। ऐसा अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान स्वरूप किया जाता है।

जब मदन की बैठक हो रही हो तो प्रत्येक सदस्य को मर्यादापूर्वक और ठन ढग में लोक सभा चैम्बर में प्रवेश करना और वहां से प्रस्थान करना चाहिए कि उसमें मदन की कार्यवाही में बाधा न आये। मदन में प्रवेश करते समय या मदन में बाहर जाने समय और अपने स्थान पर बैठने समय या वहां से उठते समय भी सदस्य को अध्यक्ष पीठ के प्रति नमन करना चाहिए।¹ इस प्रकार की घादर भावना समूचे मदन के प्रति हानि है न कि अध्यक्ष पीठ पर विराजमान व्यक्ति के प्रति। मदन के सामूहिक स्वरूप के प्रतीक के रूप में अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार का सम्मान करना समदीय धारण का मुख्य सिद्धान्त है।

बोलते समय आचरण मदन की कार्यवाही को सुगमस्थित ढग में चलाने के लिए सदस्यों को एक समय में केवल एक सदस्य के बोलने का सिद्धान्त अपनाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह सदस्यों को एक-एक कर बोलने के लिए पुकारे। जब कोई सदस्य बोलना चाहे तो उसको अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए और अध्यक्ष की दृष्टि में आने के पश्चात् उसके द्वारा बोलने के लिए कहने पर ही बोलना चाहिए। पीठासीन अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाना स्वस्थ सहाय्य प्रथा नहीं मानो जानी। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य को अध्यक्ष बोलने की अनुमति दे दे उसी को बोलना चाहिए और शेष सबको तुरन्त बैठ जाना चाहिए।²

सदस्यों की वाक्-स्वातन्त्र्य का अधिकार बार-बार बीच में बोलकर ध्वन-बाधा डालने के लिए उपलब्ध नहीं किया गया है। ध्वनबाधा डालने से मदन की कार्यवाही में गड़बड़ होती है और इसमें सारी सभा की प्रतिष्ठा की हानि पहुँचती है जिसकी अध्यक्ष द्वारा निन्दा की गई है। यदि कोई सदस्य मदन के मायने किसी विषय के संबंध में कोई बात कहना चाहता हो या उस सदस्य में प्रश्न पृच्छना चाहता हो जो कि बोल रहा हो कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए या मदन के विचाराधीन किसी विषय के बारे में किसी

बात की व्याख्या के लिए तो उसे अपने प्रश्न अध्यक्ष को सम्बोधित करने चाहिए। पीठासीन अधिकारी की अनुमति मिल जाने पर यदि वह भीक्षित्य का प्रश्न उठाने या वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हो जाए तो भाषण करने वाले सदस्य को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलते समय सदस्यों को अपने स्थान से बोलना चाहिए और खड़े होकर बोलना चाहिए लेकिन यदि कोई सदस्य बीमार हो या इतना कमजोर हो कि खड़ा न हो सके तो अध्यक्ष उसे बैठे-बैठे बोलने की अनुमति प्रदान करता है।⁴

सदस्यों में यह आशा की जाती है कि बोलते समय वे सदस्यों को नाम से सम्बोधित नहीं करेंगे, उनको सदा पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करना चाहिए और उसी के माध्यम से अन्य सदस्यों से कुछ कहना चाहिए।⁵ सदस्यों को एक दूसरे को तृतीय पुरुष में सम्बोधित करना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रियों का उल्लेख उनके नामों में न करके सरकारी पदनामों में किया जाना चाहिए।

यदि पीठासीन अधिकारी यह महसूस करे कि जो सदस्य बोल रहा है वह बार-बार अमंगल बातें कह रहा है और अपनी या उन सदस्यों की दलीलों को दोहरा रहा है जो उसमें पहले बोल चुके हैं तो वह उस सदस्य से अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है।⁶ बोलते समय सदस्यों को पुरानी दलीलों को नहीं दोहराना चाहिए मिलाए उन मामलों के जहाँ कि किसी बात पर बल देने के लिए उमका दोहराया जाना जरूरी हो। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के कहने की परवाह न करते हुए अपना भाषण जारी रखता है तो वह निर्देश दे सकता है कि उस सदस्य के कथन कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

सदस्य वाद-विवाद में भाग लेते समय उन मामलों की चर्चा नहीं कर सकते जो किसी न्यायालय के विचाराधीन हो, परन्तु विशेषाधिकार के मामलों पर या जहाँ मदन के अपने सदस्यों के संबंध में मदन के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न हो वहाँ यह नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में पीठासीन अधिकारी और मदन द्वारा प्रत्येक मामले में उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

सदस्यों को एक दूसरे के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। किसी सदस्य से यह आशा नहीं की जाती कि वह ससद् या किसी राज्य के विधान मंडल के प्राचरण या उसकी कार्यवाही के संबंध में अपना दंडो का प्रयोग करे। सदस्य मदन के किसी निर्णय पर, मिलाय उस ह्यामन में जबकि उस निर्णय को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया हो, आरोप नहीं कर सकते।⁷ किसी सदस्य को किसी अन्य सदस्य या किसी मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप लगाने की अनुमति नहीं है जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित

मन्त्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो ।¹⁸ सदस्यों को सदन के किसी अन्य सदस्य पर किसी प्रकार का लाक्षण नहीं लगाना चाहिए या इस दृष्टि से उसका वैयक्तिक रूप में उन्मेष नहीं करना चाहिए या उसकी मद्भावना पर घापति बड़ी करनी चाहिए । सदस्यों को सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अपनी रक्षा में कुछ कहने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं होते । उन्हें उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप भी नहीं करना चाहिए जब तक कि चर्चा उचित रूप में रहे मये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो ।¹⁹

सदस्यों को ऐसी पदावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें देशद्रोह-पूर्णा, राजद्रोहपूर्णा) मानहानिजनक या अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग हो । यद्यपि सरकार की आलोचना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे सदन के कार्य में बाधा डालने के लिए अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे ।

सदस्यों को मानहानिकारक या अश्लेष पीठ पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए जिससे उस पर किसी प्रकार का दोष प्राप्ता हो । शौचित्य, शिष्टता तथा शांतिता को मांग है कि सदस्य बोलते समय मसदीय भाषा का प्रयोग करें । पीठासीन अधिकारी अशिष्ट और असमदीय शब्द और वाक्यांशों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने के आदेश दे सकता है ।

सदस्यों को, सिवाय अपने प्रथम भाषण के, लिखित भाषण पढ़ने की अनुमति नहीं है । यद्यपि वह अपनी याद ताजा करने के लिए लिखित टिप्पणियाँ देख सकते हैं । इसी प्रकार जब उन्हें धाकड़े या उद्धरण प्रस्तुत करने हों तब के अपनी लिखित टिप्पणियों से पढ़ सकते हैं । पहले से तैयार किए गये भाषणों का वाद-विवाद के दौरान अन्य सदस्यों द्वारा कहीं गई बातों से मेल नहीं रहता इसमें भाषण सगत नहीं बन पाते । वाद-विवाद हचिकर तब ही हो सकता है । जब विचारों से विचार और तर्कों से तर्क टकरायें । अतः सदन में वाद-विवाद को सजीव एवं तथ्यपरक बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें बातों की पुनरोक्ति न हो तथा तर्क केवल विचाराधीन मुद्दे तक ही सीमित रहे । इसीलिए लिखित भाषणों पर रोक का यह नियम लागू किया गया है । चूंकि मन्त्रियों को नीति उबधी वक्तव्य देने होते हैं, वे तैयार किए गये भाषण पढ़ सकते हैं, उन पर लिखित भाषण का यह नियम लागू नहीं होता ।

जब कोई सदस्य मौन रहा हो वाद-विवाद में सक्रिय रूप से तभी भाग लिया जा सकता है जब श्रोता सदस्य बोलने वाले सदस्य का भाषण ध्यानपूर्वक सुनें । अतः सुनने वाले सदस्य का आचरण उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि भाषण देने वाले का । इस बारे में भी आचरण सम्बन्धी नियम हैं ।

विरोधी दृष्टिकोण बुरा तो लगता है परन्तु संसदीय प्रक्रिया में उसका अपना अलग से महत्त्व है । अतः सरकारी पक्ष के सदस्यों को उसके प्रति सहनशील होना चाहिए । संसदीय विषयों का पेचीदा और जटिल होना स्वाभाविक ही है । सदन में उन विषयों पर असहमति न हो यह संभव नहीं है अतः यह आवश्यक है कि सदन में विचार-विमर्श परस्पर आदान-प्रदान की भावना से प्रेरित हो । जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो किसी अन्य सदस्य को अव्यवस्थित ढंग में उसमें अन्तर्बाधा नहीं डालना चाहिए । जहाँ तक सगत टिप्पणियों और वाक्पटुता का प्रश्न है, वह तो वाद-विवाद में प्रफुल्लता भरने और सदन के वातावरण को तनाव मुक्त बनाने के साधन हैं । किन्तु निरन्तर बाधा खड़ी करने में बोलने वाले सदस्य के तर्कों की धूलता टूट जाती है और सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था उत्पन्न होती है जो कि अच्छा आचरण नहीं । हो सकता है कि श्रोता सदस्यों को भाषण पसन्द न आ रहा हो किन्तु तत्सम्बन्धी आपत्ति, यदि कोई हो, भाषण के पश्चात् ही व्यक्त करनी चाहिए । सदस्यों को सदैव याद रखना चाहिए कि वे एक गरिमापूर्ण सदन के सदस्य हैं और उसकी गरिमा को बनाए रखना उनका दायित्व है । उन्हें लोक सभा चम्बर में एक दूसरे में बातें नहीं करनी चाहिए । यदि किसी विषय पर बात करनी अत्यन्त आवश्यक हो जाये तो बहुत ही धीमी आवाज में ऐसा करना चाहिए और यह मुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें वक्ता का ध्यान प्राकृष्ट न हो और न ही किसी अन्य सदस्य की तन्मयता भंग हो । उन्हें भाषण के अपने अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन से नहीं करना चाहिए ।¹⁰ सदन की बैठक के दौरान किसी सदस्य को कोई ऐसी पुस्तक, समाचारपत्र या पत्र नहीं पढ़ना चाहिए जिसका सभा की कार्यवाही से संबंध न हो ।¹¹ किसी सदस्य को अध्यक्ष पीठ और ऐसे सदस्य के बीच में, जो भाषण दे रहा हो नहीं गुजरना चाहिए और न अध्यक्ष पीठ की ओर पीठ करके खड़ा होना चाहिए और न बैठना चाहिए ।¹² यह आचरण आपत्तिजनक है ।

यह स्वाभाविक ही है कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज सुनने का प्राकर्षण होता है किन्तु यही बात दूसरे पक्ष पर भी लागू होती है । कोई सदस्य यदि स्वयं अपने भाषण में दूसरे सदस्यों की अन्तर्बाधा को पसन्द नहीं करता तो उसे जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो तो सदन में शान्त बैठना चाहिए ।

बराक और गैलरियाँ दर्शक दीर्घाओं में बैठे किसी अजनबी व्यक्ति को इगित कर सदन में उमका उल्लेख नियम विरुद्ध है । परन्तु यदि अध्यक्ष पीठ द्वारा सदन की किसी विशिष्ट दीर्घा में विशिष्ट विदेशी मेहमानों के उपस्थित होने का उल्लेख किया जाता है तो सदस्यों को अपने क्षेत्र पथपाकर उन विशिष्ट मेहमानों

का स्वागत करना चाहिए । किन्तु जब सदन की किमी दीर्घा में ग्रथवा विषय स्थान (वाक्य) में कोई अजनबी प्रवेश करता है तो प्रशंसा-धोष नहीं करना चाहिए । सदस्य को कभी इस उद्देश्य में सदन में नहीं बोलना चाहिए कि इसमें समाचार पत्रों में उसका नाम आएगा और न ही इसी उद्देश्य के किसी प्रकार की प्रशंसा या किसी बात का उल्लेख करना चाहिए ।¹³

सदन में सामान्य आचरण सदस्य को मसद् भवन के परिसर में ऐसे साहित्य, प्रशंसापत्रों, पुस्तिकाओं, प्रेस टिप्पणियों, पत्रों इत्यादि का वितरण नहीं करना चाहिए जिनका सदन के कार्य में संबंध न हो, और न ही मसद् परिसर में भूख हड़ताल करने, धरना देने, या किसी प्रकार का प्रदर्शन करने या कोई धार्मिक कार्य करने की अनुमति है ।

समदोष प्रथाओं के अनुसार सदस्य सभ्य में शस्त्र नहीं ला सकते और न ही उसे प्रदर्शित कर सकते हैं । वे अपने काट कन्वे या बाहु पर लटका कर लोक सभा चैम्बर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और न ही सदन में टेस्क पर अपना हैट/टोपी, कांड, शाल या जैकेट रख सकते हैं । जब तक स्वास्थ्य के आधार पर श्रेयक्ष द्वारा अनुमति प्रदान न की गयी हो, सदस्य लोक सभा चैम्बर में छड़ी नहीं ला सकते । वे लोक सभा चैम्बर में धूम्रपान नहीं कर सकते या सदन में तार नहीं लगा सकते, सदन की कार्यवाही में रुकावट या बाधा नहीं डाल सकते और जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो तो साथ-साथ टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते । सदन में अपने बैठने के स्थानों पर भेटे, प्रतीक या कोई ध्वज आदि प्रदर्शित नहीं कर सकते, लोक सभा चैम्बर में कैमरा या टपेरिकार्डर नहीं ला सकते या बजा सकते, मार्ग में गड़े होंकर अन्य सदस्यों से चाल नहीं कर सकते, वाद-विवाद के दौरान कोई मास्य वस्तु नहीं ला सकते या सदन में उसका प्रदर्शन नहीं सकते और वाद-विवाद के दौरान कोई हलकी-पुलकी हरकत नहीं कर सकते या ऐसा मजाक नहीं कर सकते जिसमें कटाक्ष का तत्त्व हो । सदस्य को सदन में अश्लेष पाठ के पास स्वयं नहीं जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो वह पटल अधिकारी के पास पत्रिया भेज सकता है । इसके प्रतिरिक्त, सदस्यों का अपना भाषण देने के तुरन्त बाद सदन में बाहर नहीं जाना चाहिए । ऐसा करना जिष्ट समदोष आचरण नहीं है । उनमें यह अपेक्षा की जाती है कि अपने भाषण पर अन्य सदस्यों की टिप्पणियों को भी सुनें । विशेष रूप में जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य की या मंत्री की धारणा करना करता है तो उस सदस्य या मंत्री को यह भाशा करने का अधिकार

है कि आलोचक उसका उत्तर सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहे। उस समय उसका उपस्थित न होना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन है।

सदन की मर्यादा एवं गरिमा बनाये रखने के लिये सदस्यों से अपेक्षित है कि वे कोई ऐसा आचरण न करें जिससे सदन की मर्यादा और गरिमा को धक्का पहुंचता हो। विशेष रूप से महिला सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सदन में मुनाई जैसे कोई कार्य न करें।

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया, जब भी अध्यक्ष सदन का सम्बोधित करने के लिए खड़ा हो तो सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे शांतिपूर्वक उसे सुने और कोई सदस्य, जो उस समय बोल रहा हो या बोलने वाला हो, उसको तुरन्त अपना स्थान छोड़कर लेना चाहिए।¹⁴ सदस्यों को उस समय, जब अध्यक्ष सदन का सम्बोधित कर रहा हो, अपना स्थान छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। यह संसदीय पारंपरिकी सुस्थापित हो चुकी है कि जब भी अध्यक्ष लोक सभा चैम्बर में आये या सदन को सम्बोधित करने के लिए खड़ा हो या "शांति-शांति" कहता प्रत्येक सदस्य को तुरन्त अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहा हो तो सदस्यों को व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। जब पीठासीन अधिकारी खड़ा हो, तो सदस्यों को सभा-भवन के एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जाना चाहिए, न चलना चाहिए, न खड़े होना चाहिए, न सदन में प्रवेश करना चाहिए और न वहाँ से उठकर जाना चाहिए।

किसी सदस्य का आधिकारिक हित, जब किसी सदस्य का सभा के विचाराधीन किसी विषय में, व्यक्तिगत, आधिकारिक या प्रत्यक्ष हित हो, तो उससे आशा की जाती है कि वह अपने भाषण के प्रारम्भ में ही बता दे कि उसका उस मामले में किस प्रकार का हित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विचार-विमर्शों में निष्पक्षता रहे और ऐसा न हो कि वैयक्तिक, आधिकारिक या प्रत्यक्ष हित के आधार पर उस सदस्य के मत पर आपत्ति हो जाए। इसी प्रकार जहाँ किसी संसदीय कमेटी किसी सदस्य का उस समिति के सामने विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई व्यक्तिगत, आधिकारिक या प्रत्यक्ष हित हो, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह समिति के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष को बताये कि उसका उस मामले में क्या हित है।¹⁵

मान्यताएं एवं प्रथाएं : सदस्यों द्वारा सदन में संसदीय शिष्टाचार के नियमों का जो पालन करना होता है उसके अतिरिक्त बहुत सी मान्यताएं और प्रथाएं हैं जो संसदीय जीवन में उचित स्तर बनाए रखने और सदन तथा इसके सदस्यों की गरिमा बनाये रखने के लिए समान महत्त्व रखती हैं। अतः सदस्य सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सदन के अन्दर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी आचरण का एक स्तर बनाये रखेंगे।¹⁶ सदस्यों का आचरण प्रथा के प्रतिबन्धन या सदन की गरिमा के

गवाददाता या व्यापारिक कर्म के मालिक आदि के रूप में, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग करना चाहिए।

(पाच) सदस्य को अपने निर्वाचको की ओर से कोई कार्यवाही करने से पूर्व तथ्यो की पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा की गयी शिकायतो के समर्थक के रूप में अपना प्रयाग नहीं करने देना चाहिए। माधारणतया, विधायक को अपने निर्वाचको की शिकायतो के बारे में पहले संबंधित मंत्री को लिखना चाहिए या उसमें बात करनी चाहिए। यदि किसी शिकायत का स्वरूप सामान्य प्रकार का है तो वह प्रश्नकाल में उसे उठा सकता है या किसी अन्य तरीके से सदन में उठा सकता है। परन्तु व्यक्तिगत मामले सदन के समक्ष नहीं लाय जा सकते। यदि विधायक सोचता है कि मामला न्यायोचित और बंध है परन्तु साधारण तरीके में न्याय मिलने में विलम्ब हो जाएगा तो वह संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से मिलकर मामला ध्यान में ला सकता है, परन्तु ऐसा मर्यादापूर्वक और ऐसे ढंग में किया जाना चाहिए कि उसमें दबाव डालने या अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने की बात न हो।

(छह) सदस्य को ऐसे कोई प्रमाण-पत्र नहीं दान चाहिए जो तथ्यो पर आधारित न हो। उसे जो मकान अपने आवास के लिए मिला हो उसे अथवा उसके किसी भाग को किराये पर देकर लाभ अर्जित नहीं करना चाहिए।

(सात) जिस व्यक्ति अथवा सस्था की ओर से सदस्य को कार्य करना हो उसमें ऐसे किसी कार्य के लिए जो वह करना चाहता है या करने का विचार रखता है, किसी भी प्रकार का कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए।

(आठ) सदस्य को अपने किसी सम्बन्धी या दूसरे व्यक्तियों के लिए, जिनमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रचि रखता हो, नोकरी या व्यापारिक सम्पत्तों के संबंध में सहकारी पदाधिकारियों को न तो सिफारिश-पत्र लिखना चाहिए और न ही उसे कुछ कहना चाहिए।

(नौ) सदस्य को किसी सरकारी कर्मचारी को प्रलोभित करके अनाधिकृत ढंग में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं करनी चाहिए जो उस कर्मचारी को अपने सामान्य कृत्यों के दौरान नहीं देनी चाहिए थी और न ही उसे ऐसे किसी व्यक्ति को इस बात का प्रोत्साहन देना चाहिए कि वह लोक महत्त्व और नीति के विषय पर अपने वारिष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध उससे कुछ कहे।

(दस) जिस मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदस्य का वित्तीय हित हो, उसके सम्बन्ध में उसे सरकारी पदाधिकारियों या मंत्रियों पर अनुचित प्रभाव नहीं डालना चाहिए।

- (ग्यारह) सदस्य को किसी फर्म, गमवाय या मर्यादा के लिए सरकार से कारोबार प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हो ।
- (बारह) सदस्य को किसी मंत्री या अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी कार्यपालक अधिकारी के समक्ष वकील या विधि सलाहकार या सॉलिसिटर के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहिए ।
- (तरह) सदस्य के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होने का उसका आचरण सदन द्वारा विशेषाधिकार भंग माना जाता है । अतः सदस्य द्वारा कोई घूस लेना, जिसमें कि सदस्य के नाते उसके आचरण पर प्रभाव पड़ता हो या किसी विधेयक, सकार्य, विधेय या उस बात के समर्थन या विरोध के लिए जो कि सदन या उसकी किसी समिति के सामने पानी हो, कोई शुल्क प्रतिभार या इनाम लेना विशेषाधिकार का भंग माना जाता है । यदि कोई सदस्य किसी व्यक्ति के साथ सदन में उसके दावों का पक्ष लेने तथा उन्हें मनवाने के लिए पैसा लेने का करार करता है तो वह भी उस सदस्य का कदाचार भयव्य उसके द्वारा विशेषाधिकार भंग किया जाना माना जाता है ।

सदस्य

1. सुभाष काश्यप, मिनिस्टर्ज एण्ड लेजिस्लेटर्ज, मेट्रोपोलिटन, नई दिल्ली, 1952, पृ. 49-50
2. नियम 349 (तीन)
3. नियम 350, निर्देश 115 क (2)
4. नियम 351
5. नियम 349 (छह)
6. नियम 356
7. नियम 352 (तीन) और (चार)
8. नियम 353
9. नियम 352 (दो) और (पांच)
10. नियम 349 (आठ)
11. नियम 49 (1)
12. वही (बार)
13. वही (दस) और (ग्यारह)
14. नियम 361 (1)
15. नियम 371
16. काश्यप, ऊपर उद्धृत, पृ. 139-40
17. सदस्य निर्देशिका (आठवां संस्करण)

संसदीय सचिवालय

मसद् जन इच्छा की प्रतीक है और जनहित में नीतियों का अनुमोदन करती है। किन्तु नीतियों को कार्यरूप देने में अथवा उसके प्रशासन में उसका कोई दखल नहीं होता। फिर भी लोगों की प्रतिनिधि निकाय के रूप में मसद् कार्यपालिका पर निरीक्षण एवं नियंत्रण रखती है और यह सुनिश्चित कराती है कि प्रशासन सविधान के दायरे में रहकर कार्य करे।

यदि देश के विधान मंडल के सदस्यों ने निर्भीकतापूर्वक और बेलाग अपने अधिकारों का प्रयोग करना है और अपने दायित्वों को निवाहना है तो उन्हें इतनी स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वे सरकार की त्रुटियों को प्रकाश में ला सकें जिससे सरकार की नीतियों और उसके कार्यनिष्पादन की मार्बंजनिक रूप से छानबीन हो सके। उनको अपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए एक ऐसे सचिवालय की आवश्यकता होती है जो कार्यपालिका के नियंत्रण में मुक्त हो। यदि मसदीय लोकतंत्र को लोगों के अधिकतम हित में काम करना है तो उसके सचिवालय का स्वतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि सदस्य विधान मंडल में ही सरकार की नीतियों को चुनौती देते हैं और उन पर चर्चा करते हैं और यह फंगला सचिवालय की सहायता से पीठासीन अधिकारी ही करता है कि किसी प्रश्न या चर्चा को गृहीत किया जाये या नहीं। यदि पीठासीन अधिकारी के फैसले कार्यपालिका के प्रभाव में आकर किये जाते हैं तो मसदीय लोकतंत्र का आधार ही खतरे में पड़ जाता है।

भारतीय विधानमंडल के लिए "सरकार से स्वतंत्र और असम्बद्ध" एक सचिवालय का विचार जनवरी, 1926 में तब सामने आया जब तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्री विठ्ठल भाई पटेल ने भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया, जिसमें यह सकल्प पास किया गया कि विधान सभा के लिए एक अलग कार्यालय बनाया जाये, जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध न हो और जो सर्वथा स्वतंत्र हो। उसके बाद 22. 9. 1928 को तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा में मुप्रसिद्ध नेता प० मोतीलाल नेहरू ने सकल्प पेश किया जिसका समर्थन तत्कालीन अग्र्य प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने किया। उस सकल्प का

उद्देश्य एक अलग विधान सभा विभाग बनाना था। यह संकल्प सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटेन के भारत मंत्री ने उस संकल्प में दी गयी योजना कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ली और एक अलग, अपने भाष में सम्पूर्ण विभाग 10 जनवरी, 1929 को बनाया गया जिसका नाम "विधान सभा विभाग" या और विधान सभा का "प्रेजीडेन्ट" उसका वस्तुतः प्रधान बना।

स्वतंत्रता के बाद की स्थिति (Post Independence Condition)

भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के उपबन्धा के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1947 को केन्द्रीय विधान सभा समाप्त हो गयी और विधान मंडल के कृत्य भारत की सविधान सभा ने सभाल लिये, परन्तु विधान सभा विभाग के नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर अन्त कालीन संसद् के निर्माण पर विभाग का नाम बदल कर "संसदीय सचिवालय" कर दिया गया। 1952 में नये सविधान के अधीन दो अलग-अलग सदन—कौंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा) और हाउस ऑफ पीपुल (लोक सभा) बनने के बाद भी यही स्थिति रही, परन्तु कौंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए "कौंसिल ऑफ स्टेट्स सचिवालय" नाम का नया सचिवालय स्थापित किया गया। 1954 में उक्त दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर क्रमशः लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय रखे गये।

संवैधानिक उपबन्ध (Constitutional Provisions)

सविधान में उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक सदन का एक अलग सचिवालय होगा। दोनों सदनों के लिए पृथक् और स्वतंत्र सचिवालय स्थापित करने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि संसद् के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी और प्रशासन के उत्तरदायित्व के सिद्धान्तों का प्रभावी एवं पूर्ण प्रयोग हो। वास्तव में स्वयं भारत के सविधान में इस महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखा है। सविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में उपबन्धित है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक अतिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा तथा अतिपरिषद् लोक सभा के प्रभु सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और अनुच्छेद 98 खण्ड(1) में उपबन्ध है कि संसद् के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवालय कर्मचारीबद्ध होगा। उसमें दोनों के सार्वभौमिक के सृजन की भी अनुमति दी गई है। इसी अनुच्छेद के खण्ड(2) में उपबन्ध है कि संसद्, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारीबद्ध (Staff) में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी। इसके खण्ड(3) में उपबन्ध किया गया है कि जब तक संसद् द्वारा ऐसी विधियाँ बनाई नहीं जाती तब तक राष्ट्रपति, यथा-स्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के समार्षित से परामर्श करने के पश्चात्

लोक सभा के या राज्य सभा के सचिवीय कर्मचारीवृद्ध में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। सविधान के अनुच्छेद 98(2) के अधीन संसद् ने अब तक कोई विधान पास नहीं किया है। परन्तु प्रथम अक्टूबर, 1956 को अनुच्छेद 98(2) के अनुमरण में, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से लोक सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1955 बनाये गये और प्रख्यापित किये गये। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा सचिवालय के लिए ऐसे ही नियम 1957 में सभापति के परामर्श से बनाये गये और प्रख्यापित किये गये।

पृथक् भर्ती तथा सेवा-शर्तें

संसद् के सचिवालयों में नियुक्त लोगों की भर्ती और सेवा-शर्तें उपरोक्त नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा अपने-अपने सचिवालय में भर्ती करते हैं। इस प्रकार से सचिवालय सभापति या अध्यक्ष के, जैसी भी स्थिति हो, मार्गदर्शन और नियंत्रण में स्वतंत्र सचिवालयों के रूप में कार्य करते हैं। यह परिपाटी भी मुस्थापित हो चुकी है कि सरकार द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा जारी किये गये आदेश स्वतंत्र लोक सभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की जांच की जाती है और यदि यह फलता लिया जाये कि उन आदेशों को पूर्णरूपेण सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू किया जाये तो वित्त मंत्रालय या सम्बद्ध मंत्रालय से परामर्श किये बिना, भर्ती तथा सेवा की शर्तें संबंधी आदेश के रूप में जारी किये जाते हैं। परन्तु जहाँ आदेशों में कोई रूप भेद या परिवर्तन आदि आवश्यक समझा जाये वहाँ उन्हें अपनाके आदेश वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद जारी किये जाते हैं। स्वतंत्र मंडल है कि यदि विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सेवा के भविष्य के लिये और पदोन्नतियों, वेतनमानों इत्यादि के लिए यह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या सरकार के किसी अन्य विभाग पर निर्भर करना पड़े तो वे कार्यपालिका के मुकाबले में स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं।

संसद् के दोनों सदनों का वजत

संसद् के सदस्यों तथा अधिकारियों के वेतन तथा भर्ती और उनकी सुख-सुविधाओं के लिये होने वाला खर्च भारत की संचित निधि में से किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के मुकाबले में इस सम्बन्ध में भी विधानमंडल के सचिवालयों की स्थिति स्वतंत्र रही गयी है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की तरह राज्य सभा तथा लोक सभा के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुदानों की मांगें

समसूची के दोनों सदनों के सामने रखे जाते हैं। समसूची प्रत्येक वर्ष विनिश्चित प्रक्रिया के माध्यम से उस वर्ष की सजुरी होती है। दोनों सदनों की ओर इनके सचिवालयों की मांगों पर कठोरी प्रस्ताव पेश करने या चर्चा करने की अनुमति नहीं है।

राज्य सभा और लोक सभा तथा उनके सचिवालय के दशक प्रवक्ताओं की तैयारी को त्रिभेदारी मुख्य रूप से राज्य सभा तथा लोक सभा के सचिवालयों पर है। इन प्रवक्ताओं को मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् सभापति/अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्त एक तदर्थ समिति के समक्ष रखा जाता है। इसमें उपाध्यक्ष और वित्तीय समितियों व सभापति समिति के सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। तत्पश्चात्, समिति की सिफारिशों के साथ यदि कोई हर्ष, प्रवक्ता सभापति/अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए उसका सामने रखा जा सकता है। राज्य सभा और लोक सभा के संबंध में प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष प्रवक्ताओं, दो प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष मांगों पर्याय "राज्य सभा" और "लोक-सभा" व अन्तर्गत अनुदानों की मांगों में रखा जाता है। अध्यक्ष/सभापति द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं, वित्त मंत्रालय की केन्द्रीय वजट में सामान्य रूप में सम्मिलित करने के लिए भेजे जाते हैं। इन प्रवक्ताओं की जांच वित्त मंत्रालय की किसी विभागीय समिति या समसूची की किसी अन्य समिति द्वारा नहीं की जाती।

कृत्यात्मक आधार पर मोटे तौर पर कार्य विभाजन

सचिवालयों की स्वतंत्रता और कार्यक्षमता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति ने एक दूसरे में परामर्श करके 21 जुलाई, 1984 को समसूची एक समिति नियुक्त की थी जिसका उद्देश्य यह था कि वह विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा नियुक्त चौथे वेतन आयोग की, जिसने उर्मा वर्ष अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, सिफारिशों के प्रकाश में, समसूची अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य बातों के पुनरीक्षण के माध्यम से उन्हें परामर्श दे। समिति ने 18 जून, 1987 को अथवा प्रतिवेदन अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत कर दिया था। अपने विचार-विमर्शों में, समिति ने दोनों सचिवालयों के स्वनियंत्रण के और इनके कृषि एवं उत्तर-दायित्वों के विशिष्ट स्वरूप का ध्यान में रखा। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों सचिवालयों को अधिक कार्यक्षम एवं पितृव्य बनाने के लिये वैधानिक आधार पर इनके पुनर्गठन की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, सचिवालयों का निम्नलिखित संरचना के रूप में कृत्यात्मक पुनर्गठन किया गया।

(एक) विधायी सेवा (Legislative Service) को विधान, प्रश्नों, कार्य-सूची तैयार करने आदि जैसे मन्त्र में सम्मिलित कार्य करती है,

(दो) वित्तीय समिति सेवा (Financial Service) को दोनों विधायी समितियों की ओर से लिये अधिसूचना सचिवालयों सहजता उपलब्ध कराती

है और इनमे सम्बन्धित सभी कार्य करती है,

- (तीन) एक्जीक्यूटिव तथा प्रशासन सेवा (Executive & Administrative Service) जो प्रशासन और सामान्य मामलो से संबंधित और सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तो की प्रदायगी और अन्य सुविधाओं मे सम्बन्धित कार्य करती है,
- (चार) ग्रन्थालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा (Library, Reference, Research, Documentat on and Information Service) जो ग्रन्थालय और पूरी तरह से सुसज्जित ग्रन्थालय तथा कुशल शोध एवं संदर्भ सेवाओं के द्वारा भारत मे और विदेशो मे प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं मे सदस्य सदस्यों को सुपरिचित रखती है और दोनों सदनों-लोकसभा और राज्य सभा के समक्ष आने वाले विधायी उपायों एवं अन्य मामलो पर संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराती है ताकि सदस्य अपने-अपने सदन मे होने वाले वाद विवाद में प्रभावी रूप मे भाग ले सकें,
- (पाच) शब्दशः आशुनेखन (रिपोर्टिंग) वैयक्तिक सचिव तथा आशुलिपिक सेवा जो मसदीय कार्यवाहियों और समितियों की कार्यवाहियों का आशु लेखन करती है और अधिकारियों के लिए आशुलिपिक महायता की व्यवस्था करती है,
- (छ) संमदीय भाषान्तरकार सेवा (Interpraters Service) जो लोक सभा की तथा इसकी समितियों की कार्यवाहियों के माध्य-साथ अनुवाद के लिये उत्तरदायी है,
- (सात) मुद्रण, प्रकाशन, लेखन-मामग्री, विक्रय भंडार वितरण सेवा . जो (क) मुद्रण, रीटा प्रिंटिंग और जिल्द बाधने के कार्य (ख) लेखन सामग्री और भंडार रिकार्ड रखने (ग) विक्रय और (घ) प्राप्ति तथा वितरण का कार्य करती है,
- (आठ) सम्पादकीय तथा अनुवाद सेवा : (Editorial and translation Service) : जो वाद-विवाद का सम्पादन करती है और वाद-विवाद के माराश तैयार करती है, वाद-विवाद, प्रतिवेदनो और समदीय पत्रों का अनुवाद करती है,
- (नौ) सुरक्षा, द्वारपाल तथा सफाई सेवा (Watch & Ward Service) : जो मसद् भवन के अन्दर और बाहर सुरक्षा के उपायों की देख-रेख करती है और परिमरो का उचित रख रखाव मुनिश्चित करती है;
- (दस) बल्क, टाईपिस्ट, रिकार्ड साटेंर और बपतरी सेवा : और
- (ग्यारह) संदेशवाहक सेवा जो अन्य सभी सेवाओं द्वारा अपेक्षित सहायक कर्मचारियों के रूप मे कार्य करती है ।
- समदीय सेवा के महत्व को ध्यान मे रखते हुए दोनों सचिवालयो का समूचा

दांचा कृत्पात्मक आशार वर पुनर्मांडन क्रिया गया है, जहा कहीं समय है, वह "वृष्क प्राप्तिर" प्रयाती पर आशारित है त्रिममे कि उत्तरदायिन्व के अनावश्यक विम्नार के बिना कार्य शीघ्र ही और गुरावनापुरां हो ।

ससदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र (Bureau of Parliamentary Studies & Training) .

समय के साथ समसदीय लोकतन्त्र की प्रक्रियाओं और कार्य पद्धतियों का लेजो मे विकास हुआ है जो उननी उन्नत क्रिम की है कि उनको महज मे समझ पाना एव अवनाना सम्भव नहीं है । अत लोकतन्त्र पद्धति का अचाने के उत्तरदायी सभी पक्षी अर्थात् विधायकों, नीति निर्माताओं प्रशासकों तथा विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों का समसदीय सम्याओं के सिद्धांतों, माधतों और कार्य पद्धतियों में प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक हो गया है । शीघ्रन्ध विकास होने के नाने विकासमात्र उन्नत प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अध्ययन जारी रखने और अर्थात् प्रबोधन एव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का दायिन्व समसु का ही है । लोक सभा सचिवालय में समसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र समसदीय सम्याओं के विभिन्न पक्षुओं तथा अक्रियाओं में कनबद्ध प्रशिक्षण, प्रबोधन तथा समस्या और व्यवहार वरक अध्ययन का अवनर प्रदान करना है ।

समसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र लोक सभा के लिए एक प्रभाग के रूप में 1976 में स्थापित किया गया था । इसका उद्देश्य विधायकों और अधिकारियों को समसदीय सम्याओं के विभिन्न विषयों, कार्यपद्धतियों एव प्रक्रियाओं में वेदा होने वाली समस्याओं की दृष्टि से अध्ययन और कम बद्ध प्रशिक्षण के सम्यागत अवनर उपलब्ध कराने को काफी समय में महुम्न की आ रही आवश्यकता पूरी करना है ।

केन्द्र को विभिन्न अक्रियाओं इस प्रकार है समसदीय अधिनति के विभिन्न विषयों पर समसु सदस्यों और विधायकों के लिए विचार गोष्ठिमा आयोजित करना, नए संसद सदस्यों और विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम चलाना, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधानसदनों तथा विदेशों की समसु के सचिवालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा पुनरावर्षा पाठ्यक्रम आयोजित करना, भारत सरकार और राज्य विधानसदनों के वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों, और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अनेक अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के पटिवीशापीन अधिकारियों के लिए पुनरावर्षा पाठ्यक्रम आयोजित करना । अरु 1985 से विदेशी समसदीय अधिकारियों के लिए वार्षिक समसदीय अवरण कार्यक्रम तथा विधायी आरूप में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना आ रहा है । इसके अनिरिक्त उसके क्रियाकलाप हैं—भारत के विधायी अधिकारियों के विदेशों में तथा भारत में विदेशी

विधायी अधिकारियों के प्रशिक्षण दोनों का आदान-प्रदान और प्रतिनियुक्ति की देखरेख करना, विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों के प्राध्यापकों, व्याख्याताओं के लिए विषयबोध पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ताकि इसमें उन्हें अपनी सम्बन्धित संस्थाओं में आदर्श संसद् का आयोजन करने में सहायता मिल सके। आदर्श संसदीय सभों के सगठन में गैर-छात्र युवकों को इसके दायरे में लाने के लिए प्रति वर्ष विभिन्न नेहरू केन्द्रों के युवा संयोजकों के एक ग्रुप को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है।

संसदीय संग्रहालय तथा अभिलेखागार (Parliamentary Museum & Archives)

इस देश में संसदीय संस्थाएँ आदिकाल में पनप रही हैं और संसदीय व्यवस्था भारतवासियों की जीवन पद्धति बन गई है। परंतु कुछ अर्थों में, इस क्षेत्र में देश की बहुमूल्य विरासत को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने, उनका संग्रह करने और उनके परीक्षण के लिए सभी उपलब्ध साधनों को प्रयोग में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में शुरुआत 1976 में ही की गई जब लोक सभा सचिवालय ने संसदीय संस्थाओं, इसके श्रियाकलापों के और इसकी महान् विभूतियों के इतिहास का प्रामाणिक, विस्तृत, पूर्ण एवं अद्यतन चित्रण रिकार्ड सुरक्षित रखने के लिए फोटो तथा फिल्मों का संसदीय अभिलेखागार स्थापित किया। संसदीय संग्रहालय तथा अभिलेखागार स्थापित करने के प्रस्ताव का लोक-सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने प्रथम अगस्त, 1984 को अनुमोदन किया।

इसका मुख्य उद्देश्य सविधान और संसद् में संबंधित सभी, वर्तमान काल के और भूत काल के, बहुमूल्य अभिलेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा लेखों को, भावी पीढ़ियों के लिये समय के प्रकोप और उपेक्षा से बचाना है जिसमें कि लोग उनमें संसदीय संस्थाओं तथा राजनीतिक प्रणाली के इतिहास और विकास को बेहतर समझ सकें। इसके विकास के वर्तमान चरण में, यह उपरोक्त विस्तृत दस्तावेज, वस्तुएँ आदि प्राप्त करने, जो सामग्री इसके पास उपलब्ध है उसका समुचित परिरक्षण करने और चयनित सामग्री को प्रदर्शनार्थ रखने की ओर ध्यान दे रहा है। यथा समय इसका विचार संसदीय संस्थाओं के विषय में जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से और संसद् के विकास में इसके श्रियाकलापों में और उसकी उपसन्धियों में रचि पैदा करके संसद् की समुचित छवि बनाने और इसके प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिये अन्य कार्य करने का है।³

राष्ट्रीय उपलब्धियों का केन्द्र (हाल ऑफ एचीवमेंट्स) (Hall of National Achievements) :

लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने प्रथम अगस्त, 1984 को राष्ट्रीय उपलब्धियों का केन्द्र (हाल ऑफ नेशनल एचीवमेंट्स) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसका उद्देश्य सभ्यता प्राप्ति के परचाद्

विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र द्वारा की गई उपलब्धियों की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करना है। प्रदर्शनियों, प्रतिमानों, फोटो तथा अन्य दृश्य सामग्री के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत द्वारा की गई उपलब्धियों का निस्तुत दृश्य प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से विदेशों संसदीय शिष्ट मण्डलों के सदस्यों, भ्रमणकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों तथा अन्य लोगों के लिए देश की अत्यन्त शक्ति प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

संसदीय अधिकारियों की भूमिका

सूचना के प्रसार का क्षेत्र हो या प्रौद्योगिकीय क्षेत्र, मानव जीवन से सम्बद्ध प्रत्येक क्षेत्र में नित नए आविष्कार हो रहे हैं। इससे सरकारी कार्य-क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। आधुनिक कार्य पद्धति की जटिलताओं को देखते हुए हमारी संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के लिये भी अधिक योग्य एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यावसायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता की ओर हाल के वर्षों में ध्यान आकषिप्त हुआ है। यह एक अपरिहार्य आवश्यकता है।

विद्यालय मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्वों को देखते हुए उनमें उच्च कोटि की योग्यता और तत्परता होने, कुशलता एवं विशेषज्ञता होने के साथ-साथ उनके मितव्ययी होने की अपेक्षा की जाती है। वे ही लोग हैं जिनको संसद सदस्यों को विविध प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करानी होती हैं तथा संसद की कार्य-वाहियों को उपयोगी बनाने के लिए सासदों द्वारा मागी गई सूचना तुरन्त और ठीक-ठीक उपलब्ध करानी होती है। इस प्रकार उनको अपने महत्त्वपूर्ण उत्तर-दायित्वों को निवाहने के लिए पूरी योग्यता, चतुराई और अनुसंध से काम लेना होता है।

संसद के सचिवालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परम कर्तव्य सदस्यों की सहायता करना होता है जिसमें कि वे विधायकों के रूप में यथासम्भव अधिक से अधिक प्रभावी और कुशल रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकें। एक संसदीय अधिकारी का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह भेदन की सेवा और सहायता करे और सभी मामलों में निष्पक्ष एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाये। उसे यह निश्चित कर लेना चाहिए कि अध्ययन की दी जाने वाली तथ्यात्मक जानकारी पूर्णतः सही हो, और किसी मामले में सम्बन्धित सभी सगण विनिर्णय एवं पूर्व-धारण पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखे जावें ताकि उसे सही फैसले करने में सुविधा हो। जहाँ तक सदस्यों को परामर्श देने का प्रश्न है संसदीय अधिकारियों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे प्रकारण ही कोई परामर्श दे। जब संसदीय अधिकारी से विशेष रूप से कहा जाए कि वह संसदीय कार्य से संबंधित किसी मामले पर परामर्श दे तभी उसे तथ्यात्मक जानकारी सदस्य को उपलब्ध करानी चाहिए। इस विषय में अपनी राय नहीं देनी चाहिए।

संसदीय अधिकारी को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि किमी सदस्य की विचारधारा क्या है या वह किम राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता है। सदस्य का दल कोई भी हो, योग्यताएँ कुछ भी हो और जीवन में दर्जा कुछ भी हो, संसदीय अधिकारी के लिए सदस्य लोगों का सम्माननीय प्रतिनिधि है जिसके साथ उसे आदर में और धैर्य में पेश आना है। सदन के मेवक के नाते, संसदीय अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी सदस्यों से समान रूप से पेश आए। वह सदैव स्मरण रखते हुए कि सभी सदस्य उसके समान एवं निष्पक्ष सेवा पाने के अधिकारी हैं, उसे प्रत्येक सदस्य की, जो अपने संसदीय सिलसिले में उससे सहायता मागे, कुशल ढंग में सेवा करनी होती है।

अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है और प्रक्रियाओं की जटिलताओं एवं बारीकियों को भी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि वह सभी महत्वपूर्ण मामलों और नाजुक समस्याओं में अवगत रहे ताकि ऐसा न हो कि प्रकृ-स्मात् ही कोई स्थिति सामने आ जाये जिसके लिए वह तैयार न हो, जैसा कि प्रायः होता है। यदि कोई स्थिति या कोई कठिन समस्या अचानक ही सामने आ जाये तो उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह तुरन्त और कुशलता से उससे निपट सके। इस प्रकार, काम निबटाने में तत्परता और त्रुटिहीनता संसदीय अधिकारी के कार्य चालन के मुख्य तत्त्व हैं।⁴

यह भी अपेक्षा की जाती है कि संसदीय अधिकारियों और कर्मचारियों में संसदीय कार्य व्यवहार के सिद्धान्तों की जानकारी हो और उनमें खोजी एवं जिज्ञासु भाव पैदा किया जाये। संक्षेप में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

- (एक) सदस्य की संस्था और लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान ;
- (दो) सदस्यों की सेवा के प्रति झूठ प्रतिबद्धता चाहे वे किसी भी दल के हों ;
- (तीन) सदस्यों और अन्य लोगों के साथ व्यवहार में समर्पण, शिष्टता, आत्म-नियंत्रण, धैर्य, शान्त भाव और सहिष्णुता ;
- (चार) सुस्पष्टता और त्रुटिहीनता और अध्यक्ष के वमक्ष पूर्ण तथ्य रखने और निष्पक्ष परामर्श देने की आदत ;
- (पाच) फँसने करने में और काम निबटाने में तत्परता प्रयात् काम करने की ऐसी पद्धति जिसमें कोई काम कल पर न छोड़ा जाये ;
- (छ) सजगता, चेहरे पर मुस्कान और किमी की भी बात सुनने का धैर्य ;
- (सात) दनगत रहित, निष्पक्ष दृष्टिकोण। एक संसदीय अधिकारी को सभी क्रिया-कलापों में भाग लेते हुए भी निर्लप होना चाहिए ; और
- (आठ) ऐसे समाधान ढूँढने की योग्यता जो केवल सैद्धान्तिक रूप में ही नहीं, न हो बरन् व्यावहारिक भी हो।

संसद् के सचिवालय गतिशील और विकासशील संस्थाएँ हैं जिनके लिए अपेक्षित है कि वे सामग्री की बढ़ती हुई एवं परिवर्तनशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरन्तर ध्यान देने रहें। सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सदा मनकें रखना पड़ता है और बराबर सोचने रहना होता है कि संसदों तथा मसदीय संस्थाओं की सेवा करने के तरीकों में क्या सुधार लाए जाने चाहिए। संसदीय संस्थाओं की सेवाओं में सुधार की गुंजायश सदा रहती है। भारत की संसद् उत्तम कार्य-निष्पादन के लिए सर्व का अनुभव कर सकती है और इसका श्रेय प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं और सुविधाओं को जाता है। वह यह भी धारणा रखती है कि माने जाने वाले वर्षों की उपलब्धियाँ इससे भी बेहतर होंगी।⁶

संदर्भ

1. केन्द्रीय विधान सभा के मध्यमक को उस समय "प्रेसीडेंट" कहा जाता था।
2. विस्तृत चर्चा के लिए देखिए राष्ट्र मण्डल मसदों के क्लॉब्स-एट-द-टेबल को सीमादृष्टी की प्रवृत्तियों, 1985 से संसदकाल, कनाडा में हुई बैठक में रिक्लूमेंट एण्ड ट्रेनिंग फ़ॉर पार्लियामेन्टरी स्टाफ़ विषय पर डा. सुभाष काश्यप द्वारा प्रस्तुत किया गया मुन्दाग्न। व. पार्लियामेन्टेरियन 67, संख्या 3, जुलाई, 1986 में पृ. 134-36।
3. सुभाष काश्यप, पार्लियामेन्टरी म्यूजियम एण्ड आरकाइव्स दिल्ली 1985
4. देखिए काश्यप, रिक्लूमेंट एण्ड ट्रेनिंग फ़ॉर पार्लियामेन्टरी स्टाफ़, ऊपर उद्धृत।
5. वही।



15

लोक सभा का विघटन

प्रतिनिधिक ससदीय सस्याभो के इतिहास के साथ "विघटन" (dissolution) अवधारणा का घट्ट मबंध है। कोई जनसभा, चाहे कितनी ही लोकप्रिय ढंग से निर्वाचित क्यों न हो, हमेशा के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करती रहेगी, ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि वह निश्चित अवधि के उपरान्त पुनर्नादेश प्राप्त करे। सामान्यतः सभा का कार्यकाल सांविधानिक दस्तावेज में निर्धारित होता है अथवा विधायी अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिछले ग्राम चुनाव में निर्वाचित उमके सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त होने के साथ-साथ उसकी अवधि भी समाप्त हो जाती है। "विघटन" संसद् अथवा उसकी जन प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल की समाप्ति का द्योतक होता है। अपनी निर्धारित कार्यवधि पूरी कर लेने पर सामान्यतः एक निर्वाचित विधान सभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। जबकि सभा का इस प्रकार विघटित होना एक सुविदित सांविधानिक बात है, लेकिन वारीकी से देखने पर ज्ञात होगा कि कार्यपालिका द्वारा विधान मण्डल का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उसे समाप्त करने की कोई कार्यवाही करना भी "विघटन" का द्योतक है। ऐसी कार्यवाही का उद्देश्य निर्वाचक मण्डल से नया नानादेश (mandate) प्राप्त करना अथवा तात्कालिक ससदीय बहुमत के विचारों के विरुद्ध अग्रिम निर्णायक जनता नानादेश से अपील करना हो सकता है। निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् सभा का स्वतः विघटन हो अथवा राज्य प्रमुख द्वारा उसकी कार्यवधि पूरी होने से पूर्व उसे भंग किया जाना हो, दोनों ही मामलों में यह विघटन पूरी तरह से युक्तियुक्त, बंध और सांविधानिक होता है क्योंकि संविधान और देश की विधियों के अन्तर्गत इसकी विशेष रूप से अनुमति होती है तथा उनमें ऐसा उपबन्ध होता है।¹

सांविधानिक स्थिति (Constitutional Position)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(2) में उल्लिखित है

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित न कर दी जाए, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख में पाच वर्षों तक चालू रहेगी और इससे अधिक नहीं तथा पाच वर्षों की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छह मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी ।³

संविधान के अनुच्छेद 85(2)(ख) में उपबोधित है कि राष्ट्रपति समय-समय पर लोक सभा का विघटन कर सकेगा । इस प्रकार,

- (1) लोक सभा की सामान्य कालावधि (term) पाच वर्षों है,
- (2) लोक सभा के प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख में पाच वर्षों की कालावधि समाप्ति स्वतः ही इसका विघटन होगी,
- (3) राष्ट्रपति सभा को कालावधि से पूर्व भी विघटित कर सकेगा,
- (4) आपातकाल के दौरान, संसद विधि द्वारा लोक सभा की कालावधि बढ़ा सकेगी जो एक बार में एक वर्षों की होगी ।⁴

यदि कुछ भिन्न क्रम में रखे जाए तो इन सांविधानिक उपबोधों का तात्पर्य बदलता नजर आता है । उदाहरणस्वरूप यह कहा जा सकता है कि

- (1) "समय-समय पर" सभा को विघटित करना राष्ट्रपति का काम है,
- (2) परन्तु, यदि राष्ट्रपति पाच वर्षों की अवधि तक सभा को विघटित नहीं करता है तो पाच वर्षों की समाप्ति पर, यदि इस बीच आपातकाल के दौरान संसद द्वारा उसका कार्यकाल बढ़ा न दिया गया हो, वह अपने आप विघटित हो जाएगी ।

इस उदाहरण से अभिप्राय है कि पाच वर्षों की कालावधि समाप्त होने से पूर्व लोक सभा का विघटन होना एक सामान्य बात है, और इस पाच वर्षों की अवधि का नियतन केवल बाह्य सीमा अथवा सामान्य काल के दौरान अधिकतम कालावधि के रूप में किया गया है, और कोई निश्चित कालावधि के रूप में नहीं ।⁴ इसका यह अर्थ हुआ कि भारत के संविधान के प्राचीन लोक सभा के विघटन से अभिप्रेत होगा सभा की कालावधि की समाप्ति जो अनुच्छेद 85(2)(ख) के प्राचीन राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में अथवा पाच वर्षों की कालावधि या अनुच्छेद 83(2) के प्राचीन इसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से बढ़ाई गई किसी कालावधि की समाप्ति द्वारा होगी । आम निर्वाचन (election) के पश्चात् सयुक्त रूप से समवेत दोनों सभाओं

को जिस दिन राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण द्वारा सम्बोधित करते हैं, उस दिन से सभा का प्रथम अधिवेशन चालू हुआ माना जाता है। इस प्रकार विधिवत रूप से उद्घाटित होने से पूर्व सभा द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता है। जिन दिनों में सदस्य शपथ आदि ग्रहण करते हैं अर्थात् सभा के गठित होने और इसकी प्रथम बैठक आयोजित होने के बीच की अवधि इस उद्देश्य के लिए गिनती में नहीं ली जाती है।

निर्वाचन विधि
विघटन के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Peoples' representative Act, 1951) के अन्तर्गत नई लोक सभा का गठन करना होता है। उक्त अधिनियम में उपबोधित है कि :

नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन वर्तमान सदन की अस्तित्वावधि के अवसान पर या उसके विघटन पर किया जाएगा। और यह भी कि :

उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा सब सप्तदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के उपबोधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें। परन्तु जहाँ वर्तमान लोक सभा के विघटन के कारण नई अथवा साधारण निर्वाचन होता है वहाँ ऐसी कोई अधिसूचना उस तारीख से, जिसको सदन की अस्तित्वावधि का अवसान होता, पूर्व के छह मास के पहले न निकाली जायेगी।⁶

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अन्तर्गत लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन विद्यमान सभा की कालावधि समाप्ति से छह मास पूर्व आयोजित किया जा सकता है यद्यपि नई सभा का गठन केवल विद्यमान सभा के विघटन के पश्चात् ही होता है। यह विघटन में अपनाई जा रही प्रथा से भिन्न है जहाँ पहले विघटन होता है और तत्पश्चात् नये 'हाउस ऑफ कामन्स' के गठन के लिये आम निर्वाचन आयोजित होते हैं।⁷

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 में अन्य बातों के साथ-साथ उपबोधित है कि निर्वाचन आयोग द्वारा सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों के नाम शासकीय राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित किए जाने पर, समझा जाएगा कि लोक सभा "सम्यक रूप से गठित हो गई है।" और इस प्रकार एक बार जब सभा का गठन हो जाता है तो यह विघटन योग्य बन जाती है, अर्थात् इसको अधिवेशन के लिए आहूत करने या कार्य संचालन आरम्भ करने से पूर्व विघटित किया जा सकता है। से० क० भायू बनाम भारत सघ और अन्य के मामले में न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि संविधान के किसी भी उपबन्ध के अधीन यह धनिवाय नहीं कि इसकी प्रथम बैठक की तिथि नियत की जानी चाहिए। "एक बार जब सभा

गठित हो जाती है, यह विघटन योग्य बन जाती है। और, एक बार जब इसका विघटन हो जाता है, इसको मन्त्रिवेशन के लिए घाटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि तत्काल ही इसके सदस्यों की प्रतिनिधित्व करने की हेतियत्त समाप्त हो जाती है।¹⁷ विघटित करने की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उपबन्धित है कि मन्त्रपरिषद् (Council of Ministers) लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः लोक सभा अधिवेशन प्रस्ताव द्वारा सरकार को गिरा सकती है। किन्तु, परिणामस्वरूप, कार्यपालिका (executive) के हाथ में भी तत्समान प्रभावकारी शक्ति होती है और यह शक्ति है "समय-समय पर" अर्थात् उसकी निर्धारित पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय लोक सभा को विघटित कर सकने की। ससदीय राज्य-ध्वंसस्था में, सभा को विघटित करने की शक्ति कार्यपालिका के पास उगी तरह है जिस तरह ससद् के पास लोक सभा के प्रति मन्त्रपरिषद् की जवाब देही सु-निश्चित करने का अधिकार है ये दोनों पक्ष परस्पर गतुलन बनाते हैं। लोक सभा यदि सरकार का बर्खास्त कर सकती है तो सरकार लोक सभा को विघटित कर सकती है। तथापि, विघटन लोक सभा को सरकार की इच्छाओं के अधीन नहीं बनाता है, किन्तु यह अपने सर्वोच्च स्वाभिधो अर्थात् स्वयं जनता-जनार्दन की इच्छाओं के अधीन बनाता है।

संविधान के अनुच्छेद 53 में उपबन्धित है कि राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 74(1) के अधीन राष्ट्रपति को अपने सभी कृत्यों का सम्पादन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में नियोजित मन्त्रपरिषद् की सहायता और सहायता से करना होगा। अनुच्छेद 85(2) के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्येक लोक सभा को विघटित करने की शक्ति, राष्ट्रपति पद का कार्यपालक कृत्य है और इसलिए इसे मन्त्रपरिषद् की सहायता और सहायता से सम्पादित करना होता है। इतलड की तरह राष्ट्रपति को विघटन की शक्ति किसी विशेषाधिकार से प्राप्त नहीं होती है, अतः प्रथम दृष्ट्या इसका सम्पादन केवल मन्त्रपरिषद् की सहायता से ही किया जा सकता है। जैसा कि संविधान में उपबन्धित है, राष्ट्रपति "अपने कृत्यों का सम्पादन ऐसी सहायता के अनुसर करेगा।" संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में शब्द "करेगा" जोड़े जाने से पूर्व जा स्थिति थी उसके अन्तर्गत मन्त्रपरिषद् की सहायता के अधिकांश स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ संदेह व्यक्त किये गये थे और कभी-कभी यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति ऐसा विघटन करने से इकार कर सकता है जिसको मांग अनुपयुक्त हो, या जहाँ इस प्रकार की सहायता, प्रधान मंत्री द्वारा शक्ति का दुुरुपयोग किये जाने की आशंका उत्पन्न करती हो। संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978, राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में जो एक मात्र विशेषाधिकार देता है, यह यह है कि यह मात्र परिषद् को इस प्रकार

की मन्त्रणा पर पुनः विचार करने के लिए कह सकेगा किन्तु यदि मन्त्रिपरिषद् पुनर्विचार के उपरान्त अपनी मन्त्रणा को दोबारा प्रस्तुत करती है तो वह उसके अनुसार कार्य करने से इकार नहीं कर सकेगा।⁸

दिसम्बर, 1970 में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को लोक सभा विघटित करने का इस आधार पर परामर्श दिया था कि कुछ गम्भीर समस्याएँ हैं जिनका समाधान किया जाना है और विभाजित हो जाने में कांग्रेस दल कमजोर पड़ गया है और इसलिए उन्हें जनता से नवीन आदेश प्राप्त करना जरूरी हो गया है। चूंकि मन्त्रणा मन्त्रिपरिषद् द्वारा नहीं दी गई थी बल्कि प्रधानमंत्री ने दी थी, इसलिए राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को यह मामला सर्वप्रथम मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख रखने को कहा था। अंत में, यद्यपि राष्ट्रपति ने मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा स्वीकार कर ली थी, परन्तु उनके सचिवालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप में उल्लिखित था कि राष्ट्रपति ने, "मामले की दारिद्र्य के माथ जाच करने के पश्चात्" लोक सभा को विघटित करने के लिये उसको मन्त्रणा देने के "मन्त्रिपरिषद् के निर्णय" को स्वीकार किया है।⁹ यह बात नोट करने योग्य है कि उक्त बात, संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा को राष्ट्रपति के लिये कानूनी तौर पर बाध्यकर बनाये जाने से पूर्व घटी थी।

बयालीसवाँ संशोधन लागू हो जाने के पश्चात् विघटन करने की शक्ति को लागू करने का पहला अवसर 19 जनवरी, 1977 को आया था जब राष्ट्रपति ने लोक सभा कालावधि, जिसे आपातकाल के दौरान मार्च, 1976 में सामान्य कालावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् बढ़ाया गया था, समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व लोक सभा को विघटित कर दिया था। राष्ट्रपति ने ऐसा प्रधान मंत्री की सिफारिश पर किया था जिसका आधार, राष्ट्र के स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो प्रारंभिक आपातकाल की घोषणा की थी, उन उपायों के समर्थन में लोगों से जनदेश प्राप्त करने के पश्चात् पुनः सामान्य प्रशासन को लागू करना था। उक्त मामले में सभा विघटित करते समय राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सिफारिश को मात्र स्वीकार कर लिया था।¹⁰

इस प्रकार का दूसरा अवसर 22 अगस्त, 1979 को आया था जब प्रधान मंत्री श्री चरणसिंह ने जिन्होंने सभा का सामना न कर पाने के कारण अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया था, राष्ट्रपति को लोक सभा विघटित करने का परामर्श भी दिया था। इस प्रकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मन्त्रिपरिषद् का परामर्श भी राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था और तदनुसार कार्यवाही की थी। तथापि, इस बार जारी की गई विज्ञप्ति में अन्य पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा निजी विवेक का उपयोग करने का भी उल्लेख किया गया था।¹¹

यह ध्यान मान्यता है कि सांविधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को कोई

स्व-विवेक-शक्ति (discretionary power) प्राप्त नहीं है। पिछले चारों-पाँच वर्षों के दौरान ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिलता जहाँ राष्ट्रपति ने किसी मामले में मंत्रिपरिषद् की महायत्ना और मन्त्रणा की उपेक्षा की हो या अपनी इच्छा में प्रेरित होकर कार्य-वाही की हो। मन्त्रिपरिषद् में उन्निवृत्त होने के बावजूद कि मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा राष्ट्रपति पर बंधनकारी होगी, इस प्रश्न पर, विंगेप रूप में विद्वानों में, कुछ विवाद बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति के लिए मन्त्रिपरिषद् की महायत्ना और मन्त्रणानुसार कार्य करना सर्वत्र अनिवार्य है या कुछ ऐसे मामले प्रत्यया परिस्थितियाँ हैं जहाँ वह स्वविवेक में कार्यवाही कर सकता है या मन्त्रिपरिषद् द्वारा दी गई मन्त्रणा की उपेक्षा कर सकता है।¹²

मन्त्रिपरिषद् प्राप्ति समिति के महायत्ना डा० भीमराव अम्बेडकर ने मन्त्रिपरिषद् में कहा था कि जब कि राज्य के माविविधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के लिए मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा मानना बंधनकारी है लेकिन दो विंगेप अधिकार भी हैं जिनका राज्य प्रमुख उपयोग कर सकेगा, प्रथम प्रधान मंत्री को नियुक्त करना दूसरा 'समद् का विघटन करना', बाद में अपने मत को स्पष्ट करते हुए डा० अम्बेडकर ने पुनः कहा

भारत मंत्र का राष्ट्रपति सभा की भावनाओं के बारे में यह जांच करेगा कि क्या सभा यह स्वीकार करती है कि विघटन कर दिया जाना चाहिए प्रत्यया क्या सभा यह स्वीकार करती है कि कार्य का संचालन सभा को विघटित किए बिना किसी अन्य नेता द्वारा किया जाना चाहिए। यदि वह यह पाना है कि विघटन करने के अनिश्चित कोई दुमरा विकल्प प्राप्त नहीं है, तो निःसंदेह माविविधानिक राष्ट्रपति होने के नाते वह सभा को विघटित करने संबंधी प्रधान मंत्री की मन्त्रणा स्वीकार करेगा।¹³

विघटन की शक्ति संबंधी उपबन्ध को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिए गए हैं, 1970 में एक सुझाव यह उपबन्धित करने के लिए दिया गया था कि राष्ट्रपति को लोक सभा का विघटन करने की अपनी शक्ति का उपयोग केवल उस समय करना चाहिए जब समद् इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करे और स्वतः ही प्रधान मंत्री या मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा पर विघटन नहीं करना चाहिए। श्री श्रीनिवास मिश्र, समद् सदस्य द्वारा इस संबंध में 27 फरवरी, 1970 को लोक सभा में एक मन्त्रिपरिषद् (मन्त्रिपरिषद्) विधेयक पुर स्थापित किया गया था। विधेयक में यह जोड़कर अनुच्छेद 85(2)(ब) के मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति समय-समय पर लोक सभा का विघटन कर सकेगा यदि

- (1) सभा एक सत्त्व्य (resolution) द्वारा ऐसे विघटन को स्वीकृति प्रदान करती है, या
- (2) सभा या तो अनुदान संबंधी ऐसी मांग को स्वीकृति प्रदान करने से इन्कार करती है या ऐसे विनियोग को प्रस्वीकार कर देती है जो तीन

उत्तरोत्तरी मन्त्रि-परिषदा की सहायता और मन्त्रणा से रखी गई हो
अथवा पुर स्थापित किया गया हो ।

मन्त्रि परिषद् को जब तक लोक सभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, इसमें कदापि कोई संदेह नहीं है। मकता कि राष्ट्रपति सभा को विघटित करने के लिए दो गई प्रधान मंत्री या मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा को अस्वीकार कर सके। क्या सभा का विघटन किया जाए और नवीन निर्वाचन कराए जाए और ऐसा कब किया जाए। ये ऐसे मामले हैं जो प्रधान मंत्री की राजनीतिक सूझ-बूझ पर निर्भर करते हैं। यह भी कि जब सभा में पेश किसी मूल प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री हार जाता है या ऐसी हार का उसको भय होता है, तो उस निर्वाचको से अपील करने और उनसे दोबारा जनादेश प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति सभा का विघटन करने संबंधी उसका अनुरोध अस्वीकार नहीं करेगा। जहाँ प्रधान मंत्री का दल निर्वाचन में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असफल रहता है, वहाँ भी राष्ट्रपति यह बात ध्यान में रखेगा कि सभा का विघटित करने की प्रधान मंत्री की मन्त्रणा अस्वीकार करने में पूर्व, वैकल्पिक सरकार ढूँढने का दायित्व स्वयं उसका है और उस इस बात पर विचार करना होगा कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए संक्षम वैकल्पिक सरकार बनाना संभव होगा क्योंकि सभ स्तर पर राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी कोई उपबंध नहीं है और केन्द्र में सर्वेव मात्र परिषद् होना अनिवार्य है।

शायद एक प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि राष्ट्रपति के लिए स्वाकायं अथवा बंधनकारी हाने के लिए मन्त्रणा प्रधान मंत्री से नहीं बल्कि मन्त्रिपरिषद् से भाना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् की सहायता और मन्त्रणा पर कार्य करे और न कि एकमात्र प्रधानमंत्री को मन्त्रणा पर। अनुच्छेद 78 (ग) इस तर्क का और सुद्ध बनाता है, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी विषय का, जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया हो किन्तु मन्त्रि-परिषद् ने विचार न किया हो, मन्त्रि-परिषद् के विचार के लिए लौटा दे। तथापि, इसमें यह तथ्य उपोक्षित हो जाता है कि प्रधान मंत्री न केवल मन्त्रि-परिषद् का प्रमुख है बल्कि मन्त्रि-परिषद् के सभी सदस्य उसकी मन्त्रणा से नियुक्त किए जाते हैं और मन्त्रि-परिषद् के सामूहिक दायित्व के संदर्भ में भी वे केवल तब तक परिषद् के सदस्य बने रह सकते हैं जब तक वे प्रधान मंत्री के विश्वासपात्र हैं। ऐसी स्थिति में, मन्त्रि-परिषद् की मन्त्रणा शायद ही प्रधान मंत्री की मन्त्रणा से भिन्न होगी क्योंकि अन्ततोगत्वा प्रधान मंत्री के विचार ही सर्वमान्य होते हैं। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ऐसी प्रपवाद स्वरूप स्थिति को छोड़कर जिसमें कोई विपक्षी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुन लिया जाए और वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कोई संक्षम नेता उपलब्ध हो, अन्य स्थिति में राष्ट्रपति लोक सभा का विघटन करने के बारे में प्रधानमंत्री

की मरणा तो मानने में कभी इकार नहीं कर सकेगा। प्रधान मंत्री को, जब भी यह चाहे, जनता से नवीन जनादेश प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए। इकार से, राष्ट्रपति पर पक्षात्त घोर राजनीतिक घड़पन में शामिल होने का दोष लग सकेगा, यह भी ऐसे समय में जब कि सरकार मुड़ न हो, मन्त्रों का विघटन करने में इकार करने से हर प्रकार के घनैतिक धड़ो घोर विधायको तथा राजनीतिक दलों में जोड़-तोड़ घोर दल-बदल तथा विधायका को घन प्रनोमन से घन पक्ष में लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि दल-बदल विरोधी कानून है जिस में विभाजित होने "घोर सबिलघन" की अनुमति है।

सविधान में इस बारे में कुछ भी उपबधित नहीं है कि जब, किन बातों से घोर किन हात्तात में लोक सभा को विघटित करने की शक्त का उपयोग किया जा सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक मामले में स्थिति की अत्यावश्यकता का देखते हुए निर्णय लेने का पुरा उत्तरदायित्व कार्यपालका पर छोड़ दिया गया है। शायद सविधान के निर्माताघो ने विघटन करने की शक्त के बड़ व्यापक दावर की परिकल्पना की है।

विघटन की प्रक्रिया

लोक सभा के "सामान्य" विघटन घणो उमकी पाच वष की कालावधि की समाप्ति पर विघटन, के बारे में प्रक्रिया यह है कि लोक सभा के अन्तिम सत्र का समाप्ति के कुछ दिन पूर्व महासचिव, ससरीय कार्य मन्त्री घोर सदन के नेता, (या घोर प्रधान मन्त्री स्वय सदन का नेता नहीं है) या ससदाय कार्य मन्त्री (या सदन के नेता जसी स्थिति हो) के मध्यम में प्रधान मन्त्री से पूछना है घोर सभा का विघटित करने के लिए प्रधान मन्त्री द्वारा गुभाई गई ताराध क सम्बन्ध में स्वय एक पत्र जारी करता है। प्रधान मन्त्री का प्रस्ताव, अध्यक्ष द्वारा स्वाहृत रूप में, महासचिव द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। नाट के साथ-साथ आदेश का प्रारूप भी भेजा जाता है जिसमें सभा का विघटित करने की प्रस्तावित ताराध बताइ गई हाता है। राष्ट्रपति उस दिन आदेश पर हस्ताक्षर करत है जिस दिन लोक सभा विघटित की जाना होती है। राष्ट्रपति द्वारा आदेश प्राप्त हाता है, उस दिन महासचरण राजपत्र में घोष-सभा सचिवालय में आदेश प्राप्त हाता है, उम दिन महासचरण राजपत्र में घोष-सूचित कर दिया जाता है। इसके साथ-साथ लोक सभा सचिवालय आदेश का व्यापक प्रचार के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है घोर इसका आकाशवाणी घोर दूरदर्शन पर भी प्रसारित करता है। लोक सभा के विघटन को सदस्यों का जानकारी देने के लिए एक पत्र लोक सभा के समाचार बुलेटिन में भी निकाला जाता है।

जहां प्रधान मन्त्री लोक सभा की सामान्य कालावधि की समाप्ति से पूर्व इसको विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करने का निर्णय लेता है, यह

राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजता है और विघटन सबधी राष्ट्रपति के प्रादेश की जानकारी अध्याक्ष को देता है। तत्पश्चात् महामन्त्रि इस प्रादेश को राजपत्र में प्रेषित करता है और लोक सभा समाचार बुलेटिन के माध्यम से सदस्यों को सूचित करता है। प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों से इसका प्रचार भी किया जाता है।¹⁶

विघटन के प्रभाव :

लोक सभा को विघटित किए जाने के परिणाम निरपेक्ष और अनिवर्तनीय है। विघटन से सभा की कालावधि समाप्त हो जाती है। यह प्राभारमुक्त हो जाती है, इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है और नत्पश्चात् नई सभा का गठन होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, इससे वस्तुतः "संसदीय स्लेट पर स्पष्ट फिर जाता है", और इसके समक्ष तथा इसकी सभी समितियों के समक्ष लम्बित पड़े सभी कार्य व्यपगत हो जाते हैं। इसमें विधेयको सबधी कार्य, जिसको लोक सभा ने तो निष्पादित कर दिया होता है, किन्तु जो विघटन की तारीख को राज्य सभा में लम्बित हो, भी शामिल है। विघटित सभा के रिकार्ड का कोई भी भाग आगे नहीं ले जाया जा सकता है और नई सभा के रिकार्ड या रजिस्ट्रो में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तथापि इसमें संसदीय समितियों की रिपोर्टें और मन्त्रियों द्वारा ससद् में दिये गये आश्वासन शामिल नहीं होते हैं जिन्हें आगे ले जाया जा सकता है और नई सभा के रिकार्ड और रजिस्ट्रो में शामिल किया जा सकता है। मधेप में, विघटन द्वारा विद्यमान सभा का अन्तिम पटाक्षेप हो जाता है।¹⁶

मार्कसिनिम के अनुसार लम्बित पड़े सभी कार्यों का इस प्रकार व्यपगत हो जाना तर्क और राजनीतिक दृष्टि से न्यायसंगत है। "तर्क की दृष्टि से इसलिए क्योंकि नई ससद् अपनी पूर्वगामी सभा की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकतीं जिनके लिए उसका तर्क भी योगदान नहीं होता है। राजनीतिक दृष्टि से इसलिए, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि पूर्व सभा का लम्बित पड़ा कार्य नई ससद् से अभिभ्यक्त राष्ट्रीय विचारधारा के विपरीत जा सकता है। यह उचित ही है कि नई सभा को यह निर्णय करने का अवसर दिया जाये कि वह किन विषयों के सबध में विधायी कार्य करेगी।"¹⁷

मविधान के अनुच्छेद 107 में लोक सभा का विघटन होने पर ससद् के समक्ष पड़े विधेयको पर पढ़ने वाले विघटन के प्रभाव का उपबन्ध किया गया है। लम्बित पड़े विधेयको के प्रभाव के सबध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :¹⁸

लोक सभा में विघटन के समय लम्बित पड़े सभी विधेयक, चाहे सभा में पुर स्थापित हुए हो अथवा राज्य सभा द्वारा भेजे गये हो, व्यपगत हो जाते हैं; और राज्य सभा में, लोक सभा द्वारा पारित विधेयक, किन्तु विघटन की तारीख को जो राज्य सभा द्वारा पारित न किए गए हों और

राज्य सभा में लम्बित हों, व्यपगत हो जाने हैं। केवल राज्य सभा में पुर-स्थापित किए गये विधेयक, जो लोक सभा द्वारा पारित न किए गए हों और अभी राज्य सभा में लम्बित हैं, व्यपगत नहीं होते हैं। राज्य सभा में पुर-स्थापित कोई विधेयक, जो लोक सभा को भेजे जाने के पश्चात् और लोक सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटा दिए जाने के पश्चात् उम सभा में लम्बित हो वह भी व्यपगत हो जाता है।

तथापि, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में अग्रहमति हो और राष्ट्रपति ने सभा का विघटन हो जाने से पूर्व विधेयक पर विचार करने के लिये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आह्वान करने के अपने अभिप्राय को अधिमूर्चित कर दिया हो, तो उक्त विधेयक व्यपगत नहीं होता, इस बात के होते हुए भी कि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आह्वान करने का अपना अभिप्राय अधिमूर्चित कर दिया था और सभा का विघटन बीच में हो चुका है, और दोनों सदनों की बैठक में विधेयक पारित हो सकेगा। संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयक पर विघटन के प्रभाव के बारे में संविधान में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है। तथापि, न्यायालय द्वारा पुरुषोत्तमन भन्सूदरी बनाम केरल राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि ऐसा विधेयक जो स्वीकृति के लिए लम्बित है, सभा के विघटन के पश्चात् व्यपगत नहीं होता है। यह भी कि यदि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है, तो उत्तरवर्ती सभा उम पर पुनर्विचार कर सकती है और यदि उत्तरवर्ती सभा द्वारा इसको (संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधन) पारित कर दिया जाता है, "इसको पुनः पारित हुआ माना जायेगा।"¹⁹ लोक सभा में लम्बित वेच सभी मामले तथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन अनुसूचक अनुदान मांग इत्यादि, चाहे कार्यवाही के किसी भी स्तर पर हों, विघटन होने पर व्यपगत हो जाते हैं, सदन में प्रस्तुत याचिकाओं जो याचिका समिति को भेजी गई मानी जाती है के मामले में भी ऐसा ही माना जायेगा। किसी अधिनियम के उप-बन्धों के अधीन दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखे गये सांविधिक नियमों के अनुसोदन या अल्पभेद करने के लिए लोक सभा द्वारा पारित और सहमति के लिए राज्य सभा को भेजा गया कोई प्रस्ताव और प्रतिबन्धन राज्य सभा से प्राप्त ऐसा कोई प्रस्ताव भी लोक सभा का विघटन होने पर व्यपगत हो जाता है।²⁰

लोक सभा की संसदीय समितियों के समस्त लम्बित सभी कार्य लोक सभा का विघटन होने पर व्यपगत हो जाता है। लोक सभा का विघटन होने पर समितियाँ भी भंग हो जाती हैं। तथापि, कोई समिति, जो सभा के विघटन से पूर्व अपना कार्य पूरा करने में अग्रमर्ष रहती है, इस बारे में सदन को सूचित कर सकती है, ऐसे मामले में जब समिति ने कोई प्रारम्भिक ज्ञापन या नोट तैयार किया हो अथवा

इसके द्वारा कोई माध्य लिया गया हो तब नई समिति के नियुक्त हो जाने पर उसे यह उपलब्ध करा दिया जाता है। इसी प्रकार, जब सभा का सत्र नहीं होता है तब किमी समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट उसके सभापति द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है और सभा के अगले सत्र में इसको सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व लोक सभा का विघटन हो जाता है, तो प्रथम सुविधायुक्त अवसर पर महासचिव द्वारा रिपोर्ट नई सभा के सभा पटल पर रखी जाती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय महासचिव इस अवधि में एक वक्तव्य देता है कि पिछली लोक सभा के विघटन से पूर्व यह रिपोर्ट उस सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई थी, जहां अध्यक्ष द्वारा यह आदेश दिया गया हो कि रिपोर्ट को नियम 280 के अधीन मुद्रित प्रथवा परिचालित किया जाये, महासचिव सभा को इस तथ्य से भी अवगत करगता है।²¹

विघटन के मामले

प्रथम लोक सभा, जिसका प्रथम अधिवेशन 13 मई, 1952 को हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा 14 अप्रैल, 1957 को उसकी पाच वर्ष की सामान्य कालावधि से एक मास और नौ दिन पूर्व विघटित कर दी गई थी।

दूसरी लोक सभा, जिसका प्रथम अधिवेशन 10 मई, 1957 को हुआ था, को 31 मार्च, 1962 को उसकी सामान्य कालावधि से 40 दिन पूर्व विघटित कर दिया गया था।

तीसरी लोक सभा का प्रथम अधिवेशन 16 अप्रैल, 1962 को हुआ था और उसको 3 मार्च, 1967 को उसकी सामान्य कालावधि के 44 दिन पूर्व विघटित कर दिया गया था।

चौथी लोक सभा को जिसका प्रथम अधिवेशन 16 मार्च, 1967 को हुआ था। 27 दिसम्बर, 1970 को उसकी पाच वर्ष की पूरी कालावधि में एक वर्ष 79 दिन पूर्व विघटित कर दिया गया था।

संसद् ने 4 फरवरी, 1976 को लोक सभा (कालावधि विस्तार) अधिनियम 1976 पारित किया था जिससे पाचवी लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी जबकि उसकी सामान्य कालावधि 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो जानी थी। इसकी कालावधि को दूसरी बार 18 मार्च, 1978 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया किन्तु उसकी बढ़ी हुई दूसरी कालावधि समाप्त होने से पूर्व उसको 18 जनवरी, 1977 को विघटित कर दिया गया था। यह उस समय किया गया था जब आपातकाल संबंधी घोषणाएँ एक, 3 दिसम्बर, 1971 को (बंगला देश के संकट के दौरान) "बाह्य आक्रमण" के आधार पर और दूसरी 25 जून, 1975 को "घातकिक अशांति" के आधार पर तत्काल लागू थी।

छठी लोक सभा का प्रथम अधिवेशन 25 मार्च, 1977 को आयोजित हुआ और लगभग ढाई वर्ष सत्ता में रहने के पश्चात् कुछ रोचक राजनीतिक घटनाओं के मध्य, राष्ट्रपति ने 22 अगस्त, 1979 को इसका विघटन कर दिया।

चौथी लोक सभा का विघटन 1967 के साधारण निर्वाचनों ने कांग्रेस दल को पूरी तरह में हिला कर रख दिया था और उसे इस बात के लिए पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया था कि असमानताएं कम करने तथा एक ममतावादी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए ममाजवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जून, 1967 में एक दस सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया था जिसमें बैंको का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाप्रो व राजकुमारों के विशेषाधिकारों और प्रिवी पसेज जैसे पेंशन भत्तों का उन्मूलन आदि विभिन्न प्रगतिशील उपायों पर कार्यवाही करने को कहा गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जुलाई, 1969 में बंगलौर में हुए अधिवेशन में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और आर्थिक नीतियों को नया रूप देने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का सुझाव दिया। उन्होंने भूमि सुधारों, एकाधिकारों पर एक प्रतिबन्ध लगाने, बैंको के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पसेज एवं विशेषाधिकारों इत्यादि के उन्मूलन पर जोर दिया। उनके सुझावों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित सकल्प में शामिल किया गया था।

वर्ष 1969 की जेप अवधि में घटनाएं बड़ी तेजी से घटी। उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई में वित्त विभाग लिए जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। चौदह वहे बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार श्री एन० सजीव रेड्डी को पराजित कर श्री वी० वी० गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् पार्टी का विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी के 62 सदस्यों द्वारा दल-बदल करने के परिणामस्वरूप जो शासक कांग्रेस दल बचा रह गया उसे लोक सभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं रहा। वह पट कर एक मात्र बड़ी पार्टी की स्थिति में आ गई। तथापि, श्रीमती इन्दिरा गांधी को लोक सभा में सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहा। उनको भारतीय साम्यवादी दल तथा अन्य विरक्ष के युवों और कुछ स्वतंत्र सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। बंगलौर सकल्प में उल्लिखित आर्थिक नीति के अनुमरण में लोक सभा में 18 मई, 1970 को तीन खण्डों वाला एक सक्षिप्त संविधान (चौथीसवां संशोधन) विधेयक पुरस्ठापित किया गया।

विधेयक में अनुच्छेद 291 और 362 तथा अनुच्छेद 366 के खण्ड (22) को हटाने का उपबन्ध किया गया था जिससे कि भारत में राजाशाही शासन के प्रतिष्ठित चिन्हों को समाप्त किया जा सके। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कक्षा गया था :

राजाशाही को अवधारणा, जिसके साथ किन्हीं वर्तमान कृत्यों और सामाजिक उद्देश्यों से भगम्बद्ध पेंशन भत्ते और विनिष्ट विशेषाधिकार जुड़े हैं, समता-

वादी सामाजिक व्यवस्था के भाष्य में लगी जाती। अतः सरकार ने श्रुतपूर्व भारतीय रिपब्लिकी के पेंशन भत्ते और विशेषाधिकार समाप्त करने का निर्णय लिया है।²¹

लोक सभा में विधेयक पर केवल 1 सितम्बर, 1970 को विचार प्रारम्भ हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया। शासक दल के सभी सदस्यों को तीन पक्तियों का 'विद्युत' जारी किया गया जिसमें उन्हें प्रतिवार्य रूप में मदन में उल्लिखित रहने और मतदान करने को कहा गया था तथा किसी प्रकार ने "आत्मा की प्राणाय पर मतदान करने" को पूर्ण मनाही की गई थी।

लोक सभा में 1 और 2 सितम्बर, 1970 को दो दिन विधेयक पर चर्चा हुई। दूसरे दिन शासक पक्ष और विपक्ष के एक बड़े भाग के समर्थन के बीच अध्यक्ष डा० जी० एम० टिन्को ने घोषणा की कि श्रीमती गांधी द्वारा पेश किये गये सरकारी सुसंगठन द्वारा सशोधित रूप में विधेयक 154 मतों की तुलना में 339 मतों अर्थात् वाञ्छित दो तिहाई बहुमत में 9 मत अधिक से पारित हुआ।

लक्ष्मणच भरी सभा में जिसमें आज तक के इतिहास में सदस्यों की सबसे अधिक उपस्थिति (985 प्रतिशत) थी, विधेयक पर बोलते हुए प्रधान मंत्री ने सदस्यों से अपील की कि समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्रयत्न कर रहे एक गतिशील समाज की आवश्यकता के गर्भ में वे ऐतिहासिक सूक्ष्म प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि राजकुमारों के पेंशन भत्ते और विशेषाधिकार लोकतन्त्रात्मक मविधान, समय की मांग और परिवर्तन की इच्छा के साथ मेल नहीं खाते।²²

लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक विचारार्थ राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और उस पर 4 और 5 सितम्बर, 1970 को चर्चा हुई। जिन शब्दों में लोक सभा में प्रणीत की थी लगभग उन्ही शब्दों में प्रधान मंत्री ने विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने की राज्य सभा में अपील की और घोषणा की कि इतिहास के प्रवाह को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता और परिवर्तन अवश्यम्भावी है। जब विधेयक पर मतदान हुआ तो उसे पक्ष में 139 मत प्राप्त हुए तथा 75 सदस्यों ने उसका विरोध किया। तथापि, छठे वाञ्छित दो तिहाई मतों का बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और उसमें एक मत के एक तिहाई अंश की कमी रह गई। इस प्रकार विधेयक के पारित होने में अवरोध हो गया।²³

राज्य सभा में मविधान (बीबीएन) सशोधन विधेयक, 1970 अस्वीकार किये जाने के पश्चात् प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रपति को यह परामर्श देने का निर्णय लिया कि वह मविधान के अनुच्छेद 366 (22) के अधीन, जिसमें राजा से अभिप्राय, ऐसे किसी व्यक्ति से था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उस समय राष्ट्रपति ने ऐसी

मान्यता दी हुई हो एक प्रादेश जारी करके सभी 278 राजाघो की ऐसी मान्यता समाप्त कर दें। भ्रगली प्रात में पूर्व श्री वी० वी० गिरी ने, जो उस समय दक्षिण में हैदराबाद में निवास कर रहे थे, ऐसे राष्ट्रपतीय प्रादेश पर हस्ताक्षर कर दिये। मान्यता वापस लेने का अवश्यम्भावी परिणाम था प्रिवी पसेज और विशेषाधिकारों का स्वतः ही उन्मूलन। मान्यता वापस लेने के आदेश जारी किए जाने के चार दिनों के भीतर घूतपूर्व राजाघो में से पांच राजाघो ने राष्ट्रपतीय प्रादेश को चुनौती देते हुए और उसके कार्यान्वयन पर एकतर्फी रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसम्बर, 1970 को अपना निर्णय दिया और 2 की तुलना में 9 के बहुमत में मान्यता वापस लेने के राष्ट्रपति के प्रादेश को धर्मविधानिक, भ्रवध और भ्रप्रवर्तनीय करार दिया और इस प्राधार पर उसका कार्यान्वयन रोक दिया।”

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिनिधा स्वरूप और उद्वेलित एवं क्रोधित संसद् सदस्यों की पृच्छनाछ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोक सभा और राज्य सभा को क्रमशः 15 और 16 दिसम्बर, 1970 को बताया कि सरकार को, प्रगति की और हमारे कृच और हमारे लोगों को बेहतर जीवन-यापन प्रदान करने के हमारे प्रयामो में, प्रत्येक पग पर भ्रडचनें मिलने की प्राणा थी। न्यायालय का निर्णय सरकार की “हार” नहीं और न ही सरकार के रास्ते में यह कोई “भ्रडचनें” पंदा करेगा क्योंकि सरकार “उचित सविधानिक उपायो द्वारा प्रिवी पसेज उन्मूलन की अपनी नीति के प्रति वचनबद्ध है।”

27 दिसम्बर, 1970 को सविधान के धनुच्छेद 85 के खड (2) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने लोक सभा का विघटन कर दिया। घटनाक्रम, घन्त में जिमका फल राष्ट्रपतीय प्रादेश जारी करना हुआ जैसाकि राष्ट्रपति भवन से जारी सरकारी विज्ञप्ति में दर्शाया गया है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक पठन करने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 24 दिसम्बर, 1970 को प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के साथ प्रथम भेंट, जब उन्होंने लोक सभा के विघटन के संबंध में प्रस्ताव रखा था, की तारीख और 27 दिसम्बर, 1970 को हुई दूसरी भेंट, जब उन्होंने इस सवध में मंत्रिमण्डल के निर्णय से अवगत कराया था, की तारीख के बीच चार दिन का घन्तराल था। इससे पता चलता है कि—

- (1) विघटन, मंत्रिमण्डल की मंत्रणा पर स्वीकार किया गया था और न कि केवल प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर, और
- (11) राष्ट्रपति ने मामले के सभी पहलुओं, जिनमें विपक्ष के नेताओं, जो हम दौरान उनसे मिले थे, के दृष्टिकोण भी शामिल हैं, पर “ध्यानपूर्वक विचार करने” के पश्चात् ही मंत्रणा स्वीकार की थी।

इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति ने यद्यपि वह मन्त्रिपरिषद् की "महायत्ता और मन्त्रणा" मानने के लिए वचनबद्ध हैं, सविधानिक महत्त्व के ऐसे पङ्क्तुओं पर "प्रधानपूर्वक विचार" किया।

लोक सभा के विघटन के घंटे में 27 दिसम्बर, 1970 को राष्ट्रपतीय आदेश जारी करने के तत्काल पश्चात् प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में सामाजिक-धार्मिक परिवर्तनों सबधी अपने समाजवादी कार्यक्रमों और नीतियों तथा बैंको का राष्ट्रीयकरण, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रथा पर नियंत्रण आदि को कार्यान्वित करने में उनकी सरकार के आड़े आ रही कठिनाई का उल्लेख किया और बताया कि किंग प्रहार राज्य सभा में एक मत के अपूर्णतक से भूतपूर्व राजाओं के पेशन भत्ते और विशेषाधिकारों का उन्मूलन करने सबधी सविधानिक सुशोधन गिर गया और किंग प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा भूतपूर्व राजाओं की मान्यता समाप्त करने सबधी राष्ट्रपतीय आदेश को रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यद्यपि सरकार को ससद् में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, परन्तु उनकी सरकार ने जनता से नया जनआदेश प्राप्त करने का निर्णय किया है जिससे कि "समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों और नीतियों का कारगर ढंग से लागू किया जा सके।" उन्होंने लोक सभा के समय पूर्व विघटन को "भारत में एक अनूतपूर्व पग कहा, यद्यपि यह कोई असामान्य सप्तदीय प्रथा नहीं है।"

लोक सभा में विघटन के समय पार्टीवार स्थिति इस प्रकार थी

कांग्रेस-221, भारतीय समाजवादी दल (साम्प्रदायी)-19, भा.सा. द०-24, द्र०मु०क०-24, जनसघ-33, कांग्रेस (ओ)-63, स्वतंत्र 35, एस० एस०पी०-17, पी० एस० पी०-15, यू० आई० पी०जी०-25, बी० के० पी०-10, निर्दलीय-24, रिक्त स्थान-3

यह चौहराना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को लोक सभा का विघटन करने की मन्त्रणा देने समय श्रीमती गांधी को लोक सभा के सदस्यों के बहुमत का निविवाद समर्थन प्राप्त था। यद्यपि छत्ताहठ कांग्रेस दल को सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, यह अभी एक मात्र बड़ा दल था और इसका सरकार को धनैक विपक्ष के समूहों और निर्दलीय सदस्यों का बिना शर्त समर्थन प्राप्त था। इस पर भी प्रधानमंत्री ने विघटन को प्राथमिकता दी क्योंकि जैसाकि उन्होंने 27 दिसम्बर, 1970 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा था —

'राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जबकि तात्कालिक सरकार को कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें कि राष्ट्र के सम्मुख पेश आई गम्भीर समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। अब वह समय आ गया है' यह इसलिए नहीं कि हम केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बल्कि उस सत्ता का उपयोग अपनी

जनता के एक विशाल बहुमत के लिए जीवनयापन के बेहतर साधन सुनिश्चित करने और एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सबधी उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं । नमय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा । करोड़ो ही लोग, जो धन्न, आवास और रोजगार की मांग कर रहे है, कार्यवाही करने की जोरदार मांग कर रहे हैं । लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है । इसीलिए हमने अपनी जनता के पाम जाने और उनसे नया जनादेश प्राप्त करने का निर्णय किया है ।²⁶

मार्च, 1971 में आयोजित लोक सभा के नये आम निर्वाचनों से प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के कार्यक्रमों और नीतियों को जीत हुई । उनके शासक कांग्रेस दल ने न केवल अपने आप में निरपेक्ष बहुमत प्राप्त किया बल्कि उसे स्पष्ट रूप में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ ।

छठी लोक सभा का विघटन . निर्वाचनों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के कांग्रेस दल की पराजय के पश्चात् जनता पार्टी, जो कांग्रेस का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पार्टियों को मिला कर बनी थी, ने सरकार का गठन किया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने । जनता पार्टी में तत्काल ही विश्वास के चिन्ह दिखाई देने लग पड़े, और नीति सबधी महत्वपूर्ण मामलों में मंत्रिपरिषद् का सामूहिक दायित्व लागू करना कठिन हो गया । श्री राजनारायण, जो एक मंत्री थे, ने सरकार पर सर्वप्रथम खुला आक्रमण किया, जिन्होंने 7 सदस्यों के नाथ पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी जनता (एस) का गठन किया । तत्पश्चात् कुछ और सदस्य दल बदल कर जनता (एस) में शामिल हो गये । बाद में श्री चरणसिंह भी दल बदल कर बनी पार्टी में शामिल हो गये और उनके नेता निर्वाचित हुए । कांग्रेस, जो अधिकृत विपक्षी दल बना, के नेता श्री वाई० दी० चव्हाण ने सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव रखा । श्री मोरारजी देसाई ने 16 जुलाई, 1979 को जनता सरकार का त्यागपत्र प्रस्तुत किया । राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, उनको तब तक के लिए सरकार में बने रहने को कहा ।

राष्ट्रपति ने श्री चव्हाण को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया । उनके द्वारा अपने असमर्थता व्यक्त किये जाने पर राष्ट्रपति ने सर्वश्री मोरारजी देसाई और चरण सिंह को अपने समर्थकों की धलंग-धलंग सूचिया प्रस्तुत करने को कहा । दोनों सूचियां विधिवत् प्रस्तुत की गईं । बाद में, श्री देसाई की सूची में सम्मिलित कुछ सदस्यों ने कहा कि वे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं । श्री देसाई ने जनता पार्टी के नेतृत्व से त्याग-पत्र दे दिया और श्री जगजीवन राम को इसका नेता चुन लिया गया ।

राष्ट्रपति ने श्री चरण सिंह को सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित

किया क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में सदस्यों की संख्या अधिक थी, यद्यपि उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। उनको अधिक में अधिक 20 घण्टों, 1979 तक सभा में अपना बहुमत मिट्ट कराने को कहा गया। तथापि, श्री चरणसिंह ने जिस दिन प्रातः सभा की बैठक होनी थी और उनको सभा का विश्वास प्राप्त करना था, सदन के समक्ष एक दिन के लिए भी घाए बिना प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया।

त्यागपत्र देने समय श्री चरण सिंह ने राष्ट्रपति को लोक सभा का विघटन करने और नए निर्वाचनों का प्रादेश जारी करने की मंजूरी दी। श्री जगजीवन राम ने सरकार का गठन करने को प्रामाणित करने का अपना दावा पेश किया। तथापि, राष्ट्रपति इसमें सहमत नहीं हुए बल्कि उन्होंने लोक सभा का विघटन करने की श्री चरणसिंह की मंजूरी स्वीकार कर ली और श्री चरणसिंह को, जब तक निर्वाचनों के पर्यन्त नयी मंत्रिपरिषद् गठित नहीं हो जाती, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने रहने का कहा। लोक सभा के विघटन के लिए उत्तरदायी उक्त घटनाओं के दौरान जा भरपूर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ वह था "क्या राष्ट्रपति लोक सभा के विघटन की प्रधानमंत्री श्री चरणसिंह की मंजूरी को प्रस्वीकार कर सकता था।" इस पर भिन्न-भिन्न मत थे। एक पक्ष यह था कि राष्ट्रपति श्री चरण सिंह की मंजूरी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थे, विशेष रूप से ऐस समय जबकि उनकी नियुक्ति सशर्त की गई थी और उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं था। वास्तव में इन सभी गलाघो का समाधान करने के लिए पहले ही संविधान में बयामीमत्रा संशोधन जोड़ा जा चुका था जिसके द्वारा अनुच्छेद 74(1) में शब्द "करना" जोड़ा गया था जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद् की मंजूरी स्वीकार करना अनिवार्य बना दिया गया था तथापि, संविधानिक मामलों में कभी भी कोई बात पर्यर की सही नहीं होती है।

नवी लोक सभा के लिए चुनावों के नतीज का जाने के बाद उसके विधेवत् गठन के लिये आवश्यक अधिसूचना जारी करने का प्रश्न मया। अधिसूचना निर्वाचन प्रादेश का जारी करनी थी किन्तु घाठवी लोक सभा का सभी राष्ट्रपति ने विघटन नहीं किया था और उसकी सावधानिक कार्यविधि में सभी समय रोद था। ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों में यह मत व्यक्त किया गया कि घाठवी लोक सभा का विघटन हुए बिना ही नवी लोक सभा का गठन किया जा सकता है। यह मत निरान्त भ्रामक और असंगत था, क्योंकि

- (1) संविधान में एक ही लोक सभा मुद्रत का प्रावधान है अतः एक ही समय दो लोक सभा सदन नहीं रह सकते।
- (2) नये सदन का गठन होते ही उसके सदस्य बैठन, कुछ मते और कुछ अन्य सुविधाओं के अधिकारी हो जाते हैं तथा जब तक पुरानी सदन

का विघटन न हो तब तक उसके सदस्य भी इन सब के अधिकारी रहते हैं किन्तु यह सब एक-समय में एक ही लोक सभा के सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

- (3) सविधान लागू होने से मात्र तक सदैव नयी लोक सभा का गठन होने से पहले पुरानी लोक सभा का विघटन किया गया है।
- (4) सदन का गठन होते ही राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उसका विघटन कर सके। अगर पहली लोक सभा का विघटन किये बगैर नई लोक सभा का गठन हुआ जाये तो राष्ट्रपति के सामने दो विधिवत् गठित सदन होंगे जिन दोनों का या जिनमें से एक का विघटन किया जा सकता है। सविधान-निर्माताओं ने ऐसी परिकल्पना कभी नहीं की हो सकती।

यदि भ्राटवी लोक सभा का विघटन किये बिना नवी लोक सभा का गठन कर दिया जाता तो सविधानिक दृष्टि से बड़ी विषम स्थिति पैदा हो जाती और बहुत-सी कठिनाईयाँ पैदा हो सकती थी। अतः यह उचित ही हुआ कि अन्ततः 27 नवम्बर, 1989 को राष्ट्रपति ने भ्राटवी लोक सभा का विघटन कर दिया और 2 दिसम्बर, 1989 को नवी लोक सभा के गठन की अधिमूचना जारी की गई।

संदर्भ

1. देखिये बी. एस. मार्केसिनिस - द थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ़ हिमोस्यूशन ऑफ़ पार्लियामेंट, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972, अध्याय—।
2. सविधान (बमालीसवा सशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा लोक सभा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी। परन्तु 1978 में चौवालीसवें सशोधन द्वारा इसे पुनः पांच वर्ष कर दिया गया।
3. इस प्रकार की वृद्धि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक बार लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के लिए बढ़ाने हेतु बार-बार विधि पारित करना सम्भव होगा ताकि प्रापातकाल की सम्पूर्ण अवधि के लिए लोक सभा का अधिवेशन चालू रखा जा सके और राष्ट्रीय अस्तित्व के कार्यों में राष्ट्र का ध्यान न हटाना पड़े। परन्तु जैसे ही प्रापातकाल समाप्त हों, सभा के नये निर्वाचन आयोजित किए जाने चाहिए और तत्पश्चात् लोक सभा की कालावधि छ मास से अधिक काल के लिए

बढ़ाई नहीं जा सकेगी ।

इस मत पर विस्तारपूर्वक चर्चा के लिए दोस्त ए बी जी वर्गोज द्वारा "डिप्लोमेशन ऑफ लोक सभा—थ्यूज एण्ड नोट्स", जनरल ऑफ कास्टी-ट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटो स्टडीज, वास्सूम 5 न० 3 ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 14 ।

एन ए. अब्राहम एण्ड एमि सी हावटने पार्लियामेंटो इवणनरी, सन्दन, 1956 पृ 82

ए.आई.धार. 1965—केरल 229

धनुष्येद 78(ग) भी देखे जिगम लिया है - "वह प्रधानमंत्री का किमी विषय को, जिग पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मन्त्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिए रखने का कर्तव्य होगा ।"

27 दिसम्बर, 1970 को जारी विज्ञप्ति का पाठ इस प्रकार है

"24 दिसम्बर को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले थे और उनके सम्मुख लोक सभा विघाटित करने का प्रस्ताव रखा था । उन्होंने कहा कि उक्त सिफारिश करने का एक मात्र उद्देश्य लोगों से नवीन जनोद्देश प्राप्त करने की सरकार की दृष्टि है ताकि वह अपने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों और नीतियों को कारगर ढंग से लागू कर सके । तदुपरान्त, कुछ विपक्षी नेता भी उसी दिन राष्ट्रपति से मिले थे ।

इस साथ प्रधानमंत्री दोबारा राष्ट्रपति से मिली थी और उन्हें लोक सभा विघाटित करने के मन्त्रिपरिषद् के अनुरोध से अवगत कराया । मामले को बारीकी से जांच करने के पश्चात् राष्ट्रपति ने सिफारिश स्वीकार कर ली है ।

प्रधान मंत्री के आकाशवाणी से 18-1-1972 को राष्ट्र के नाम प्रसारित भाषण से सगत उद्धरण नीचे दिये गये हैं .—

"प्रत्येक व्यक्ति यह देख सकता है कि पिछले एक सप्ते काल की अपेक्षा आज राष्ट्र अधिक स्वस्थ, कुशल और गतिशील बन गया है । हमारे सामने इस यह सवाल है कि जिन राजनीतिक प्रक्रियाओं पर मजबूर होकर हमें प्रतिबन्ध लगाने पड़े थे उनको पुन स्थायित्व किस प्रकार प्रदान किया जाय ... ।

"हमारी शासन प्रणाली इस विश्वास पर टिकी है कि सरकार अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करती है, और लोग हर बार कुछ वर्षों के बाद, स्वतन्त्रतापूर्वक और बिना किसी तकावट के अपने द्वारा वांछित सरकार

निर्वाचित करके और नीतियों के प्रति अपनी परामर्श व्यक्त करके, अपनी सार्वभौमिक इच्छा को अभिव्यक्त रूप देते हैं।”

“किन्तु हमारा यह भी पक्का विश्वास है कि सगद् और सरकार को वापस जनता के पास जाना चाहिए और उनसे राष्ट्र की शक्ति और कल्याण के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में स्विकृति प्राप्त करना चाहिए।”

“जनता की शक्ति में इस प्रकार के अटूट विश्वास के कारण ही मैंने राष्ट्रपति को वर्तमान लोक सभा का विघटन करने और निर्वाचन आयोजित करने का परामर्श दिया है। उन्होंने इस स्वाकार कर लिया है....”

11. 22 अगस्त, 1979 का जारी की गई विज्ञापित का पाठ इस प्रकार है --

“राष्ट्रपति ने 22 अगस्त, 1979 का प्रधान मंत्री श्री चरणसिंह और उनके मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र स्वीकार करन हुए उन्हें तब तक पद पर बने रहने को कहा है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था नहीं हा जाती। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सांघानिक और विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया।”

“मंत्रिपरिषद् ने 20 अगस्त, 1979 का आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मत यह परामर्श देने का निर्णय किया। एक जनता म नए जनादेश प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध किए जाए। जनता दल का छाटकर लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात के लिए महमत थे कि निर्वाचकों से नवीन जनादेश प्राप्त किया जाये। राष्ट्रपति ने, स्थिति के सभी सगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, लोक सभा को विघटित करने का निर्णय किया। संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन लोक सभा विघटित करने के बारे में एक राष्ट्रपतीय आदेश जारी कर दिया गया है।”

“राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिपरिषद् के कुछ सहयोगियों से परामर्श किया था, जिन्होंने आश्वासन दिया कि :—

- (1) निर्वाचन शक्तिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। निर्वाचक नामावतियों का पुनरीक्षण तत्काल शुरू हो जाएगा और अक्टूबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन समय सारणी नवम्बर में शुरू होगी और दिसम्बर, 1979 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए म्यानों का आरक्षण और लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के बारे में संविधानिक उपबन्ध लागू रहे।
- (2) हम अवधि के दौरान सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिससे नई नीति का निर्धारण हो अथवा पर्याप्त मात्रा में नया धन्य हो या व्यापक

प्रशासनिक कार्यकारी निर्णय हो। तथापि, तात्कालिक महत्त्व का कार्य, जिसमें राष्ट्रीय हित मलम्ब हो, रोका नहीं जाएगा।”

12. क्या सभा को विघटित करने के बारे में मंत्रिपरिषद् द्वारा राष्ट्रपति को दी गई मंत्रणा राष्ट्रपति पर बंधनकारी है, इस प्रश्न पर शमशेर सिंह के मामले में चर्चा की गई थी। न्यायालय ने स्पष्टान्त स्वल्प एक अपवादिक स्थिति का उल्लेख किया जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। क्या क्यालोमर्वें मणोघन द्वारा पुर.स्थापित आजापक पाठ के समक्ष यह अपवाद उद्हर सकता है, इस प्रश्न का समाधान निर्वाचन क विद्वान्तों को लागू करके निकालना होगा। मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा क प्रश्न पर इसका लागू करने पर यह प्रतीत होगा कि जहाँ इस प्रकार की मंत्रणा उपलब्ध नहीं होती है अथवा जहाँ कृत्य अन्त-निहित रूप से इस प्रकार का हो कि उसे विद्यमान मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा से सम्पन्न न किया जा सकता हो जहाँ राष्ट्रपति के लिए मंत्रि परिषद् की मंत्रणा के अनुसार कार्य करना अनिवार्य नहो हो सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए देखिए शमशेर सिंह बनाम राजब राग्य, 1974 उ० न्या० 2192, पंरे 66—32

श्री जैलसिंह के राष्ट्रपतित्व काल के अन्तिम समय के दौरान, विशेष रूप से टाक-विद्येधक, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान नहीं की थी और स्वीकृति प्रदान करने के बारे में दी गई मंत्रणा को कथित रूप में पुनर्विचार के लिए लोटा दिया गया था, यह प्रतिवाद कुछ अधिक मुखर हा गया था।

13. सविधान सभा वाद-विवाद, सण्ड 7, पृ० 1158 और सण्ड 8, पृ० 107.
14. देविसे एम पी जैन “प्रोप्राइटी आफ डिमोक्रूशन आफ लोक सभा” जर्नल आफ कान्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, सण्ड 5 ग 3
15. एम. एन. कोल एण्ड एस एन शकधर, प्रिन्टिंग एण्ड प्रोसिजर ऑफ पार्लियामेंट, मैट्रोपालिटन, दिल्ली, तीसरा संस्करण, 1978 पृ 158
16. वही, पृ. 159, एम एन कोल, इर्फेन्ड आफ डिमोक्रूशन अपाव पेडिंग विजनिम इन पार्लियामेंट, जर्नल ऑफ पार्लियामेन्ट्री इन्फारमेशन, सण्ड-चार, ग 1, पृ 19
17. मार्केसिनिम, पूर्वोल्लिखित, पृ 17-18
18. सविधान का अनुच्छेद 108 (5)
19. ए. आई आर. 1962, उक्वनम न्या 694
20. कोल और शकधर, पूर्वोल्लिखित, पृ 160
21. वही, पृ. 160-161 और कोल, जे. पी आई (सण्ड 4, स. 1), पूर्वोल्लिखित।

22. उदाहरण के लिए देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-1, 27 दिसम्बर, 1970.
23. "टाइम्स ऑफ इण्डिया", 19 मई, 1970 और देखिए "द हिन्दु", 19 मई, 1970.
24. लोक सभा वाद-विवाद, 1-2 सितम्बर, 1970
25. सरकार को न्यूनतम 149 $\frac{1}{2}$ मतों (240 सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले 224 सदस्यों के दो-तिहाई) की आवश्यकता थी। देखिए सुभाष काश्यप, "द इण्डियन प्रिंजिपल्स एण्ड द कांस्टिट्यूशन, द टेबल (लदन) खण्ड 40, 1971 (1972)
26. द ईग्रस ऑफ एडीवर, मिलेविटड स्पीचेंज ऑफ इ दिरा माघी, अगस्त, 1966 से अगस्त, 1972, नई दिल्ली, पृ 75-76

□□□

दल सचैतक, संसदीय विशेषाधिकार और दल - परिवर्तन विरोधी कानून

हमारे संसदीय इतिहास में पहली बार, आठवीं लोक सभा के नवें सत्र के शुरुआत के मुख्य सचैतक (Chief Whip) की कार्यवाही को लेकर सदन के सभा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया। इसमें बहुत गरमा-गरमी और विवाद पैदा हुआ तथा सचिधानिक, वैधानिक और संसदीय प्रक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गए।

मामले के तथ्य 17 नवम्बर, 1987 का प्रश्न काल के बाद सभ के एक सदस्य (श्री दिनेश गोस्वामी) ने सभ के दोषाधिकार में आने वाले स्थानों में नागर-लैंड के चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में एक प्रश्न उठाना चाहा, इस पर बहुत शोरगुल हुआ, अनेक बार व्यवधान डाला गया और कई सदस्य तो सभ में ही विवाद करने लगे। एक ही माय अनेक सदस्य बोल रहे थे और सभी अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोल रहे थे। ऐसे में जो कुछ कहा गया, उसमें से अधिकांश गुनाई नहीं दिया गया; और अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही अंत में सम्मिलित नहीं किया गया। निरन्तर व्यवधान डाल जाने के कारण और सभी ओर से हो रहे शोरगुल के बीच अध्यक्ष के लिए व्यवस्था कायम करना कठिन हो गया। उन्होंने टिप्पणी की कि सदन में जो हा रहा है, वह बहुत शर्मनाक और खेदजनक है और इस प्रकार के "अवकाश और हुडदंग" के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय द्वारा भर्त्सना किए जाने के बाद और श्री गोस्वामी द्वारा उठाये गए मुख्य मुद्दे से सम्बन्धित मामलों को स्पष्ट करने के लिए गृह मंत्री के सहमत हो जाने पर सदन में तनाव और शोरगुल घटने लगा और ऐसा लगा कि सदन में फिर से सामान्य और व्यवस्थित रूप से कार्य होने लगा, किन्तु सभी दो सदस्यों, श्री रामधन और प्रोफेसर के. के. तिवारी के बीच तीव्र झड़प हो गई। अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं गुनाई दिया कि प्रोफेसर तिवारी और श्री रामधन ने एक-दूसरे से क्या कहा किन्तु प्रोफेसर तिवारी को उठकर श्री रामधन को डराले-

घमकाने हुए, उनकी ओर बढ़ते देखा। अध्यक्ष ने देखा कि वे दोनों एक-दूसरे की ओर बढ़े और उन्होंने एक-दूसरे को मुक्के दिखाये। इन परिस्थितियों में, अन्ततः अध्यक्ष ने मभा को 14 बजे पुनः ममवेत होने के लिए स्वगित कर दिया।

दोपहर बाद जब मभा पुनः ममवेत हुई तो अध्यक्ष ने दोनों सदस्यों (श्री रामधन और प्रोफेसर के के तिवारी) को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने को कहा। दोनों सदस्यों ने कहा कि उनकी एक-दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। श्री रामधन ने कहा कि उन्होंने तो केवल अपने प्रति अनुचित व्यवहार किये जाने पर आपत्ति की थी। प्रोफेसर के के तिवारी ने यह स्पष्टीकरण दिया कि मदन में अपने सभी माधियों के प्रति उनका व्यवहार सम्मानजनक और मित्रतापूर्ण रहा है और उनकी भावना श्री रामधन को किसी भी प्रकार में घमकी देने की नहीं थी। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया कि इस मामले को यहीं समाप्त समझा जाए। अध्यक्ष के इस विनिर्णय के बाद भी सर्वश्री रामधन और राजकुमार राय दोनों सनारूढ कांग्रेस (भाई) दल के निलम्बित सदस्य-महित अनेक सदस्य इस बात पर अड़े हुए थे कि अध्यक्षपीठ को प्रोफेसर तिवारी का उनके आपत्तिजनक व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करने और क्षमायाचना करने के लिए कहना चाहिए। ऐसा लगता था कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक वे सभा की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। अध्यक्ष ने सदस्यों में व्यवस्था कायम रखने का अनुरोध किया और उनमें अपनी सीटों पर बैठ जाने का अनुरोध किया ताकि सभा की कार्यवाही सुचारू रूप में चल सके। फिर भी अनेक सदस्य खड़े ही रहे और उन्होंने अध्यक्ष से उनके विनिर्णय पर बहस करनी चाही। इस स्थिति में, कांग्रेस (भाई) दल के मुख्य सचिव (श्री एच. के. एल. भगत) ने सभा में उन दोनों सदस्यों को लिखित "विह्व" जारी किए। स्पष्टतः ऐसा उशी क्षण किया गया था। "विह्व" हाथ से निम्ने गए थे और उसमें सदस्यों से कहा गया था कि वे "और आगे कुछ न कहें" तथा अध्यक्ष के विनिर्णय का पालन करें। भारत अथवा ब्रिटेन के विधानमण्डलों में कहीं भी इस प्रकार का विह्व जारी किए जाने का पूर्वदृष्टांत नहीं था। विह्व का पाठ इस प्रकार था :

श्री रामधन,

आप अब भी कांग्रेस पार्टी में हैं। मैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचिव के रूप में आपसे और आगे कुछ न कहने तथा अध्यक्ष के विनिर्णय का पालन करने के लिए कहता हूँ। यह विह्व है जिसका पालन अनिवार्य है।

एच. के. एल. भगत

17-11-87

श्री रामधन,

"ममद सदस्य"

त्रिय श्री राजकुमार राय,

भाष्य भी कांग्रेस पार्टी में है। अध्यक्ष ने निर्णय दिया है। हम सब को अवश्य ही इसका पालन करना चाहिए और हम उनके निर्णय से विरुद्ध और धागे न बोलें। मैं मुख्य सचेतक के रूप में आपको यह बता रहा हूँ। यह विधि है जिसका पालन अनिवार्य है।

पृष्ठ के एल भगत

7-11-57

श्री राजकुमार राय

"संसद सदस्य"

विधि जारी करने के पश्चात् श्री भगत ने सभा में निम्नलिखित टिप्पणी की

"महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वह अध्यक्षीय के निर्णय का पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में उन्हें और श्री राय, दोनों को एक विधि जारी कर दिया कि वे कांग्रेस पार्टी के विधि का पालन करें और अध्यक्षीय के निर्णय को नुकीली न दें। यदि वे विधि की प्रकृति करना चाहते हैं, तो वे जानबूझकर ऐसा करें। मैंने विधि जारी कर दिया है और मैं उन दोनों को विधि जारी करने के लिए प्रार्थित हूँ।"

राज्य में 17 से 20 नवम्बर, 1957 के दौरान अनेक सदस्यों (सर्वश्री रामधन, के. पी. उन्नीकुण्णन, जयपाल रेड्डी, मधु टण्डनले और विद्यानरयण शुक्ल) ने सदन के दो सदस्यों—सर्वश्री रामधन और राजकुमार राय—को डराने-धमकाने और सभा में विधि जारी करके सदन में उनके वाक्स्वतन्त्र्य को प्रतिबन्धित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. ने. एल. भगत) के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के अलग-प्रलग नोटिस दिए।

प्रत्यक्ष मुद्दे

सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर दिये गए नोटिसों से जो प्रश्न उत्पन्न हुए, उनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं

- (एक) क्या संसदीय कार्य मंत्री को, कांग्रेस (घाई) पार्टी का मुख्य सचेतक होने के नाते, अपनी पार्टी के दो सदस्यों को सभा में विधि जारी करने का अधिकार है,
- (दो) क्या मंत्री को उपर्युक्त तरीके से विधि जारी करके जानबूझकर दोनों सदस्यों को सभा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन से रोकें तथा उन्हें डराने-धमकाने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है,
- (तीन) क्या मंत्री ने किसी प्रकार अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है,
- (चार) क्या सभा में लिखित प्रश्नवाचक विधि जारी करना सदन की अवमानना है; और
- (पाच) ऐसे में जब कि सभा के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं था, क्या इन दोनों

सदस्यों को अध्यक्ष के विनिर्णय का पालन करने का निर्देश देने के लिए विह्वल जारी किया जा सकता है ?

“विह्वल”—अर्थ और कार्य

शब्दकोष में “विह्वल” का शाब्दिक अर्थ है मूठ अथवा कुन्देयुक्त कोड़ा, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को अपराध का दण्ड देने अथवा अश्वचालित बग्घी को चलाने में घोड़े को तीव्र गति से दौड़ाने हेतु उसे पीटने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार “दू विह्वल” का अर्थ है किसी व्यक्ति या पशु को कोड़ा मारना। ऐसा माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति आंग्ल की शब्दावली में हुई है जिसमें शिकारी का वह कर्मचारी, जो शिकारी कुत्ते (हाउण्डस) को समालने और उन्हें उनके स्थान में रखने के लिये जिम्मेदार होता था “विह्वलर इन” कहलाता था।

राजनीतिक दलों और संसदीय जीवन के सन्दर्भ में “विह्वल” दलों और उनके सदस्यों के बीच संघर्ष के मामले में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। “विह्वल” दल के नेताओं और सदस्यों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए दोतरफा माध्यम रूप से कार्य करता है। “विह्वल” संसदीय दल अथवा ग्रुप का वह अधिकारी होता है जो उससे सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने, विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में दल की नीति से उन्हें अवगत कराने और सभा में उठने वाले विशिष्ट मुद्दों के सम्बन्ध में मतदान करने के मामले में दल के अनुशासन का पालन कराने हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश अथवा विह्वल जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी ओर, विह्वल विभिन्न मुद्दों के संघर्ष में सदस्यों की राय के बारे में जानकारी भी जुटाता है और दल के नेताओं को महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अठारहवीं शताब्दी में सर एडमंड बर्क द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस शब्द का संसदीय सन्दर्भ में प्रयोग किया गया था। सन् 1769 में ऐसा हुआ कि एडमण्ड बर्क ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मत विभाजन के मामले में मतदाताओं को एकत्रित करने के लिए किये गये प्रबल प्रयागों का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार सम्राट के मन्त्रियों ने अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए प्रबल प्रयास किए, किस प्रकार उन्होंने सभी दिशाओं से अपने सदस्यों को “विह्वल” करके मदन में बुला भेजा। बर्क द्वारा प्रयुक्त यह शब्द जनता को अच्छा लगा और शीघ्र ही यह संसदीय प्रयोग में ग्राम हो गया।

वस्तुतः ब्रिटेन में पार्टी की नीतियों के अनुसार मतदान करने की प्रणाली के विकास के साथ-साथ विह्वल की संकल्पना का भी क्रमिक रूप से विकास हुआ है। उदाहरण के लिए वर्ष 1836 में केवल 23 प्रतिशत मामलों में दलगत आधार पर सभा में मत विभाजन के रूप में मतदान हुआ, अर्थात् 100 में से 77 मामलों में सदस्यों द्वारा दल के विरुद्ध मतदान किया गया। 1898 तक दल की नीति के

अनुसार किए गए मतदान की प्रतिशतता बढ़कर 69 हो गई। वर्ष 1924—28 के दौरान यह बढ़कर 95 प्रतिशत हो गई और 1948 में यह बढ़ने-बढ़ते 98 प्रतिशत तक जा पहुँची।¹

विधुप वेस्टमिन्स्टर की प्रतिरूप मसदों तक ही सीमित नहीं है। यह सयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में भी जहाँ हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रत्येक दल की विधुप के रूप में जाने जाने वाले एक सदस्य की सेवाएँ प्राप्त होती हैं। वेस्टमिन्स्टर के समान ही अमरीकी कांग्रेस में विधुप आवश्यक दोनरफा सम्प्रयोग का कार्य करते हैं, एक ओर तो वे दल के नेताओं को सदस्यों के विचारों में अग्रगत कराने हैं और दूसरी ओर सदस्यों को नेता के विचारों की जानकारी देने हैं।

भारतीय मसदीय प्रणाली के मन्दम में किसी मसदीय दल का विधुप वह व्यक्ति होता है जिसे यह मुनिश्चित करने के लिए पदनामित किया जाता है कि दल के सदस्य पर्याप्त महत्ता में उपस्थित हो और वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दल द्वारा निश्चित की गई नीति के अनुसार मतदान करें। लोक सभा/राज्य सभा में सरकारी पक्ष का मुख्य सचेतक मसदीय कार्य मन्त्री होता है और वह सीधा मदन के नेता के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार को मसदीय कार्यों के सम्बन्ध में परामर्श देना उसके कर्तव्य का अंग है। जहाँ तक सदस्यों का सम्बन्ध है, मुख्य सचेतक दल के नेता के नेत्र और कान के रूप में कार्य करना है। सब के दौरान, दल के नेता का परामर्शदाता होने के तन्त्रे उन्हें निरन्तर प्रधान मन्त्री से सम्पर्क बनाये रखना होता है। दो राज्य मन्त्री मुख्य सचेतक की महायत्ना करने हैं उनका यह उत्तरदायित्व है कि वह यह मुनिश्चित करे कि प्रत्येक सदस्य अपने दायित्व को भली-भाँति निभाये और उनका दल मुद्द, मजबूत और सुगठित रहे सत्तामंडल दल और विपक्षी दलों के सचेतक सामान्य हित के मामलों को हल करने और अनेक राजुक्त घबसरो पर एक-दूसरे का समझने और आपसी हानमेत के लिए मिलत रहते हैं। इस प्रकार सत्तामंडल दल और विपक्ष के सचेतक मसदीय लोकतन्त्र के सुचारु और कुशल कार्यकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पिछले कुछ दशकों में सचेतक के कार्यों में बहुत वृद्धि हो गई है और उसमें कई दिशाओं में विस्तार हो गया है। विशेषकर मसदीय राजनीति में सचेतक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार या अने रहना भयबा न बने रहना, मदन में एक निर्णायक मत पर निर्भर हो सकता है। सरकारी पक्ष के सचेतक को "सभा को बनाना और उसे कायम रखना" होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि सदस्यों को मदन की सम्पूर्ण बैठक के दौरान मत विभाजन सूचक घटियों की स्वर सीमा में रखकर गलतपूर्ति मुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है विशेषकर ऐसे समय में जबकि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जा रहा हो। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सदस्यों की उपस्थिति मुनिश्चित करना और विशेष रूप से

महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपने दल की शक्तियों को व्यवस्थित रखना है। सगद् में गचेतक दल के प्रबन्धक होने हैं और ससदीय दल के प्रबन्धक की कला को 'व्हिप-क्लापट' कहा जा सकता है।

सभा प्रबन्धक होने के नाते सत्तारूढ दल के मुख्य गचेतक को मतभेदों को दूर करता होता है और दूसरे दलों के गचेतकों से परामर्श करके सभा के कार्य को योजनाबद्ध करना होता है। उसे एक ओर ससद् के सदस्यों, उनके पीठासीन अधिकारियों तथा उनके मन्त्रियों और दूसरी ओर मन्त्रियों और सरकार के मन्त्रालयों और विभागों के बीच संपर्क बनाये रखना होता है। सक्षेप में राज सचेतक के कार्यों की परिधि में प्रबन्ध, सम्प्रेषण और प्रबोधन का कार्य सम्मिलित है। वे अपने सदस्यों को सभा के कार्य और विभिन्न मुद्दों पर दल की नीति से अवगत रखते हैं और दल के अनुशासन को लागू करते हैं। यहाँ हमारा सरोकार मुख्यतः सचेतकों की प्रबन्धकीय भूमिका अथवा उनके अनुशासनिक कार्यों से है।

व्हिप (सचेतक) के पद के अतिरिक्त "व्हिप" शब्द का एक और अर्थ भी है। मंत्री के दौरान विभिन्न दलों के सचेतक अपने सदस्यों को महत्त्वपूर्ण वाद-विवादों और मत विभाजनों की सूचना देने और उन्हें मनदान का समय बताने तथा समय पर उपस्थित रहने हेतु कहने के लिए आवश्यक नोटिस और निर्देश भेजते हैं। ऐसे नोटिस और/अथवा निर्देश भी "व्हिप" कहलाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 1621 में ही ऐसे व्हिपों का प्रयोग किया जाता रहा है जब मन्त्रों के मन्त्रों को छ वार अघोरेताकित नोटिस भेजे जाते थे।

व्हिप की किस्में

दलगत निर्देशों के सदर्भ में व्हिप तीन प्रकार के कहलाते हैं— एक बार रेखांकित व्हिप, दो बार रेखांकित व्हिप और तीन बार रेखांकित व्हिप। इनका पाठ जितनी बार अघोरेताकित होता है, उतनी के आधार पर इन्हें ऐसा कहा जाता है। रेखाओं की संख्या इन बात की सूचक है कि सदन के सम्मुख रेखांकित मुद्दों का महत्त्व और उनकी अविश्वनीयता किम स्तर की है। एक अघोरेता युक्त व्हिप सबसे सामान्य होता है, इसमें सदस्य को सदन में तारीख विशेष को समय विशेष पर उपस्थित रहने को कहा जाता है। साथ ही एक अघोरेता इस बात की भी सूचक है कि मत विभाजन होने की सम्भावना नहीं है। दो अघोरेतायुक्त व्हिप अधिक आध्यकर और दल का अपेक्षाकृत कड़ा निर्देश माना जाता है। यह उग स्थिति में जारी किया जाता है जबकि कोई पर्याप्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो और मत विभाजन की सम्भावना हो। तीन अघोरेतायुक्त व्हिप सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य और मत-विभाजन का सूचक होता है। सदस्य के लिए इसका पालन करना और सदन में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। यह पूर्णतः आध्यकर है और कोई भी सदस्य अपने जोगिम पर ही इसकी अवज्ञा कर सकता है। तीन अघोरेतायुक्त व्हिप की

अवकाश किये जाने पर निश्चित रूप में सम्पूर्ण अनुसामयिक कार्यवाही किए जाने की पूर्ण सम्भावना होती है।

राष्ट्र जैवधन ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में कामरेटिव और लेबर पार्टी के विधियों द्वारा जारी तीन प्रकार के विधियों को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है :

(एफ)

गुरुवार, 2 अगस्त को हाउस 2 30 बजे म० प० सम्पन्न होगा,

यदि आवश्यक द्वारा नो लाइसेंसिंग बिल के लिए दस बजे वाला नियम

स्थगित करने का प्रस्ताव 10 बजे म० प० प्रस्तुत किया जाएगा।

कामन्स मार्केट में सर्वप्रथम सरकार के एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी (पहला दिन)

सम्पूर्ण चर्चा के दौरान पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है।

लाइसेंसिंग विधेयक लाईंस के सुसंगतों पर आगे विचार (यदि पूरा न हुआ हो)

मन विभाजन होगा और ठीक दस बजे म० प० तथा कार्य की समाप्ति तक
घापमें उपस्थित रहने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है बराने
कि घापने इसमें अनुसम्पन्न रहने की पूर्ण अनुमति न ले ली हो।

गुरुवार 3 अगस्त को हाउस 2 30 बजे म० प० सम्पन्न होगा।

कामन्स मार्केट पर चर्चा की समाप्ति।

एक प्रति महत्वपूर्ण मत विभाजन होगा और 9.30 बजे म० प० घापकी
उपस्थिति आवश्यक है।

गुरुवार, 4 अगस्त को हाउस 11 बजे म० प० सम्पन्न होगा।

घोषणावकान के लिए स्थगन

घापकी उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

मार्टिन रेहमेयने
(कामरेटिव विधेय)

1961

(दो)

गोपनीय

सोमवार, 5 अप्रैल 1965 को हाउस 2 30 बजे म० प० समवेत होगा ।

रेंट बिल : दूसरा वाचन और धन मकल्प का समिति चरण ।

(धन मकल्प-45 मिनट के लिए इग्जैमिटेड बिजनेस)

मत विभाजन होगा और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है ।

इंडस्ट्रियल एंड प्राविडेंट सोसाइटीज बिल (लाईंस) - दूसरा वाचन

(समेकन कार्यवाही)

साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी प्राप्तिनाइजेशन (इम्पूनिटीज एण्ड प्रिविलेजेस)
आर्डर सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार (इग्जैमिटेड बिजनेस)

मिनिस्टर्स आफ दि क्राउन आर्डर को रद्द करने के लिये विपक्ष का अनुरोध
(एस० आई० 1965 स० 319) (इग्जैमिटेड बिजनेस)

मत विभाजन हो सकते हैं और कार्यवाही समाप्ति तक आपकी उपस्थिति
अनिवार्य है वरतों कि आपने पहले तौर पर अनुपस्थित रहने की अनुमति
न ले ली हो ।

नोट : इण्डस्ट्रियल एण्ड प्राविडेंट सोसाइटीज बिल (लाईंस) के लिये 10
बजे वाला नियम स्पष्ट करने का प्रस्ताव 10 बजे म० प० प्रस्तुत
किया जायेगा ।

मंगलवार, 6 अप्रैल, को हाउस 2.30 बजे म० प० समवेत होगा ।

चांसलर आफ दि एक्सचेंजर बजट पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे ।

बजट संकल्पों के पारित हो जाने तक आपकी उपस्थिति अनिवार्य है

(एडवर्ड शार्ट)

(लेबर विप)

1965

भारत में भी हमारे यहाँ वैसे ही तीन प्रकार के विध्व हैं, निम्नलिखित उदाहरण संसद में कांग्रेस (आई) दल द्वारा जारी तीन प्रकार के विध्वो को स्पष्ट करते हैं :—

(एक)

संसद में कांग्रेस (आई) दल

द्विप सख्या 10/8/9/87

125, ससद् भवन

नई दिल्ली

4 दिसम्बर, 1987

राष्ट्रीय नौयहन बोर्ड चुनाव मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1987 को 11.30

बजे से 14.30 बजे तक समिति कमरा सं० 62, पहला तल, ससद् भवन में होंगे

दल के उम्मीदवार निम्न हैं

- 1 श्रीमती एम. चन्द्रशेखर
- 2 श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
- 3 श्री नित्यानन्द मिश्र

लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बिलों में उपस्थित रहें और दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रवचन ही मत दें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे नीचे बताए गये तरीके से मतदान करें।—

मत विभाजन सख्या 1 से 135

श्रीमती एम० चन्द्रशेखर

मत विभाजन सख्या 136 से 270

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

मत विभाजन सख्या 271 से कांग्रेस के सदस्य श्री नित्यानन्द मिश्र के पक्ष में

अपने प्रथम अघिमान मत डालें

सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे दल के उम्मीदवारों से भिन्न किसी अन्य उम्मीदवार को कोई अघिमान मत न दें।

एच० के० एल० भगत

मुख्य सचेतक

सेवा में

लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्य

(दो)

संसद में कांग्रेस (आई) दल

द्विप सं० 7/8/9/87

125, ससद् भवन

नई दिल्ली

1 दिसम्बर, 1987

सरकारी कार्य की निम्न मबो को बुधवार, 2 दिसम्बर, 1987 को लोक

सभा में लिया जायेगा :—

- (एक) 1987-88 के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूर्क मांगों और उससे सम्बन्धित विनियोग (संख्या 5) विधेयक पर चर्चा और मतदान ;
- (दो) प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) संशोधन विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना ;
- (तीन) निरसन और संशोधन विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना ; और
- (चार) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसे पारित करना ।

लोक सभा में कांग्रेस (भाई) दल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बुधवार, 2 दिसम्बर, 1987 को सभा में उपस्थित रहे और सरकार के पक्ष का समर्थन करें ।

शीला दीक्षित
उप मुख्य सचेतक

सेवा में

लोक सभा में कांग्रेस (भाई) दल के सभी सदस्य

(तीन)

संसद में कांग्रेस (भाई) दल

दृष्टि सं० 6/3/9/87

125, संसद भवन

नई दिल्ली

19 नवम्बर, 1987

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संविधान (56 वां संशोधन) विधेयक, 1987 मंगलवार, 24 नवम्बर, 1987 को लोक सभा में विचार करने तथा पारित करने के लिए लिया जायेगा ।

जैसा कि सदस्यों को विदित ही है, भारत के संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक सदन की समस्त सदस्य सभ्या के बहुमत से तथा उस सदन के उप-

दल सचेतक, गणसदीय विरोधाधिकार और दल-परिवर्तन विरोधी कानून/237

स्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित होता है।

अतः लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जिसमें कि वे मंगलवार, 24 नवम्बर, 1987 को मना में और विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने के प्रत्येक चरण पर उपस्थित रह सकें और सरकार के पक्ष का समर्थन कर सकें।

एच० के० एन० भगत
मुख्य सचेतक

सेवा में

लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्य।

(चार)

समूह में कांग्रेस (आई) दल

श्लेष संख्या 13/8/9/87

125, मसद भवन,
नई दिल्ली।

8 दिनाम्बर, 1987

आगामी कुछ दिनों के दौरान लोक सभा में चर्चा हेतु कार्य की कुछ महत्वपूर्ण मदें ली जाएंगी। अतएव, लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे समूह के पानु अधिवेशन के अन्त तक दिल्ली में रहें और सभा में उपस्थित रहें तथा सभा में चर्चा के लिये आने वाले विभिन्न विषयों पर सरकार के पक्ष का समर्थन करें।

एच० के० एन० भगत
मुख्य सचेतक

सेवा में

लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के सभी सदस्य।

इससे यह पता चलता है कि एक और ब्रिटेन के सेक्टर और कर्जवैटिच गणसदीय दल के श्लेषों द्वारा जारी किये गये श्लेषों और दूसरी ओर भारत में कांग्रेस (आई) गणसदीय दल के श्लेषों द्वारा जारी किये गये श्लेषों में प्रयोग की गई भाषा में कुछ अन्तर है। सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जबकि ब्रिटेन के श्लेष उपस्थित

रहने के लिये केवल "अनुरोध" अथवा "विशेष रूप से अनुरोध" करते हैं या उपस्थिति को "अनिवार्य" घोषित करते हैं, भारत में वि्हप इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और वे सदस्यों को न केवल उपस्थित रहने के लिए कहते हैं अपितु उन्हें सरकार के पक्ष का समर्थन करने के लिए भी निदेश देते हैं अथवा वि्हप द्वारा बताये गये तरीके में "दल के उम्मीदवारों के पक्ष में अवश्य ही मतदान करने के लिए" कहते हैं। ब्रिटेन में वि्हप "समर्थन" या "मतदान" के लिये नहीं केवल "उपस्थिति" के लिये ही अनुरोध करते हैं। यद्यपि दल के सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये कहन का आशय स्पष्ट ही है और उनसे आशा की जाती है कि वे किसी भी मत विभाजन में दल के निर्णय का समर्थन करेंगे, समस्त ब्रिटेन के हाऊस ऑफ कॉमन्स में चली आ रही प्रथा में एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिये वि्हप में विशेष निदेश देना किसी सदस्य की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और सदन में मतदान करने के उसके मौलिक विशेषाधिकार का हनन समझा जाता है।

ब्रिटेन में, वि्हप का मिलना दल की सदस्यता का विशेषाधिकार समझा जाता है और कोई भी सदस्य वि्हप को न मानने के लिए स्वतंत्र है। हाऊस ऑफ कॉमन्स में वि्हप को जारी करना दल का आन्तरिक मामला माना जाता है और वि्हप हमेशा हाऊस के बाहर जारी किया जाता है। सभा में वि्हप को मौखिक अथवा लिखित रूप में जारी करने की बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार के वि्हप को जारी करने और सदस्य का वि्हप न मानने के विरुद्ध चेतावनी देने का अर्थ वास्तव में सभा की अवमानना हो सकता है। वि्हप में सदस्यों को केवल सभा के कार्य की सूचना दी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे सभा में उपस्थित रहें।³ यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य को बोलने में रोकने की कोशिश करता है अथवा उसमें अज्ञान भाषण जारी न रखने के लिये कहता है तो इसका तात्पर्य सदस्य को उत्पीड़ित करना होगा। इसके अतिरिक्त, वि्हप अट्रिब्यूट के कृत्यों पर अज्ञान अतिक्रमण स्वतंत्र नहीं जमा सकता और वि्हप का प्रयोग हाऊस में स्पीकर द्वारा दिये गये विनिर्णय को चुनौती देने से सदस्यों को रोकने में नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में हाऊस ऑफ कॉमन्स के दीर्घकालीन इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब वि्हप सभा में ही जारी किया गया हो अथवा जब दल के मुख्य वि्हप ने दल के कुछ चुनौती सदस्यों को ही कोई वि्हप जारी किया हो।

राबर्ट जैक्सन के अनुसार, ब्रिटेन के राजनैतिक दलों में खुले विद्रोह को रोकने के लिए वि्हप का काम घमकी भरी भाषा में नहीं किया जाता है।⁴ लेकिन एक दूसरा मत भी है जो इस बात पर जोर देता है कि दल की सदस्यता के दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुशासित की भूमिका का होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, नेवर पार्टी की आचार महिना में अनेक बड़ी अनुशासनात्मक कार्य-वाहियों की व्यवस्था है। पहली, मुख्य रूप से लिखित में भर्त्सना। दूसरी, "निलबन"

जो वास्तव में परिवीक्षाधीन भ्रष्टाचार है जिसके दौरान सदस्य को यद्यपि पार्टी की चर्चा में भाग नहीं लेने दिया जाता है, तथापि उसमें भाषा की जाती है कि वह पार्टी के विह्वल वा पालन करे। एक अन्य प्रति गभोर प्रमुखामित्व पार्टी विह्वल का वापस लिया जाता है जिसके बारे में निर्णय (जिनके की भीति) समदीय लेवर पार्टी करती है। पार्टी विह्वल को वापस लेने का अर्थ यह होता है कि सदस्य को अब विह्वल द्वारा मार्गनिर्देश वाना साप्ताहिक परिपत्र नहीं भेजा जाता है और वह वास्तव में समदीय दल का सदस्य नहीं रहता है। इसका विलकुल उलट प्रभाव भी पड सकता है क्योंकि जिस सदस्य के मामले में विह्वल वापस लिया गया होता है वह अपने मत के अनुसार वोल सकता है और मतदान कर सकता है और इस प्रकार वह ससदीय दल के अन्दर की अपेक्षा उसके बाहर ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। एक और कार्यवाही यह हो सकती है कि उसे राष्ट्रीय दल से निष्कासित कर दिया जाए और उसके निर्वाचन क्षेत्र से दल के उम्मीदवार के रूप में उसे पुन चुनने, से इकार कर दिया जाए।¹⁵ तथापि हाउस आफ कामस में मतविभाजन लाबियों में दल के विह्वल के आदेश को न मानने के कारण समद सदस्यों को दड देने के लिए दल से किमी सदस्य को निष्कासित करने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है।¹⁶

प्रश्न यह है कि भारत में वर्तमान स्थिति किस प्रकार और कहा तक उसमें भिन्न है ?

भाषण और मतदान करने की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार भारत के सविधान में, सदनों, समितियों और ससद सदस्यों के विशेषाधिकारों का निर्धारण इसलिए नहीं किया गया है ताकि उनका निर्धारण आमतौर पर ससद द्वारा पारित विधि द्वारा किया जा सके तथा यह भी कहा गया है कि जब तक उनका ऐसा निर्धारण नहीं हो जाता है, वे वहीं रहेंगे जो सविधान के लागू होने के दिन वे ब्रिटेन के हाउस आफ कामस में थे। फिर भी, भारत के सविधान के निर्माताओं ने दो विशेषाधिकारों को सबसे अधिक महत्त्व दिया जिनको वे ससदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक मानते थे और इसलिए उन्होंने उनको सविधान के पाठ में अनुच्छेद 105(1) और (2) में विशेष रूप से सम्मिलित किया। ससद के सदस्यों के ये विशेषाधिकार सदनों और उनकी समितियों में भाषण और मतदान करने की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार हैं। ससद में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में ससद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी। सविधान के अनुच्छेद 105(1) और (2) का पाठ निम्नवत् है।

105(1), इस सविधान के उपबन्धों के तथा ससद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्याई आदेशों के अधीन रहते हुए ससद में वान् स्वातंत्र्य होगा।

(2) ससद् में या उमकी किमी ममिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किमी मत के विषय में ससद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किमी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किमी व्यक्ति के विरुद्ध ससद् के किमी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी ।

इस प्रकार कोई भी सदस्य ससद् में अपने भाषण और कृत्य के लिए केवल नविधान के उपबन्धों और सदन के नियमों तथा अनुशासन के अधीन है । उसे ससद् अथवा उसकी किसी ममिति में कही गई किसी बात अथवा दिये हुए किमी मत के विषय में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है । सदस्य बिना किमी भय के अथवा पक्षपात के अथवा अपने विचार रखने के कारण किसी भी तरह के प्रतिकूल परिणाम के प्रति आशंकित हुए बिना निर्मुक्त रूप में बोल सकते हैं और मत दे सकते हैं । वे जैसा चाहें, अपने विचार रख सकते हैं और मत दे सकते हैं । दलीय व्यवस्था और पार्टी विधिप मस्या की विद्यमानता में यह स्वतंत्रता विधिममत्त रूप में कहा तक कम की जा सकती है ? यह प्रश्न 1973 में उस समय उठा था जब तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष डा जी एम द्विलन ने एक सप्तमोद्य दल द्वारा अपने सदस्यों को अन्य दलों के सदस्यों के साथ मेल मिलाप न रखने के लिए जारी कथित निदेश के संबंध में विवेकाधिकार के प्रश्न को नामजूर करते हुए अग्र्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणों की थी -

उन्हें अपने दल की बैठकों में, अपने दल की कार्यकारिणी ममिति की बैठकों में हर विषय पर चर्चा करने का अधिकार है और उन्हें अपने दल के लोगों को निदेश देने का अधिकार है । यदि उनके दल का कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है और मेरे पाम आता है और कहता है यह केवल निदेश ही नहीं है, यह सदस्य की हैमियत में मेरे कर्तव्य निर्वहण के मार्ग में एक रुकावट है, तब मैं इस पर विचार करूंगा । 17

पुन 1978 में, श्री एडुघार्डो पलेरो ने विवेकाधिकार ममिति के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दल में निर्णय करने के लिए दल की बैठक बुलाने के कारण प्रधान मन्त्री और जनता मंसदीय दल के पदाधिकारियों के विरुद्ध विवेकाधिकार के प्रश्न के बारे में एक सूचना दी । प्रधान मन्त्री ने श्री पलेरो के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों में अग्र्य को सूचित किया कि इस मामले पर चर्चा की गई थी परन्तु इस मामले में जनता पार्टी ने कोई विधिप जारी नहीं किया था । इस पर अपनी ममति न देने हुए अध्यक्ष ने यह टिप्पणी की :

“मभा में पिछले विनिर्णयों ने यह स्थापित किया है कि सभा दल की बैठकों में होने वाली किमी चर्चा को ध्यान में नहीं रखेगी । जब सभा विवेका-

धिकार के प्रश्न के बारे में निर्णय करती है, जम समय यह धर्दे-न्यायिक सभ्या के रूप में कार्य करती है । सभा के समक्ष आये प्रस्ताव पर पक्षपातपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया जा सकता । परन्तु इस जैसे मामले में भी, दल द्वारा मामले पर चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि इसमें सदस्यों को सभा के समक्ष आने प्रस्ताव के प्रति सही दृष्टिकान के बारे में सभ्य सदस्यों को भावस्त करने का अवसर मिल सकता है ।⁶

दल परिवर्तन विरोधी कानून (anti-defection law) भारत के सविधान प्रयवा सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में सचेतक का कोई उल्लेख नहीं है । वास्तव में, हाल ही तक राजनीतिक दलों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी । सविधान (बाबतवा ससोधन) विधेयक, 1985, त्रिने दल परिवर्तन विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है. पारित होने के बाद से "विहृष" ने हमारी समदीय लोक-तांत्रिक प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान में लिया है । इस ससोधन में सभ्य बातों के साथ-साथ दल परिवर्तन के आघार पर निरर्हता का भी उपबन्ध है

(1) सभ्य प्रयवा राज्द विधानमण्डल का कोई सदस्य जो किसी राज-नीतिक दल का सदस्य हो, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हण होगा

(क) यदि उमने ऐसे राजनीतिक दल की जिम्का वह सदस्य है अपनी सदस्यता स्वैच्छा से छोड दी है; या

(ख) यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिम्का वह सदस्य है प्रयवा उमने द्वारा इस निमित्त प्राधिहन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश के विरुद्ध दोनों ही दगाधों में, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्वे अनुज्ञा के बिना, सदन में मतदान करता है या मतदान करने में विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने में विरत रहने की ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने में विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

सविधान की दसवीं अनुसूची के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष द्वारा बनाये गये लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आघार पर निरर्हता) नियम, 1985 में सभ्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी सदस्य की निरर्हता के सम्बन्ध में केवल अध्यक्ष में याचिका द्वारा ही पूछा जा सकता है । याचिका पर विचार करने के परवान् अध्यक्ष याचिका को रद्द कर सकता है प्रयवा यह घोषणा कर सकता है कि सदस्य निरर्ह हो गया है । (खण्ड 6 और 8)

अतः यह स्पष्ट है कि सविधान (बाबतवा ससोधन) अधिनियम, 1985 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये दल-परिवर्तन विरोधी नियमों के लागू होने पर राजनीतिक

दलो को सर्वैधानिक मान्यता एव वंघता मिलने लगी तथा दल नेतृत्व द्वारा जारी निदेश विधिसंगत बन गए हैं। अतः पार्टी निदेशों अथवा व्हिप का उल्लंघन करने से सदस्य निरहं हो सकता है और उसे सदस्यता से वंचित होना पड सकता है। तथापि, यह बात नोट की जानी चाहिए कि निरहं होने के लिए सदस्य को "राजनीतिक दल द्वारा जारी निदेश के विरुद्ध मदन मे मतदान करना होगा या विरत रहना होगा"। मतदान से भिन्न कार्यों पर यह लागू नहीं होता अर्थात् यह सदन मे भाषण देने की किसी सदस्य की स्वतंत्रता मे बाधक नहीं है।

विशेषाधिकार का मामला

वतमान मामले मे सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध 17-20 नवम्बर, 1987 के दौरान प्राप्त विशेषाधिकार के मामले सम्बन्धी सभी सूचनाएँ उनकी टिप्पणी के लिए भेजी। जब 18 नवम्बर, 1987 को कुछ सदस्यों ने सदन मे मामला उठाने की अनुमति मांगी, तो अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ टिप्पणी की

"मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इस सदन मे भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता और न ही कभी किया जाएगा। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने श्री भगत अथवा अन्य कभी किसी मामले मे कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि मुझे इस मामले की जाच करनी है। मुझे इसकी जाच करने का समय दीजिए। यही मैं चाहता हूँ। मामले का अध्ययन किये बिना मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता। पहले मुझे यह जाच करनी है कि क्या यह एक प्रथम दृष्टया मामला है—। मुझे इस मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने दीजिए। मुझे दोनों पहलुओं से ही देखना है—मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि मैं उनके स्पष्टीकरण से सतुष्ट नहीं हुआ तो नियमों के अनुसार कार्यवाही करूँगा।"

संसदीय कार्य मंत्री, श्री एच. के. एल. भगत ने अपनी टिप्पणियों और उत्तर के रूप में भलीभाँति तैयार एक विस्तृत वक्तव्य 1 दिसम्बर को अध्यक्ष महोदय को भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही गई थी—

- (एक) सविधान के अनुच्छेद 105 (1) में सदन मे भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, "वर्णित कि यह सविधान के उपबंधों तथा संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों एवं स्थायी आदेशों के अन्तर्गत हो।"
- (दो) श्री रामधन और श्री राय सभा की कार्यवाही मे बाधा डाल रहे थे, अध्यक्ष पर आरोप कर रहे थे और अध्यक्ष के विनिर्णय का निरंतर उल्लंघन करके

सदन तथा अध्यक्ष महोदय की प्रवृत्तमानना कर रहे थे। उन्हें लिखित विह्वल भेजा गया था कि "वे अध्यक्ष के विनिर्णय को मान लें।"

- (तीन) यद्यपि सदन की गरिमा, मर्यादा एवं अनुशासन बनाए रखने का दायित्व एवं विशेषाधिकार अध्यक्षपीठ का होता है तथापि सदस्यों का भी वर्तन है कि नियमों के अनुसार तथा विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं/सचेतकों के निर्देशों के अनुसार कार्य करें ताकि सभा की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी परिस्थिति विशेष में अपने सदस्यों को नियन्त्रित करके अध्यक्षपीठ की सहायता को जा सके।
- (चार) सचेतकों के विभिन्न सम्मेलनों में भी यह चर्चा की जा चुकी है कि सचेतकों को जिम्मेदारी सन्निहित दलों के सदस्यों द्वारा सदन की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने में सभापति की सहायता करना भी है।
- (पांच) मुख्य सचेतक/सचेतक का सदन में अपने दल के सदस्यों को विह्वल जारी करने में कोई नहीं रोक सकता। यदि सदन में कुछ मुद्दे प्रचलक उठ जाते हैं और मन विभाजन हो जाता है तो सचेतकों को ही अपने सदस्यों को निर्देश देना होता है कि वे सदन में चल रही कार्यवाही पर क्या रवैया अपनायें।
- (छह) सचेतक सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन तथा गरिमा और अनुशासन भंग करने के दोषी सदस्यों को ही घनुरेण जारी कर सकते हैं।

निकर्षण श्री भगत ने सदस्यों के भाषण की स्वतन्त्रता के अधिकार के बारे में अपना विश्वास दोहराया जैसा कि सविधान के अनुच्छेद 105 में दिया गया है और कहा कि दोनों सदस्यों के प्रति उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी तथा उनके कर्तव्य पालन में बाधा डालने तथा उन्हें परेशान करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उनसे अध्यक्षपीठ की आज्ञा की प्रवृत्तमानना न करने के लिए बहने का उनका मात्र यही उद्देश्य था कि सदन की मान-मर्यादा तथा अनुशासन बनाये रखा जाये।

भनी जी के वक्तव्य की एक एक प्रति, जिसमें इन मामले के बारे में उनकी टिप्पणी अन्तर्विष्ट थी, उन सभी सदस्यों को दी गई जिन्होंने विशेषाधिकार हलक की सूचनाएं दी थी। महसूस उत्तर में मत्तुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पूर्ववर्ती मुद्दों की दोहराया। उनमें से एक श्री मधु दण्डवने ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि श्री भगत ने "विह्वल का उल्लंघन न करने के लिए श्री रामधन और श्री राय को सदन में खुले तौर पर धमकी दिए जाने" में संबंधित भाषण के बारे में कुछ नहीं कहा। श्री रामधन ने तो यहाँ तक कहा कि श्री भगत के उत्तर से तो सभा की प्रवृत्तमानना बड़ी है जो उन्होंने दावा करके और उनके द्वारा सदन में अपने दल के सदस्यों को विचार व्यक्त करने से रोकने के लिए अधिकार के इस्तेमाल में की है। श्री जयपाल रेड्डी ने अध्यक्ष की पूर्ववर्ती टिप्पणियों का हवाला दिया कि "विह्वल

पार्टी का आंतरिक मामला है” और पूछा कि सदन में विह्वल की खुले तौर पर घमकी इसके अनुरूप कैसे है। श्री उन्नीकृष्णन ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि सदस्यगण, विशेषतौर पर मुख्य सचेतक, अनुशासन बनाये रखने में अध्यक्ष महोदय की सहायता कर सकते हैं तथापि वे “अध्यक्ष के कृत्यों को नहीं ले सकते” और नियमों को लागू करने का प्रयास नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 222 के अधीन 14 दिसम्बर, 1987 को सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात् श्री रामधन ने सदन की अनुमति मागी। सदन द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् श्री रामधन ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। इस मामले पर सदन में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। श्री रामधन के प्रतिरिक्त कुल 14 सदस्यों ने बहस में भाग लिया। संबंधित मुद्दों के महत्त्व को देखते हुए, विशेषाधिकार प्रश्न पर बोलते हुए सदन में कुछ सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों से कुछ प्रश्न उद्भूत करना उचित होगा।

श्री रामधन

सविधान में “दल” और “सचेतक” शब्दों का कोई जिक्र नहीं है। 52वाँ संशोधन और उसके द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में ‘सभा’ ‘विधानमंडल दल’ ‘मूल राजनीतिक दल’ शब्दों की परिभाषा दी गई है। इसमें ऐसे व्यक्ति धरया प्राधिकारी की बात कही गई है जिसको दल द्वारा ‘इस निमित्त’ धरया मतदान करने या मतदान से विरत रहने के सबध में निर्देश देने हेतु प्राधिकृत किया गया हो। यदि यह मान भी लिया जाए कि सचेतकों को उपरोक्त प्राधिकार है, तो भी उनका क्षेत्राधिकार मत विभाजन के दौरान मतदान तक सीमित है और इसका सविधान और प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत सदस्यों को दिये गये अधिकारों का प्रति-लघन करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार अध्यक्ष को है। सभा का नेता धरया मुख्य सचेतक किसी सदस्य को निलम्बित करने का प्रस्ताव भी तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि अध्यक्ष किसी सदस्य को अमर धरया धरया करने के कारण नाम लेकर न पुकारे।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

चू कि विह्वल होने वाले मत विभाजन के समय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी किये जाने हैं वे दल के सभी सदस्यों को बिना किसी धरया के जारी किये जाते हैं। कुछ सदस्यों को ही एक ऐसे विषय पर विह्वल जारी करना, जिम पर मतदान या मत विभाजन न हो रहा हो, विह्वल का मजाक बनाना है।

सचेतको के अधिकारों और कृत्यों के बारे में सभा द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये हैं और न ही सभा के नियमों में उनका उल्लेख है क्योंकि इसका सभा में कोई सबध नहीं है और श्रृंखला जारी करना दलों का प्राथमिक मामला है।

माननीय अध्यक्ष को सभा की प्रक्रिया तथा कार्यवाही पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार है हालांकि इन बारे में सर्वोच्च अधिकार सभा के पास ही है। अन्य कोई भी व्यक्ति सभा की प्रक्रिया अथवा कार्यवाही को नियंत्रित अथवा विनियमित नहीं कर सकता और किसी विधि अथवा नियम के अन्तर्गत श्रृंखला जारी करने की शक्ति किसी को नहीं दी गई है।

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

मसदोय कार्य मंत्री के उत्तर में सभा की अवमानना का मामला और गम्भीर हुआ है क्योंकि उन्होंने माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में अपने दल के सदस्यों की सभा में अभिव्यक्ति पर रोक लगाई है। सभा में भाषण की अभिव्यक्ति के ये अधिकार को दवाने का यह उनका स्पष्ट प्रयास था। यदि सचेतक इस प्रकार सदस्यों को सभा में किसी मामले में बोलने अथवा न बोलने के लिए निर्देश जाने करता है तो सदस्यों के संवैधानिक अधिकार मजकूर बनकर रह जायेंगे। इस स्थिति में मैं अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले को विचार के लिए तथा उस पर निर्णय लेने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

प्रो० मधु देववते

अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत हमें जो भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है वह संविधान में निर्धारित प्रक्रिया तथा विभिन्न नियमों, प्रक्रिया और स्थायी प्रादेशों में निर्धारित बातों के अधीन है...नियम 352 में भी भाषण की स्वतंत्रता पर कठिण प्रतिबंध लगाये गये हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत मसद सदस्यों को प्राप्त भाषण की स्वतंत्रता पर अन्य कोई प्रतिबंध नहीं है।

...जहाँ तक श्रृंखला का सबध है, संविधान की दमकी अनुसूची में इस सबध में थोड़ा सा उल्लेख है। यह बहुत स्पष्ट है कि जहाँ श्रृंखला की शक्तियों के अत्राधिकार का सम्बन्ध है, यह भी मतदान करने और मतदान से विरत रहने से सम्बंधित है कि जब किसी विशेष दल में मतदान करने हेतु श्रृंखला जारी किया जाता है और यदि मतदान उसके विरुद्ध किया जाता है अथवा मतदान से विरत रहा जाता है तो यह उसका उल्लंघन है। यदि कोई रिश्ता मजकूर दल ऐसे मामले में क्षमा कर देता है तो अध्यक्ष उसे अनहूँ नहीं कर सकता। केवल जब वे उसे श्रृंखला की प्रति भेजते हैं और उसे यह बताया जाता है कि उल्लंघन के कारण इसे क्षमा नहीं किया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है तभी अध्यक्ष यह घोषणा कर सकता है कि सदस्य ने मसद की सदस्यता खो दी है...जहाँ तक अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का संबंध है, इसके लिए केवल नियम 352 है। उसके परि-

गामस्वरूप हम यह देखते हैं कि इस सभा में भाषण की स्वतन्त्रता जो हमें प्राप्त है वह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अर्थात् नागरिकों को प्राप्त भाषण की स्वतन्त्रता की तुलना में निर्वाध है' "

❀

❀

❀

❀

वह विशेषाधिकार का विशेष मामला है। इसलिए सभा में प्रस्तुत किये बिना अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त है कि वह पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सीधे भेज दें और भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित करें।

❀

❀

❀

❀

श्री एस० जयपाल रेड्डी

इस सभा में, यह स्पष्ट है कि भाषण की स्वतन्त्रता का पूर्ण अधिकार है वगैरें कि वह अध्यक्ष के निर्देशों के अनुरूप हो। इन प्रतिबंधों को अध्यक्ष द्वारा लागू किया जाना होता है। इन्हें सचेतक द्वारा लागू नहीं किया जा सकता 'परन्तु इस मामले में उन्होंने विह्वल जारी किया और एक मौलिक दमकी द्वारा सदन में विह्वल दिया।

श्री बी० आर० भगत

ससदीय कार्य मंत्री न दा माननीय सदस्य, श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को, उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती देकर उस पर विवाद कर और उसकी आलोचना कर विशेषाधिकार का हनन करने अथवा सदन की अवमानना करने से केवल रोका है 'विह्वल की प्रणाली के बिना, सदन की कार्यवाही का मुख्यव्यवस्थापक एवं मर्यादित ढंग में संचालन नहीं किया जा सकता' 'विह्वल सभा में उपस्थित एवं अनुशासन हेतु एक व्यवस्था है' श्री रामधन उस समय सदन की अवमानना करने वाले थे तथा उस समय ससदीय कार्य मंत्री का यह कर्तव्य था कि वे उन्हें अध्यक्षपीठ की आज्ञा मानने की सलाह दें और उन्होंने ऐसा किया इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं है। इसमें विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शरद विघ्ने

ससदीय कार्य मंत्री ने सदस्य को अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय को स्वीकार करने के लिये कहा है। क्या ऐसा करना किसी भी तरह भाषण की स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगाना है? प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं। उन्हें अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर टीका-टिप्पणी तक करने का कोई अधिकार नहीं है और जब कभी हम अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के विरोध में सदन से बाहर चले जाते हैं तो मेरे विचार में यह भी सदन की अवमानना है पर सामान्यतः हम इस बात को बहुत हल्के रूप में लेते हैं। यहाँ हमारी पार्टी के एक सदस्य को अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती देने में मना करना बोलने की स्वतन्त्रता पर पावन्दी लगाना है, यह सब कहना असंगत है। अतः इसमें विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता है" "



सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और इस उद्देश्य हेतु प्रादेश, मलाह तथा सदन में आचार व्यवहार के बारे में मददगारों को निर्देश प्रादि देने का कर्तव्य मुख्य सचेतक का होता है। जहाँ तक इसका प्रश्न है इसमें विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब भी सदन में व्यवस्था होती है तो दोनों ओर से विह्वल को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में घटपटा की सहायता करनी होती है। इस दृष्टि में यदि सदस्यों को कोई निर्देश दिया जाता है तो विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और न ही भाषण की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध का मवाल उठता है तो विह्वल भी नहीं है। ये सदस्यों को मात्र निर्देश और मित्रवत मलाह है कि वह सदन की अवमानना न करें। इसलिए सभा का सचालन सुचारू रूप से करने के लिए... सदन में सुले और पर निर्देश या मलाह देने में कोई गलती नहीं है। इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह सारी घटना सदन में सभी के सामने घटित हुई है।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल)

याद गसदोय कार्य मंत्री प्रश्न दल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने और उचित व्यवहार करने तथा सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने का निर्देश देते हैं तो क्या इसे विशेषाधिकार हनन कहा जा सकता है ?

माननीय सदस्य को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनियम को अवमानना करने की अनुमति नहीं दी गई थी। माननीय अध्यक्ष को दो बार सभा को स्थगित करना पड़ा था। क्या हम इस बात को भूल सकते हैं ? क्या हम यह कह सकते हैं कि सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने का जिम्मा सभा कार्य न कर सके और फिर सभा में विशेषाधिकार का दावा करने का अधिकार है ? यदि माननीय समदोय मंत्री न उनके किमी भी भिन्न नीति के प्रतिपादन पर, विभिन्न नीतियों को सामने रखने पर, कुछ नए विचार सुझाने पर या सरकार के विचारों की प्रालोचना करने पर टाका होता तो हमारे लिए यह मानने का अधिकार था कि उसे अपने विचारों का अभिव्यक्त करते हुए टोका गया...

अब प्रश्न यह है कि क्या कार्यवाही की जा सकती है ? जहाँ तक सविधान और साथ ही नियमों का संबंध है, मैं नहीं समझता कि हमें कोई संदेह है। किंतु यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो ठीक है इस पर सम्पूर्ण सभा द्वारा निर्णय किया जाए। यदि हम इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपते हैं तो हम इसे ऐसी समिति को सौंपते हैं जो समझ का अंग है और इस प्रकार हम मामले को उच्चतम निकाय को नहीं सौंप रहे हैं। नियम 226 के अनुसार, यह सभा महा इस प्रश्न पर विचार करे और निर्णय ले... इस मामले को विशेषाधिकार

समिति के समक्ष क्यों ले जाया जाए ? क्या इस मामले को लम्बा खींचने, इसका प्रचार करने और कठिनाइयाँ पैदा करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है ? फिर तथ्यों का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । तथ्य हम सबके सामने हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां

प्रश्न यह है कि क्या सदन में व्यवस्था बनाये रखने के प्रश्न को सम्बन्धित दलों के सचेतकों पर छोड़ा जा सकता है ? जी नहीं । यह पूर्णतः अध्यक्ष की शक्ति के अंतर्गत निहित है, यह अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है । यह शक्ति किसी दल के सचेतक अथवा मुख्य सचेतक को नहीं प्रदान की जा सकती ।

हमें इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार सम्बन्धी मामलों को दलगत दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए । विशेषाधिकार हुनन का यह मामला किसी एक सदस्य का नहीं है । यह पूरे सदन का मामला है ।

श्री सोमनाथ राय

मविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को सभा के नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है । लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम अनुच्छेद 105 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार बनाये गए हैं ।

न केवल विनिर्णय का वक्तव्य अध्यक्ष महोदय की टिप्पणियों और वक्तव्यों की आलोचना सदन के अन्दर या बाहर नहीं की जा सकती है । यह अध्यक्ष और सदन की अग्रमानना है । सप्तमीय प्रणाली की सरकार में एक दल का सदन के अन्दर अपना आन्तरिक सगठन हाता है और यह कार्य मुख्य सचेतक द्वारा किया जाता है सम्पूर्ण देश के सचेतकों के सम्मेलन में माननीय सदस्यों के सदन के अन्दर विशेषाधिकार और व्यवहार पर विस्तार से चर्चा की गई है । सम्मेलन का यह मत है कि दोषी सदस्य को सत्कारुद्ध दल तथा विपक्षी दलों के सचेतकों द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए ।

श्री संफुद्दीन चौधरी

“इस सभा के सदस्यों को इस गम्भीर भाषण देने का निर्वाह अधिकार है और कोई व्हिप उन्हें नहीं रोक सकता” इस मामले में मैं इसे व्हिप नहीं मानता । इस सभा में हम केवल उसी को व्हिप मान सकते हैं जो मतदान करने अथवा मतदान से विरत रहने अथवा विरोध में मतदान करने से अवधिगत हो । इसलिए यह व्हिप नहीं है । यह सत्कारुद्ध दल के सदस्यों को सोचना है कि क्या व्हिप के नाम पर इस प्रकार के हास्यास्पद निर्देश जारी किए जाने चाहिए वे अथवा नहीं । इस मामले विशेष में सदस्य की भाषण देने की स्वतन्त्रता के अधिकार का गम्भीर उल्लंघन हुआ है जोकि सभा का सदस्य होने के नाते हमें प्राप्त है, यह केवल प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत ही आता है और उसे एक दल-विरोध के

मुख्य मंचेतक ने कुचलने का प्रयास किया है। इसलिए यह पूरी सभा के लिए विता का विषय है...इसे तत्काल विशेषाधिकार समिति का भेज दिया जाना चाहिए और इसे किसी विद्वेष विशेष के मनमाने निर्देशों के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।'

(श्री पी० शिवशंकर) योजना मन्त्री, कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री और विधि तथा न्याय मन्त्री

इस मामले में संबंधित प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार का हनन वास्तव में क्या है? इसलिए हमें पता लगाना है कि क्या सदस्य का अध्यक्ष महोदय के विनियम पर टिप्पणी करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। यदि हाँ, तो क्या कोई टिप्पणी आदि की गई थी। इस मामले का दूसरा भाग यह है कि क्या इसे माननीय सदस्य की वाक् स्वतंत्रता को दबाना माना जा सकता है, मरा निवेदन यह है कि सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिये यहाँ पर बैठ मुख्य मंचेतक अपने सदस्यों को प्रायः कहते हैं कि बैठ जाइये और यदि हम उस विद्वेष का मकीलें ग्रहण करें तो जब भी वे ऐसी कार्यवाही करते हैं विशेषाधिकार हनन के दायीं होंगे वास्तव में किसी ऐसी कोई प्रणाली अथवा प्रोफार्मा की व्यवस्था नहीं है कि विद्वेष कम जारी किया जा सकता है, इसके अभाव में विद्वेष मौखिक भी हो सकता है अथवा लिखित भी। क्या यह सलाह में हट कर है, यह तयकरावित विद्वेष सलाह के अलावा और कुछ नहीं था। मैं यह नहीं समझता कि इसे माननीय सदस्यों के भाषण के अधिकार में हस्तक्षेप कम बढ़ा जा सकता है जिस में विशेषाधिकार प्रस्ताव की जरूरत पड़े। मरा निवेदन है कि प्रथम दृष्टि में यह कोई मामला नहीं है।

श्री दिनश गोस्वामी

"यह साधारण मामला नहीं है जैसा मंचे मंत्र न बताया है। कबल इस तथ्य में कि अध्यक्षपाठ ने सभा की अनुमति के लिए अपनी सहमति दी है, यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यक्षता यह मामला बनना है जिस पर न्याय निर्णय की आवश्यकता है। अब इस पर निर्णय कौन देगा? क्या विशेषाधिकार के इस मामले पर यह सभा निर्णय लेगी अथवा यह मामला विशेषाधिकार समिति में जायगा मंचे विचार में अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 के अध्येषान नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 के अध्येषीन है। क्या हम इस महत्वपूर्ण सर्वेधानिक मामले को मंचे के आधार पर तय करेंगे? यह सभा इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगी और इस प्रकार इस में अन्तर्निहित मुद्दे स्पष्ट नहीं हो पायेंगे। इसलिए यह मामला विशेषाधिकार समिति को गौण जाए ताकि वह अनुच्छेद 105 में क्षेत्राधिकार तथा उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में उनके सम्मन निर्णय दे सके।

बाल केवल अनुच्छेद 105 के क्षेत्राधिकार की नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या विद्वेष सदन में किसी सदस्य को दबा-घमका सकते हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि

क्या यह दल का आन्तरिक मामला है। क्या दल के आन्तरिक दस्तावेज को इस सदन के परिसर में परिचालित किया जा सकता है, जबकि बाद-विवाद चल रहा हो? यदि सभा मतो द्वारा, निर्णय करती है तो भावी मार्गदर्शन के लिए इन सभी मुद्दों तक तक सम्मत निर्णय नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

श्री राजकुमार राय

इसमें कुल मामला इतना है कि क्या संसदीय कार्य मन्त्री, मुख्य सचिव के रूप में सदन के अन्दर किसी सदस्य को विह्वल जारी करके यह कह सकते हैं कि वह प्रागे न बोलें जबकि वह बोल रहे हों। ऐसा करना किसी सदस्य की वाक् स्वतंत्रता का हनन करना है। सभी ने यह स्वीकार किया है कि जो जारी किया गया था वह विह्वल था। यह भी सच है कि विह्वल जारी करना एक दल का आन्तरिक मामला है। अब निर्णय इस बात का होना है कि क्या किसी दल का मुख्य सचिव विह्वल जारी करने के लिए इस सदन के परिसर का उपयोग कर सकता है।

वास्तव में हम अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का उल्लंघन नहीं कर रहे थे जैसा कि आरोप लगाया गया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि हम विनिर्णय का उल्लंघन कर रहे थे तो उस हालत में भी केवल अध्यक्ष ही हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय अध्यक्ष महोदय इस विशेषाधिकार को संसदीय कार्य मन्त्रालय को सौंपना चाहते हैं। यह एक ऐसा मामला है जहाँ पर अध्यक्ष सभी बातों का साक्षी हैं। इसलिए मेरे विचार से विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। दूसरे एक ऐसे मामले पर जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निहित हों, सभा में मतदान द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो विशेषाधिकार समिति का कोई प्रोचित्य नहीं रह जायेगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को तुरन्त विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

श्री भोला नाथ सेन

संविधान में दसवीं अनुसूची के सम्मिलित किए जाने से उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। दसवीं अनुसूची के जोड़े जाने से दलीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है। एक निवैलीय सदस्य भी, यदि किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो वह अपनी सदस्यता खो सकता है। आज दल पद्धति का मान्यता दी गई है तथा अनुच्छेद 105 का, संविधान के सभी उपबन्धों के अधीन अनुच्छेद 19 समेत जो मौलिक अधिकारों के बारे में है, तथा अनुसूची दल के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

मुख्य सचिव का यह कार्य है कि वह हमारी उपास्थिति सुनिश्चित करे और अनुशासन बनाए रखे। यदि दल ने किसी बात पर कोई दखल अपनाया है तो दल

को सगद् में भी वह उस अपनाना होता है। दल को सुनिश्चित करने के लिए यदि मुख्य सचैतक अपने ही दल के सदस्यों में कुछ कहता है तो इसमें मेरे विचार में ससद् के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त

इस बात की जांच करना हागी कि क्या दमवी अनुसूची में कोई नई धारणा सामने आई है जिसका अर्थ है कि किसी विशेष राजनीतिक दल से संबद्ध होने से ससद् सदस्य को अव भाषणों की वह स्वतन्त्रता नहीं रही, जिसकी उसे सविधान और नियमों के अन्तर्गत गारन्टी दी गई है। यदि श्री रामधन द्वारा दिया गया बक्तव्य किसी भी प्रकार से अवमाननापूर्ण, दुःप्रयुक्त अथवा धमकी देने वाला हो तो यह बात समझ में आ सकती है परन्तु ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है... श्री भगत ने इस बारे में विद्वप जारी किया है कि वह अभी भी कांग्रेस दल में है और उन्हें निदेश दिए कि वह और कांग्रेस न बोलें और अध्यक्ष के विनियमों को स्वीकार करें। यह विद्वप है इसका पालन करना पड़ेगा। यह एक अभूतपूर्व घटना है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय अपना विनियम देना चाहे तो इस बारे में वह स्वयं फैसला कर सकते हैं। इसका निर्णय उनके विनियमों से अथवा विशेषाधिकार समिति को सौंप कर होगा। सहसा मदन में मतदान कराकर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है।

सत्तारूढ़ दल कांग्रेस (आई) के मुख्य सचैतक और ससदीय कार्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत ने सदस्यों की टिप्पणियों का उत्तर देते हुए निम्नलिखित कहा :

(एक) श्री रामधन और श्री राजकुमार राय दाता ही निरन्तर अध्यक्षपीठ के धारणा का उल्लंघन और कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे और इस प्रकार वे सभा की अवमानना कर रहे थे। अध्यक्षपीठ के विनियमों को ध्यान चुनौती देने से उन्हें रोकने और सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए विद्वप जारी किया गया था।

(दो) विद्वप का दायित्व न केवल सदस्यों की उपस्थिति और उनको दल के दल को समर्थन देने तथा मत देने के लिए कहना है बल्कि सर्वाधिकारियों के सदस्य द्वारा सभा की गरिमा और मर्यादा बनाये रखने में अध्यक्ष की सहायता करना है। विद्वप मदन को एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

(तीन) सदन में मुख्य सचैतक/विद्वप को अपने दल के सदस्यों को विद्वप जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। यह प्रथा है कि सदन में जब मत विभाजन होता है अथवा कुछ मुद्दे प्रस्तावित रूप में उठाये जाते हैं तो मुख्य सचैतक को अपने दल के सदस्यों को दल की नीति के बारे में स्पष्ट रूप से यह संकेत देना होता है कि वे क्या नीति अपनायें।

(चार) यह कहना सही नहीं है कि विद्वेष केवल दल के सभी सदस्यों को निदेश जारी कर सकते हैं किसी सदस्य विशेष को नहीं। अध्यक्ष के विनियमों को बार-बार चुनौती देकर तथा सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर जो सदस्य विशेषाधिकार का हनन करते हैं। सदन की मर्यादा और अनुशासन को भंग करते हैं उनको भी सचेतक अनुदेश जारी कर सकते हैं।

समदीय कार्य मन्त्री ने अपनी बात को समाप्त करते हुए इस बात को दोहराया कि उन्होंने सविधान के अनुच्छेद 105 में यथा लिखित सदस्यों की वाक्स्वतंत्रता में पूरा विश्वास है और ससद सदस्य के नाते उनके दायित्व का निर्वाह करने में उन्हें डराने अथवा उनके कार्य में बाधा डालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा

“मैं पूर्ण धन्यता के साथ इस बात को दोहराता हूँ कि मैं सविधान के अनुच्छेद 105 में यथा लिखित सदस्यों की वाक्स्वतंत्रता में विश्वास रखता हूँ और वर्तमान मामले में उनको ससद सदस्यों के नाते उनके दायित्व का निर्वहन करने से रोकने या बाधा पहुंचाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा उनसे कहने का आशय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था कि वे सदन में मर्यादा और अनुशासन बनाये रखने के हित में अध्यक्षीयता की अवहेलना करके और आगे न बोलें। माननीय सदस्यों के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा आशय केवल सदन के अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के उच्च स्तर को बनाये रखना मात्र था”—

वाद-विवाद के अन्त में अध्यक्ष ने सदन का ध्यान नियम 226 की ओर दिलाया जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है तो सदन प्रश्न पर विचार कर सकता है और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य या किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर सदन उस पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता अथवा उसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है। अध्यक्ष ने कहा —

“इस प्रकार सभा को या तो (क) इस मामले में निरुपेक्षितता है अथवा (ख) मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना है। यदि कोई सदस्य प्रस्ताव रखता है तो (क) अथवा (ख) पर विचार किया जा सकता है।”

परन्तु किसी भी सदस्य ने इस मामले पर सदन द्वारा फैसला करने अथवा जांच तथा रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं रखा। इन परिस्थितियों में अध्यक्ष के पाम उम दिन की कार्य-सूची की प्रगती में प्रविचार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

संक्षेप में कुछ मुद्दे जो उभरकर सामने आये हैं और जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है; वे संक्षेप में इस प्रकार हैं -

(एक) विद्वेष का पद समदीय दल के ढाँचे की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। सदन के भीतर वाद-विवाद में अपने सदस्यों की प्रभावी भागेदारी

और मत विभाजन के महत्त्वपूर्ण घवमरो पर उनको उपस्थित मुनि-रिचत कर दल व्यवस्था के बुजाल कार्यकरण का दायित्व इसे सोपा गया है ।

- (द) धू० के० मे, दल के निदेशो को व्हिप का नाम दिया जाता है जो सदस्यो को सभा मे उपस्थित रहने के लिए सम्मन की तरह के होते है परन्तु वास्तव में वहाँ पर व्हिप सदस्यो से कहते है कि "वह उनके दल के साथ मतदान करे भयवा उन्हें विद्रोही माना जावेगा, शायद दण्ड भी दिया जाए ।" यह केवल स्वरूप का अन्तर है । जहाँ तरु भारत मे हम स्थिति का गम्बन्ध है, बावनवाँ सविधान (मशोधन) अधिनियम मे मभी सदेह दूर हो गए है । जिसमे यह व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य दल द्वारा जारी किए गए किसी मदेश के विपरीत मतदान करता है भयवा मतदान मे भाग नहीं लेना है तो वह अनहंता का पात्र है । अतः व्हिपो के लिए दल द्वारा जारी किए गए निदेशो के अनु-सार सदस्यो को मतदान मे भाग लेने के लिए कहना पूर्णतः सर्वधा-निक है । यदि व्हिप की शब्दावली इस प्रकार हो तो विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है ।

- (तीन) यह एक सुस्थापित मान्यता है कि किसी मामले पर जिनकी शिकायत की गई है, सभा को यह निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है कि क्या वह विशेषाधिकार हनन का मामला है भयवा सभा की प्रवमानना का, क्योंकि सभा ही अपने विशेषाधिकारो का एकमात्र प्रहरी है । अध्ययन सभा मे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप मे कोई मामला उठाने की अनुमति देने समय केवल हम बात पर विचार करता है कि क्या वह मामला प्रागे जाँच करने के उपयुक्त है भयवा इसे सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए । वर्तमान मामले का बहुत असामान्य स्वरूप होने के कारण तथा चू कि यह मामला स्वयं सभा के समक्ष हुआ है, अध्ययन के पास इससे अन्ध्र और कोई विकल्प नहीं था कि वह इस सारे मामले को सभा के समक्ष रखे और वह जैसा चाहे वैसा निर्णय ले ।

- (चार) जिस स्वरूप में व्हिप जारी किए जाने है और जिन घवसरो पर विभिन्न प्रकार के व्हिप जारी किए जाते है, उनसे पता चलता है कि इस मामले में जारी किया गया व्हिप असामान्य था । वास्तव मे सत्तारुद दल और विपक्ष दोनो ने इस बारे मे सदेह व्यक्त किया है कि क्या मन्त्री द्वारा दो सदस्यो को जारी किए गए लिखित निदेशो को व्हिप माना जा सकता है ? कांग्रेस (भाई) दल के श्री शरद दिपे ने कहा है कि उनके विचार से यह व्हिप न होकर केवल निदेश था,

सभा के एक सदस्य को घागे कोई अवमानना न करने के लिए दिया गया एक भिन्न का परामर्श । योजना मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) की राय थी कि "तथाकथित विद्रुप परामर्श के अतिरिक्त और कुछ नहीं था ।" संसदीय कार्य मन्त्री ने भी इस बात को पूर्ण स्पष्ट किया कि विद्रुप सदस्यों को यह कहने के लिए जारी किया गया था कि वे पीठासीन अधिकारी के विनिर्णय को चुनौती न दें ताकि सभा की मर्यादा कायम रखी जा सके और सदस्यों के वाक्स्वातन्त्र्य के अधिकार को छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

- (पाच) इस मामले में दल परिवर्तन कानून लागू नहीं होता क्योंकि उस कानून के अन्तर्गत अनर्हता का प्रश्न तभी उठता है यदि मतदान करने अथवा मतदान से विरत रहने के मामले में निदेशों की अवहेलना की जाये, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को एक याचिका दी जाए और अध्यक्ष इस प्रकार की अनर्हता के पक्ष में निर्णय दें ।

विशेषाधिकार के मूल प्रश्न, जिनके बारे में पाच सदस्यों ने नोटिस दिया था, पर सभा में केवल चर्चा हुई थी । सभा में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था और न कोई घोषणा की गई थी तथा न यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था । तथापि कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि इसके परिणाम-स्वरूप भविष्य में इस प्रकार का विद्रुप जारी किए जाने की कोई संभावना नहीं है । जिन कुछ मुद्दों को अनिर्णीत और गुता छोड़ दिया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

(एक) क्या

(क) सदन में

(ख) दल के केवल कुछ सदस्यों को

(ग) सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यक्षपीठ की सहायता करने और अध्यक्षपीठ के विनिर्णय/आदेशों का पालन करने के प्रयोजन में

विद्रुप—भौतिक अथवा लिखित—जारी किया जा सकता है ?

(दो) क्या इस प्रकार जारी किए गये विद्रुप को

(क) सदन में सदस्यों के वाक्स्वातन्त्र्य के अधिकार का हनन करने वाला, उन्हें डराने-धमकाने वाला और सदस्य के नाते उनके दायित्वों के निर्वाह निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने वाला

(ख) सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन और सभा की अवमानना करने वाला माना जा सकता है ?

संसदीय विशेषाधिकार के मामलों को यों ही नहीं उठाना चाहिए और जब उन्हें उठाया जाता है तो उन्हें दलगत मामलों के रूप में न लेकर मूख्य सदन और

इसके सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा, मर्यादा और अधिकारों के मामलों के रूप में लिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर सभा में राय दलगत आधार पर विभाजित थी। संभवतः इसीलिए विशेषाधिकार के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया और अध्यक्ष ने स्थिति को निपुणता से नियंत्रित हुए और सदन ने अपनी बुद्धिमत्ता से प्रश्नों को खुला और अनिश्चित छोड़ दिया।

संदर्भ

1. राबर्ट जे० जैक्सन, रिचेल्स एण्ड डिह्लिय, लन्दन, 1968, पृ० 4-5
2. जैक्सन, उद्धृत कृति, पृष्ठ 40-41
3. लार्ड हेल्शम के अनुसार "विधेय सदस्यों को केवल हाउस में माने के लिये कहता है न कि यह कि वे किस प्रकार मतदान करें," दूसरे शब्दों में, विधेय मतदान करने के लिए बुलावा नहीं है अपितु हाउस में उपस्थित रहने के लिये बुलावा है तथापि जार्ज विंग ने हाउस आफ कामन्स में इस विचार का विरोध किया था जिनका यह विचार था कि तीन बार रेकार्डित विधेय दल के निर्णय के प्रति वफादार रहने की आखिरी शर्त" है। (जैक्सन, उद्धृत कृति पृष्ठ 169-70)
4. जैक्सन, उद्धृत कृति, पृष्ठ 305
5. केनथ ब्राडशॉ एंड डेविड प्रिग, पार्लियामेंट एण्ड कार्पेस, 1972, पृष्ठ 34
6. जैक्सन, उद्धृत कृति, पृष्ठ 216
7. लोक सभा वाद-विवाद, 1 अगस्त, 1973 कालम 4514-29
8. वही 22 दिसम्बर, 1978 कालम 314-20

संसद् और हास्य विनोद

“पालियामेट” शब्द फ्रांसीसी भाषा के पार्ले-मो-पार्ले शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है “वातचीत” अथवा “विचार-विमर्श” । क्रिया के रूप में इसका अर्थ होगा “वातचीत करना” अथवा “विचार-विमर्श करना” । वास्तव में एक ब्रिटिश विचारक ने पालियामेट को “वातचीत शाला” की सजा दी है ।

संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार का संचालन चर्चा और वाद-विवाद द्वारा होता है । जबकि अन्ततः निर्णय बहुमत के हाथ में रहता है, अल्पमत को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए । भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब भारतीय जनता का बहुमत चाहे कुछ भी कहे, ब्रिटिश शासक अपनी मनमानी ही करते थे । एक कहानी है कि किसी अंग्रेज से पूछा गया कि भारत में संसद् भवन का आकार गोल क्यों है, तब उसने विनोदात्मक टिप्पणी की कि जानबूझ कर इसका नक्शा “शून्य” के आकार का बनाया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि यहाँ आप निरन्तर वातचीत कर सकते हैं, परन्तु वस्तुतः परिणाम शून्य ही रहेगा, आप चक्कर लगाते रहेंगे और लगभग तीन चौपाई मील चलने के बाद भी आप वही पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने चलना शुरू किया था ।

संसद् भारी तनाव और दबाव (Stress & Strain) की स्थिति में कार्य करती है । इसमें अनेक कठिन क्षण आते हैं । लोक सभा के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने जो अपने विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार गंभीरतापूर्वक कहा था कि उन्हें अपने रक्तचाप एवं सिरदर्द को सही करने तथा सभा में, विशेषतौर पर तथाकथित “क्लूबहाल” के दौरान, शोरगुल का सामना करने के लिए “एस्पिरिन” की गोलियां लेनी पड़ती हैं ।

एक बार किसी परिकल्पित सर्वैधानिक प्रश्न पर व्यवस्था (Ruling) देने के बारे में, इन्हीं अध्यक्ष महोदय ने सभा को बताया कि मविधान में ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई थी और इसलिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है । उन्होंने कहा कि भारत का मविधान तो भद्र पुरुषों ने भद्र पुरुषों के लिए तैयार किया था, उस समय उन्हें क्या पता था कि कभी ऐसे भी प्रश्न उठाने जाएंगे ।

सभी घट्यशो को एस्पिरिन की गोनिदा लेने की आवश्यकता का बुरा अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि सभा की रचना तथा स्वरूप बदलना रहता है और घट्यशो के दृष्टिकोण और स्वभाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

हमारे एक घट्यशय महोदय, श्री धनन्तगयनम् घट्यंगर को मदन में त्रियागीन कार्यक्रम देखते हुए, यात्रा पर आए हुए एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति ने टिप्पणी की - "आपका घट्यशय वास्तव में बोलता है।" कुछ समय पश्चात् तत्कालीन उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने एक पार्टी में इन्हीं घट्यशय महोदय को कहा, "घट्यशय महोदय, आपका नाम धनन्तगयनम् की बजाय धनन्तवचनम् होना चाहिए, घट्यान् निरन्तर बोलने वाला व्यक्ति।" घट्यशय डा० बनराम जामद—तथाकथित शून्यकाल के दौरान अपने काम में विशेष ध्यान देते थे। वह प्रायः मद्रस्यों को विनोद में बताने कि धनसंत्रावधि (Inter session) में वह उदाग हो जाते हैं, जीवन नीरम हो जाता है। वह प्रायः हाज़िरजवाबी एवं विनोदप्रियता (Wit and humour) का प्रमाथी इस्तेमाल करते थे। इसमें मदन की कार्यवाही में जान पड़ जाती थी। इसके अतिरिक्त, इसमें ठर्क की कटुता और विवाद का सीमापन भी हमी के टहकों में लुप्त हो जाता।

एक बार मदन में विपक्ष किमी विवादास्पद विषय पर बहान करना चाहता था। पीठासीन अधिकारी कुछ उत्तेजित मद्रस्यों को शान्त करने का प्रयास करते हुए एक महिला मद्रस्य से यह कहना चाह रहे थे कि घट्यशय तो मदन के हाथों में हैं। उनके मुख से निकला, "मैं तो आपकी बाहों में हूँ।" सारा मदन टहकों में पूँज उठा। शापद घट्यशय और महिला दोनों ही गर्मा गये। इसी प्रकार, एक बार व्यवस्था के एक प्रश्न पर धपना विनिर्णय देते हुए घट्यशय ने कहा : मेरा विनिर्णय यह है कि प्रश्न समाप्त होता है और व्यवस्था कायम रहती है।"

एक बार जब घट्यशय महोदय का ध्यान सभा में दोपहर बाद शापकी का आनन्द से रहे एक मद्रस्य की ओर दिनाया गया तो घट्यशय ने विनिर्णय दिया कि सोने की अनुमति है, केवल खरटि लेना धममदीय है।

जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि होने के नाते, समद् मद्रस्य देण के विशेष सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। यद्यपि समद् के मदनो की कार्यवाही का मखानन प्रतिष्ठा एवं मर्यादा में तथा नियमों के अनुसार किया जाता है, तथापि इसका यह धर्य नहीं है कि वे मर्दव सम्भोर एवं नीरम बने रहें। हाज़िरजवाबी, वाक्पटुता और हास्य-विनोद मद्रस्यों के वाद-विवाद रूपों तरकज के तौर हैं, विपक्षी को धुप कराने के लिए इनका प्रयोग बड़े प्रभावशाली ढंग में किया जाता है।

वयोवृद्ध मासद आचार्य कृपलानी कभी धपना और कभी धपनी पन्नी श्रीमती मुचेता कृपलानी का हवाला देकर सभा में गृह टहकों लड़वाते थे। श्रीमती कृपलानी काग्रेस पार्टी की सदस्य थी, जबकि श्री कृपलानी विपक्ष के नेता। एक

बार जब श्री कृपनाती काप्रेस मरबार की घानोचना करने लगे तो एक सदस्य ने इस तथ्य की घोर उनका ध्यान दिनामा कि वे उम पाटों पर प्रहार कर रहे हैं जिन पाटों ने उनकी पत्नी को घानादिन किया है। हाजिरजवाब घाचार्य ने, जो स्वयं भी घानने जीवन के अधिकांश भाग में काप्रेस के सदस्य रहे थे और जिन्होंने काप्रेस के प्रथम मर्हिण घनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर काम किया था, तत्काल परिहासपूर्ण उत्तर दिया, 'घब तक तो मैं काप्रेस के लोगों को बेवकूफ ही मानता था। मुझे पता नहीं था कि वे ऐसे बदमाश भी हैं जो दूसरों की पत्नियों को भगा ले जाते हैं।' घनुभवी नेता के दिलजग हास्य-विनोद में सत्तापक्ष के लोगों सहित मम्पूर्ण सदन कहकहों में गुंज उठा।

एक ऐसा मच होने के कारण जहाँ घरघन विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा होती है, यह स्वाभाविक है कि सत्ता घोर विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच मसद् में कभी-कभी तीव्र वाद-विवाद हो घौर वो एक दूसरे के लिए सुनने वाले घौर उनजनात्मक शब्दों का प्रयोग करें। इस प्रकार उत्पन्न राजनीतिक परमा-गरमी के चरम क्षणों में एक हत्का मा मजाह गरमागरमी को समाप्त करने घौर सदन का वातावरण सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए, भारत पर चीन के हमले के समय पण्डित नेहरू ने सदन को यह कहकर घाजवन्त किया, 'हम अपनी सीमा को एक इंच जमीन भी चीन को नहीं देंगे।' यह सुनकर अत्यधिक सुखर सदस्य श्री हरि विष्णु कामत घपने को नहीं रोक सके घौर उन्होंने खड़े होकर प्रधानमन्त्री से पूछा 'घापके नक्शे में एक इंच कितने मील के बराबर है।' इस हाजिरजवाबी से प्रधानमन्त्री के साथ ही सदन के सभी सदस्य हँस पड़े। पण्डित नेहरू विनोदप्रिय तो थे ही, वह विनोद का घानन्द भी गूब लेते थे। एक बार जब उन्होंने घामाई घिन के बारे में यह कहा कि यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तो बयोदृढ सदस्य महावीर त्यागी तत्काल खड़े हो घौर उन्होंने घपने गजे मिर की तरफ इगारा करते हुए कहा 'मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है इसलिए क्या मैं अपना मिर शत्रु को मौप दूँ।' यह सुनकर सभी हँस पड़े घौर पण्डित नेहरू सबसे पहले हँसने वालों में थे।

एक बार जब बाबू जगजीवन राम सदस्यों की पत्नी-पति के लिए नि शुन्क रेल यात्रा का विधेयक पेश कर रहे थे, तो एक घविवाहित संमद् सदस्य ने पूछा कि क्या वह किसी मायी को घपने साथ ले जा सकते हैं। बाबू जी ने कहा 'यह विधेयक पत्नी/पति के लिए है, मायूक के लिए नहीं।'

राज्यमभा में जब एक घविवाहित सदस्य ने घपना घौर सदन की एक घविवाहित महिला सदस्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विधेयक में उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया कि दोनों घविवाहित सदस्य एक दूसरे की समस्या मुलभा सकते हैं।

एक बार एक भारी-भरकम सदस्य ने श्री पीतू मोदी पर यह आरोप लगाया कि वह अध्यक्ष की ओर पीठ करके खड़े हैं, और इस प्रकार वह अध्यक्ष के आसन का अपमान कर रहे हैं, तो श्री मोदी ने अपने बचाव में कहा, "श्रीमान् मेरे तो न आग है न पीछा, मैं तो गोल मटोल हूँ।"

एक बार तत्कालीन विदेश मन्त्री एक मुद्दे की व्याख्या कर रहे थे तो एक सदस्य उठे और उन्होंने कहा, "श्राव श्री वाजपेयी का 'ब्रतवाश' क्यों नहीं कर देते," तब तक एक अन्य सदस्य से श्री मोदी ने पूछा कि "क्या मन्त्री महोदय को मन्त्रूम है कि ब्रत होता क्या है?" मन्त्री ने उत्तर दिया— "मुझे मालूम है कि उनका दिमाग टयनों से म्बित है।" लेकिन श्री मोदी आसानी से निरस्त हो जाने वाले नहीं थे, उन्होंने पलट कर कहा— "मैंने आपसे कहा था कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि बस्तुतः दिमाग कहा होता है, इसीलिए उनकी नीतियाँ असफल हो जाती हैं। हास्य-विनोद अन्तर्राष्ट्रीय मामलों जैसा सरल नहीं है।"

हिन्दू विवाह (संगोष्ठन) विधेयक पर चर्चा करते हुए एक सदस्य ने कहा कि विधेयक प्रस्तुत करते हुए मन्त्री महोदय असमजस में पड़े हैं। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया— "विवाह भी तो असमजस की परिणति है।" सदस्य ने झटते ही कहा— "असमजस (अनपूजन) ही नहीं, बल्कि समजस (पूजन) की परिणति है। दोनों में बहुत फर्क है।"

किसी अन्य समय की अप्रशा प्रश्नकाल के दौरान हमें अधिक मुंहतोड़ उत्तर सुनने का मिलता है। एक बार ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया जो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने विदेश दौरे के दौरान अपनी पत्नी को निजी सचिव के रूप में साथ ले गया था। मुख्य प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया कि दौरे के दौरान सचिव की उपस्थिति किमर्थ थी तो पत्नी के प्राणी है, आवश्यकता की थी तो अवकाश मुविद्या की थी तो मे। तुरन्त उत्तर था— "पत्नी के रूप में आवश्यकता और सचिव के रूप में मुविद्या।" इसे सुनकर पूरा सदन ठहाका से गूँज उठा।

एक अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए एक सदस्य ने दूरदर्शन केन्द्र की इस बात के लिए आलोचना की कि वह अन्य जीव जैमे विषयों के लिए भी आयोजित कार्यक्रमों पर अधिक निर्भर रहता है जबकि 'प्रदेश के अन्य प्राणियों की कहीं भी कोई कमी नहीं है।' एक दूसरे सदस्य ने इस पर तुरन्त कहा— "समद् में भी अन्य प्राणियों की कोई कमी नहीं है।' हँसी के बीच अध्यक्ष ने चुटकी ली कि इसका कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है।

एक अन्य अवसर पर एक सदस्य ने मन्त्री से पूछा— 'सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।' मन्त्री ने उत्तर दिया— 'हम क्रिया (काम) करने में विश्वास रखते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करने में नहीं।'

पुनः जब एक सदस्य 'हेरोइन' (मादक द्रव्य) के बारे में बोल रहे थे, एक दूसरे सदस्य ने पूछा—'हेरोइन या हिरोइन' और टिप्पणी की कि उन्हें हिरोइनों की बहुत चाहत है। तथापि, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह उस अवस्था को पार कर चुके हैं।

तिहाड जेल में हेरोइन से हुई मौतों के बारे में एक ताराकित प्रश्न के अनु-पूरकों के उत्तर देने हुए गृहमन्त्री श्री एम. थो. चट्टाण ने स्पष्ट किया—

“... …लेकिन प्रितिभिनरी इन्फार्मेशन है कि उन्होंने वहां छिपकली की पूछ खाई थी।”

इस पर एक सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा 'चूंकि सभी छिपकलियों की पूछ में हेरोइन नहीं होती, मैं जानना चाहती हूँ कि उस विशेष छिपकली की पूछ में हेरोइन कैसे आ गई?' जब मन्त्री महोदय ने इस पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तो प्रो. मधु दण्डवते ने टिप्पणी की, 'छिपकली खुद हिरोईन है।'

एक अन्य मामले में जब श्रीमती ने अपने उत्तर में बताया कि अनुक यूनित प्रगति के उन्नत चरण में है, तो सदस्य ने प्रगति वा वास्तविक चरण बताये जान पर जोर दिया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने पूछा "आप उन्नत चरण नहीं समझते?" सदस्य ने उत्तर दिया, "नहीं श्रीमान्, क्या यह प्रसव पीडा की स्थिति है? उन्हें सर्वत्र लेबर प्रीवन्स पेश आ रही हैं।"

जब एक सदस्य ने यह कहते हुए एक अन्य सदस्य की प्रशंसा करनी चाही कि वह एक अनुभवी (सीजण्ड) सासद हैं, तो इस पर तुरन्त स्पष्टीकरण मांगा गया

“सीजण्ड या सीजनल सदस्य (अनुभवी अथवा मौसमी)।”

एक बार एक सदस्य ने यह शिकायत की कि वे वही प्रश्न बार-बार पूछ चुके हैं तथा हर बार उन्हें वही उत्तर मिला है। अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की "कितनी स्थिरता है।"

एक बार एक सदस्य, श्री पी. भोदी ने योजना मंत्री में अनुरोध किया कि वे उनके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर लम्बे भाषण में नहीं, केवल तीन शब्दों में दें। योजना मन्त्री श्री डी. पी. घर ने जब केवल तीन शब्दों में उत्तर दिया—“मुझे नोटिस चाहिए” तो सभा में सभी सदस्य खूब खिलखिला कर हँसे।

जब पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में तेल के ट्रिलिंग कार्य में व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में ताराकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे, एक सदस्य, श्रीमती फूलरेणु मुहा ने बताया कि मिदनापुर में तेल की 'ट्रिलिंग' का कार्य चल रहा है। उस पर एक अन्य सदस्य प्रो. मधु दण्डवते ने पूछा "क्या ट्रिलिंग जमीन के नीचे की जा रही है।" तब अध्यक्ष महोदय डा० बलराम जाम्बड ने हँसते हुए पूछा "क्या ट्रिलिंग जमीन के ऊपर भी हो सकती है?"

जब प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, ससद् सदस्य श्री अमिताभ बच्चन ने, जिनका वद छ फुट से अधिक है और जो बंटे हाने पर भी नहीं छिपते, अध्यक्ष महोदय का ध्यान अपनी धार भाकर्णित करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अध्यक्ष ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका हाथ अध्यक्ष महोदय के हाथ की तरह काफ़ी लम्बा है, चाहे वह आधा ही उठाया गया हो, सभा में ठहरो के बीच सदस्य ने टिप्पणी की कि वह तो अभी बंटे ही हैं, खड़े नहीं हुए हैं।

इसी प्रकार जब 13 मार्च, 1986 को 'केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा शोध-धालों के लिए दबाइयों की सप्लाई' संबंधी ताराकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री श्रीमती मोहमिना किदवई ने बताया "हमने यह तय किया है कि ज्यादातर दबाइया पैकेज वाली दी जाए, जिन पर टेबलेट की 'एक्मपायरी डेट' वगैरह हो।" तो एक सदस्य, प्रो० मधु दण्डवते ने पूछा

'एक्मपायरी डेट टेबलेट को या वेजेंट की ?'

प्रश्न बाल के परचात् सभा की कार्य-भूषी के अनुसार मद के अन्तर्गत कुछ पत्र सभापट पर रने जाते हैं। एक बार लोक सभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने बताया कि सभा में जो कुछ भी कहा जाता है वह उसकी कार्यवाही वृत्तात का एक हिस्सा बन जाना है। उन्होंने आगे यह भी टिप्पणी की कि 'यदि मैं यहा अपनी पत्नी का उल्लेख भी करू तो वह भी ससद् के कार्यवाही वृत्तात का एक हिस्सा बन जायेगी।' इस पर एक सदस्य ने तुरन्त कहा 'महोदय, अपनी पत्नी का उल्लेख न करें, वरना कोई यह माग करेगा कि उन्हें सभापटल पर प्रस्तुत किया जाए।' इस पर समूची सभा में हँसी मूँज उठी।

सभा पटल पर रने जाने वाले पत्रों आदि कार्य के निपटाने के बाद सभा ध्यानाकर्णण प्रस्तावों, जेमे लोक महसुब के विषयो पर चर्चा करती है। इस अवधि के दौरान सभा में प्राय बड़ी गरमापरम बहस होती है, किन्तु हमेगा ऐसा नहीं होता। कुछ हल्के-फुल्के ढारा भी भाते हैं जब हास्य विनोद चलता है।

एक बार एक सदस्य तथा अध्यक्ष महोदय के बीच एक मामले पर झड़प हो गई। सदस्य एक मामले को, जिसकी उन्होंने नोटिस भी दे रखी थी, उठाने का आग्रह कर रहे थे तथा अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। इसमें काफ़ी र्नाबधुर्गा वान्तावर्णा पैदा हो गया। एक अन्य सदस्य ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे सदस्य की टिप्पणी के सृजे पर अधिक ध्यान न दें क्योंकि 'सदस्य अपनी पत्नी में भी इसी तरह पेश भाते हैं।' तब जाकर कही तनाव कम हुआ।

इससे मुझे एक अन्य पत्नी-प्रकरण की याद आती है। लोकसभा के एक बहुत बरिष्ठ सदस्य ने रेल बगट पर बोलते हुए रेलवे द्वारा नियुक्त किये

मानदण्ड क्या है ? मन्त्री महोदय द्वारा यह कहे जाने पर कि यद्यपि व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले धावश्यक तत्त्व सुविदित हैं, तथापि व्यक्तित्व के आकलन गवधी नियमों का निर्धारण करना कठिन है, एक अन्त्य सदस्य बीच में बोल पड़े कि 'मेरे विचार से व्यक्तित्व परीक्षा ऐसी है जैसे पहली नजर में प्यार हो जाना।' इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने मजाक में कहा, 'इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव है, परन्तु उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता।'

कभी-कभी सदन में हास्य विनोद पर बहुत जोर का ठहाका लगता है। कहा जाता है कि किसी विधान मण्डल की प्रेस दीर्घा में बैठा हुआ प्रेम सवाददाता किसी मजाक पर इतने जोर से हँसा कि उसके तकली दांत नीचे सदन में अध्यक्ष पीठ के समीप जाकर गिर पड़े।

घाठवी लोकसभा में एक दिन एक बड़ा विनोदपूर्ण वाद-विवाद हुआ। जब प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने कहा, हमारे दल की सदस्य महिला आपके सामने है, श्री एच. एम. पटेल ने कहा, 'आगे देखेंगे।' श्री राजीव गांधी ने तब कहा, 'मैं आगे देख रहा हूँ। आप 1990 में देखेंगे...' तब उस पंक्ति में भी हमारे दल के सदस्य बैठे होंगे।' प्रो० मधु दण्डवते ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, 'इसका कारण यह होगा कि कुछ वर्षों के बाद हम इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि उस ऊपरी सदन में चले जायेंगे।' इस पर श्री राजीव गांधी ने तुरन्त उत्तर दिया, 'महोदय, हमें इन्हें उस ऊपरी सदन में भेजने की जल्दी नहीं है। परन्तु हमें सुशी है कि वह यह मानते हैं कि ससद् की वर्तमान अवधि के पश्चात् नई लोकसभा में कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेताओं की इन पंक्तियों पर भी कब्जा कर लेगी।' यह दूसरी बात है कि जब नवी लोक सभा के लिये हुए चुनावों के नतीजे आये और नये सदन का गठन हुआ तो 1990 आने में पहले ही सरकारी और विरोध पक्षों की और पंक्तियों की स्थिति विस्फुल्ल बदल गई।

पुनः गाम को 5 बजे वर्ष 1986-87 के ग्राम बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए सभा की बैठक शुरू होने के समय अध्यक्ष महोदय डा० बलराम जाखड ने टिप्पणी की कि 'इस समय सब सदस्य उपरिधत हैं' इसके तुरन्त बाद कवि और संसद सदस्य, श्री बालकवि बैरागी ने कहा—'मैं राजा विश्वनाथ प्रतापसिंह को एक शेर पंक्कर सुनाता हूँ—

'यह हक है आपको कि आप चाहे जो करें।

पर कल भी करें तो प्यार से करें।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की—

'भ्रमी हम और बैरागी जी एक मुनायरे से घा रहे हैं।

आप उनकी बात का ध्यान रखें। आप जो कुछ भी डोज दें, वह शूगर कोटेड होनी चाहिए।'

वित्त मन्त्री का वर्ष 1986-87 का बजट भाषण सबसे लम्बा बजट भाषण बताया गया है। (साथ 5 बजे प्रारम्भ होकर गाय 7 25 बजे अर्थात् लगभग दस घण्टे चला)। एक सदस्य प्रो० मधु दण्डवते ने, जो ऐसा लगता था, कि लम्बा भाषण सुनते-सुनते उकता गए थे, बीच में बोलते हुए कहा—'ब्या भाषण की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।' इसके पश्चात् एक अन्य सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा—'कितने पृष्ठ शेष रह गये हैं।' वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर दिया—'यदि आप सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लें तो मैं इसे इसी समय समाप्त किए देता हूँ।' चुटकी लेते हुए प्रो० मधु दण्डवते ने तुरन्त कहा 'यकान से विचलित हुए सदस्य आपके प्रस्तावों को स्वीकार कर सकेंगे।' इसके पश्चात् प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने परिहामपूर्ण टिप्पणों की कि 'स्पष्टतया, हम जो गहन प्रदान कर रहे हैं, विपक्ष के सदस्य उसे देखकर ऊब गए लगते हैं।'।

समूचे विश्व की सदस्यों के सभी पीठासीन अधिकारी सभा की कार्यवाही के संचालन में सदैव हाजिर-जवाबी और हास्य विनोद का प्रयोग करते हैं। इनकी हाजिर-जवाबी और हास्य-विनोद वास्तव में कार्यवाही को जीवन्त बना देते हैं। राष्ट्रमण्डलीय देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में हुए शीटर्षे सम्मेलन में हमें कुछ ऐसी विनोदपूर्ण उक्तियों की झलक मिली थी। गम्भीर और लम्बी चर्चाओं के दौरान सम्मेलन में विनोदपूर्ण धरु भी आए। सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ प्रतिनिधियों ने अपनी हाजिर-जवाबी और विनोदपूर्ण उक्तियों से प्रतिनिधियों तथा पर्यवेक्षकों का भरपूर मनोरंजन किया। उदाहरण के लिए—

'एक दलीय सदस्य और वेस्टमिस्टर प्रणाली' पर चल रही चर्चा के बीच बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष डा० बलराम जालड ने एक चुटकुला सुनाया। उन्होंने कहा—'एक बार एक राजकीय रहस्य चुरा लिया गया। इस पर बहुत शोर-शरावा हुआ और अफगाणी को पकड़ने के लिए चारों ओर पुलिस भेजी गई। किसी ने पूछा—'राजकीय रहस्य क्या है?' उत्तर दिया गया कि यह नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह 1990 का चुनाव परिणाम है।'।

डा बलराम जालड ने प्रतिनिधियों को एक और मजाकिया किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा 'आप कोई विकल्प नहीं बताते। आपको पता है कि एक बार एक मज्जत एक महिला के पास गए और उन्होंने उसके सामने दो विकल्प रखे और कहा कि वह दोनों में से कोई एक विकल्प चुन लें।' महिला ने पूछा—'विकल्प क्या है?' उस व्यक्ति ने कहा—'या तो आप मुझसे विवाह कर लें अथवा मेरी पत्नी बन जायें।'।

उसी विषय पर बोलते हुए, जिम्बाबवे की हाऊस आफ असेम्बली के अध्यक्ष डा० डी० एन० ई० मुतासा ने यह मुन्दर टिप्पणी की—'वेस्टमिस्टर प्रणाली एक

विश्वविद्यालय उपाधि के समान है जिसे एक दलीय ससदें सरलता से प्राप्त कर सकती हैं।'

'पीठासीन अधिकारियों की राजनीतिक स्थिति' सम्बन्धी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, ब्रिटिश हाऊस आफ कामन्स के अध्यक्ष राइट ग्रानरेबल बर्नाड वेदरिल ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि 'अध्यक्ष को पहले अध्यक्ष होना चाहिए और बाद में राजनीतिज्ञ न कि इसके विपरीत।' उनके अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूर्ववर्ती अध्यक्ष मि० जार्ज थामस द्वारा उन्हें दो मई सलाह को उद्धृत किया गया जिन्होंने कहा था—'अब से आप जो मांगेंगे वह मिलेगा, अतः मेरा परामर्श है कि आप जो कुछ मांगें उसके सम्बन्ध में काफी सावधान रहें।'

संसदीय हास्य विनोद के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं । हास्य-विनोद एक ऐसा साधन है, जिससे अनेक तनाव दूर हो जाते हैं तथा उपयोगी वाद-विवाद के लिए तनाव रहित अनिवार्य मन स्थिति उत्पन्न हो जाती है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि ससद की सभा की कार्यवाही में और अधिक हाजिर-जवाबी और हास्य-विनोद हो । अधिकालेखक सदस्यों को ससद में शिष्ट हास्य-विनोद तथा उसकी उपयोगी भूमिका को सराहना करनी चाहिए ।

लोक सभा में कविता और शेर-ओ-शायरी

कविता और शायरी हमारे भावों की ऐसी अभिव्यक्ति है, जो आदमी की जिन्दगी की सारी उदासीनता और उस्ताहट को बाहर निकाल कर उसे उल्लास और सहृदयता में भर देती है। उनमें यह ताकत है कि वे बेजान माहौल को जिन्दगी में भरपूर माहौल में तब्दील कर दें, तीरम वातावरण में सरसता ला दें। कभी-कभी जब लोक सभा में गभीर कामकाज निबटाने-निबटाते सदस्यों को कुछ ऊब होने लगती है और कुछ जहनी तनाव सा पैदा हो जाता है तो शायरी के रूप में दिल की गहराइयों में उमरे माननीय सदस्यों के भाव रंगीनी और तुशदू भर देते हैं और नाग माहौल एक बार फिर खुशगवार हो जाता है। इसके मानव मन की गहराइयों पर नजर डालने और उस अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। ये छोटे-छोटे शेर और कविता के पद कई सामाजिक बुराइयों पर से पर्दा उठा कर उन्हें बेनकाब कर जिन्दगी का बेहतर और स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक होते हैं। मैंने अक्सर यह अनुभव किया है कि सदन में वाद-विवाद (Debate) से किसी विषय पर चर्चा में इतना अग्र नहीं होता जितना शेर-ओ-शायरी या फिर कविता की कुछ पक्तियों में। कवित्व की दो-चार लाइनें दिल और दिमाग को कभी-कभी इतना झकझोर देती हैं कि घटो की बहम और वाद-विवाद भी उतना अग्र नहीं करते।

प्रस्तुत लेख में सातवीं और आठवीं लोक सभाओं में शेर-ओ-शायरी द्वारा अभिव्यक्त रमिक सदस्यों के भावों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। यह देखने लायक है कि शेर-ओ-शायरी के माध्यम में माननीय सदस्यों की भावाभिव्यक्ति ने किस प्रकार (1) राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव, (2) स्थान प्रस्ताव (3) बजट-अनुदान मांगों पर चर्चा, (4) मन्विधान संशोधन विधेयक और (5) अविन्यवनीय महत्त्व के विषयों जैसे गुरुक विषयों पर चर्चाओं को पुररगीन बना दिया।

आठवीं लोक सभा में माननीय बालकवि बैरागी, श्री जी. एम. वनातवाला, श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, बेगम याविदा अहमद, श्रीमती मोहमिना क़िदवई, श्री जेंट ए अमारी आदि जैसे अनेक सदस्य थे जो मदन में अक्षर अपनी भावार्थ-व्यक्ति के लिए शेर, कविता या तुकबन्दिशों का सटीक प्रयोग कर पूरे माहौल को सरम बना देते थे। अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ स्वयं भी सदागत के साथ-साथ ऐसे मौकों पर पीछे नहीं रहते थे। ससद् अक्षर भारी तनाव और दबाव की स्थिति में कार्य करती है। इसमें अनेक कठिन क्षण आते हैं। ऐसे में लोक सभा के अध्यक्ष को बड़ी कठिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। कभी माहस से, कभी धैर्यपूर्वक और कभी विनोद करत हुए वे इन परिस्थितियों से जूझते हैं। अध्यक्ष को सक्षम और सूझ-बूझ वाला होने का साथ विनोद प्रिय भी होना आवश्यक है।

बजट सत्र के दौरान 27 मार्च, 1989 को जैसे ही मदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई कुछ विपक्षी सदस्यों ने व्यवस्था सबधी प्रश्न (Pointed order) उठाया और सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने लगे। अध्यक्ष महा-दय ने गंभीरतापूर्वक कहा— “मुझे आपका ऐसा करना बुरा लगता है, हम ससद् का बहुमूल्य समय को किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं” और ऐसे में उनका व्ययक्त हृदय घाहत होकर निम्न रूप में फूट पड़ा—

यू रायगा काजिये न सजदे मेरे
मेरा क्या मैं उठ कर चला जाऊँगा
मगर देखना फिर न कहना पड़े
कि इक सर चाहिए मंगे दर के लिए

बजट जैसे घाकटो के खेल का शुष्क विषय हो और घाकटो की चट्टानों में गुलाब की खुशबू धा जाए, यह भी वर्ष 1988-89 के सामान्य बजट के समय देखने में आया। बालकवि बैरागी जी को श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा 29 फरवरी, 1988 को प्रस्तुत बजट की तकरीर का पहला भाग बहुत अच्छा लगा। किन्तु उन्हें डर था कि तिवारी जी अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से में जिनके जगिये नये टैक्स और उनमें रद्दोबदल का ऐलान होता है, नये टैक्स न लगा दे या उनमें बदोत्तरी न कर दें। तिवारी जी को बीच में गोकने हुए बैरागी जी ने कह डाला—

“हय सफर हूँ आपका मजतूम हूँ मुफलिस भी हूँ,
हाय कन्धो पर ही रखना जेब में मत डालना।”

वित्त मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी हाजिर जवाबी में पीछे नहीं थे उन्होंने श्री बैरागी जी द्वारा दर्गायी गई मम्मायना का दो टुक जवाब देते हुए कहा—

“ए दोस्त बता दू क्या फर्क तुझमें मुझमें है,
मेरा दर्द दर्द तन्हा मेरा दर्द दर्द जमाना है।”

भूतपूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी ता जब सदन में बंधे होते थे ना शक्कर के शेर या काबूला की दा चार पंक्तियाँ कह कर राव को तर्कहीन बना देते थे । वान मर्ड, 1987 की है । विपक्षी सदस्यों ने मन्थि-परिषद् में अविश्वाम का प्रस्ताव पेश किया और सत्ता पक्ष पर बड़े पैसे प्रहार किये । ऐसे में ज्ञानी जी ने विपक्ष के माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा—

“तुम तीर मारो भीने पर ब्रजक,

मगर इतना खाल रखना ।

बि मान म दिन है और

सदन में तुम्हारा मकाम ।”

सदन एक ऐसा मंच है जहाँ विविध प्रकार के संबोधनों का मुहो पर चर्चा होती है । यह स्वाभाविक ही है कि इन मौकों पर सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के बीच सदन में कभी कभी तीखा वाद-विवाद उठ खड़ा हो और वे एक दूसरे के लिए चुमने वाले और उत्तजनात्मक शब्दों का प्रयोग करने लगें । ऐसी गरमा-गरमी का कारण सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा कहे गये काबूला के दो बोल सारे माहोल की कटुता को समाप्त कर दातावरण में एक क्षुण्ण गुलाबीपन बिखेर देता है । जैम - 7 फरवरी, 1982 का राष्ट्रपात के प्रतिभापण पर अश्ववाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी जिनमें श्री जी एम बनतवाल ने सरकार पर अल्प मन्थका की प्रवेष्टा का आरोप लगाते हुए कहा—

स्वाव म भी न साचा था हमने कभी यह

यह आत्म धो चमन पर गुजर जाएगा,

बागबा छोन लेंग लिबामे बहार,

और फूँटो का चेहरा उतर जाएगा ।

28 फरवरी, 1984 को भी राष्ट्रपति के प्रतिभापण पर अश्ववाद प्रस्ताव के दौरान देश में विगड़ती कानून और व्यवस्था की आलोचना करते हुए माननीय सदस्य श्री रशीद मसूद ने कहा—

महसूस यह होता है यह दोरे तबाहो है

पौजे की प्रदावत में पत्थर की भवाही है ।

दुनिया में कही डमकी तनशीर तही मिलती

कातल ही मुहाफिज है कातिल ही निपाही है ।

15 सितम्बर, 1981 को विहार-शरीफ में हुए दंगों में भारी जान मान की हानि को लेकर मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो तत्कालीन गृह मन्त्री ज्ञानी जैलसिंह ने कहा कि विपक्ष के सदस्य सरकार पर लगाये गये आरोपों को साबित करें अन्यथा ऐसे आधारहीन आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं क्योंकि मुझे हर बात में तो—

नजर आते हैं इकारार में इन्कार के पहलू
महबूबत इस जमाने में मियासत होती जानी है ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अनुदानों की मांग, 1981-82 पर 25 मार्च, 1981 को चर्चा के दौरान श्री रमोद ममूद साहब को शिकायत थी कि रेडियो और टेलीविजन में देश को ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा है । उनका कहना था कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री बसंत साठे जैसे काबिल मंत्री के होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है । उन्होंने अपनी शिकायत करते हुए शेर पेश किया—

तेरा जिक्र मुन के तड़प गया,
तेरा नाम मुनके मैं रो दिया
मुझे एक निस्वते खास है,
तेरे जिक्र में, तेरे नाम से ।

रेल बजट 1982-83 (सामान्य) पर 3 मार्च, 1982 को चर्चा के दौरान श्रीमती मोहसिना किदवई को शिकायत थी कि मेरठ को एक भी नई गाड़ी नहीं दी गई है । वे चाहती थी कि जब गुल शरीफ को बंटें हैं तो उनकी भौली वाली बयो—

गुल फेंके है, शरीफ की तरफ बन्कि ममर भी
ये खानाए वर अन्दाजे चमन कुछ ता इधर भी

श्रम मन्त्रालय की अनुदान मांगे 1982-83 पर 8 अप्रैल, 1982 को चर्चा के दौरान जब विपक्ष के एक युवा समूह सदस्य श्री हरिवेश बहादुर ने मन्त्रालय के कार्यकरण की कटु आलोचना की तो तत्कालीन श्रम मंत्री श्री भागवत भद्राजाद ने कहा कि युवा होने पर मेरे मित्र कभी-कभी भडक जाते हैं, श्रम मंत्री महोदय ने उनको याद दिलाया—

सावन में मरुस्थल भी हरे हो जाते हैं
काटे भी बहारों में महक जाते हैं ।
इस नादान जवानों में न भूलनाओं तुम
इस उम्र में सभी बहक जाते हैं ।

थमजीवी पत्रकार तथा धन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबन्ध (सशोधन) विधेयक पर 16 सितम्बर, 1989 को बोलते हुए श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने पत्रकारों के लिए पालेकर एवाडें को लागू करने की सरकार की दक्षता को इन पंक्तियों में व्यक्त किया—

जमाने भर की भुसीबते मुझे कना नहीं सकता
मैं क्या करूँ मुझे घादत हे मुस्कराने की

उन्होंने आगे कहा कि सरकार बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय में विश्वास रखती है और उन्होंने अपने इस विश्वास की अभिव्यक्ति को मुमिन्त्रानन्दन पत्र की इन पंक्तियों में पाया—

जग पीड़ित रे अति सुख मे,
जग पीड़ित रे अति दुख मे,
मानव जग मे बट जाए
सुख-दुख मे और दुख-सुख मे ।

12 अक्टूबर, 1985 को बालक नियोजन (सशोधन) विधेयक पर बोलते हुए श्रीमती प्रभावती गुप्ता ने कहा कि बाल श्रमिकों के शोषण की अनन्त कथा-अनन्त कहानी है। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। उनके पास खपड़े नहीं हैं। वे भूखे नंगे हैं। उन्होंने उनकी हालत को जयशंकर प्रसाद के काव्य "धामू" में एक पद को उद्धृत कर व्यक्त किया—

अभिलाषाओं की करबट फिर गुप्त व्यथा का जगना,
सुख का सपना हो जाना भोगी पलकों का लगना ।

बजट मंत्र के दौरान जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर नाराज हो कर विपक्षी सदस्यों ने मदन त्याग दिया तो बाल कवि वैरागी ने उनके रुठने का इस प्रकार लिया—

साकी मे रुठ कर ये मगवाना छोड़ते है,
लगती हे जब तलब तो पैमाना तांडंत है,
तांदा भी कर रहे हैं फिर तोट भी रहे है,
ये लडखडाने वाले ऐमा ही दौड़ते हैं ।

लेकिन मुलतान सलाउद्दीन घोवमी को दस्तूर-ए जबाबदी पर शिकायत थी—
यह दस्तूर-ए जबाबदी है कंसी तेरी महफिन मे,
यहा तो बात करने को तरमती है जबा तेरी ।